षष्ठम् माला, खंड 10, अंक 1, सोमवार, 20 फरवरी, 1978/1 फाल्गुन, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. X, No. 1, Monday, February 20, 1978/Phalguna 1, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

Preservation Unit
14-10-92

सत्यमेव जयते

[खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. X contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7, मंगलवार, 28 फरवरी, 1978/9, फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 7, Tuesday, February 28, 1978/Phalguna 9, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 107 और 109	*Starred Questions Nos. 101 to 107 and 109	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:	
तारांकित प्रश्न संख्या 108 और 110 से 121	Starred Questions Nos. 108 and 110 to 121	20—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 951 से 972, 974 से 1050 और 1052 से 1129	Unstarred Questions Nos. 951 to 972, 974 to 1050 and 1052 to 1129	28—144
बजट प्रस्तुत किये जाने के बारे में सभा की बैठक के बारे में अध्यक्ष की घोषणा	Announcement by the Speaker re. sitting of the House for presentation of the Budget . . .	144
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	144-147
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	147-150
शान्ति वन झील में आठ लड़कों के डूबने का समाचार	Reported drowning of eight boys in Shanti Vana Lake, New Delhi	147
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	147
श्री एस० डी० पाटिल	Shri S. D. Patil.	148
श्री वाई० पी० शास्त्री	Shri Y. P. Shastri	149
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya	149
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	149-150
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	150
दसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Tenth Report and Minutes	150
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377 .	150-151

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(एक) रेलवे लाइन को धर्मनगर से कुमारघाट तक ले जाने की मांग को लेकर त्रिपुरा बंद का मामला	(i) Bandh in Tripura for extension of Railway line from Dharamnagar to Kamarghat	150
(दो) विमान दुर्घटना जांच आयोग की नियुक्ति का मामला	(ii) Appointment of an Air Accident Investigation Commission	150
(तीन) वस्त्र निगम, मध्य प्रदेश के कार्यकरण का मामला	(iii) Working of Textile Corporation Madhya Pradesh	150-151
(चार) केरल के लिए नया रेलवे डिवीजन बनाने का मामला	(vi) Formation of a new Railway Division in Kerala.	151
संसदीय पत्र हिन्दी में सप्लाई करने के बारे में	*Re.* Supply of Parliamentary Papers in Hindi	151
राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	151-160
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	152-154
श्री गिरजा नन्दन सिंह	Shri Girjanandan Singh	154
श्री ए० बाला पजनौर	Shri A. Bala Pajanor	155-157
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	157-159
श्री राम नरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha	159-160
श्री छविराम अर्गल	Shri Chhabiram Argal	160
सामान्य बजट—1978-79—प्रस्तुत किया गया	General Budget, 1978-79—Presented.	161-167
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel. . . .	161-187
वित्त विधेयक, 1978—पुरःस्थापित	Finance Bill, 1978—*Introduced* . .	187-188

लोक सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 28 फरवरी, 1978/3 फाल्गुन, 1899 (शक)

Tuesday, February 28, 1978/Phalguna 9, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा विदेशी फार्मास्युटिकल फर्म को निदेश

***101. श्री डी० डी० देसाई :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने हाल ही में किसी विदेशी भेषज-फर्म को अपने उत्पाद मूल्य सूची से कम दरों पर बचने के निवेश दिये हैं,

(ख) क्या यह निदेश यह पता लगाने पर जारी किया गया है कि यह फर्म निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अपना रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस फर्म द्वारा जिन उपभोक्ताओं से अधिक दाम वसूल किये गये उन्हें क्षतिपूर्ति दी जायगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने एक विदेशी फार्मास्यूटिकल फर्म मै० ग्लाक्सगो लेबोरटरीज (इंडिया) लि० को यह निर्देश देते हुए दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 को एक आदेश पारित किया कि वह यह स्पष्ट करते हुए अपने स्टाकिस्टों के साथ अपने करार में संशोधन करे कि उसकी मूल्य सूची में वर्णित निबन्धन एवं प्रतिबन्ध, अधिकतम मूल्यों से सम्बन्धित है, तथा

स्टाकिस्टों को व्यापार मूल्य सूची में दिये गये मूल्यों के बजाय न्यूनतम मूल्यों पर बेचने की स्वतंत्रता है ।

(ख) हां, श्रीमान् जी ।

(ग) आयोग का आदेश भविष्य प्रभावी है, एवं कानून में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है, जिससे उसके उत्पादों के उपभोक्ताओं को हानि पूर्ति की जा सके ।

श्री डी० डी० देसाई : अमरीका में अनेक औषध कम्पनियों पर अमरीका सरकार तथा भारत सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है । हमारी आयुर्वेदिक प्रणाली में एकस्व पाने वाले की प्रणाली भी नहीं है । क्या मंत्री जी औषध के मामले में एकस्व प्रणाली की समाप्ति पर विचार करेंगे क्योंकि औषधों को व्यापार की दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिये । इस बारे में वह क्या तरीका अपनायेंगे विशेषकर इस लिए भी कि इटली सरकार ने एकस्व पंजीकरण प्रणाली समाप्त कर दी है । क्या वही तरीका भारत को भी स्वीकार्य होगा ?

श्री के० राममूर्ति : प्रश्नों की सूची में इस प्रश्न के लिए "पैट्रोलियम और रसायन मंत्री" लिखा हुआ है ।

अध्यक्ष : यह गलती मेरे कार्यालय की है । यह विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री होना चाहिये ।

श्री शांति भूषण : प्रश्न का सम्बन्ध निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया आयोग से है । अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध इस आयोग से नहीं है । यह एक सुझाव है जिस पर पैट्रोलियम और रसायन मंत्री उचित रूप से विचार करेंगे ।

श्री डी० डी० देसाई: यह एक विधिक प्रश्न है । जो काम एक कम्पनी ने किया है वैसा ही अन्य भी कर सकती हैं । वितरण प्रणाली के साथ जैसा समझौता औषध कम्पनियां कर रही हैं क्या मंत्री जी उसकी जांच करेंगे ? क्या अधिक मूल्य का अनुमान लगा कर इस आयोग के अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जायगी ताकि इन कम्पनियों से अधिक मूल्य वापिस लिया जा सके ?

श्री शांति भूषण : ग्लैक्सो द्वारा वितरकों के साथ किया गया समझौते का रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण किया गया था । जब रजिस्ट्रार ने जांच की तो पाया कि यह निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा है । अतः उन्होंने इस आयोग को सौंप दिया और उसने मामले की जांच करके फर्म को कुछ आदेश दिये हैं । यदि अन्य फर्मों के भी ऐसे ही समझौते हैं तो उनकी भी जांच की जायगी और यदि रजिस्ट्रार के ध्यान में कोई मामला आया तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री एस० आर० दामाणी : अब तक आयोग द्वारा फार्मास्यूटिकल्स के कितने निर्माताओं के मामलों की छान-बीन की गई है और हाथी समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ।

अध्यक्ष महोदय: दूसरे प्रश्न का उत्तर जरूरी नहीं यह अलग प्रश्न है ।

श्री शांति भूषण : मुझे इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री जगन्नाथ राव : इस आयोग अधिनियम की धारा 10 असंज्ञेय है और आयोग के अधीन किसी अपराध के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती । क्या सरकार सम्बद्ध धारा में संशोधन का विचार कर रही है ताकि जो मामले आयोग के ध्यान में आय उनके लिए स्वतः कार्यवाही की जा सके ?

श्री शांति भूषण : एकाधिकार अधिनियम एवं कम्पनी अधिनियम पर विचार करने हेतु एक समिति पहले ही है जो प्राप्त: सुझावों पर विचार कर रही है। उसका प्रतिवेदन मिलने पर सरकार इस प्रश्न पर गौर करेगी।

निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता

***102. प्रो० पी० जी० मावलंकर:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में जनता के आर्थिक दृष्टि से निर्धन वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने के बारे में विभिन्न रिपोर्टों और सिफारिशों की सरकार ने अब पूरी तरह से और सावधानीपूर्वक जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा तैयार प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार का उक्त स्कीम अथवा प्रस्तावों को कब और किस प्रकार क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) काननी सहायता संबंधी उस समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती हैं और जिसके सदस्य न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: खेद है कि विधि मंत्री सारे मामले पर बिल्कुल चुप हैं। मेरा विचार था कि वह इस समस्या पर सरकार की सक्रिय कार्यवाही का कुछ संकेत देंगे। संविधान में अनुच्छेद 39(2) को निदेशक सिधान्तोंमें विशेष रूप से इसी लिए रखा गया था और नि:शुल्क कानूनी सहायता देना राज्य का कर्तव्य समझा गया। विधि मंत्री 42वें संशोधन की कुछ बहुत अच्छी बातों की प्रशंसा करते रहे हैं। उनमें से वह इसको भी एक अच्छी बात मानते हैं। तो अभी तक उन्होंने इस दिशा में सक्रिय कदम क्यों नहीं उठाया। क्या उन्हें पता है कि ब्रिटेन, अमरीका, आस्ट्रेलिया, जेमेका, कनाडा और फ्रांस में निर्धनों को नि:शुल्क कानूनी सहायता मिलती है और सोवियत संघ के पिछले वर्ष के संविधान के अनुसार भी वहां यह सुविधा है। क्या सरकार आश्वासन देगी कि भगवती कृष्ण अय्यर रिपोर्ट पर पूरी तरह से विचार किया जायेगा ? यह काफी समय से विचाराधीन है।

श्री शांति भूषण : मेरे मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, व्याय विभाग और समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों से एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है जो इस प्रश्न पर विचार कर रही है। सम्भव है मंत्रिमंडल की उपसमिति भी नीति सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करके यथा सम्भव शीघ्र इस रिपोर्ट पर विचार करे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: हमारे देश में 16 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में नि:शुल्क विधिक सहायता की कुछ योजना चल रही है। मेरे राज्य गुजरात में न्यायमूर्ति तथा भतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री भगवती ने अपने सहयोगियों के साथ यह स्कीम बनाई थी। इन से प्राप्त अनुभव के आधार पर क्या सरकार न केवल नि:शुल्क सहायता बल्कि उसे सक्षम व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस योजना हेतु विधान तैयार नहीं कर सकती? नि:शुल्क सहायता का उद्देश्य

तभी सफल होगा जब वह सक्षम व्यक्तियों द्वारा मिले। क्या वह ऐसा आश्वासन देंगे कि सरकार समूचे देश के लिए कोई ठोस योजना बनायगी और बाद में विचार-विमर्श के बाद कोई व्यापक कानून बनाया जायगा क्यों कि यह जटिल प्रश्न है। जिस पर व्यापक रूप से विचार होना चाहिय ?

श्री शांति भूषण : सरकार एक व्यापक योजना बनाना चाहती है इसीलिए यह जरूरी है कि विभिन्न राज्यों में चल रही स्कीमों की अच्छी जानकारी एकत्र की जाये, विभिन्न राज्यों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ताकि एक व्यापक और सुविचारित योजना बने और निहित उद्देश्य पूरा किया जा सके।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : This scheme of free legal aid is largely meant for illiterate rural people, so may I know if Government has formulated any programme for giving it wide publicity so that they may be able to avail of this facility ?

SHRI SHANTI BHUSHAN : The Government is concerned with this matter and while forming this scheme a provision will be included to provide wide publicity among the poor and backward people and to ensure justice to them according to the law.

SHRI CHHABIRAM ARGAL: What is amount spent on this scheme and what is the amount given to the weaker sections of the society as grants ? Whether it is a fact that more money has been spent on legal advisors and that much amount has been given to the weaker sections ?

SHRI SHANTI BHUSHAN: At present State Governments are operating their small schemes and the Central Government is considering the question about its formation and implementation. So no question of expenditure arises on it. The Finance Ministry will be consulted to find out the expenditure and the extent to which action can be taken in this regard.

श्री ए० सुन्ना साहिब : क्या केवल वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सलाह ली जायेगी या कनिष्ठ अधि-वक्ताओं से भी विधिक परामर्श किया जायगा ?

श्री शांति भूषण : इस पर व्यापक रूप से विचार किया जा रहा है। अत: इन पर भी विचार किया जायेगा। अभी से उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री ए० सुन्ना साहिब: मैं बार एसोसियशन का प्रसिजेंट रहा हूं। केवल कनिष्ठ अधिवक्ताओं से परामर्श किया जाता है। क्या अब वरिष्ठ अधिवक्ताओं से ज़ो भी सलाह ली जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी सलाह लेंगे ? या केवल कनिष्ठों से ही पूछेंगे जिनके पास कोई काम नहीं है ?

श्री अरविन्द बालापंजनैर: जो संसद सदस्य अधिवक्ता हैं उन्हें भी शामिल किया जा सकता है।

श्री शांति भूषण : पहले तो योजना ऐंसी होगी जिससे निहित उद्देश्य पूरा हो सके। योजना को अन्तिम रूप दिये बिना में कैसे इस सिधान्त या उस सिधान्त की बात कर सकता हूं ?

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: The hon. Miniser must have gone through the whole scheme and would have discussed various points with different Departments. There are certain points in every scheme which are not disputed and every body accepts them. May I know when you propose to implement those points so that the poor may be able to get free aid ?

SHRI SHANTI BHUSHAN: The only point which is acceptable to all is that the poor who have no means to obtain justice may be helped to get it. No point can be implemented so long as the scheme is not formulated. But the Government is concerned and it will be formulated soon.

SHRI RAMDEO SINGH : At the district head office level in every State the previous Government had appointed those advocates who were good for nothing. They had the status of P.P. Do they still continue or have they been removed ?

SHRI SHANTI BHUSHAN: Perhaps by P. P. the hon. Member means public prosecutor. They are appointed by the State Governments and the Central Government is not concerned with them.

AN HON. MEMBER : Legal Advisor.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I have no information as to whether any legal advisor was appointed so far as the legal aid is concerned.

तमिलनाडु में तट पर तथा तट-दूर तेल की खोज

*103. **श्री रागावलू मोहनरंगम्** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान तट पर तथा तट-दूर तेल की खोज तथा छिद्रण के लिए वस्तुतः क्या प्रयास किये गये ;

(ख) इस समय किस प्रकार की खोज तथा छिद्रण कार्य किया जा रहा है, कौन-कौन सी एजेंसियां इस कार्य को कर रही हैं तथा इस पर कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) आगामी दो वर्षों के लिए क्रियान्विति हेतु क्या योजना तैयार की गई है तथा इस उद्देश्य के लिए कौन से स्थान चुने गए हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तमिलनाडु के कावेरी बसीन में और पांडिचेरी में पिछले तीन वर्षों के दौरान गहन भू-गर्भीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये हैं । इस प्रयोजन के लिए, दो भू-गर्भीय दलों, एक उथला व्यधन कार्य करने वाला दल, तीन भू-गर्भीय दलों और एक धनत्व चुम्बकीय दल को तमिलनाडु में सक्रिय रूप से लगाया गया था । इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में तीन गहरे कुएं भी खोदे जा चुके हैं ।

इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तमिलनाडु और पांडिचेरी के तटवर्ती तथा अपतटीय क्षेत्रों में भू-गर्भीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण कर रहा है ।

काबेरी बसीन का अपतटीय अन्वेषण के लिए वर्ष 1975 में तेल कम्पनियों के असमारा ग्रुप को एक ठेका दिया गया था । ठेकेदारों ने भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये, जिनके आधार पर उन्होंने मन्नार की खाड़ी में एक अपतटीय कुआं खोदा, परन्तु यह कुआं शुष्क पाया गया । इस ठेके के अन्तर्गत, ठेकेदारों के पास इस बात का निर्णय करने के लिए सितम्बर, 1978 तक समय था कि क्या ठेके के अगले चरण के कार्य को हाथ में लिया जाये अथवा ठेके को समाप्त कर दिया जाये ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जनवरी, 1978 के अन्त तक कावेरी बसीन में अपतटीय अन्वेषण के लिए असमारा कम्पनी ग्रुप के साथ किय गये भागीदारी ठेके में 3.20 करोड़ रुपये की धन-

राशि खर्च कर ली है। ओ० एन० जी० सी० ने वर्ष 1976-77 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान मद्रास में कार्यरत क्षेत्री दलों द्वारा किये जा रहे दोनों प्रकार के भू-गर्भीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों पर 0.83करोड़ रुपये के मूल्यह्रास सहित 2.83 करोड़ रुपये की धनराशि भी खर्च की है। ये क्षेत्रीय पार्टियां तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में इसी प्रकार के सर्वेक्षण कार्य कर रही हैं।

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का इस क्षेत्र में भू-कम्पीय सर्वेक्षणों द्वारा 300 लाइन किलो मीटर के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए भू-भौतकीय कार्य और 4800 धनत्व-चुम्बकीय केन्द्रों को स्थापित करने के कार्य को आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

श्री रागावलू मोहनरंगम् : यह समस्या लम्बे समय से लम्बित है। खेद है कि मंत्री जी ने समूचे क्षेत्र को शुष्क घोषित किया है। एक कुआं खोदने से सारा क्षेत्र कैसे शुष्क हो सकता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह सत्य नहीं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग या उसके एजेंटों का ख्याल है कि समूचा क्षेत्र शुष्क है। हमने तट पर और तट दूर क्षेत्र में 18 कुएं खोदे हैं और अभी काम चल रहा है। आप अपने हुकम से तेल नहीं प्राप्त कर सकते। हमें प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है।

श्री रागावलू मोहनरंगम् : क्या सरकार आसमारा ग्रुप को और कुएं खोदने का ठेका देगी ताकि उस क्षेत्र में तेल का पता चल सके।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कनाड़ा का मैसर्स आसमारा ग्रुप चाहे तो 30सितम्बर, 1978 तक अपना कार्य बढ़ा सकता है या उसे बंद कर सकता है। उनसे पूछा गया है कि क्या वे अपना कार्य जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हम वित्तीय सहायता का पता लगा रहे हैं, और उपलब्ध हो जाने पर कार्य करेंगे अन्यथा नहीं। सितम्बर में पूरा पता चलेगा। लेकिन हम उन पर ही निर्भर न रह कर अपना कार्य स्वयं भी करेंगे।

श्री आर० वेंकटारामन: इस क्षेत्र में 20 वर्ष से कहीं कहीं तेल की खोज हो रही है। कुछ वर्ष पहले वहां कुछ समुद्री उत्पाद मिला था जिससे तेल मिलने की सम्भावना हो गई थी। क्या अब उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : पिछले 15–20 वर्षों से कार्य हो रहा है। 5 वर्षों से कभी धीमी कभी जोरदार काम हुआ है। अब हमने 18 कुएं उथले या गहरे खोदे हैं जिनमें से एक को आसमारा ग्रुप ने खोदा है। कराइक्कल तट पर कुछ स्तरों पर तेल और जल प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी तक लाभदायक कहा जाने वाला स्रोत प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि वहां तेल अवश्य मिलेगा अतः खोज जारी है।

SHRI L. L. KAPOOR : May I know the names of the places where oil exploration is going on at present and the outcome thereof? What progress has been made in regard to oil exploration going on near Andaman and Nicobar Islands ?

SHRI H. N. BAHUGUNA : This question relates to Tamilnadu only, but if the hon. Member wants, the information will be communicated to him.

SHRI L. L. KAPOOR : In part (c) of the question the names of the places selected for this purpose have been clearly asked.

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वह आपका पत्र द्वारा सूचित करेंगे।

श्री अरविंद बाला पजनौर : मंत्री जी ने बताया है कि गत 15 वर्षों से तेल निकाला जा रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कराइक्कल केन्द्र में क्षेत्र में आता है। परन्तु दुर्भाग्यवश वह इसे बदल कर आन्ध्र प्रदेश में ले जा रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि वह सितम्बर के महीने में निर्णय लेंगे परन्तु वह कार्यालय और एक्सप्लोरेशन केन्द्र कराईक्कल से हटाकर हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया है। क्या उन्हें इस बात की जानकारी है? मैं जानना चाहता हूं कि चल रही खुदाई की गहराई कितनी है क्योंकि लोगों तथा विशेषज्ञों की यह राय है कि कराईक्कल क्षेत्र और कावेरी बेसिन में, जहां कुछ समय पूर्व उन्होंने तेल का पता लगाया था, इस्तेमाल किये जाने वाले रिग बम्बई हाई और आसम हाई में इस्तेमाल किये जाने वाले रिग की तुलना में घटिया हैं। हमें पता चला है कि रिग बहुत घटिया स्तर के हैं और इसी कारण वह तेल का पता नहीं लगा सके। क्या यह सच है ? क्या इस मामले में उनका मंत्रालय पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह कहना सच नहीं है कि इस प्रयोजन हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले रिग घटिया हैं। उदाहरणतया मन्नारकी खाड़ी में हमारे पास 3778.3 मीटर तक हैं। कराईक्कल क्षेत्र में हमने 7 कुएं खोदे हैं और इन 7 कुओं में हम 1200 से 3000 मीटर तक की गहराई तक गये हैं। भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमें किस स्तर तक जाना चाहिये। ऐसी बात नहीं कि हम सारी भूमि की नीचे तक खुदाई करते जाते हैं। कराईक्कल क्षेत्र में 7 कुएं खोदे गये और ये 7 कुएं कम नहीं होते। प्रत्येक कुएं पर लगभग आधा करोड़ अर्थात् 50 लाख रुपये खर्च होते हैं। खोदे गये गहरे कुओं की संख्या 18 है। अब स्ट्रक्चुरल कुओं की संख्या 10 है।

यह सच है कि हमने कुछ उपकरण आन्ध्र प्रदेश भेजे हैं। परन्तु इसे छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। हमारे पास सीमित संसोधन हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजते रहते हैं। हम आसमारा सौदे के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

COMPLIANCE WITH RULES MADE UNDER OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963

†*SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his Ministry/department have apprised their attached and subordinate offices of the Official Languages Act, 1963 and the rules framed under it in June, 1976 and whether they have been asked to comply with them;

(b) if so, whether his Ministry/department have ensured that these are being fully complied with; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps being taken to ensure compliance thereof ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

SRHI NAWAB SINGH CHAUHAN : The Hon. Minister has stated in his reply that his Ministry is following the Official Languages Act and the rules framed thereunder and his Ministry/Department has ensured their complete implementation. May I know if it is actually being done ? For example implementation committees should be constituted. I want to know if they have been constituted and if any meeting has taken place or that meeting has remained only in papers. What is the source of the hon. Minister to ascertain that the decisions are being implemented ?

SHRI SHANTI BHUSHAN : Yes Sir, they are being implemented. Rules had been framed in 1976 to the effect that letters being sent to Hindi speaking States should be in Hindi unless there is some specific reason and even this should be accompanied with the translation of that document. Orders in this regard have been issued to our subordinate offices like Income-Tax Tribunal. The reports are received after every three months and if any shortcomings are noticed then their attention is invited towards these shortcomings and are instructed to follow the provisions completely.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : So far as information goes these are not being implemented. Will the hon. Minister review the matter to see if they are actually being followed or the supervising officers merely submit that the rules are being implemented ?

SHRI SHANTI BHUSHAN : If the hon. Member brings to my notice any instance of their non-implementation I will certainly take proper action in that regard.

SHRI RAM VILAS PASWAN : In case these are not followed has the hon. Minister any punitive authority ?

SHRI SHANTI BHUSHAN : They are to be implemented by the official machinery as well as the officers and if they do not implement, action can certainly be taken against them. They can be punished.

SHRI RAM VILAS PASWAN : What punishment can be given ?

SHRI SHANTI BHUSHAN : The hon. Member first state as to where these are not being implemented. My information is that these are being implemented.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय से बहुत से पत्र हिन्दी में केरल भेजे गये हैं और स्थिति यह हो गई है कि केरल राज्य सरकार, भाषा के मामले में जिसका रवैया बहुत उचित है, को यह बताना पड़ा कि आज के बाद यदि उन्हें हिन्दी में पत्र भेजे गये तो व मलयालम में उनका उत्तर देंगे। क्या यह बात उनके ध्यान में लायी गई है और यदि ऐसी बात होती है तो क्या वह सभा को आश्वासन देंगे कि संसद द्वारा स्वीकृत भाषा नीति का भारत सरकार द्वारा ठीक प्रकार से पालन किया जायेगा ?

श्री शान्ति भूषण : मुझे उन बातों की कोई जानकारी नहीं है जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। परन्तु मैं उन्हें पूर्ण आश्वासन दिलाता हूं कि स्वीकृत भाषा नीति का पालन किया जायेगा और बनाये गये नियम लागू किये जायेंगे।

SHRI YUVRAJ : The hon. Minister might be aware of the fact that in accordance with the Parliament's resolution and Official Languages Act, 1963 and 1967 departmental orders, passports, notices, notifications, representations are to be issued in diglot form. Not only that as per the instructions of the Ministry of Home Affairs after every 25 employees there will be one employee for Hindi work. May I know if his Department is following these instructions.

SHRI SHANTI BHUSHAN : The hon. Minister has stated that notifications etc. should be issued in diglot form. This is being done. But so far as the question of one employee for Hindi work after every 25 employees is concerned, I have no information at the moment.

श्री के० गोपाल: क्या यह सच है कि गैर-हिन्दी भाषा राज्यों को एक निदेश दिया गया है कि केन्द्र के साथ पत्रव्यवहार करते समय वे अंग्रेज़ी पत्र के साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजें। कुछ राज्यों में हिन्दी नहीं है। आमतौर पर वे केन्द्र के साथ अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करते हैं। परन्तु उन्हें अंग्रेज़ी पत्र के साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजने के लिये कहा गया है। मैं जानना चाहता हुं कि क्या यह बात सच है और क्या आप से ठीक करेंगे ?

श्री शान्ति भूषण: यथोचित नियमों——1976 में सरकारी कार्यों के लिये राजभाषा का प्रयोग—— 1976 के संघ नियमों में यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकारी कार्यालय से क्षेत्र ग में किसी राज्य या संघ क्षेत्र/क्षेत्र ग में व राज्य आते हैं जो अहिन्दीभाषी हैं, या किसी ऐसे कार्यालय, जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय नहीं है, को भेजे जाने वाले पत्र अंग्रेज़ी में होंगे। इस बारे में स्थिति यह है।

अध्यक्ष महोदय: उनका प्रश्न यह था कि क्या कतिपय सरकारों को यह कहा गया है कि वे हिन्दी में भी पत्रों का उत्तर भेजें।

श्री शान्ति भूषण: यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रागालेलू वेरनरंगम: एक सन्देश पहले ही भेजा जा चुका है। (**व्यवधान**)

मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं। (**व्यवधान**) कुछ अधिकारियों को पत्र पहले ही भेजा जा चुका है। (**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल: उन्होंने कहा है, "यह उनकी जानकारी में नहीं है। वह हां या न करें। (**व्यवधान**)।

श्रीमती पार्वती कृष्णन: हम जानना चाहते हैं कि वह क्यों नहीं बताते। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

श्री के० गोपाल: हम सरकार के रवैये के बारे में जानना चाहते हैं। क्या ऐसे राज्यों को कोई निदेश भेजा गया है जिनकी राजभाषा हिन्दी नहीं है। (**व्यवधान**) वह चाहते हैं कि अंग्रेज़ी उत्तर के साथ उन्हें हिन्दी अनुवाद भेजा जाये।

श्री रागावेलू मोहनरंगम: मैं आपको पत्र दिखा सकता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं नहीं जानता कि पत्र किसने भेजा है। मैं निश्चय ही पता लगाऊंगा। शिसी पर भी हिन्दी लादे जाने का प्रश्न ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि वह मामले की जांच करेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन: हम इसे ठीक किये जाने का आश्वासन चाहते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन डिवीजनल कमेटी द्वारा भूख हड़ताल

*105. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ की डिवीजनल समिति ने 29 अगस्त, 1977 से 1 सितम्बर, 1977 तक क्रमिक भूख हड़ताल की थी और 37-सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र का ब्यौरा क्या है और उस पर रेल प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन, समस्तीपुर के कर्मचारियों द्वारा 9 अगस्त, 1977 को मण्डल अधीक्षक, समस्तीपुर के माध्यम से महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे को 38 मांगों के चार्टर वाला एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया ।

29 अगस्त, 1977 से पहली सितम्बर, 1977 तक कोई सामूहिक क्रमिक भूख हड़ताल नहीं हुई थी । एक व्यक्ति ने 2-9-77 को सुबह 8 बजे से 7-9-1977 की रात के 9 बजे तक 38 मांगों के चार्टर के ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मण्डल अधीक्षक समस्तीपुर के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल की थी ।

चार्टर में जो मांगें की गयी हैं उनका उल्लेख इस विवरण के अनुबन्ध में किया गया ।

सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से विचार किया जाता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है । सभी वर्गों के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करके उन्हें स्थायी वार्ता तंत्र तथा संयुक्त वार्तातंत्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से सुलझाया जाता है ।

चार्टर में की गयी मांगों पर तदनुसार विचार किया गया और अधिकांश मांगों पर आवश्यक और व्यावहारिक कार्रवाई कर दी गयी है जबकि कुछ मांगों पर अभी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

अनुबन्ध

मांगों का चार्टर

(1) सिगनल और दूरसंचार विभाग समस्तीपुर के 232 छानबीन किये हुए नैमित्तिक श्रमिकों तथा सिगनल एवं दूरसचार विभाग, गोरखपुर के 145 छानबीन किये हुए नैमित्तिक श्रमिकों को तैनात करने लिए शीघ्र कार्रवाई की जाय ।

(2) अनुशासन एवं अपील नियमों के नियम 14 (ii) के अन्तर्गत नौकरी से हटाये गये पूर्वोत्तर रेलवे के 300 से भी अधिक कर्मचारियों तथा अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये अनेक कर्मचरियों को शीघ्र बहाल किया जाए ।

(3) (क) मई, 1974 की हड़ताल की अवधि के लिए पूरे वेतन का भुगतान किया जाये ।

(3)(ख) 1971 की गड़हरा-बरौनी हड़ताल के सम्बन्ध में निलम्बित 47 कर्मचारियों की निलम्बन अवधि को ड्यूटी की अवधि के रूप में माना जाये । 33 दिन की हड़ताल की अवधि को भी ड्यूटी की अवधि माना जाये । ऐसा किया जाने का लिखित आश्वासन दिया गया था ।

(4) रेलकर्मचारियों को बोनस का भुगतान ।

(5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पूरे कोटे को भरा जाये और नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति में भी कोटा आरक्षित किया जाये ।

(6) फायरमैन 'ए' और फायरमैन 'बी' के पद समकक्ष तथा समान वेतनमान के होने चाहिए ।

(7) विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी शीघ्र पूरी की जाय ।

(8) 65 से अधिक कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ।

(9)(क) अनेक नैमित्तिक श्रमिकों को नैमित्तिक कार्ड नहीं दिये गये हैं। इसके अलावा, अनेक नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित वेतनमान नहीं दिया गया है जबकि वे लम्बे समय से काम कर रहे हैं ।

(9)(ख) छानबीन किये हुए नैमित्तिक श्रमिकों को तैनात नहीं किया गया है ।

(9)(ग) एवजियों को तैनात नहीं किया गया है और उनकी सेवाओं का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। लगभग 500 नैमित्तिक श्रमिकों की छटनी की गयी है।

(10) महेन्द्रघाट और बरारीघाट के बीच घाट उतराई सेवा जारी रखी जाय ।

(11) कतिपय कोटियों की वर्दियों में कटौती की गयी है और वर्दियां नियमित रूप से नहीं दी जा रहीं हैं ।

(12) नार्थ बिहार में माल चढ़ाने-उतारने के ठेकेदार तथा रेल प्रशासन के बीच और रेल प्रशासन एवं ट्रांसिपमेंट वर्कर्स यूनियन के बीच हुए समझौतों को क्रियान्वित किया जाय ।

(13) समस्तीपुर मण्डल के लोको फिटिंग, सवारी डिब्बा एवं माल डिब्बा डिपो, सिगनल एवं बिजली विभाग में हुई अनेक रिक्तियों को ट्रेड टैस्ट द्वारा भरा जाय । समस्त अर्ध कुशल कर्मचारियों की कुशल कर्मचारियों के रूप में पदोन्नति की जाय ।

(14) कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने पर कारखानों में पदों को समाप्त न किया जाय ।

(15) उच्च कुशल, कुशल ग्रेड-I और ग्रेड-II के मिस्त्रियों की सभी रिक्तियां 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रेड टेस्ट लेकर भरी जायें तथा अर्ध कुशल कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर उन्हें कुशल ग्रेड में पदोन्नत किया जाय ।

(16) समस्तीपुर मण्डल के कार्यालय में लिपिकों की कमी है, अतः अतिरिक्त पदों को स्वीकृत किया जाय । .

(17) समस्तीपुर मण्डल के मण्डल लेखा अधिकारी के कार्यालय के लिपिकों को मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाय तथा अन्य अनिर्णीत बिलों का भी मानदेय देकर निपटारा किया जाय ।

(18) अस्पतालों में पर्याप्त दवाईयों, मानक भोजन आदि की व्यवस्था हो। अस्पतालों म खाटों, डाक्टरों, नर्सों, कम्पाउन्डरों आदि की संख्या अपर्याप्त है ।

(19) उपयुक्त साइज की वर्दियां नहीं दी जाती हैं ।

(20)(क) समस्तीपुर लोको एवं कैरेज के बिल अनुभाग को पुनः लोको शैड में अन्तरित किया जाय ।

(ख) कतिपय कारखानों और लोको शैडों में जहां अभी पंखे नहीं हैं, वहां पंखों की व्यवस्था की जाय ।

(21) समस्तीपुर रेलवे कालानी में एक रेलवे हाई स्कूल खोला जाय।

(22) कार्य-घंटा विनियमों के तथाकथित उल्लंघन के कतिपय उदाहरण दिये गये हैं।

(23) शयनयानों में टी० टी० ई० के रूप में काम करने वाले सभी एल० एफ० /टी० सी० को टी० टी० ई० के रूप में पदोन्नत किया जाय और उन्हें 330–560 का वेतनमान दिया जाय ।

(24) अधिक संख्या में टी० टी० ई०, टी० टी० आई, तथा शयनयानों में सशस्त्र मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था तथा टी० टी० ई० को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाये ।

(25) बरौनी और गड़हरा में यानन्तरण लिपिकों तथा टिकट कलक्टरों के पदों को भरा जाय

(26) सहायक स्टेशन मास्टरों की उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर नहीं की गयी है ।

(27) शंटर से ड्राइवर 'सी' तथा ड्राइवर 'सी' से ड्राइवर 'बी' तथा ड्राइवर 'बी' से ड्राइवर 'ए' की स्थानापन्न ड्यूटी को समाप्त कर दिया जाय और पर्याप्त रनिंग कर्मचारियों की व्यवस्था की जाय तथा पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाय ।

(28) ई० एस० एम० और ए० एम० एस० एम० बैटरीमैनों की रिक्तियां शीघ्र भरी जाएं ।

(29) समस्तीपुर मण्डल में यानान्तरण लिपिकों के जिन 27 पदों का ग्रेड ऊंचा कर दिया गया था उनमें से 21 पद अभी भरे नहीं गये हैं ।

(30) श्री बालेश्वर प्रसाद यादव, फायरमैन, जिन्हें हाल ही में बहाल किया गया था, उन्हें वापस समस्तीपुर स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

तीन और स्थानान्तरण किये गये हैं उन्हें भी रद्द कर दिया जाय ।

(31) इंजन क्लीनर से स्टीममैन की पदोन्नति समाप्त कर दी जाय ।

(32) 25 कर्मचारियों को मई, 1974 की हड़ताल के सम्बन्ध में निलम्बन की अवधि का पूरा वेतन और भत्ता नहीं दिया गया है ।

(33) एक फायरमैन की वरिष्ठता अभी सही नहीं की गयी है ।

(34) बड़ी लाइन निर्माण-कार्य के एक नैमित्तिक श्रमिक को अभी तक समाहित नहीं किया गया है ।

(35) कतिपय कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान ।

(36) कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की संख्या अपर्याप्त है । रेलवे कालोनी की समुचित सफाई नहीं होती । पुराने क्वार्टरों का ढांचा बदलने के बारे में विचार किया जाना अपेक्षित है । फ्लश टाइप शौचालयों की व्यवस्था की जाय और पुराने क्वार्टरों को किराया रहित घोषित किया जाय ।

(37) पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की पूलिंग के कारण क्वार्टर किराये में हुई वृद्धि समाप्त कर दी जाये ।

(38) गड़हरा यार्ड में दुर्घटनाओं की वृद्धि होने के कारणों की जांच की जाय । रेल पथ की समुचित मरम्मत नहीं की जा रही है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मंत्री महोदय ने कृपा पूर्वक वक्तव्य सभा पटल पर रखा है । वक्तव्य में उन्होंने भाग (क) और (ख) के उत्तर में कहा है :

चार्टर में की गयी मांगों पर तदनुसार विचार किया गया है और अधिकांश मांगों पर आवश्यक और व्यावहारिक कार्रवाई कर दी गयी है जबकि कुछ मांगों पर अभी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

श्रीमान जी, मैंने सोचा था कि जब हम जानकारी मांग रहे हैं तो मंत्री महोदय को हमें कम से कम इतना तो बता देना चाहिए कि कौनसी मांगों पर विचार किया गया है तथा किन पर कार्यवाही की गई है तथा कौनसी मांग बकाया पड़ी है । इस वक्तव्य में मांगें क्या हैं यह तो अनुबन्ध में दिया गया है, परन्तु मुझे यह कतई पता नहीं चलता कि कौनसी मांगों पर विचार किया गया है तथा उन्हें स्वीकार किया गया है । मैं जानना चाहती हूं कि कौनसी मांगे पूरी की गई हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते: यदि माननीय सदस्या स्वीकार करें और आप अनुमति दें तो 38 मांगों के बारे में मेरे पास एक आठ पृष्ठ की टिप्पणी है जिसमें पूरी स्थिति दी गई है । (व्यवधान) ।

हर एक मांग पर की गई कार्यवाही इसमें उल्लिखित है । मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाये ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था । तब मेरे लिए अनुपूरक प्रश्न पूछना भी सरल हो जाता । मेरा दूसरा प्रश्न यह है उत्तर में उन्होंने बताया है ;

सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से विचार किया जाता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है । सभी वर्गों के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करके उन्हें स्थायी वार्तातंत्र तथा संयुक्त वार्तातंत्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से सुलझाया जाता है ।

जहां तक इस रेलवे का सम्बन्ध है, एन० इ० रेलवे मजदूर यूनियन जिसे कि प्रशासन ने, उच्च न्यायालय के उनके पक्ष में निर्णय के बावजूद मान्यता नहीं दी गई और इसलिए जब यह संगठन कोई मांगपत्र देता है तब उसका किसी अन्य द्वारा अध्ययन किया जाता है । मान्यता देते समय रेलवे मनमाने रूप में चयन करती है । आप ऐसे संगठन के कर्मचारियों को दण्डित क्यों करते हैं जिन्हें उच्च न्यायालय से कानूनन स्वीकृति मिल गई है ।

प्रो० मधु दण्डवते: वर्तमान रेलवे प्रशासन ने पिछली पद्धति से कुछ भिन्न पद्धति अपनाई है । हम न केवल मान्यता प्राप्त संगठनों से अपितु ..... (व्यवधान) क्या आप व्यवधान ही पैदा करना चाहती हैं या मेरा उत्तर भी सुनना चाहती हैं? जहां तक रेलवे प्रशासन का सम्बन्ध है हमने दो प्रथाएं शुरू की हैं । निःसन्देह पहले केवल दो संगठन मान्यता प्राप्त थे । उनके साथ हम चर्चा और

समझौते करते थे। (व्यवधान) जो कुछ भी हो ऐसा किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्या जानती हैं हम इस प्रक्रिया को बदलना चाहते हैं। मान्यता के लिए नये सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसे विपक्षी सदस्यों में भी परिचालित किया जायेगा। एक मत से संगठनों को मान्यता देने के सिद्धान्त तैयार किये जायेंगे। तथा जिस संगठन से माननीय सदस्य का सम्बन्ध है, उससे कोई अन्याय नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री कछवाय।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : उच्च न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति के लिये मैंने ....

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री कछवाय को बुलाया है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : During the time of the previous Government, the employees had to resort to hunger strike for their getting their demands accepted and even then their demands were not heeded to. May I hope that the new Minister would prompty attend to the demands of the employees and not let them resent to hunger strike. Recently, the casual labourers working in Woltair for the last 15-20 years have been retrenched and as such they had to resort to hunger strike. In Jaipur the office bearers of the union were transferred and therefore they are on hunger strike. Is he adopting some such measures that the employees have not to resort to hunger strike ? The hon. Minister has just stated that he is discussing the matter with all concerned. May I know that by what time he would take a decision so that there may be peace at least in the Railways and the demands of the employees are attended to promptly ?

PROF MADHU DANDVATE : Yes. Sir.

aSHRI HUKAM CHAND KACHWAI : What does this yes sir, means. Mr. Speaker, my question has not been replied. What is your proposal for these who are on hunger strike ?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बताया है कि आपका सुझाव स्वीकार किया गया है।

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Mr. Speaker, I want to state that what to speak of meeting the representatives of the union of which Shri Kachwai is President. even the letters written by them are not replid to and there is no question of recognition. One reason for the hunger strike at Jaipur is that you have issued orders. That negotiations will not be held with anybody except the federation? You must have a dialogue with them atleast. If you have issued any such directions, these should be withdrawn and the officer should be asked to have talk with hem.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : If you make an attempt to have a polite dialogue with them, so many issues can be solved.

PROF. MADHU DANDVATE : Sir, the main question was about North Eastern Railway and its 38 demands. I have replied the same.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : But you yourself said that you are having dialogue with all.

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा० सुब्रामण्यम स्वामी : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह नार्थ-ईस्ट रेलवे के सिलसिले में था। परन्तु इसमें निहित मुख्य बात यही है कि प्रशासक, संघ के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि गैर-मान्यताप्राप्त संघों भी पत्र व्यवहार कर सकते हैं तथा उन्हें प्रशासन की ओर से उत्तर दिये जायेंगे। परन्तु महा-प्रबन्धकों द्वारा मंत्री महोदय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। क्या मंत्री महोदय

महाप्रबन्धकों को यह निदेश देगें कि वह रेलवे संघों के साथ बातचीत करें तथा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संघों की मान्यता वापिस लेकर उनके पुनः चुनाव करवायें ताकि उत्तर-पूर्व रेलवे जैसी समस्यायें फिर उत्पन्न न हों।

प्रो० मधु दण्डवते: माननीय सदस्य महोदय ने मेरे आश्वासन को कुछ गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक उन संघों का प्रश्न है जिन्हें कि अभी तक मान्यता नहीं मिली है, मैंने कहा था कि उनके प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक रूप से बात-चीत तो की जायेगी परन्तु उन से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। फिर भी मैं माननीय सदस्य महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि संघों को मान्यता प्रदान करने के नये मानदंड का मसौदा तैयार किया जा चुका है और उन्हें अन्तिम रूप देने के शीघ्र ही बाद उन्हें परिचालित कर दिया जायेगा.....

डा० सुब्रामण्यम स्वामी : कब तक ?

श्री मधु दण्डवते : यह केवल हमारे पर ही नहीं अपितु विरोधी पक्ष के सदस्यों पर भी निर्भर करता है। मसौदे को अन्तिम रूप देने के तुरन्त बाद ही हम आगे कार्यवाही आरम्भ कर देंगे तथा रेलवे द्वारा मानदंड की क्रियान्वित के लिए पहल की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब अगले प्रश्न को लिया जायेगा। श्री दमाणी

SHRI MANI RAM BAGRI : Sir, I stood a number of times for asking a question but you did not call me. When I will get an opportunity to ask question ?

अध्यक्ष महोदय : आपको अगले प्रश्न के दौरान अपना प्रश्न पूछने का अवसर दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : श्रीमानजी आप हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं और न ही हमें प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यदि चाहें तो इसका पता तो रिकार्ड देख कर लगा सकते हैं। परन्तु मैं प्रत्येक प्रश्न में आपको प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दे सकता। श्री दमानी

उर्वरकों का उत्पादन तथा मांग

*106. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरकों का कितना उत्पादन होने की आशा है;

(ख) उक्त उत्पादन देश की कुल वार्षिक मांग का कितने प्रतिशत है; और

(ग) शेष आवश्यकता को किन स्रोतों से पूरा किया जायेगा तथा इसके लिए क्या प्रबंध किये गये हैं ?

THE MINISTER OF STATE FOR PEROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) Production of fertilizers in terms of nutrients during 1977-78 is expected to be as follows :—

(In lakh tonnes)

	Nitrogen	Phosphate
Public Sector	8·60	2·10
Private Sector	9·70	3·10
Cooperative Sector	2·20	1·50
Total:	20·50	6·70

(b) The percentage of production to demand during 1977-78 is as follows :—

	Demand/Consumption (In lakh tonnes)	% of production to demand/consumption
Nitrogen	28·88	71%
Phosphate	8·30	80·7%
Potash	4·68	There is no indigenous production of potash (K.2 0)

(c) The balance requirements would be met through imports from various countries. Upto January, 1978, 5.42 lakh tonnes of nitrogen, 1.52 lakh tonnes of phosphate and 4.78 lakh tonnes of potash have been imported.

SHRI HUKA MCHAND KACHWAI : When potash is not produced here, then how do you meet its demand?

SHRI JANESHWAR MISHRA : We import it.

श्री एस० आर० दमाणी : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 1977-78 के दौरान नाइट्रोजन का उत्पादन 20.50 लाख टन तथा फास्फेट का उत्पादन 6.70 लाख टन होगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि नाईट्रोजन तथा फास्फेट का उत्पादन करने की अलग अलग निर्धारित क्षमता कितनी है तथा 20.50 लाख टन नाईट्रोज़न तथा 6.70 लाख टन फास्फेट का उत्पादन करने के लिए निर्धारित क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया जायेगा ?

SHRI JANESHWAR MISHRA: Mr. Speaker, Sir, our present capacity of nitrogen production is 30 lakh and 28 thousand tonnes and our phasphate producing capacity is 9 lakh and one thousand tonnes.

श्री एस० आर० दमाणी : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि नाइट्रोजन की 66 प्रतिशत तथा फास्फेट की 55 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं निर्धारित क्षमता का इतना कम उपयोग करने के क्या कारण हैं? इसी सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री का ध्यान 12 जुलाई, 1977 को पूछे गये प्रश्न संख्या 3211 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया था कि निर्धारित क्षमता में वृद्धि करने के लिए और अधिक बिजली परियोजनायें आरम्भ करने जा रहे हैं और इस प्रश्न पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उर्वरकों का उत्पादन

बढ़ाने के लिए परियोजनायें लगाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ताकि इनकी उत्पादन क्षमता म वृद्धि की जा सके तथा नाइट्रोजन को विदेशों सेमंगवाने पर खर्च होने वाले धन को बचाया जा सके।

SHRI JANESHWAR MISHRA : Sir, according to our present capacity,......

श्री रागावलू मोहनरंगम: सदन की यह प्रथा है कि जब कोई सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न पूछता है, और माननीय मंत्री महोदय को उसका ज्ञान होताहै, तो वह उसका अंग्रेजी में ही उत्तर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही यह विनिर्णय दे चुका हूं कि यह प्रथा है यदि वह जानते हों तो।

श्री लागावलू मोहनरंगम: मैं समझता हूं कि वह प्रोफेसर है तथा अंग्रेजी जानते हैं।

SHRI JANESHWAR MISHRA : Mr. Speaker, sir there are three main reasons it, the first is mechanical or machinery breakdown the second is power cut and the third is labour problem.

My answer to the second question is that a decision for installation of a captive power plant at Gorakhpur, Trombay and Durgapur has been taken.

श्री आर० के० अमीन: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह 1350 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली दो परियोजनाओं को 900 टन प्रतिदन का उत्पादन करने वाली 3 परियोजनाओं की तुलना में अधिक महत्व दे रही है जबकि पहली प्रकार की परि-योजनाओं के लिए किसी प्रकार के विदेशी सहयोग या विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है?

SHRI JANESHWAR MISHRA : Two projects based on the gas available from Bombay High are under the consideration of the Government and they are likely to produce 1350 tonnes amonia per day.

SHRI RAGHWAJI: Mr. Speaker Sir, Madhya Pradesh is primarily an agricultural state and fertilizers are in great demand there I would like to know from the hon. Minister if he has received a proposal from Madhya Pradesh Government or the people of the area for setting up a fertilizer factory in the state :

ONE HON. MEMBER : In Raipur and Morena.

SHRI JANESHWAR MISHRA : Yes, we have received a request for setting up a fertilizer factory in Madhya Pradesh and it is under considerations.

SHRI TEJ PRATAP SINGH : In Phulpur a factory is being installed on co-operative basis. May I know if in view of shortage of fertilizers in the country some steps will be taken for the further expansion of proposed factory ? May I also know from the Hon. Minister as to what will be the production capacity of Phulpur factory and what will be its installed capacity ?

SHRI JANESHWAR MISHRA : The Phulpur factory comes under Ministry of Commerce and not under my Ministry.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अभी तक देश में नाइट्रोजन उर्वकों का प्रर्याप्त उत्पान इसलिए नहीं हो सका क्योंकि देश में कच्चा माल उपलब्ध नहीं था परन्तु अब

चूंकि बम्बई हाई में गैस के काफी भंडार मिले हैं और सरकार ने बम्बई के निकट ही इसका कारखाना लगाने की घोषणा की है और हाल ही में श्री बहुगुणा जब बम्बई गए थे तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि इस कारखाने के लगाने का काफी कार्य अनिश्चित रूप से स्थगित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार के इस निर्णय से देश के हितों को गहरा आघात पहुंचेगा और यदि मैं गलत नहीं समझता तो केवल अंतर-मंत्रालय संघर्षों के फलस्वरूप ही कारखाना लगाने का प्रस्ताव छोड़ कर दिया गया है और मंत्री महोदय की इस घोषणा के फलस्वरूप महाराष्ट्र में काफी चिंता व्यक्त की गई है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह कहना ठीक नही है कि इन दोनों कारखानों के स्थाना-चयन के फलस्वरूप ही इन्हें लगाने के निर्णय को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वस्तुस्थिति तो यह है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का अन्तर मंत्रालय विवाद नही है। बम्बई में तथा जहां इन कारखानों को पहले लगाने का निर्णय किया गया था, वहां के कुछ लोगों ने इन कारखानों को लगाने से उत्पन्न होने वाले प्रदषण की समस्या सम्बन्धी आशंका व्यक्त की थी। इसीलिए हमने इसी सम्भाव्यता आदि तथा इस सम्पूर्ण मामले पर नये सिरे से विचार करने के लिए एक दल का गठन किया है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : समय निर्धारण के बारे में क्या स्थिति है?

श्री एच० एन० बहुगुणा : इसमें पूर्व निर्धारित समय से कुछ अधिक समय लग सकता है लेकिन हम इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह नहीं कह सकते कि संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 107।

श्री ओ० वी० अलगेशन : आपको कुछ अधिक समय देना होगा। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं उसके बारे आपत्ति नही कर रहा लेकिन आपको इस पक्ष की ओर भी कुछ अधिक ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तो सभी चाहते हैं।

बम्बई हाई के विकास के लिए एक फ्रांसीसी कम्पनी को ठेका

*107. **श्री प्रद्युम्न बल :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार फ्रांस की एक तेल कम्पनी सी० एफ० पी को बम्बई हाई के विकास के लिए बड़ा काम तथा अधिक भुगतान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जी, नहीं।

श्री प्रद्युम्न बल : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर न में दिया है क्योंकि ठेके विशेषकर सलाह सम्बन्धी ठेके हमें एकाधिकार गृहों के नहीं देने चाहिएं।

इस सम्बन्ध में मैं जनना चाहता हूं कि क्या बम्बई हाई में गैस बहुत मात्रा में बेकार जाती है और यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है। क्या इस गैस जो उद्योगों तथा घरेलू कामों के लिए बहुत उपयोगी है को स्टोर करने की व्यवस्था की जा रही है। क्या इसका उपयोग करने हेतु इसे संरक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: इसमें संदेह नहीं कि बम्बई हाई की गैस बेकार जा रही है लेकिन इसे तट पर लाने के लिए हम पाइपलाइन लगा रहे हैं और हमारा विचार इसे पहले प्रश्न में बताए गए दो उर्वरक संयंत्रों के लिए उपयोग करने, बिजली पैदा करने तथा पैट्रोकैमिकलज़ कार्यों के लिए काम में लाने का है।

श्री प्रद्युम्न बल: कब तक? समयबद्ध कार्यक्रम क्या है? इस बेकार जा रही गैस को उपयोग में लाना क्या संभव है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: गैस को वर्ष 1978 के अन्त तक अथवा मई तक तट तक लाने का है। उस समय तक इसके उपयोग का कार्य शुरू होने की संभावना है ?

श्री प्रद्युम्न बल: इस सम्बन्ध मैं यह भी जनना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में पूर्वी तट पर मिदनापुर पारादीय के आसपास तटदूर खुदायी की जाएगी क्योंकि उस क्षेत्र में तेल मिलने की काफी सम्भावनाएं है।

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह एक भिन्न प्रकार का प्रश्न है।

SHRI O. P. TYAGI : May I know whether it is a fact that oil is in abundance in Bombay High and the Government has at present no resources to drill out oil from there I would also like to know whether efforts will be made to drill out more oil so that country could become self-sufficient in oil.

SHRI H. N. BAHUGUNA: We are capable of drilling out oil from the Bombay High. So far as construction of plant forms, accessories, implements and equipments is concerned, I would like to say that potentialities of oil have increased on account of Bombay High and we are trying to establish capacity within the country. Construction work at Mazgon dock has started and house will be pleased to know that this work is being started in the country for the first time. This work was started 2 years ago and we hope to construct 3, 4, 5 platform annually.

रेलवे में श्रेणियों को समाप्त करने की योजना

***109. श्री के० प्रांधानी**
श्री एस० एस० सोमानी } :क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय रेलवे में विभिन्न श्रेणियों को समाप्त करके श्रेणी विहीन गाड़ियां चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) सरकार का मूल लक्ष्य यह है कि रेलों के भिन्न-भिन्न दर्जो को धोरे-धीरे- समाप्त कर दिया जाये और लम्बी दूरी की गाड़ियों में प्रधानतः एक ही किस्म का स्थान रखा जाय ।

SHRI S. S. SOMANI: The Hon Minister said sometime ago that classless trains will be run. You also said that facilities of cushioned chairs of 1st class will also be introduced in the 2nd class. How much time will the taken for providing these facilities?

PROF. MADHU DANDAVATE: I have already stated in the burget speech which I am repeating now that after that budget speech such trains have been run which are exclusively meant for the 2nd class. These 5 trains are :—(1) Geetanjli, (2) Tatanagar-Muzaffarpur Express; (3) Kakiguda-Ajmer Express; (4) Tiruputi-Hyderabad-Royalseema Express and (5) Madras-Madurai Express would also like to say that 5 Geetanjli type classless new trains wil be started during the next year. I would also like to say that not only sleepers but also sitting accommodation will be cucmioned accommodation in our 2nd class classless trains.

SHRI S. S. SOMANI : I want to know whether facilities of a attendants available in the 1st class will also be provided in the 2nd class?

PROF. MADHU DANDAVATE : Even today an employee is provided in the sleeper coach of 2nd class. They may be shouldered with more responsibility in future but we are trying to provide the facilities of 1st class in the 2nd class also.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या हावड़ा से दिल्ली तक की गीतांजली जैसी श्रेणी विहीन गाड़ियां चालू की जा रही है और, यदि हां, तो कब तक ?

प्रो० मधु दण्डवते : म निश्चित रुप से नहीं कह सकता कि इस मार्ग पर गीतांजली जैसी गाड़ियां चालू की जायेंगी। हमने इस प्रकार की श्रेणीविहीन गाड़ियों को बनाने का काम शुरु कर दिया है लेकिन अभी हम यह देख रहे हैं कि गीतांजली जैसी गाड़ियां किस मार्ग पर चलायी जायें फिर भी हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की गाड़ियां चालू करने के मामले में समानता हो।

श्री हुकम राम : अगले वर्ष चलाये जाने वाली 5 वर्गहीन गाड़ियों में से क्या एक दिल्ली अहमदाबाद के बीच चलायी जायेगी क्योंकि ये स्थान महत्वपूर्ण हैं और पहले इनके बीच बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे चलती थी और अब यहां इस प्रकार की कोई गाड़ी नहीं चलती।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस समय कोई निश्चित बचन नहीं दे सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मद्रास के निकट ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस की टक्कर के बारे में जांच प्रतिवेदन

***108. श्री कचरुलाल हेमराजजैन :** क्या रेल मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवम्बर, 1977 में मद्रास के निकट ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस की एक माल गाड़ी के साथ हुई टक्कर के कारणों का पता लगाने के लिए नियुक्त जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां तो उसमें क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) (क) और (ख) : बेंगलूरु स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी। उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उनके निष्कर्ष के अनुसार, दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

दक्षिण रेलवे में रेल कर्मचारियों के विभिन्न संघों से ज्ञापन

*110. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे में कर्मचारियों के विभिन्न संघों से रेलवे में काम कर रहे संविदा श्रमिकों की समस्याओं के बारे में कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क और ख) दक्षिण रेलवे पर कुछ यानान्तरण स्थलों पर कार्यरत् नगवार उजरत पर काम करने वाले मजदूरों और उनकी यूनियनों से नियमित सेवा में समाहित किये जाने और उनके परिवारों के लिए मुफ्त पास, मुफ्त चिकित्सा आदि जैसी कुछ अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) चूंकि यातायात के रुख में व्यापक कमी-बेशी के फलस्वरूप यानान्तरण शेडों में कार्यभार घटता-बढ़ता रहता है, इसलिए इस काम को सम्हालने के लिए नियमित कर्मचारियों को रखना सम्भव नहीं है। इसलिए, इस प्रयोजन के लिए मजदूरों की मांग कमीबेशी होती है और सम्हाले गये यातायात की मात्रा को दखते हुए नगवार उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को रखा जाता है। उनके द्वारा किये गये काम के आधार पर उन्हें पैसा दिया जाता है। नगवार उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को नियमित सेवा में समाहित नहीं किया जा सकता है। चूंकि वे नियमित रेल कर्मचारी नहीं हैं अतः वे अपने परिवारों आदि के लिए पास, चिकित्सा जैसी सुविधाओं के पात्र नहीं हैं।

छठी योजना के दौरान तेल शोधन तथा परिष्करण की अतिरिक्त क्षमता के बारे में विचार के लिये अध्ययन दल

*111. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी योजना (1978-83) के दौरान तथा उससे आगे के दो वर्षों में स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त तेल शोधन की तथा गौण परिष्करण की क्षमता पर विचार करने के लिए भारत पैट्रोलियम के अध्यक्ष श्री आर० एन० भटनागर की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के कृत्यों तथा कर्तव्यों संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) इस अध्ययन दल के कार्य और कर्तव्य यह हैं कि विभिन्न परियोजनाओं की तकनीकी, न्यायोचित तथा आर्थिक समस्याओं के मूल्यांकन के आधारित अतिरिक्त परिशोधन क्षमता/गौण प्रक्रिया सुविधाओं को स्थापित करने के लिए प्राथमिकता और स्थान की सिफारिश करना। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार को मार्च 1978 तक प्राप्त होने की संभावना है।

विदेशी औषध कम्पनियों का विस्तार

***112. श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारंभ में कुछ संकोच के पश्चात विदेशी औषध कंपनियों ने सरकार के इस दृढ़ निदेश को स्वीकार कर लिया है कि उन्हें अपने विस्तार के लिये बल्क औषधों का, विशेषतया उनका जिनकी कमी है उत्पादन बढ़ाना होगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि पिछले 10 महीने में 11 विदेशी कम्पनियों को नई बल्क औषधों के उत्पादन के लिये लायसेंस मिल गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी कम्पनियों ने बल्क औषधों के उत्पादन के लिये लायसेंस मांगे हैं ; और

(ङ) उनमें से कितनी कम्पनियों को लायसेंस जारी कर दिये गये है ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) हाथी समिति की सिफारिशों के संदर्भ में विदेशी औषध कम्पनियों के कार्य का सारा प्रश्न अन्तिम रूप में सरकार के विचाराधीन है । .

(ख) गत 10 मास के दौरान प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए किसी भी विदेशी औषध निर्माता कम्पनी को कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) 10 विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों ने गत 10 मास के दौरान कुछ प्रपंज औषधों के निर्माण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं । ऐसे सभी आवेदन पत्र पर तब तक निर्णय नहीं लिया जा सकता है जब तक कि हाथी समिति की रिपोर्ट में, की गई सिफारिशों पर नीति निर्णय नहीं लिया जाता है ।

SCHEME FOR OIL EXPLORATION

*113. SHRI SUKHENDRA SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government have formulated recently any scheme to accelerate the pace of oil exploration in oil bearing regions of some Statas; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir.

(b) In order to prepare an inventory of our petroleum resources, a large exploration programme has been drawn up for the five year period starting from 1978-79. In addition to the two known oil bearing basins, namely, Cambay and Assam Arakan basins, new areas which are considered prospective will be covered. The number of geologica and seismic parties is proposed to be increased gradually. With the acquisition of more powerful rigs, deeper horizons are planned to be explored in various basins. In the off-shore areas, structures both in the east and west coasts of the country are proposed to be explored during the next five year period.

प्रतिशत टेट्रासाइक्लीन एच० बी० सी० एल० का मूल्य

***114. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा आयातित टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य क्या है ;

(ख) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा टैट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० किस मूल्य पर दी जाती है ;

(ग) एक किलोग्राम टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० पर कितना लाभ होता है ; और

(घ) इस दृष्टि से कि यह प्राण-रक्षक औषधि है क्या यह लाभ बहुत अधिक नहीं है,

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) हाल ही में टैट्रासाइक्लिन स्टेट कैमिकल फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया के ज़रिए दो स्रोतों से 261 रुपये सी० आई० एफ० मूल्य और 253.70 रुपये प्रति कि० पर आयातित किए गए हैं। उपर्युक्त सी० आई० एफ मूल्य और उस में कर आदि जोड़ने के आधार पर अवतरण मूल्य 500 रुपए प्रति किलोग्राम आंका है।

आई० डी० पी० एल० में टैट्रासाइक्लिन के उत्पादन का उचित बिक्री मूल्य रुपये 823.82 प्रति किलोग्राम औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया गया है।

आयातित और देशी दोनों निर्मित टेट्रासाइक्लिन के बिक्री मूल्य 650 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किए गए हैं।

(ग) आई० डी० पी० एल० को उनके द्वारा वितरित आयातित माल पर सी० आई० एफ० मूल्य के 3 प्रतिशत का आंषिक लाभ और देशी उत्पादन पर शुद्ध मूल्य का 12 प्रतिशत कर पश्चात लाभ की वसूली स्वीकृत है।

(घ) जी, नहीं।

औषधियों के मूल्य और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में हाथी समिति के सुझावों सम्बन्धी उप-समिति

***115. चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधों के मूल्यों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में हाथी समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर अपनी सिफारिशें देने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यह उप-समिति संभवतः कब अपना प्रतिवेदन पेश करेगी ; और

(ग) क्या इस उप-समिति के प्रतिवेदन को अन्तिम माना जायेगा तथा सरकार को प्राप्त होते ही क्रियान्वित कर दिया जायेगा,

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) हाथी समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में रसायन और उर्वरक विभाग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 28 दिसम्बर 1977 को औषधों पर एक मंत्रिमण्डल समिति गठित की गई थी। रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा पेश किये गये विभिन्न कागजातों पर समिति द्वारा पूर्ण विचार किया गया है। मंत्रिमण्डल द्वारा रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की आशा है।

NEW RAILWAY LIENS

†*116. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total number of new railway lines proposed to be laid in the country during the current financial year;

(b) the number of new railway lines sanctioned by the Planning Commission;

(c) whether survey work in respect of laying a railway line between Rampur-Rudrapur-Haldwani has since been completed; and

(d) when the work on Rampur-Haldwani railway line is likely to be started and the time by which it is likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : Work on the construction of 28 new railway lines is in progress in the current Financial Year.

(b) Three railway lines have been cleared by the Planning Commission and have been included in the Budget for 1978-79. As regards lines in the North Eastern Region, these are under consideration of a Committee appointed by the Planning Commission. Decision on them will be taken shortly.

(c) Yes, Sir.

(d) The proposed broad gauge railway line from Rampur to Haldwani forms one part of the scheme for providing broad gauge links to Ramnagar and Kathgodam from Moradabad and Rampur with the object of providing a direct link to the hill areas of Uttar Pradesh, which was included in the Budget for 1974-75 at a cost of Rs. 15 crores. The new line from Rampur to Haldwani, according to the latest estimate, is estimated to cost Rs. 14.42 crores. The Government of Uttar Pradesh has been requested to indicate the phases in which different parts of the scheme may be taken up and their views are awaited. No precise date for commencement of the work and probable date of completion can be indicated at his stage.

RAILWAY LINES IN SIKKIM

†*117. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is no railway line in Sikkim State and if so, whether Government have formulated any scheme for providing railway lines in that State;

(b) whether Government propose to conduct a survey to assess the requirement of railway lines in Sikkim and to meet the requirement as soon as possible; and

(c) whether any proposal to this effect has been received from Sikkim Government or any non-official agencies and if so, the nature of demands made therein ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) There is no railway line in Sikkim at present. No proposal to extend the railway line to the State is under consideration.

(b) It is not proposed to take up such a survey at present on account of very limited availability of resources.

(c) Yes, Sir. The proposal was to provide a rail link from Siliguri upto Giellekhola, which is about 7 Kms. short of Sikkim Border and upto which point a 2ft. (N G.) railway line used to operate in the past.

चोरी उठाईगिरी और दुर्घटनाओं के लिए रेलवे द्वारा मुआवजा

***118. श्री रामानन्द तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विशेष रूप से अप्रैल, 1977 से जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई, रेलवे ने वस्तुओं के खो जाने अथवा उनकी चोरी, उठाईगीरी, टूट-फूट अथवा दुर्घटनाओं के कारण कितना मुआवजा दिया ;

(ख) क्या रेलवे को रास्ते में वस्तुओं के खो जाने और उनके लिए मुआवजा देने से हुई हानि गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में अधिक है अथवा कम है;

(ग) यदि इसमें कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस हानि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रीमंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान दुर्घटनाओं के कारण या माल की हानि या चोरी, उठाईगीरी और क्षति के कारण सभी भारतीय रेलों द्वारा दी गयी मुआवजे की राशि 11.13 करोड़ रूपये थी।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1977 के दौरान दी गयी मुआवजे की राशि 1976 की तदनुरूपी अवधि के दौरान दी गयी मुआवजे की राशि से 1.02 करोड़ रुपये अधिक थी।

(ग) 1977 के दौरान मुआवजे का अधिक भुगतान किया जाने का मुख्य कारण यह था कि पुराने बकाया मामलों को निपटाने के लिए गहन अभियान चलाया गया था।

(घ) इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) भेद्य खंडों में लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन आदि से ले जाने वाली माल गाड़ियों का रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा मार्ग रक्षा करना।

(ii) भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा गश्त लगाना।

(iii) अपराध आसूचना एकत्रित करना और रेलों की अपराध आसूचना के कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा अपराधियों तथा चोरी का सामान लेने वालों का पता लगाने के उद्देश्य से अचानक छापे मारना।

(iv) परेषणों के खोने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में और अधिक जागरुक रहने की भावना उत्पन्न करने के लिए कर्मचारियों का मार्ग दर्शन करना एवं उन्हें शिक्षित करना।

(v) चीनी, अनाज, दालें तिलहन, आदि के परेषणों से लदे पूरे माल-डिब्बों के दरवाजों पर सुरक्षा की दृष्टि से निभार की व्यवस्था पर जोर देना।

(vi) परेषणों को खाये जाने से रोकने के लिए उन पर भली प्रकार निशान लगाना, पता लिखना और लेबल लगाना ।

(vii) जिन मालडिब्बों में मूल्यवान सामान लदा हो उनमें रिवट लगाने के लिए ढिबरी और कावले का उपयोग करना ।

(viii) माल डिब्बों का भली-भांति अनुरक्षण करना ताकि माल डिब्बों के खराब होने की घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप उन्हें रुके रहना पड़ता है और उनका यानान्तरण करना पड़ता है, में कमी हो तथा दरवाजों और सुराखों से भीगने तथा टिकिया चोरी से होने वाली क्षति को कम किया जा सके ।

(ix) खराब माल डिब्बों का संचरण कम करने के लिए मरम्मत लाइनों, यार्डों और माल गोदामों में माल डिब्बों के पेनल-कट में पेबन्द लगाना ।

(x) बरसात के मौसम में सामान गीला होकर क्षतीग्रस्त न होने पाये, इसे रोकने के लिए विशेष एहतियात बरतना ।

(xi) लदान और उतराई के दौरान पैकेजों का भली-भांति पर्यवेक्षण और सावधानीपूर्वक मिलान करना ।

(xii) आमान परिवर्तन यानान्तरण स्थलों और पुनर्पैकिंग स्थलों पर पर्यवेक्षण के काम को तेज करना ; और

(xiii) कर्मचारियों का उत्तरदायित्व शीघ्र नियत करना ।

नई औषध नीति

*119. **श्री पी० के० कोडियन**
श्री के० ए० राजन } : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई नई औषध नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति हाथी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है ; और

(ग) तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है,

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नई औषध नीति तैयार की जा रही है। इस पर शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है ।नई नीति तैयार करते समय जिन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है उनकी मुख्य मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :--

(i) लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिये देश में पर्याप्त औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(ii) आयात की मात्रा में कटौती करने के लिये कुछ वर्षों में औषधों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना ।

(iii) प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना ।

(iv) औषद्यों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना ।

(v) अनुसंधानऔर विकास में लगी हुई फर्मों को विशेष प्रोत्साहन देना ।

(vi) भारतीय क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देना और उसका पोषण करना ।

(vii) सरकारी क्षेत्र को प्रमुखता देना ।

(viii) इस सम्पूर्ण उद्योग को नियंत्रित करने और उसे आधुनिक बनाने के लिये अन्य पैरामीटर उपलब्ध कराना; और

(ix) गुण और उत्पादन पर कड़ी निगरानी रखना और उसमें मिलावट और भ्रष्टाचार को रोकना ।

कुनैन-आधारित औषधियों के मूल्य में वृद्धि

*120. **डा० मुरली मनोहर जोशी**: क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले कुछ महीनों में कुनैन-आधारित औषधियों के मूल्य में वृद्धि हुई है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं,

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : क्विनाइन लवण का निर्माण तमिल नाडू और पश्चिम बंगाल सरकारों के विभागीय कारखानों द्वारा किया जाता है जिनके पास अपने सिनकोना बगीचे हैं । मई, 1975 में निर्धारित क्विनाइन लवण के देशीय मूल्य अलाभप्रद हो गये हैं क्योंकि उनसे उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होती है विशेषकर सिनकोना छाल के मूल्य और मजदूरी में 30—40 प्रतिशत तक वृद्धि होने से उक्त मूल्य अलाभप्रद हो गये हैं। राज्य सरकारों ने यह तर्क किया कि 1975 के मूल्यों पर सप्लाई जारी रखना व्यावहारिक नहीं होगा इस आधार पर और राष्ट्रीय मलेरिया उमूलन कार्यक्रम बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में ही क्विनाइन लवण की अधिकतम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये 28 सितम्बर 1977 को यह निर्णय किया गया था कि देश में क्विनाइन लवण का अधिकतम बिक्री मूल्य पुनः निर्धारित किया जाय, तथापि उसे विस्तृत लागत-वस्तकनीकी जांच होने तक प्रत्येक लवण के लिये गत तीन वर्षों के दौरान विभागीय कारखानों द्वारा वसूल किये गये कम से कम निर्यात मूल्य के 75 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया ।

2. लागतों/मूल्यों के तुलनात्मक ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	औषद्य का नाम	लागत के लिए किया गया दावा		28-9-77 से पूर्व बिक्री मूल्य	वर्तमान बिक्री मूल्य
		तमिल नाडु	पश्चिम बंगाल	(रु०/कि०ग्रा०)	(रु०/कि०ग्रा०)
1.	क्विनाइन सल्फेट	982	1145	420	788
2.	क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड	1058	1380	479	1088
3.	क्विनाइन डिहाइड्रोक्लोराईड	शून्य	1387	518	974

3. क्विनाइन लवण के संशोधित मूल्यों के आधार पर कुछ सूत्रयोगों के मूल्यों में भी संशोधन किया गया है ।

4. उपरोक्त क्विनाइन लवणों को मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है और स्वदेशी उत्पादन के एक बहुत बड़े भाग की खपत राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया-विरोधी अभियान के लिये की जाती है ।

बम्बई हाई में खोदे गये तेल के कुएं

***121. डा० वसन्त कुमार पंडित:** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:——

(क) बम्बई हाई क्षेत्र में खोदे गए तेल के कुओं की कुल संख्या कितनी है और 31 दिसम्बर, 1977 तक उन कुओं से कितना तेल निकाला गया;

(ख) क्या बसई, अलीबाग और रत्नगिरि के निकट समुद्र का सर्वेक्षण करते समय तेल का पता लगा था; और

(ग) बसई, अलीबाग और रत्नगिरि के निकट कुओं की जांच के क्या परिणाम निकले और उनकी वाणिज्यिक क्षमता कितनी है?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) दिसम्बर, 1977 तक बम्बई हाई में 31 तेल कुएं खोदे गए थे। 31-12-77 तक 12,668,547 बैरल का कुल उत्पादन हुआ है।

(ख) रत्नगिरि के समीप तीन शुष्क कुएं खोदे गए थे। अली समुद्र तट से दूर दो तेल तथा गैस वाली संरचनाओं का पता लग चुका है। बसई समुद्र तट के समीप कुओं की खुदाई करने से (उत्तर बसीन में) एक वाणिज्यिक स्तर के तेल क्षेत्र और (दक्षिण बसीन में) एक वाणिज्य स्तर के गैस क्षेत्र की खोज की जा चुकी है।

(ग) अलीबाग समुद्रतट से दूर की गई खोजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। उत्तर बसीन के क्षेत्रतेल क्षेत्र और दक्षिण बसीन के गैस क्षेत्र में ये मद्द वाणिज्यिक स्तर की सम्भावना में उपलब्ध हैं।

एल-बेस को क्लोरमफेनीकोल में बदलने के लिए अधिष्ठापित क्षमता

951. श्री आर० के० अमीत : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पांचवीं योजना के दौरान क्लोरमफेनीकोल की आवश्यकता पूरी करने हेतु एल-बेस को क्लोरमफेनीकोल में बदलने के लिए लघु उद्योगों के पास पर्याप्त अधिष्ठापित क्षमता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि एल-बेस के लिए संगठित क्षेत्र के दो कारखानों के लिए इतनी बड़ी मात्रा में नियतन किया जाता है कि यदि दोनों के नियतन को जोड़ा जाये तो लघु क्षेत्र के कारखानों के कुल नियतन से अधिक बैठता है;

(ग) क्या सरकार का विचार संगठित क्षेत्र के बड़े कारखानों से एल-बेस बनाने तथा इसे लघु उद्योगों को सप्लाई करने के लिए कहने का है; और

(घ) एल-बेस के क्लोरमफेनीकोल बनाने का कार्य लघु उद्योगों के लिए आरक्षित करना कब तक सम्भव हो सकेगा?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) एल-बेस को क्लोरमफेनीकोल में परिवर्तित करने में "सिंगल रीएक्शन प्रोसेस" की सरल तकनीकी शामिल है जब कि मूल स्तर से उत्पादन में प्रयोग किए गए कच्चे माल की निर्भरता को ध्यान में रख कर छः से सात स्तर शामिल हैं।

हाल ही में 42 लघु उद्योग एकक जिन्हें एल-बेस आबंटित किया गया है उन्हें अनुरोध किया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ अपनी स्थापित क्षमता के आंकड़े प्रस्तुत करें। अब तक केवल 25 एककों ने सूचना भेजी है और इससे यह दिखाई देता है कि उन्होंने यह दावा किया है कि उनकी एल-बेस से प्रति वर्ष लगभग 780 मी० टन क्लोरोमफेनीकोल का उत्पादन करने की स्थापित क्षमता है। शेष एस० एस० आई० क्षेत्र में एल-बेस से क्लोरमफेनीकोल में परिवर्तन करने के लिए क्षमता का ठीक मूल्यांकन करना अब तक सम्भव न हो पाया है।

लघु क्षेत्र एककों के अलावा, संगठित क्षेत्र में मूल स्तर से क्लोरमफेनीकोल के उत्पादन के लिए 128 मी० टन की क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। सरकार ने 185 मी० टन क्लोरमफेनीकोल के उत्पादन के लिए भी आशय-पत्र जारी किए हैं।

पांचवीं योजना के अन्त तक अर्थात् 1978-79 के दौरान क्लोरमफेनीकोल की आवश्यकता का हाल ही में प्रति वर्ष 260 मी० टन का पुनः मूल्यांकन किया गया है।

(ख) 1977-78 के दौरान अब तक एल-बेस के 56.5 मी० टन लघु-उद्योग क्षेत्र एककों को देने के लिए स्टेट कैमिकल एण्ड फार्मेस्यूटीकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा सिफारिश की गई है। इसके अलावा मैसर्स डे० से० कैम० लि० को 45 एम० टन एल-बेस आबंटित किए गए हैं। मैसर्स मैक लैबोरेटरीज के नाम 22 मी० टन एल-बेस देने के लिए हाल ही में एक आबंटन आदेश जारी किया गया है। तथापि इस आदेश का कार्यान्वयन रोक रखा गया है। किसी भी हालत में मैसर्स डे०से० लि० कैम० और मैसर्स मैक बे लेबोरेटरीज को क्लोरोमफेनीकोल के उत्पादन के लिए एल-बेस 31-3-79 को समाप्त होने वाली सीमित अवधि के लिए दे दिया जाएगा और उस समय तक यह आशा की जाती है कि वे मूल स्तर से क्लोरमफेनीकोल का उत्पादन करने के लिए आर्थिक प्रक्रिया विकसित कर सकेंगे।

ALLEGED COLLUSION OF VIGILANCE DEPARTMENT, NORTHERN RAILWAY WITH MEDICAL DEPARTMENT

952. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Vigilance Department of Northern Railway is working in league with the officers of Medical Department;

(b) if not the reasons why action is not taken against the medical officers against whom complaints are received and also why transfer orders of those medical officers are stayed who have been working at one station for three to six years; and

(c) the number of medical officers against whom action was taken and of those transferred to that division on completion of 3 to 6 years of service at one station?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) Action is invariably taken against the Medical Officers concerned if the allegations made against them are substantiated Transfers of Medical Officers are also done as and when considered necessary.

(c) During the period from 1-4-1975 to 31-1-1978 action for prosecution in one case and DAR action in 14 cases besides, the transfer of five Medical Officers was taken on the recommendation of Vigilance Department. For Class I and II Medical Officer, no specific period of stay at one station has been fixed and there are no routine periodic rotational transfers.

महोबा तथा कबराई स्टेशनों के बीच दुर्घटना

953. श्री डी० जी० गवई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1977 में मध्य रेलवे के झांसी-मानिकपुर सेक्शन पर महोबा तथा कबराई स्टेशनों के बीच स्थित रेल फाटक पर 108 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस के इंजन की एक ट्रक से टक्कर हो जाने के फलस्वरूप तीन व्यक्ति मारे गए थे तथा एक अन्य घायल हो गया था; और

(ख) क्या उक्त दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए किसी जांच का आदेश दिया गया था और यदि हां तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

सांगली मिराज रेल मार्ग पर रेल सेवा

954. श्री आर० के० महलगी : क्या रेल मंत्री सांगली-मिराज रेल मार्ग पर रेल सेवा के बारे में 13 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांगली मिराज रेल मार्ग पर (महाराष्ट्र राज्य में) रेल सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए रेल प्रशासन को कहा गया था; यदि हां, तो कब;

(ख) क्या रेल प्रशासन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो कब तथा इसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह कब प्रस्तुत किया जाएगा तथा सरकार को इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) सांगली-मिराज खंड में रेल सेवाओं को चालू करने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए 1-10-77 को दक्षिण मध्य रेलवे को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) रेल प्रशासन की रिपोर्ट 5-12-77 को प्राप्त हो गई है।

(ग) इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कुत्ते के काटे का उपचार करने के लिये प्रयोग किये जाने वाले इंजेक्शनों की कमी

955. **श्री हरगोविन्द वर्मा:** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुत्ते के काटे का उपचार किये जाने के लिए आवश्यक इंजेक्शनों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) पागल कुत्ते के काटने से अलर्क रोग के उपचार के लिए अपेक्षित टीकों की देश में पूरी कमी का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

तथापि कुछ समय पहले एन्टी-रेबीज़ की कमी की सूचना मेंग्रा से प्राप्ट हुई थी जो बम्बई में विशिष्ट निर्माता से अपर्याप्त सप्लाई के कारण थी। अन्य 12 स्किकों द्वारा भी टीको का उत्पादन करने के तथ्य को ध्यान में रख कर मांगकर्ता को उस स्रोत की सूचना दी गई थी जहां से टीके उपलब्ध किए जा सकते हैं।

एन्टी-रेबीज टीकों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करना निर्माताओं के लिए संभव नहीं है क्योंकि इनकी निधानी अवधि निर्धारित है और यदि वे पूरी मात्रा में न उठाए गए तो शेष रद्दी हो जाएंगे।

फुतुवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे

956. श्री **दीनेन भट्टाचार्य:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार में फुतुवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे मई, 1977 से कार्य नहीं कर रही है परन्तु रेल सेवाएं बन्द हो जाने के बाद भी सम्बन्धित प्राइवेट कम्पनी को कई लाख रुपये की राजसहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लाइट रेलवे को अपने अधिकार में लेने अथवा राज्य सहायता के करार को रद्द करने और इस रेलवे के तथा पूर्व रेलवे में अर्राह-ससाराम लाइट रेलवे के कर्मचारियों को खपाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। ऐसा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने के कारण है। आर्थिक सहायता के रूप में किया गया भुगतान 31-3-1977 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए था। यह आर्थिक सहायता फतवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी और केन्द्र सरकार के बीच हुए करार के अनुसार दी जाती है। इस करार के अनुसार कम्पनी को उसकी चुकता हिस्सा पूंजी पर 3-1/2 प्रतिशत वार्षिक दर से शुद्ध प्राप्ति की गारन्टी दी गई है।

(ख) सरकार द्वारा इस लाइन को अपने अधिकार में लेने का या करार को रद्द करने या इस रेलवे के कर्मचारियों को सरकारी रेलों में खपाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित करार के अनुसार सरकार को यह विकल्प प्राप्त है कि वह 31 मार्च, 1948 से शुरु होने वाली हर दस साल की अवधि के बाद इस लाइन को खरीद सकती है। इस लाइन को खरीद लेने का अगला विकल्प 31-3-1978 को पड़ता है किन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि यह अधिग्रहण वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं पाया गया है। अतः कर्मचारियों को खपाने का प्रश्न नहीं उठता।

रेल फाटकों पर रेल दुर्घटनाएं

957. **श्री शंकर सिंहजी वाघेला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान रेल फाटकों पर रेल गाड़ियों तथा अन्य वाहनों के बीच कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उनके फलस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए तथा घायल हुये;

(ग) रेल फाटकों पर दुर्घटनायें होने के मुख्य कारण क्या थे; और

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुये व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्ष 1977 के दौरान भारत की सरकारी रेलों में समपारों पर 90 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 100 व्यक्ति मारे गए और 167 घायल हुए।

(ग) इन 90 दुर्घटनाओं में से 14 रेल कर्मचारियों की गलती से और शेष 76 सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती के कारण हुई।

(घ) जी नहीं। समपार की दुर्घटनाओं के मामलों में, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन, सड़क-वाहनों आदि में यात्रा करते समय मारे गए या घायल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देय नहीं होती। यदि रेल प्रशासन की लापरवाही का हिस्सा सिद्ध हो जाता है, तो उस समय टोर्ट के कानून के अन्तर्गत उत्पीड़क या उनके आश्रित राहत का दावा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, न्यायालय के फैसले के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

उर्वरक उत्पादन सम्बन्धी फीडस्टाक नीति

958. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फीडस्टाक में फेर-बदलकरके उर्वरक-उत्पादन सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उर्वरक-उत्पादन के लिए फीडस्टाक नीति में ऐसे परिवर्तन से वतमान संयंत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(घ) वर्तमान एककों को इस बुरे प्रभाव से बचाने के लिए क्या सुरक्षा उपलब्ध होगी, और

(ङ) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कुल कितने संयंत्र फीडस्टाक के रूप में ईंधन-तेल का उपयोग कर रहे हैं तथा ये संयंत्र कहां कहां स्थित हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) नई फीडस्टाक नीति की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) जहां गैस उपलब्ध हो, उसे फीडस्टाक के रूप में प्राथमिकता दी जाए जहां तक घरेलू मांग पूरी होती है।

(2) ज्योंही कोयले पर आधारित तलचर और रामागुण्डम संयंत्रों के कार्य संचालन के अनुभवों से पुष्टि हो जाए कि कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी स्थापित हो गई है तथा यह लाभप्रद है त्योंही कोयले को उर्वरक फीडस्टाक के रूप में और प्रयोग करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(3) इसके पश्चात् गैस और कोयले का प्रयोग आर्थिक विचार से किया जाए जैसे खपत का क्षेत्र, परिवहन की दूरी व्यवहारिकता, उपलब्धता आदि।

(4) फीडस्टाक के रूप में नेफ्था के प्रयोग पर आधारित पेट्रोकमीकल्स परियोजनाओं पर निर्णय लेने के पश्चात् उर्वरक फीडस्टाक के रूप में नेफ्था का प्रयोग केवल नए संयंत्रों से तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्तर्देशीय स्थानों में उसके प्रेषण

की दीर्घकालीन समस्या हो। तथापि नेफ्था को फीडस्टाक के रूप में प्रयोग करने पर विचार तभी किया जा सकता है जब अन्तर्देशीय वर्तमान संयत्रों को अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर विस्तार किया जा सकेगा और शीघ्र पूरे किये जा सके।

(5) सभी नई परियोजनाओं के लिए उर्वरक फीडस्टाक के लिए ईंधन तेल का प्रयोग न किया जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नंगल विस्तार ईंधन तेल पर आधारित प्रथम परियोजना है जिसने प्रारम्भिक उत्पादन शुरू किया है। ईंधन तेल पर आधारित निम्नलिखित पांच अन्य परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:—

सरकारी क्षेत्र

1. सिन्दरी आधुनिकीकरण
2. भटिंडा
3. पानीपत
4. हल्दिया

गैर-सरकारी क्षेत्र

5. जी० एन० एफ० सी० (बरोच)

काकिडा में प्रस्तावित नागरजुना फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट भी ईंधन तेल को फीडस्टाक के रूप में प्रयोग करेगी।

पैराफीन मोम की सप्लाई के लिए छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों से अभ्यावेदन।

959. **श्री शरद यादव:** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य से कुछ छापेखानों सहित छोटे पैमाने के पंजीकृत औद्योगिक एककों और मध्य प्रदेश के मोमबत्ती निर्माताओं से पैराफीन मोम की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित करने हेतु अनेक अभ्यावेदन मिले हैं क्योंकि सम्बन्धित राज्य इन छोटे पैमाने के एककों को सहायता दिये जाने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) इन एककों को सहायता देने तथा पैराफीन मोम का उपादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा उक्त विशिष्ट मद को सामान्यत खुले बाजार में बहुत अधिक मूल्यों पर बिक्री की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग)—पश्चिम बंगाल, तथा मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की लघु औद्योगिक इकाईयों से इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सम्बन्धित उद्योग निदेशकों के द्वारा पैराफीन मोम का आबंटन अपर्याप्त है ।

देश में पैराफीन मोम की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को सूचित किया गया था कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकारी के वास्तविक उपभोक्ताओं को सलाह दें कि वे पैराफीन मोम की अपनी अतिरिक्त आवश्यकतायें मैसर्स बामर लारी एण्ड कम्पनी के पास पंजीकृत करायें जो कि इस मद्द का आयात करने वाली सरणीबद्ध एजेंसी है। पैराफीन मोम की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए एक भावी उपाय के रूप में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमि० से कहा गया है कि वह पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में स्लैक बुझा हुआ मोम परिशोधन (पैराफीन मोम का उत्पादन करने वाली) इकाइयों की पूरी उचित आवश्यकताओं की सीमा तक स्लैक मोमकी पूर्ति करें । देश में पैराफिन मोम की उपलब्धता में और वृद्धि करने के लिये मद्रास तथा बरौनी शोधनशालाओंमें पैराफीन मोम के उत्पादन हेतु मद्रास शोधन-शाला लिमि० तथा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमि० द्वारा इस समय अध्ययन किये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) पैराफीन मोम के बाजार में ब्लैक मार्किट करने और इसकी उपलब्धता में कठिनाई के बारे में कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं । राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मोम खुले बाजार में उपलब्ध न हो, नियमित-भोगियों द्वारा कोटे वास्तविक के उपयोग पर नियमित निगरानी रखें । राज्य सरकारों से उन कोटा धारियों के विरुद्ध भी अनुकरणीय कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया था जो इस मद्द की ब्लैक मार्केट करते हुए पाये जायें ।

TRAINS GOING TO CALCUTTA ON KIUL SAHIBGANJ LOOP LINE

†960. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total number of Express train/trains going to Calcutta run on Kiul Sahibganj loop line except Tinsukia Mail which go towards Farakka;

(b) whether there is no train except an ordinary Upper India Express running on such an oldest line;

(c) whether Government propose to introduce at least one more fast train on this line from Delhi to Calcutta via this route; and

(d) whether the popular Katwa passengers train of this region, which has been suspended at present, will be re-introduced again on this line from the coming summer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) One Pair.

(b) 13/14 Upper India Express runs over the entire Sahibganj Loop section. Besides, there are 4 other pairs of Mail/Express trains running over parts of this section.

(c) No.

(d) 333/334 Howrah-Sahibganj passenger train was extended to Bhagalpur from 26/2/77 as a trial measure. Due to poor patronisation, this service on the extended portion was withdrawn from 1/10/1977. The proposal for the re-introduction of this train is being re-examined.

श्री संजय गांधी की उड़ीसा यात्रा के दौरान रेल गाड़ियों के मार्गों का बदला जाना

961. **श्री पदमाचरण सामान्तसिंहेर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जब श्री संजय गांधी ने उड़ीसा की यात्रा की तब वाल्टेयर से पुरी जाने वाले 5 अप तथा 6 डाऊन यात्री गाड़ी पुरी न जाकर भुवनेश्वर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वाल्टेयर-पुरी गाड़ी को भुवनेश्वर की ओर भेजने के अवैध आदेश किसने दिये हैं ;

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) उसके फलस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) मुख्यमंत्री की सभा के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार ने स्पष्टतः 29-1-1977 को भुवनेश्वर पहुंचने वाली एक विशेष गाड़ी चलाने का अनुरोध किया था । अन्य बातों के साथ-साथ 220 वाल्तरु-पुरी सवारी गाड़ी का मार्ग बदलकर उसे भुवनेश्वर के लिए चलाया गया था। इसमें कुछ भी हानि नहीं हुई। चूंकि यह व्यवस्था राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर की गयी थी अतः रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी।

PRODUCTION AND IMPORT OF FERTILIZERS

962. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the total production of fertilizers in the country during 1977-78 and the quantity thereof in tonnes imported; and

(b) whether Government propose to provide some concessions to farmers in matter of supply of fertilizers ?

THE MINISTEROF STATE FOR PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) The estimated production and imports of

fertilizers in terms of nutrients during 1977-78 are given below :

(Quantity in lakh tonnes)

	N	P	K
Production (Estimated)	20·50	6·70	There is no indigenous production of potash (K 20)
Imports (upto January 1978)	5·42	1·52	4·78

(b) It is already the policy of the Government to ensure availability of fertilizers at reasonable prices in adequate quantity and in time. With this end in view the prices of fertilizers have already been reduced a number of times. The last reduction in the price of urea was made on 12-10-77.

OVER BRIDGES ON MORADABAD-SAMBHAL CHANDAUSI LINE

†963. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) since when the scheme to construct an over-bridge on the Moradabad-Sambhal-Chandausi Railway line in Moradabad city is under consideration of Government;

(b) when the land for the purpose was acquired; and

(c) the allocations made for this work by the State Government as well as by the Ministry separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) A firm proposal for consideration was received from the State Government in December 1975. The abstract estimate is presently under finalisation and expected to be sent to the State Government shortly for acceptance.

(b) No land for this purpose has been acquired by the Railway.

(c) No funds have yet been allocated as the scheme is not yet included in the Railway's Works Programme.

पेट्रोलियम की आवश्यकता तथा उसका उत्पादन

964. श्री के० लकप्पा
श्री एम० ए० हनान अलसाज : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैट्रोलियम की अनुमानित वार्षिक आवश्यकतायें कितनी हैं;

(ख) इसमें से कितनी आवश्यकता देश में होने वाले पेट्रोलियम के उत्पादन से पूरी की जाती हैं;

(ग) बम्बई हाई में कितनी मात्रा में अशोधित तेल का उत्पादन होता है ;

(घ) अशोधित तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम के रूप में प्रतिवर्ष कितने पेट्रोलियम का आयात होता है; और

(ङ) अशोधित तेल का देश में उत्पादन बढ़ाने और देश की आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग) और (घ) :—अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:—

वर्ष 1977-78 के लिये देश की समस्त पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित आवश्यकता।	कालम (1) में दर्शायी गई आवश्यकता को पूरा करने के लिये वर्ष 1977-78 के लिये अशोधित तेल की अनुमानित आवश्यकतायें।			वर्ष 1977-78 के दौरान आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित आवश्यकतायें।
	देशीय	आयातित	कुल	
1	2	3	4	5
लगभग 2500 मिलियन मी० टन।	(1) अप-तटीय (बम्बई हाई) मिलियन 2.00 मी० टन	1450 मिलियन मी० टन।	25.30 मिलियन मी० टन	29.92 मिलियन मी० टन
	(ii) तटीय-8.80 मिलियन मी० टन।			
कुल	10.80			

(ङ) अशोधित तेल के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से तटवर्ती और अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयास तेज कर दिये गये हैं।

SCHEME TO PROVIDE EMPLOYMENT FOR PEOPLE WHOSE LAND HAS BEEN ACQUIRED FOR PETRO-CHEMICAL INDUSTRIES

965. SHRI AMARSINH V. RATHAWA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to provide employment to those people whose land has been acquired for petro-chemical industries in Baradesh (in Gujarat);

(b) if so, the details thereof;

(c) the names of the villages and the number of such persons who have been provided with employment in the petro-chemical industries and whether they have been given permanent or temporary jobs; and

(d) in case these people have not been provided with employment, the reasons therefor and whether Government have any scheme to provide jobs to the local people there ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the house in due course.

गुना स्टेशन पर बुनियादी सुविधायें

966. **श्री माधवराव सिन्धिया:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं (जैसे प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था कुलियों की पर्याप्त संख्या, टिकट खरीदने के लिए समुचित व्यवस्था आदि के अभाव में पश्चिम रेलवे के कोटा-बीना सेक्शन के गुना स्टेशन पर जनता को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो जनता के कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) गुना स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। इन सुविधाओं को बढ़ाना, एक सतत् प्रक्रिया है जिसे रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के परामर्श से तथा धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। इस स्टेशन पर 10 बेंचों की व्यवस्था है और 10 अतिरिक्त बेंचों की व्यवस्था द्वीप प्लेटफार्म पर करने का प्रस्ताव है जो निर्माणाधीन है। तीन लाइसेंसधारी भारिकों और एक टिकट घर की व्यवस्था की गयी है जिसे यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए पर्याप्त समझा जाता है।

रेल परिवहन विभाग में वियतनाम को सहायता

967. **श्री उग्रसेन:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल परिवहन विकास के लिए सुविधाओं के बारे में वियतनाम को सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) वियतनाम की रेलों के कुछ सेक्टरों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये भारतीय रेलों का एक तीन-सदस्यी तकनीकी शिष्ट मंडल जनवरी, 1978 में वियतनाम गया था।

यह भी निश्चय किया गया है कि वियतनाम की प्राथमिकताओं के आधार पर रेल उपस्करों और अन्य मदों की खरीद के लिए एक सरकारी ऋण उपलब्ध किया जाये। इसमें से 10 करोड़ रुपये का ऋण सरकार से सरकार को आधार पर होगा । इससे सम्बन्धित करार पर 26 फरवरी, 1978 को हस्ताक्षर हुए हैं।

MAINTENANCE OF METAL EQUIPMENT AT SAMASTIPUR RAILWAY GENERAL STORES DEPOT

†968. SHRI RAM KANWAR BERWA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the press reports to the effect that sand and iron dust was found in the metal equipment in the Samastipur Railway General Stores Depot causing loss of lakhs of rupees to the Railways; and

(b) Whether Government are also aware of possibility of accidents by use of such weak metal and the precautionary measures being adopted in this regard as also the facts of the case ?

THE MINISTER OF STATE FOR RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes, However, the press report is erractic. The sand and iron dust, as reported, were founds in the white metal scrap received in stores Depot, Samastipur from the Mechanical Workshop there and not in costly metal equipment. Total loss involved is Rs. 65.43 only.

(b) The white metal is used on the Railways as an antifriction lining bewteen contacting metal surfaces. Scraps white metal is invariably refined before use to remove impurities and to make it to conform to require specifications. Thus, the question of accident and the precautionary measures therefor do not arise.

RECALL OF ELECTED REPRESENTATIVES

†969. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have decided to make a provision under which people will have the right to recall an elected representative if he becomes corrupt; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NAR SINGH) : (a) and (b) No decision has been taken in the matter. As the proposal requires careful study, some more time will be taken by the Government to arrive at a decision.

RAILWAY EMPLOYEES ON DAILY WAGES

†970. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the pay scales of Class III and Class IV employees working on daily wages in various departments of Northern, Central, Western and North Eastern Railways; and

(b) the number of employees working on daily wages for the last three years in the above stated Railways and the number of workers out of them who have been made permanent ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS SHRI SHEO-NARAIN) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

ताजमहल को प्रदूषण से खतरा

971. श्री जी० एम० बनतवाला
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन श्रौर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 3 फरवरी, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित वह प्रेस समाचार देखा है जिसमें कहा गया है कि ताजमहल को फाउन्ड्रीज, रेलवे शेड, बिजली घर

तथा मथुरा तेल शोधक कारखाने से होने वाले प्रदूषण से गम्भीर खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) सरकार ने ताजमहल को बचाने के लिए क्या संरक्षात्मक उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां।

(ख) मथुरा तेल शोधक कारखाने के प्रदूषण सम्बन्धी प्रभावों को नितांत रूप से कम करने के लिए उठाये जाने वाले उपायों पर प्रायोजना अधिकारियों के और पैट्रोलियम मंत्रालय को अन्य अनुषंगिक तथा डाउन स्ट्रीम इकाइयों के प्रदूषण पहलुओं पर सलाह देने के लिए जुलाई, 1974 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सरकार के विचाराधीन है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आगरा स्थित ग्लाई फैक्टरियों (फाऊंडरी) रेलवे शैड और बिजली घरों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर भी प्रकाश डालती है।

NITROGEN FERTILIZER FACTORIES

972. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the number of nitrogen fertilizer factories in the public sector, co-operative sector and private sector, locations thereof, and the production capacity in tonnes, of nitrogen fertilizer in all these factories;

(b) the number and locations of nitrogen fertilizer factories under construction in the public and co-operative sectors and the estimated production capacity thereof; and

(c) the number and the locations of such factories construction work of which has not yet started and the time by which it would start ?

THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a), (b) and (c) A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Fertilizer Factories in Production

Sl. No.	Location	Capacity in terms of Nitrogen (in '000 tonnes)
1	2	3
I.	**PUBLIC SECTOR**	
1.	Sindri	90
2.	Nangal	80
3.	Trombay	81
4.	Gorakhpur	131
5.	Namrup	45
6.	Namrup Expansion.	152
7.	Durgapur	152
8.	Barauni	152
9.	Udyogamandal	82

Sl. No.	Location	Capacity in terms of Nitrogen (in '000 tonnes)
1	2	3
10.	Cochin-I	152
11.	Cochin-II	40
12.	Rourkela	120
13.	Neyveli	70
14.	Madras	176
15.	Rourkela (By products)	5
16.	Burnpur (By products)	4
17.	Bhilai (By products),	7
18.	Durgapur (By products)	4
II.	**PRIVATE SECTOR**	
1.	Varanasi	10
2.	Ennore	16
3.	Baroda	216
4.	Visakhapatnam	83
5.	Kota	152
6.	Kanpur	200
7.	Goa	171
8.	Tuticorin	253
9.	Mangalore	160
10.	Jamshedpur (By products)	4
III.	**CO-OPERATIVE SECTOR**	
1.	Kandla & Kalol	215
	(b) Fertilizer Factories under construction	
I.	**PUBLIC SECTOR**	
1.	Nangal Expansion	152
2.	Trombay IV	75
3.	Ramagundam	228
4.	Talcher	228
5.	Sindri	129
6.	Bhatinda	235
7.	Panipat	235
8.	Haldia	152
9.	Trombay V	130
II.	**PRIVATE SECTOR**	
1.	Broach	273
III.	**CO-OPERATIVE SECTOR**	
1.	Phulpur	226

(c) It is proposd to take up for implementation two large sized nitrogenous fertilizer plants in Maharashtra based on associated gas from Bombay High structure and one plant in Assam based on associated gas from the OIL and ONGC oil fields in Assam. There is also a proposal for setting up a large sized gas based fertilizer plant in Gujarat. M/s Nagarjuna Fertilizers Limited are also setting up a fertilizer plant at Kakinada in Andhra Pradesh. Work on these projects is expected to commence as soon as necessary approvals are given.

उत्तर रेलवे में एक विशेषज्ञ एसिस्टट मेडिकल आफिसर

974. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे, लखनऊ में केवल एक ही एसिस्टेंट मैडिकल आफिसर है जो हड्डियों तथा जोड़ बैठाने आदि में विशेषज्ञ है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि एकमात्र इसी के विशेषज्ञ होने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे सहित अन्य सैक्शनों के रोगी भी वहां पर उसकी उपस्थिति का लाभ उठाते हैं।

(ग) वह लखनऊ में कब से नियुक्त हैं,

(घ) क्या उन्हें अस्थानान्तरित न करके इसके बाद भी वहां पर उनकी सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी, और

(ङ) क्या यह सच है कि बहुत से एसिस्टेंट मेडिकल आफिसर लखनऊ में कई वर्षों से नियुक्त हैं और इनमें से यहां पर एक लगभग 15 वर्ष से हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) उत्तर रेलवे के लखनऊ स्थित मंडल चिकित्सालय में किसी भी ऐसे सहायक चिकित्सा अधिकारी/सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी को नहीं तैनात किया गया है जो विक्लांग शल्य-चिकित्सा में विशेषज्ञ हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जब कभी जनहित में आवश्यक समझा जाता है डाक्टरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ सहायक चिकित्सा अधिकारी/सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी लखनऊ में बहुत वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको वहां 15 वर्ष हो गये हों।

रेल गाड़ियों को रोकने की घटनायें

975. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**
श्री आर० कोलनथाइवेलु } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गाड़ियों में तोड़ फोड़ और उनके पटरी से उतर जाने की घटनाओं के अतिरिक्त चलती गाड़ियों को रोकने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं,

(ख) गत छः महीनों के दौरान गाड़ियां रोकने की कितनी घटनाएं हुईं और अपराधियों को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) सुरक्षा के क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्रालय की परियोजनाओं और उपक्रमों के नाम और उन पर लागत

976. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन कौन-कौन सी परियोजनाएं और उपक्रम थे तथा उन पर कितना लागत आई;

(ख) उक्त अवधि में कौन सी परियोजनाएं/उपक्रम समय पर पूरे हो गए थे;

(ग) प्रत्येक योजना में कितनी लागत बढ़ गई है और प्रत्येक परियोजना में कितना विलम्ब हुआ; और

(घ) विलम्ब तथा लागत में वृद्धि होने का क्या कारण है और परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर पर दी जाएगी।

गया, बोध गया और राजगीर के बीच रेल सम्पर्क

977. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोद्ध महत्व के तीन स्थानों गया, बोध गया और राजगीर के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए सरकार से मांग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) गया और राजगीर क बीच बड़ी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में टोह इजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस लाइन का निर्माण के बारे में विनिश्चय सर्वेक्षण के परिणामों के ज्ञात हो जाने के बाद किया जायेगा और यह संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

भारतीय उर्वरक निगम में से भूतपूर्व कम्पनियों के पुनर्गठन के लिए सिफारिश करने के लिए अध्ययन दल

978. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम में से कम्पनियों के पुनर्गठन के लिए सिफारिश करने के लिए गठित अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया और नेशलन फर्टिलाइजर का निम्नलिखित 5 कम्पनियों में पुनर्गठन करने का निर्णय किया है:—

कंपनी का नाम	एकक/प्रभाग
1. फर्टिलाजर कारपोरशन आफ इंडिया	सिन्दरी (सिन्दरी आधुनिकीकरण और सिन्दरी सुव्यवस्तीकरण सहित), गोरखपुर तालचर, रामागुण्डम और कोर्बा।
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	नंगल, भटिंडा और पानीपत।
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०	नामरूप, हल्दिया, बरौनी और दुर्गापुर।
4. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाजर्स लि०	ट्रांबे के सभी एकक और दक्षिण बबई में गैस पर आधारित संयंत्र।
5. फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया लि०।	एफ० सी० आई० का पी० एन्ड डी० प्रभाग।

पुनर्गठन के महत्वपूर्ण ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

पुनर्गठन के महत्वपूर्ण ब्यौरे

(1) पुनर्गठन में निम्नलिखित पांच कपनियों की परिकल्पना की गई है:—

कंपनी का नाम	एकक/प्रभाग
1. फर्टिलाइजर कारपोरशन आफ इंडिया	सिन्दरी (सिन्दरी आधुनिकीकरण और सिन्दरी सुव्यवस्तीकरण सहित), गोरखपुर, तालचर, रामागुण्डम और कोर्बा।
2. नेशनल फर्टिलाइजर लि०	नगल, भटिंडा और पानीपत।
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरशन लि०	नामरूप, हल्दिया, बरौनी और दुर्गापुर।
4. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	ट्रांबे के सभी एकक और दक्षिण बंबई में गैस पर आधारित संयंत्र।
5. फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया	एफ० सी० आई० का पी० एण्ड डी० प्रभाग।

(2) पुनर्गठन 1-4-1978 से लागू होगा।

(3) हस्तान्तरण के समय वर्तमान एफ० सी० आई० की परिसंपत्तियों का हस्तान्तरण भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से नई कंपनियों में किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये निम्नलिखित में चार अलग-अलग त्रिपक्षीय करार किये जायेंगे।

(क) एफ०सी० आई०—एन० एफ० एल० और राष्ट्रपति

(ख) एफ० सी० आई०—आर० सी० एफ० और राष्ट्रपति

(ग) एफ० सी० आई०—एफ० पी० डी० और राष्ट्रपति

(घ) एफ० सी० आई०—एच० एफ० सी० और राष्ट्रपति।

(4) पुनर्गठन के परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि एफ० सी० आई० ने विदेशी और भारतीय कंपनियों के साथ जो ठेके किये हुए हैं, उनको नई कंपनियों में स्थानांतरित किया जाये। यह कार्य एफ० सी० आई०, संबंधित ऋणदाता और स्थानांतरित कंपनियों के बीच त्रिपक्षीय करार करके किया जायेगा।

(5) चार निर्माण कंपनियों में से प्रत्येक के साथ एक निपण्णन प्रभाग संबद्ध होगा। ये प्रभाग, कंपनी के नियंत्रणाधीन एककों द्वारा निर्मित सभी, उर्वरकों और औद्योगिक उत्पादों का विपणन करेंगे। इन चार विपणन प्रभागों की स्थापना एफ० सी० आई० के वर्तमान विपणन ढांचे से की जायेगी।

(6) संयंत्रों के समस्त स्टाफ को उस कंपनी को आवंटित किया जायेगा जो संयंत्रों का प्रशासन करेगी एफ० सी० आई० के दूरस्थ कार्यालयों के बारे में कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की कि इन कार्यालयों के कर्मचारियों को प्रत्येक कंपनी की आवश्यकता के अनुसार बांटा जायेगा।

(7) श्रेणी-3 और 4 के कर्मचारियों (एन० एफ० एल० के मामले में वर्ग 'सी' और 'डी') के स्थानांतरण का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(8) दिल्ली स्थित एफ० सी० आई० के० मुख्यालय के अधिकारियों का विभिन्न कंपनियों के मुख्यालयों में निष्पक्ष रूप से स्थानांतरण किया जायेगा। पहले सभी अधिकारियों को यह विकल्प दिया जायेगा कि क्या वे दिल्ली से बाहर किसी मुख्यालयमें जाना चाहते हैं। जो अधिकारी अपना विकल्प दे देंगे उनका स्थानांतरण पहले किया जायेगा। शेष अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों की एक प्रवरता-वार सूची तैयार की जायेगी, जिसमें उनको अंतर परिवर्तनीय वर्गों में बांटा जायेगा। इन अधिकारियों को एक रोस्टर के आधार पर कपनियों में स्थानांतरित किया जायेगा।

(9) एफ० सी० आई० के संयुक्त काडर के अधिकारियों (अर्थात् जो रुपयों 1300—1700 और अधिक वेतन मान में है) की पदोन्नति के हितों की रक्षा करने के लिए एक अंतर-कंपनी पदोन्नति समिति स्थापित की जायेगी जो सभी कंपनियों में रुपये 1300—1700 और उससे अधिक वेतनमान में पदोन्नति के लिये अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करेगी। ऐसे

अधिकारियों की एक प्रवरण सूची तैयार की जायेगी और इसी सूची के आधार पर विभिन्न कंपनियों में पदोन्नति की जायेगी। इससे विभिन्न कंपनियों में पदोन्नति के मामले में अनियमितता नहीं होने पायेगी और उक्त पांच कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर अनेक योग्यता प्राप्त, अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे।

AMRAVATI-MULLAI RAILWAY LINE

†979. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Governments have carried out a survey of Amravati-Mullai (Nagpur Division) railway line; and

(b) if so, when this line is proposed to be laid?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No survey has been carried out for a railway line linking Amravati with Mullai.

(b) Does not arise.

बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों द्वारा उत्पादित औषधियों की लोकप्रियता

980. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारको पता है कि बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों द्वारा उत्पादित औषधियां भारतीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित औषधियों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा उत्पादित बल्क औषधियों की किस्म का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है; और

(घ) भारतीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित औषधियों की किस्म सुधारने के लिए क्या कार्रवाही की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस पहलू पर हाथी समिति की रिपोर्ट (औषधों और भेषजों के मूल्य निर्धारण) के अध्याय VIII के पैरा 3 में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है, जिसकी एक प्रति 8-5-1975 को सभा पटल पर रखी गई थी।

(ग) भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों की किस्म का पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं, तथापि, औषध निर्माण करने वाली फर्मों के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य औषध नियंत्रण संगठनों के संयुक्त तत्वाधान के अन्तर्गत किये गये गहन औषध नियंत्रण कार्यक्रम से यह पता चलता है कि 1973-74 तथा 1974-75 में केवल क्रमशः 1.4 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत नमूने मानक प्रकार के नहीं पाये गये थे।

(घ) ड्रग एण्ड कास्मेटिक अधिनियम तथा नियम के अन्तर्गत औषधों के निर्माण तथा विक्रय पर क्वालिटी नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। उनके निरीक्षण औषध निर्माण तथा विक्रय किये जाने वाले अहातों का स्टेंडर्ड क्वालिटी की औषधों के निर्माण तथा विक्रय को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करते हैं।

मानक किस्म पर कड़ी निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये गये औषध निरीक्षकों की तकनीकी दक्षता को केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठनों द्वारा उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबन्ध करके अद्यतन बनाया जाता है; केन्द्र तथा राज्यों की प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठनों के निरीक्षकों तथा राज्य औषध निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप में निरीक्षण किये जाते हैं और जो फर्म अपनी क्वालिटी में अथवा अपने दोषों में सुधार नहीं करती, उपयुक्त कार्रवाई, जोकि अन्य बातों के साथ लाइसेंसों को रद्द करना/सजा आदि शामिल है, की जाती है।

फ्रंटियर मेल में एक महिला यात्री की हत्या

981. **श्री देवेन्द्र सत्पथी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 21 जनवरी, 1978 को बम्बई से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई 'फ्रंटियर मेल' गाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे में एक महिला यात्रीकी चलती गाड़ी में हत्या कर दी गई थी,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, और

(ग) जनवरी, 1978 में भारतीय रेलों में चलती गाड़ियों में ऐसी कितनी हत्यायें हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेलों में जनवरी, 1978 में गाड़ियों में हुई हत्या के पांच मामलों की रिपोर्ट की गयी है।

रेल मार्ग का तेजी से विद्युतीकरण

982. **श्री समर गुह : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मार्ग के तेजी से किए जाने वाले विद्युतीकरण के प्रश्न की जांच के लिए योजना आयोग के पास भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रेल मंत्री आर्थिक कारणों से तथा अन्य कार्यों के लिए कोयला और 'हेवी आयल' बचाने के लिए रेल मार्ग के अग्रेतर विद्युतीकरण की आवश्यकता महसूस करते हैं;

(घ) यदि हां, तो रेल मार्ग के विद्युतीकरण के संबंध में कौन-कौन से प्रश्न जांच हेतु योजना आयोग को सौंपे गये हैं; और

(ङ) इस मामले के बारे में योजना आयोग के विचार कब तक मिलने की आशा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ङ) योजना आयोग के इस सुझाव पर कि रेलों पर डीजल और बिजली कर्षण के सापेक्ष आर्थिक पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाय और उस आधार पर विद्युतीकरण का एक दीर्घ कालीन कार्यक्रम तैयार किया जाय, हाल ही में एक समिति गठित की गयी है जिसमें योजना आयोग और रेलों के प्रतिनिधि रखे गये हैं। आशा है, यह समिति अपनी रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे देगी।

COOKING GAS CONNECTIONS

983. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the number of cooking gas connections in India and their estimated demand at present;

(b) the names of districts in India where there is no agency to give cooking gas connection; and

(c) the difficulties in meeting the demands for these connections and the action being taken by Government to remove them ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) There are about 28 lakh domestic consumers for liquefied patroleum gas (cooking gas) in the country. No accurate assessment of demand for LPG has been possible because of the other alternative fuels such as coal, soft coke, charcoal, firewood, kerosene, etc., also being used as domestic fuel. However, the present demand for new gas connections is far in excess of the availability based on current LPG production in the refineries.

(b) The districts in which LPG agencies have been set up by the Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited and Caltex Oil Refining (India) Limited are given in the Annexure.

[Placed in Library. *See* No. Lt-1646/76]

(c) The availability of LPG from the refineries depends on its yield from the various crudes processed as well as the total quantity of crude available for processing. The supply of LPG is limited and not sufficient to meet the demand. The availability of the product is expected to improve in the next 2 to 3 years when LPG would be available from Bombay High associated gas. by the commissioning of the new refineries and by the setting up of additional facilities for LPG production in the existing refineries. The commissioning of the catalytic debottlenecking project in the Hindustan Petroleum Corporation refinery in January, 1978 will lead to increase in the production of LPG in that refinery.

कांगड़ा औषधि उद्योग की स्थापना

984. **श्री दुर्गानन्द: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषधि उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार क्या मानदंड रखती है;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में कितने-कितने औषधि उद्योग स्थापित किये गये ;

(ग) क्या कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में औषधि उद्योग स्थापित करने के लिए बार बार मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में औषधि उद्योग स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वहां औषधि उद्योग कब तक स्थापित हो जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) सरकार देश में औषधों की आवश्यकताओं, कच्चे माल की उपलब्धता, जन शक्ति, वित्तीय संसाधन, उपयुक्त स्थान सहित विभिन्न तकनीकी आर्थिक विचारधाराओं को ध्यान में रखती हैं।

(ख) गत 3 वर्षों में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या/स्वीकृत सरकारी क्षेत्र परियोजना दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग), (घ) और (ङ) आई० डी० पी० एल० अभी भी संयुक्त क्षेत्र में फोटो कैमिकल एकक स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ संपर्क स्थापित कर रही है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत नए एककों परियोजनाओं की संख्या					
		सरकारी क्षेत्र			गैरसरकारी क्षेत्र		
		1975	1976	1977	1975	1976	1977
1.	तमिलनाडु	—	—	1	1	—	—
2.	गुजरात .	—	—	—	1	1	—
3.	हरियाणा	—	—	1	—	1	—
4.	पंजाब . .	—	—	1	—	—	—
5.	उत्तर प्रदेश	—	—	1	—	—	—
6.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	1
7.	बिहार . .	—	1	—	—	—	—
8.	गोआ .	—	—	—	—	1	—
		—	1	4	2	3	1
			5			6	

औषधियों का अपर्याप्त उत्पादन

985. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला:** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार की अनुमति और अनुनय के बावजद भारतीय और विशेषकर विदेशी कम्पनियों ने उन औषधियों का उत्पादन नहीं बढ़ाया है जिनकी देश में बल्क में आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो जनसाधारण के हित को देखते हुए ऐसी फर्मों के विरूद्ध तत्काल क्या कठोर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रपुंज औषधों का वार्षिक उत्पादन निम्नप्रकार से था।

(रुपये करोड़ों में)

	1974-75	1975-76	1976-77 (अनुमान)
विदेशी	34	52	63
भारतीय/सरकारी क्षेत्र तथा लघु पैमाने के क्षेत्र .	56	78	87
जोड़ . .	90	130	150

उपरोक्त तालिका से यह मालम होता है कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रपुंज औषधों का उत्पादन मूल्य धीरे-धीरे बढ़ता रहा है।

MIXING OF TETRAMETHYL INTO PETROL

986. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints against a company mixing tetramethyl lead into petrol;

(b) whether it is known to Government that tetramethyl lead is a poison which produces bad effects on the mind and it causes a mental disease known as Dislaxia; and

(c) if so, the steps taken by Government to test the usefulness of manufacturing processes with regard to poisonous petro-chemicals from health point of view ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (c). Government have not received any complaints regarding mixing of tetramethyl lead into petrol. However the Oil Companies are mixing tetramethyl lead to increase the octane number of petrol. Since the tetramethyl lead is also highly toxic and poisonous in nature, the Oil Companies are taking all necessary precautions and protective measures so that no worker comes into direct contact with tetramethyl lead.

फतुआ—इस्लामपुर लाइट रेलवे को पुनः चालू करना

987. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बिहार, राज्य में नालन्दा और पटना जिलों में चल रही फतुआ-इस्लामपुर लाइट रेलवे (सेवा) कब से स्थगित कर दी गई है तथा उसके क्या कारण हैं तथा इसको कब से पुनः चलाया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): अभूतपूर्व बाढ़ द्वारा रेलपथ के टूट-फूट जाने के कारण सितम्बर, 1976 में फतुवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे पर गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया था। रेल-पथ की मरम्मत हो जाने के बाद, इस लाइन के एक भाग पर मार्च 1977 से गाड़ियां फिर से चलने लग गयी थीं। लेकिन 25-5-1977 से इस लाइट रेलवे के कर्मचारी हड़ताल पर हैं क्योंकि उन्होंने जो मांग-पत्र प्रबन्धकों को दिया था उसे प्रबन्धकों ने स्वीकार नहीं किया। प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच का यह विवाद अब एक अधिकरण को सौंपा जा चुका है।

इस लाइट रेलवे पर गाड़ियां फिर से चलाने का फैसला कम्पनी को ही करना है क्योंकि फतुवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी ही इस लाइट रेलवे की मालिक है और वही इसका प्रबन्ध करती है।

पैट्रोलियम एवं रसायन सम्बन्धी अध्ययन ब्यूरो

988. **श्री राजकेशर सिंह:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम एवं रसायन सम्बन्धी अध्ययन ब्यूरो (ब्यूरो आफ पैट्रोलियम एण्ड केमिकल्स स्टडीज) कुछ महीने पहले बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय के एक परिपत्र के अनुसार उक्त ब्यूरो के कर्मचारियों को या तो भारतीय तेल निगम या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में रखा जाना था;

(ग) क्या उक्त ब्यूरो के कर्मचारियों को उक्त संगठनों में रखा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिए क्या मान-दण्ड अपनाए गए हैं?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां।

(ख) पैट्रोलियम तथा रसायन अध्ययन ब्यूरो, (जिसका पेट्रोलियम अध्ययन ब्यूरो के रूप में पुनः नामकरण किया गया है) के कर्मचारियों को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसरण में इंडियन आयल कारपोरेशन और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खपाया जाना था।

(ग) पेट्रोलियम तथा रसायन अध्ययन ब्यूरो, दिल्ली कार्यालय के (उन कर्मचारियों को छोड़कर जो दैनिक वेतन पर काम कर रहे थे) कर्मचारियों को आई० ओ० सी०/ओ० एन० जी० सी० द्वारा पहले से खपाया जा चुका है। जहां तक वसुधरा और वड़ौदा के 6 कर्मचारियों का सम्बन्ध है, एक तो ओ० एन० जी० सी० से प्रतिनियुक्ति पर है, और उसे वापिस बुलाने के

के लिए ओ० एन० जी० सी० द्वारा पहले से आदेश जारी कर दिय गये हैं। अन्य पांच में से, तीन कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश सम्बन्धी पत्र पहले ही जारी कर दिये गये हैं और वे आई० ओ० सी० में रिपोर्ट करते होंगे। बाकी दो कर्मचारियों को आई० ओ० सी० में खपाने के लिए उनके मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

स्टाफ को खपाने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाया गया था:--

(I) ऐसे अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को, जिनका किन्हीं अन्य संगठनों में पूर्वग्रहणाधिकार (लियन) हो, उनके अपने अपने संगठनों को वापिस भेज दिया जाना चाहिये;

(II) अन्य नियमित कर्मचारियों को या तो आई० ओ० सी० अथवा ओ० एन० जी० सी० में आवश्यकताओं के आधार पर समुचित वर्गों में खपा दिया जाये।

ALLEGED LOOT BY VENDING MANAGER TUNDLA

989. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister for RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Vending Manager at Tundla Junction is looting railway property openly;

(b) whether it is also a fact that the vendors are suspended from their jobs by Manager, by making false compaints against them and reinstates them by charging Rs. 2000 from them;

(c) whether it is also a fact that Head T.C. of Tundla Jn. Shri R. P. Singh and Shri Manohar Lal have also sent complaints to the Ministry against this Manager; and

(d) the action proposed to be taken by Government against this Manager ?

THE MINISTER OF STATE FOR RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No. However allegations of misappropriation of cooking materials, etc., have been made in some pamphlets and in a representation from Catering staff. These are under investigation.

(b) No.

(c) No such complaint has been received in the Ministry.

(d) Based on results of enquiry as indicated in reply to part (a) above, appropriate action will be taken by the Government.

पश्चिम बंगाल में तेल और गैस के लिए खोज

990. **श्री चित बसु :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए किये गये तट पर खोज का ब्योरा क्या है ;

(ख) भविष्य में खोज की क्या संभावनाएं हैं ;

(ग) क्या बंगाल की खाड़ी में तट दूर खोज का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन ब हुगुणा) : (क) वर्ष 1976-77 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में अन्वेषी सर्वेक्षण और व्यधन सम्बन्धी कार्य संचालन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जारी रखा गया था। भू-गर्भीय क्षेत्र के काम में 2 पार्टी वर्ष, भू-कम्पीय सर्वेक्षण के कार्य में 27 पार्टी और धनत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण के कार्य के लिए 3 पार्टी वर्ष काम करने के अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तीन संरचनाओं पर अर्थात् बकुलतला, गलसी और डायमंड हार्बर पर व्यधन कार्य किया। बकुलतला और गलसी संरचनाओं पर खोदे गये एक एक कुंए में किसी प्रकार के तेल अथवा गैस की विद्यमानता का कोई संकेत नहीं मिला। गलसी संरचना पर खोदे गये दूसरे कुएं का इस समय उत्पादन सम्बन्धी परीक्षण किया जा रहा है। डायमंड हार्बर पर पहले कुएं का व्यधन कार्य चल रहा है।

(ख) और अधिक गहराई तक तेल की सम्भावना का पता लगाने के अतिरिक्त बसीन के मार्शी सुन्दरबन क्षेत्रों और हिंगे मंडल के क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी रखने की ओ० एन० जी० सी० की योजना है।

(ग) जी, नहीं। इस समय नहीं।

(घ) इस क्षेत्र में भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों और अपतटीय व्यधन कार्य से अब तक एकत्रित आंकड़ों का इस समय ओ० एन० जी० सी० द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है और भावी कार्य-क्रम इन अध्ययनों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आई० डी० पी० एल० और पिंपरी स्थित कारखानों के बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रदिवेदन

991. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री अघन सिंह ठाकुर } : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मैडिकल एसोसिएशन आई० डी० पी० एल० के ऋषीकेश, हैदराबाद तथा मद्रास और पिंपरी स्थित एच० ए० एल० कारखानों के अपने हाल ही के दौरे के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण पत्र सभापटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1647/78**]

चीनी विशेषज्ञों द्वारा आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों में रुचि लेना

992. श्री आर० वी० स्वामीनाथन: क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्रप्रदेश और उड़ीसा में कोयले पर आधारित भारत के उर्वरक संयंत्रों के बारे में बड़े कोयला निक्षेपों वाले देशों ने पूछ-ताछ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में नवीनतम पूछताछ चीन ने की है, जहां के एक उर्वरक विशेषज्ञ दल ने हाल ही में इन संयंत्रों का दौरा किया था;

(ग) क्या उन विशेषज्ञों ने केन्द्रीय सरकार से विचार विमर्श किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इससंबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ङ) इन संयंत्रों ने कितनी प्रगति की है; और

(च) तीसरे संयंत्र की स्थापना कब तक की जायगी?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) ब्राजील, ट्रकी और चीन ने तलचर और रामागुण्डम में सम्भरण सामग्री के रूप में में कोयले पर स्थापित किया जा रहे उर्वरक संयंत्रों के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी में रुचि दिखाई है। 9 चीनी विशेषज्ञों के एक दल ने 13 और 14 जनवरी, 1978 को तलचर फर्टिलाइजर परियोजना का दौरा किया था।

(ग) और (घ) चीनी प्रतिनिधि मण्डल का दौरा कोयला गैसीफीकेशन के लिए कापर टैक्नालोजी तथा गैस शुद्धिकरण के लिए लुरगी टेक्नालोजी के साथ स्थापित किये जा रहे संयंत्रों को देखने के सम्बन्ध में था। केन्द्रीय सरकार के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ और नहीं किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ङ) रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) तथा तलचर (उड़ीसा) में कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र निर्माण तथा सम्पन्नता के अग्रिम चरणों में हैं। इन संयंत्रों के विभिन्न खण्डों के 1978 तक चालू हो जाने की आशा है।

(च) रामागुण्डम और तलचर में कोयले पर आधारित दो संयंत्रों के संचालन के अनुभवों के प्राप्त होने के पश्चात् ही कोयले पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना का विचार किया जायेगा।

वर्ष 1978-79 के दौरान नई औषधियां और रसायन और रसायन तथा उवरक एककों की स्थापना

993. श्री वसंत साठे : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1978-79 के दौरान कुछ नए औषध तथा रसायन और रसायन तथा उर्वरक एक्कों की स्थापना करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में कितने एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा उनमें कितनी पूंजी निवेश किया जायगा?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) 1978-79 के दौरान सरकार ने नए औषधों और उर्वरक परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अब तक किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। जहां तक कास्टिक सोडा, सोडाएश, कैल्शियम कारबाइड जैसे मुख्य इनआर्गनिक कैमिकल मदों का संबंध है, पहले से ही स्वीकृत पर्याप्त विस्तार के लिए योजनाओं में 1978-79 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन की संभावना है:—

क्र० सं०	फर्म का नाम	निर्माण के मद	क्षमता (मी० टनों में)
1.	मैसर्स आंध्रा सुगर्स लि० कोबूर (आ० प्र०) .	कास्टिक सोडा	13,200
2.	मैसर्स अतुल प्राडक्टस लि० अतुल लजा, बुलसार (गुजरात)	वही	10,500
3.	मैसर्स नेपा मिल्स, (म० प्र०) .	वही	4,860
4.	मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० मिथापुर, गुजरात	सोडा एश	1,40,000
5.	मैसर्स श्रीराम विनियल कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज 24 परगनाज, पश्चिम बंगाल	कैलिशियम कारबाइड	32,800
6.	मैसर्स बिरला जूट किल्स कम्पनी लि० बिर्लापुर, 24 परगनाज, पश्चिम बंगाल . . .	वही	3,200

उपर्युक्त संयंत्रों के अलावा, सरकार ने फेनोल, एनीलाइन, मालेक एनहाड्राइड, मेथानोल, एसेटिक एसिड, एसेटोन, अल्कोहल, रंजक और रंजक मध्यवर्ती पदार्थों के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी है परन्तु इन संयंत्रों की चरणों में स्थापना की संभावना है और इन में से किसी की 1978-79 में वाणिज्यिक उत्पादन करने की संभावना नहीं है।

(ग) शून्य

इन्ट्रीग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास में सवारी डिब्बों का उत्पादन

994. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास में सवारी डिब्बों का उत्पादन शतप्रतिशत स्वदेशी हो चुका है,

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक हो जाने की संभावना है, और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि के क्रयादेश प्राप्त हुए और किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास द्वारा बनाये जा रहे सवारी डिब्बों में स्वदेशी माल का इस्तेमाल बढ़ाकर 98 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि 1956-57 में सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए प्रायः सभी आयातित पुर्जों का इस्तेमाल किया जाता था।

(ख) लगभग 2 प्रतिशत आयातित माल में अधिकतर विशेष किस्म के इस्पात की चद्दरों और प्लेटें आती हैं जिनके देश में निर्माण के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा प्रयास किए जा रहे ह, लेकिन अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० इनका विकास करने में कब तक सफल होंगे।

(ग) वित्त वर्ष 1977-78 के दौरान सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा प्राप्त किये गये आर्डरों की रकम और देशवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

जाम्बिया .	32,296 रुपये	फालतू पुर्जों के लिए यह आर्डर सितम्बर, 1977 में निष्पादित किया गया।
सी० टी० सी०/ताइवान .	51,120 रुपये	फालतू पुर्जों के लिए यह आर्डर दिसम्बर, 1977 में निष्पादित किया गया।
फिलिपाइन्स .	3.15 करोड़ रुपये	1978-79 में निष्पादित किये जाने वाले 30 सवारी डिब्बों और फालतू पुर्जों के लिए।
युगाण्डा . .	2.73 करोड़ रुपये	1978-79 तथा 1979-80 में निष्पादित किये जाने वाले 20 सवारी डिब्बों और फालतू पुर्जों के लिए।
नाइजीरिया	2.72 करोड़ रुपये	1978-79 तथा 1979-80 में निष्पादित किये जाने वाले 32 ब्रेकयानों और फालतू पुर्जों के लिए।

(8 करोड़ 60 लाख 83 हजार 4 सौ सोलह रुपये)

रेल दुर्घटनाएं होते होते बच जाना

995. श्री शिव सम्पत्ति राम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977 में रेल कर्मचारियों के सतर्क रहने के कारण कितनी रेल दुर्घटनाएं होते बच गई,

(ख) इस प्रकार सतर्क रहने वाले रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके कारण रेल दुर्घटनाएं होते बच गई, और

(ग) उनके सतर्क रहने और चुस्ती दिखाने के लिये उन्हें किस प्रकार पुरस्कृत किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) 205।

(ख) 215।

(ग) नकद पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र।

कुवैत से तेल का आयात

996. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक वर्ष कुवैत से कितने तेल का आयात किया जाता है;

(ख) क्या अन्य देशों की अपेक्षा कुवैत तेल का मूल्य कम है; और

(ग) यदि हां, तो कुवैत से आयात की मात्रा बढ़ा कर कम मूल्य का लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क), (ख) और (ग) भारत कुवैत से कच्चा तेल आयात नहीं करता रहा है। यह उल्लेखनीय है कि हमारी मुख्य आवश्यकतायें हल्के कच्चे तेलों की हैं, जिनसे हाई स्पीड डीजल, मिट्टी का तेल, वैमानिकी टर्बाइन ईंधन, हल्का डीजल तेल आदि जैसे मध्यम वर्ग के आसुतों का अधिक अनुपात में उत्पादन होगा, जो कि देश में पैट्रोलियम उत्पादों से सम्बन्धित हमारी आवश्यकताओं के बहुत बड़े अनुपात के लिये महत्वपूर्ण हैं। कुवैत क्रूड तेल में गंधक की मात्रा बहुत अधिक है और यह भारी होता है तथा इससे ईंधन तेल अधिकमात्रा में निकलता है। कुवैत से कच्चे तेल को आयात करने का इस समय कोई प्रस्तावनहीं है।

हालीसहर के स्टोर्स कीपिंग स्टाफ से ज्ञापन

997. **श्री सोमनाथ चटर्जी:** क्या **रेल** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे के हालीसहर और कांचरापाड़ा के स्टोर कीपिंग स्टाफ से ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य बातें उठाई गई हैं, और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) आवेदन करने वालों की मुख्य मांग, उनके 425—600 रु० के **वेतनमान** को संशोधित करके 425—700/800 रु० करने और ऊंचे ग्रेड के अराजपत्रित पदों के वेतनमान में परिणामी सुधार करने के लिए थी।

(ग) इन मांगों पर विचार किया गया है और उन्हें व्यवहार्य नहीं पाया क्योंकि यह वेतनमान तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

CHECKING OF THEFTS AND SABOTAGE BY RAILWAY PROTECTION FORCE

†998. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite Railway Protection Force, the incidents of thefts and sabotage in Railways are continuously increasing;

(b) whether it is also a fact that during investigation Railway Protection Force personnel were found involved in several cases of thefts; and

(c) if so, whether Government is preparing another competent alternative organisation to replace this organisation so that life and property of the people could be protected ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The Railway Protection Force is meant for the protection of the railway property and investigation of offences relating to Railway property (Unlawful Possession) Act. There has been slight increase in the incidents of thefts when compared with the situation in 1976 but when compared with 1975 the incidence of theft is much less. Railway Protection Force is not empowered to investigate cases of sabotage, tampering with the track etc. Acts of sabotage are law and order problems within the purview of the law enforcement agencies of the State Governments. The responsibility of ensuring the safety of the track lies with the State Governments. However, in order to assist civil/police authorities in State Governments, 11,000 Railway Protection Force men along with gangmen have been deployed for track patrolling.

(b) In a few cases the involvement of Railway Protection Force personnel came to notice. Railway Protection Force personnel found guilty of such delinquencies were suitably punished.

(c) There is no proposal to replace the Railway Protection Force. The responsibility of ensuring the personnel safety of passengers and the luggage in their custody lies with Government Railway Police functioning under the State Governments.

मिथिला एक्सप्रेस में डकैती

999. **श्री मोहम्मद हयात अली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1978 को पश्चिम बंगाल में सीरमपुर और वैद्यवाटी स्टेशनों के बीच मिथिला एक्सप्रेस में पड़ी डकैती के सिलसिले में अब तक गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम क्या हैं, और

(ख) इस विशेष रेलवे लाइन पर यात्रियों की जान की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मनोज सरकार पुत्र स्वर्गीय सुधीर कुमार सरकार को गिरफ्तार किया गया है।

(ख)(1) सभी प्रमुख गाड़ियों में रात के समय पुलिस अनुरक्षी तैनात किये जाते हैं।

(2) धेद्य खंडों/स्टेशनों पर कभी-कभी सशस्त्र पुलिस का पहरा लगाया जाता है ।

(3) राज्य गुप्तचर विभाग द्वारा जघन्य अपराध के मामलों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

(4) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय रखा जाता है।

AVERAGE KILOMETRAGE OF RAILWAY LINES IN CERTAIN STATES

†1000. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the average kilometrage of railway lines per thousand square kilometres in Uttar Pradesh, Gujarat, Bihar, Tamil Nadu and Punjab separately;

(b) the average kilometrage of railway lines per thousand square kilometres in States of Madhya Pradesh and Orissa separately;

(c) whether keeping in view the wide disparity in the existing means of transport all those railway lines in Madhya Pradesh and Orissa in respect of which survey has already been completed will be constructed during 1978-79; and

(d) if so, the railway lines the construction of which is likely to be taken up during 1978-79 there ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) & (b).

State	Route KMs of railway lines per 1000 sq. Kms of area.
Uttar Pradesh .	29·57
Gujarat .	28·93
Bihar . .	30·32
Tamilnadu .	28·95
Punjab . .	42·43
Madhya Pradesh	12·95
Orissa	12·51

(c) & (d) Apart from those which are already under construction, no new Railway line project falling in Madhya Pradesh and Orissa is likely to be taken up in 1978-79 due to limited availability of funds.

PLATFORM NO. 2 OF PATRATU STATION

1001. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the platform No. 2 on the Patratu station on the Barkakana Dehri-on-Sone railway line from Gomoh Junction on the Dhanbad Railway Division, where Express trains stop, is not a standard platform and sheds have also not been provided thereon as a result of which the passengers experience great inconveniences during summer and rainy seasons;

(b) whether more than 25,000 Government employees work there in the Patratu Thermal Power Station and in the coal fields and as such problem needs attention of Government;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative whether Government propose to make a standard platform on platform No. 2 on the station and also construct a shed there; and

(d) if so, by what time ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (d) At unimportant stations on branch lines of the Railway, rail level platforms are usually provided. Patratu Station is located on the Bankakana-Dehri-on-Sone Branch Line Section of the Eastern Railway and platform No. 2 at this Station is a rail level platform. No shelter is provided on this platform.

Railway Administration has no information about the number of Government employees working in Patratu Thermal Power Station. Passenger Amenities at Railway stations are generally provided after they are approved by the Railway Users Advisory Committee, subject to funds being available. For the present, there is no proposal to raise the level of the platform No. 2 as also to provide a cover over this platform.

राजधानी एक्सप्रेस का सूरत में हाल्ट बनाने का प्रस्ताव

1002. श्री हितेन्द्र देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर सूरत में राजधानी एक्सप्रेस के न रुकने के क्या कारण हैं, र

(ख) क्यासरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, इस गाड़ी का सूरत पर हाल्ट बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) [: (क) सप्ताह में दो बार चलने वाली 151/152 बम्बई सेंट्रल–नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को इन दो महत्वपूर्ण महानगरों के बीच सीधे यातायात के लिए एक अन्तर्नगरीय तेज गाड़ी के रूप में चलाया गया है, अत-इसके ठहराव केवल परिचालनिक कारणों के लिए सीमित स्टेशनों पर रखे गये हैं।

(ख) जी नहीं।

मकडोवल एण्ड कम्पनी का हिन्दुस्तान से पोलोमेटंस की अपने नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव

1003. श्री एम० कल्याणसुन्दरम: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकडोवल एण्ड कम्पनी,मद्रासने विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान पोलोमेट्स को जो कि रुग्ण एकक है, अपने नियुत्रण में लेने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) मकडोवल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत उपक्रम है । इस प्रकार, इसके द्वारा किसी कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के लिये, एकाधिकार एव निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 23(4) तथा कम्पनी अधिनियम,

5—29LSS/78

1956 की धारा 372 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। मकडोवल एण्ड कम्पनी लिमिटेड से इस प्रकार के पूर्व अनुमोदनार्थ कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

तोड़ फोड़ की कार्यवाही के फलस्वरुप रेल दूर्घटनाएं

1004 श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 महीनों की अल्प अवधि के बीच 600 से अधिक रेल दुर्घटनायें हो चकी हैं और उनमें से आधी से अधिक दुघटनायें तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के फलस्वरूप हुई हैं; यदि हां, तो तोड़-फोड़ करने वालों की इन विनाशकारी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) क्या यह सच है कि तोड़-फोड़ के कारण ये दुर्घटनायें मुख्यतया दिल्ली और बरेली से 100 मील के घेरे में हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि तोड़-फोड़ कर्त्ता रेलवे प्रणाली के बारे में विशेषज्ञतापूर्ण जानकारी रखते हैं; यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1978 तक के 10 माह की अवधि में भारतीय रेलों पर टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में आने वाली 743 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई। इनमें से 8 दुर्घटनाएं तोड़-फोड़ की कार्रवाई के कारण हुई। लेकिन, इस अवधि के दौरान तोड़-फोड़ के और भी अनेक यत्न हुए।

1977 के कलेन्डर वर्ष के दौरान रेल-पथ की तोड़-फोड़ करने, उसको अवरुद्ध करने या उनके साथ छेड़-छाड़ करने के 127 संदेहास्पद मामले भिन्न-भिन्न रेलों पर नोटिस में आये थे। उनमें से 15 मामले दिल्ली और बरेली से 100 मील के दायरे में घटित हुए। यह सच है कि कुछ मामलों में तोड़-फोड़ करने वालों की रेल प्रणाली की सुविज्ञता और ज्ञान का परिचय मिलता है।

निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं:—

(i) नाजुक क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षादल (11000) और गेंगमैनों (14000) द्वारा रेल-पथ की गश्त लगाना।

(ii) भेद्धी खण्डों में रेलवे सुरक्षा दल और गेंगमैनों द्वारा रेल-पथ की गश्त लगाने के अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने पुलिस कर्मचारियों/होम गार्डों/गांवों के चौकीदारों द्वारा नाजुक क्षेत्रों में रेल-पथ की गश्त लगाने की कहा है।

(iii) पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने गांव और छोटा कस्बा गश्त अधिनियम, 1918 की धाराओं को लागू करके गांव वालों से रेल पथ की निगरानी करने के लिए कहा है।

(iv) सम्बद्ध राज्यों के गुप्तचर विभागों के विशेष दस्तों द्वारा तोव्र-फोड़ के महत्व-पूर्ण मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(v) राज्य सरकार ने आसूचना तंत्र को भी इस काम में लगाया है। सभी जांच और आसूचना विभागों तथा आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय) के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है। सभी स्तरों पर उपलब्ध सूचना का निरन्तर आदान-प्रदान होता है ताकि तोड़-फोड़ के मामलों की रोकथाम करने तथा उनका पता लगाने के लिए समन्वित प्रयास किये जा सकें।

(vi) नवम्बर, 1977 से रेल-पथ की गश्त पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल और गेंगमैनों द्वारा समय पर की गयी कार्रवाई के कारण रेल-पथ के साथ छेड़-छाड़ करने के 17 मामले तत्काल नोटिस में आ गये और गम्भीर दुर्घटनाएं होने से बच गयी। गश्त लगाने वाले दलों द्वारा पता लगाये गये इन 17 मामलों में से 3 मामले दिल्ली और बरेली से 100 मील के दायरे के भीतर थे।

प्रत्येक रेलवे को 15 करोड़ रुपये का अनुदान

1005. श्री के० राममूर्तिः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट एन्टरप्राइज ग्रुप ने जिसमें श्रम संगठनों का प्रतिनिधित्व है, प्रत्येक रेलवे को अनुग्रह पूर्वक अनुदान के रूप में 15 करोड़ रुपये के उचित नियतन के बारे में अपनी सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह ग्रुप कब अपनी सिफारिशें दे देगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ग) रेल मंत्री द्वारा रेल कर्मचारियों को दिए गये इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कि कर्मचारियों द्वारा किये गये अच्छे काम को मान्यता दी जायगी और पुरस्कृत किया जायगा, सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण और उनकी सुविधाओं के लिए 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। कर्मचारी कल्याण-कार्यों के लिए आवंटित 15 करोड़ रुपए की रकम में से, चालू वित्त वर्ष के दौरान, लगभग 9 करोड़ रुपए और शेष राशि अगले वर्ष खर्च करने का प्रस्ताव है। खर्च का कार्यक्रम, जो प्रबन्धकों और कर्मचारियों के क्षेत्रीय समवेत उदयम दलों के साथ परामर्श करके बनाया गया है, इस प्रकार है :—

काम की मदें	खर्च (हजार रुपयों में)
(1) कर्मचारी क्वार्टरों/बस्तियों में सुधार	6,70,01
(2) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं	1,89,81
(3) रेलकर्मचारियोंके लिए मनोरंजन की सुविधाएं	1,99,83
(4) अतिरिक्त क्वार्टर	1.92,11
(5) अन्य निर्माण कार्य	1,77,69
(6) विविध निर्माण कार्यों के लिए आरक्षित राशि	70,55
जोड़	15,00,00

नई दिल्ली से अमृतसर के लिए एक रेलगाड़ी को मेरठ और सहारनपुर होकर चलाना

1006. **श्री अधन सिंह ठाकुर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 बजे म० पू० से 2.30 म० प० के बीच नईदिल्ली से पानीपत होकर अमृतसर को तीन रेलगाड़ियां जाती हैं जब कि मेरठ औरसहारनपुर होकर इस दिशा में कोई रेलगाड़ी नहीं जाती ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनमें से किसी एक गाड़ी का मार्ग बदल कर उसे बरास्ता मेरठ और सहारनपुर चलाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय पानीपत के रास्ते चलने वाली वर्तमान गाड़ियों में से किसी एक को भी सहारनपुर होकर चलाना दिल्ली-सहारनपुर अम्बालाखंड में लाइन क्षमता के अभाव में परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पाया गया । इसके अलावा, इन गाड़ियों में से किसी एक का मार्ग बदलने से वर्तमान मार्ग के यात्रियों में रोष पैदा हो जायेगा । ऐसे मार्ग-परिवर्तन से यात्रा के कुल समय में भी वृद्धि हो जायेगी जिसे सीधी यात्रा करने वासू यात्री पसन्द नहीं करेंगे।

कम्पनियों की पूंजी में वृद्धि का अनुमान

1007. **डा० बापू कालदाते:** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों की पूजी में वृद्धि का कोई अनुमान लगाया है,

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है जिन्होंने वर्ष 1977 के दौरान अपनी पुंजी बढ़ाई है; और

(ग) एकत्रित की गई कुल पूंजी में से कुल कितनी राशि बैंको में जमा कराई गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री, (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमन जी 1 वर्ष 1977 की अवधि (जनवरी से दिसम्बर तक) में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत 2620 कम्पनियों ने अपनी प्रदत्त पूंजी की राशि 982.0 करोड़ रु० बढाये जाना सूचित किया था । इन सभी कम्पनियों की सूची तैयार करने में परिश्रम और समय विहित होने से व्यनुपात के कारण राज्य/संघ शासित क्षेत्रानुसार कम्पनियों की संख्या जिन्होंने 1977 की अवधि में अपनी प्रदत्त पूंजी बढ़ाई तथा बढ़ायी गई राशि को प्रदर्शित करता हुआ विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) कम्पनियों को, प्रश्न के इस भाग में पूछी गई सूचना देना कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है ।

विवरण

उन कम्पनियों की संख्या जिन्होंने 1977 की अवधि में अपनी प्रदत्त पूंजी बढ़ाई और बढ़ाई गई की राशि

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी की राशि में बढ़ोतरी
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	147	37.92
2. असम	13	12.42
3. बिहार	72	103.05
4. गुजरात	224	34.78
5. हरियाणा	38	4.19
6. हिमाचल प्रदेश	18	3.16
7. जम्मू और काशमीर	6	6.67
8. कर्नाटक	114	24.57
9. केरल	145	15.95
10. मध्य प्रदेश	67	2.67
11. महराष्ट्र	362	46.57
12. नागालैण्ड	2	6.52
13. उड़ीसा	5	2.03
14. पंजाब	134	2.91
15. राजस्थान	77	13.68
16. तमिलनाडु	287	60.66
17. उत्तर प्रदेश	173	29.41
18. पश्चिमी बंगाल	66	41.59
19. चण्डीगढ़	44	7.14
20. दिल्ली	606	524.24
21. गोआ, दमन और दीव	15	0.32
22. मणिपुर	1	1.18
23. पाण्डिचेरी	1	0.34
24. त्रिपुरा	3	0.96
योग	**2620**	**982.93**

मालडिब्बों में 'सिंगल सेन्ट्रल बंफर कपलिंग' लगाया जाना

1008. **श्री शिव नारायण सरसूनियाः** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालडिब्बों तथा सवारीडिब्बों में 'साइड बफर के स्थान पर सिंगल सेन्ट्रल बफर कपलिंग लगाने का निर्णय 1958 में ही ले लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने के लिए तब से क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या प्रस्ताव त्याग दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) सवारी डिब्बे—जी नहीं। माल डिब्बे–बड़ी लाइन के चुने हुए नवनिर्मित माल डिब्बों में सटर बफर कपलर की व्यवस्था करने का निर्णय छठे दशक के उत्तरार्ध में लिया गया था।

(ख) बड़ी लाइन के 70,000 माल डिब्बों में सेंटर बफर कपलर लगाए जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चित्तूर रेलवे स्टेशन

1009. **श्री पी० राजगोपालनायडु:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चितूत्तर रेलवे स्टेशन को नया रूप देने के प्रश्न पर विचार कर रही है!

(ख) यदि हां, तो क्या खर्च का अनुमान लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितना खर्च होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) और (ग) चित्तूर स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन को, 1978-79 के रेलवे कार्यक्रम में नये काम के रूप में शामिल कर लिया गया है। इस पर लगभग 5 लाख रुपये की लागत अनुमान है;

कम्पनियों द्वारा एकत्रित जमा राशि की वापिस अदायगी करने की समय सीमा

1010. **श्री लखन लाल कपूर:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों द्वारा एकत्रित जमा राशि की वापिस अदायगी करने की समय सीमा हाल में बढ़ाई है;

(ख) यह समय सीमा कितनी बार बढ़ाई गई है; और

(ग) समय सीमा को बार-बार बढ़ाने के क्या कारण है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) सरकार ने किसी जमा धन अदायगी के लिये समय सीमा नहीं बढ़ाई है। तथापि, सरकार ने कम्पनी (जमा धन की स्वीकारोक्ति) नियम, 1975 को 30-12-977 को संशोधित किया है, जिसमें गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों के लिये, ऊपर कथित नियमों के नियम 3(2)(1) के अन्तर्गत आने वाली जमा राशियों को उसमें विहित कम्पनी की स्वयं की शुद्ध निधियों के 15 प्रतिशत कम करने के लिये, 31-3-1978 तक समय बढ़ाने की अनुमति है।

(ख) वर्तमान समय विस्तार को छोड़कर, इस प्रकार का विस्तार पांच बार दिया गया था।

(ग) सरकार को कम्पनियों से समय समय पर, उनके सामने आई वित्तीय कठिनाइयों तथा ऊपर कथित नियमों के नियम 3(2)(1) केअन्तर्गत आने वाली जमा-राशियों को अपनी स्वयं की निधियों के 15 प्रतिशत तक की विहित सीमाओं तक कम करने की परिणामी असमर्थता को निर्दिष्ट करते हुये अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इन अभ्यावेदनों को दृष्टि में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, सरकार ने समय समय पर अवधि विस्तार की अनुमति देने का निर्णय किया। अन्तिम विस्तार 31 मार्च 1978 को समाप्त होगा।

CONVERSION OF SAMASTIPUR TO GORAKHPUR BARABANKI METRE GAUGE LINE INTO BROAD GAUGE

1011. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the time by which the work of conversion of metre gauge line from Samastipur to Gorakhpur-Barabanki into broad gauge line had to be completed and the reasons for delay therein;

(b) whether it is a fact that the amount of expenditure to be incurred on the said work by the Department of 1977-78 has been heavily cut down; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The project was originally targetted for completion by December 1977 but it has not been possible to do so on account of limited availability of funds.

(b) No, Sir. The allotment for the project during 1977-78 is Rs. 8.55 crores.

(c) Does not arise.

VIOLATION OF COMPANIES ACT BY BIRLA GROUP OF COMPANIES

1012. SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state whether Government are conducting an enquiry into the charges of violation of Companies Act by Birla Group of Companies and if so, the progress achieved in this regard ?

MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : The Department of Company Affairs are not conducting any enquiry into charges of violation of Companies Act, 1956 by the Birla Group of companies as such. However, orders of inspection have been issued under the Companies Act in respect of the larger Industrial Houses including those of Birla Group.

चीनी पर आधारित रसायनों का निर्माण

1013. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी पर आधारित रसायनों के निर्माण करने के लिए चीनी के अतिरिक्त भंडार का उपयोग करने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अथवा प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस सिलसिले में चीनी की कितनी मात्रा का उपयोग किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :(क) और (ख) जी, नहीं । सरकार का चीनी पर आधारित रसायनों के निर्माण के लिए चीनी के अधिक भंडारों का प्रयोग करने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव नहीं है । तथापि, पेंसिलिन जैसे एन्टीबायोटिक्स के फर्मेन्टेशन के लिए मेनीटोल, सारबीटेल, सीट्रिक एसिड जैसे रसायनों के उत्पादन में और कुछ औषधियों स्त्रयोगों में चीनी का प्रयोग किया जाता है।

IMPORT OF PETROL FROM MIDDLE EAST COUNTRIES

1014. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government propose to import petrol from Middle East Countries; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER FOR PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को छोटे-मोटे ठेके

1015. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय के कार्यों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को छोटे-मोटे ठेके दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो आज तक कुल छोटे-मोटे ठेकों में इन लोगों को दिये गये ठेकों की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सेवायें और पदों में कमी की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) सरकार का उक्त (क) तथा (ग) दोनों की कमियों को किस प्रकार से पूरी करने का विचार है ।

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुण): (क) और (ख) छोटे-मोटे ठेकों के देने के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है। अनुसूचित अभिलेखों में इस आशय की सूचना निहित नहीं है कि जिन पार्टियों को छोटे-मोटे ठेके दिये जाते हैं क्या वे अनुसूची जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) छुट-पुट ठेकों के मामले में किसी प्रकार की कमी आने का कोई प्रश्न नहीं है। सेवाओं और पदों में कमी को पूरा करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को इस आशय की हिदायते जारी कर दी गई हैं कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की 50% रिक्तियां तब तक आरक्षित करें जब तक उनके लिये आरक्षित पदों का कोटा पूरा न हो जाये।

रेल लाइनों की तोड़फोड़ के मामलों का पता लगाया जाना

1016. श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977 के दौरान गश्त तथा निगरानी पार्टियों अथवा अन्य रेल कर्मचारियों की सतर्कता के कारण रेल लाइनों की तोड़ फोड़ अथवा उसमें अवरोध पैदा करने के कितने मामलों का समय पर पता लगाया गया था तथा इस प्रकार होने वाली दुर्घटनाओं को टाला गया था; और

(ख) इस किस्म के अपराध रोकने के लिए किए गए उपायों का क्या सामान्य प्रभाव पड़ा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) 1977 के दौरान विभिन्न रेलों पर रेलपथ के साथ छेड़छाड़ अथवा उसमें रुकावट पैदा करने के 62 मामलों का पता लगाया गया। नवम्बर, 1977 से रेलवे सुरक्षा दल तथा गैंग-मैनों द्वारा गश्त लगाया जाना प्रारम्भ करने के बाद 31 दिसम्बर, 1977 तक गश्ती दलों द्वारा रेलपथ के साथ छेड़छाड़ करने के 15 मामलों का पता लगाया गया।

(ख) निवारक उपाय किये जाने के बाद संदिग्ध--तोड़फोड़ के अनेक मामलों का समय पर पता चल गया और दुर्घटनाएं होने से बचा ली गयीं। पिछले 2 महीनों के दौरान स्थिति में सुधार हुआ है।

NON-STOPPAGE OF JAMMU-TAWI EXPRESS AT GANGAPUR CITY

†1017. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Department is suffering losses in many ways for not stopping the Jammu-Tawi Express train of the Western Railway at Gangapur city;

(b) whether many employees including the driver are sent from Gangapur city to Kotah and *vice-versa* for the said train as a result of which the Department has to incur expenditure on T.A. and D.A. for the employees;

(c) whether the testing facilities available for the said train at Gangapur city are not available at other stations such at Kotah etc; and

(d) whether diesel facility has been provided for the said train at Ratlam on temporary basis which is proving very costly whereas this facility is available at Gangapur city on a permanent basis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) No. Two sets of crews required to operate Jammu-Tawi Express between Ratlam and New Delhi have been based at Kota.

(c) Normal train examination facilities exist at kota.

(d) Fuelling at Ratlam is essential as the Loco cannot run from Bombay Central to Gangapur City without refuelling en route.

सहायक हिन्दी अधिकारी

1018. **श्री जगन्नाथ शर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि रेलवे बोर्ड ने संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके जोनल रेलवे के लिये सहायक हिन्दी अधिकारियों के चयन हेतु भर्ती नियम निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन नियमों को ध्यान में रख कर रेलवे बोर्ड ने 28 नवम्बर, 1976 को एक लिखित परीक्षा ली थी जिसमें बहुत से ऐसे उम्मीदवारों को बैठने की अनुमति दे दी गई थी जिनकी निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं नहीं थीं और जो अन्य शर्तों को भी पूरी नहीं करते थे और बाद में वे नियमों की पूर्ण रूप से अपेक्षा करके चुन लिये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि पैनल बनाने से काफी पहले इस अनियमितता की सूचना भी रेलवे बोर्ड को दे दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और आपातकाल की इस अनियमितता को किस प्रकार दूर किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सहायक हिन्दी अधिकारी (श्रेणी II) के पदों पर पदोन्नति के लिए चयन किया गया था। सरकार को इस चयन के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन की जांच की जा रही है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की परिधि में आने वाली कम्पनियों का विस्तार

1019. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की परिधि में आने वाली कम्पनियों को (एक) उनके वर्तमान उत्पादन में विस्तार करने और (दो) नये उपक्रमों की स्थापना करने के मामले में अनुमति देने के मापदंड और शर्तें क्या हैं, और

(ख) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली 21 कम्पनियों को हाल में दी गई अनुमति के मामलों में जैसा कि 7 फरवरी, 1978 के 'दि फाइनेन्सियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ था, इन शर्तों तथा मानदंडों का कहां तक पालन हुआ ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तगत आने वाली कम्पनियों से विद्यमान उपक्रमों के विस्तार और नये उपक्रमों के लगाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का, वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति तथा एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत मापदड को ध्यान में रखते हुय परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव का यह संतोष हो जाने के पश्चात अनुमोदन किया जाता है कि इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में वित्त की योजना से सामान्य ह्रास में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण की सम्भावना या लोकहित के विपरीत होने की सम्भावना नहीं है। यह भी देखा जाता है कि इस प्रकार के प्रस्तावों का लघु उद्योग क्षत्र और सरकारी क्षत्र विशषतः उन क्षेत्रों में जो उनकी सुरक्षित हैं, में कुछ मदों के उत्पादन म विहित एककों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। देश मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा के श्रृजन की आवश्यकता या निर्यात के वर्धन या आयात प्रतिस्थापन की माप के रूप म भी विचार किया जाता है।

अब यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी एकक या व्यापारिक समूह अपने प्रस्ताव की छूट देने के पश्चात प्रमुख या एकाधिकारिक स्थिति धारण नहीं करे और बड़े घरान अन्तः सम्बन्धों के माध्यम से विनिर्मित उत्पादनों से उत्पन्न अनुचित प्रथा का प्रयोग न कर। स्थापित किये जाने वाले नवीन उद्यम बड़े शहरी घेरे से दूर होने चाहिए। अब इस पर भी विचार किया जा रहा है कि कोई भी विस्तार या नवीन उद्यम जो जहां तक हो देशी औद्योगिकी पर निर्भर है और जहां भारतीय औद्योगिकी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है, कम्पनी को उत्तम उपलब्ध औद्योगिकी की पूर्ण खरीद के लिए जाना चाहिए तथा तब देश की आवश्यकता के लिए इस प्रकार की औद्योगिकी को अंगीकार करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण विचार जो अब राय निर्धारित कर रहा है वह है कि बड़े घरानों को अपने विस्तार या नवीन उपक्रमों के लगाने के प्रस्तावोंको अपने स्वयं के आन्तरिक परिचालित श्रोतों पर उन प्रस्तावों को छोड़ कर जो पूंजी गहन प्रकृति जैसे उर्वरक, कागज, सीमट, जहाजरानी और पैट्रोकैमिकल आदि को छोड़ कर कार्यान्वितकरना चाहिए।

मापदण्ड को ध्यानमें रखते हुए और प्रस्ताव की प्रकृति पर निर्भर करते हुए तथा एक या अधिक अन्य सम्बन्धित कारकों को विद्यमान उपक्रमों के विस्तार या नवीन उपक्रम की स्थापना के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रस्ताव के अनुमोदन की स्वीकृति देते हुए सामान्यत निम्नलिखित मुख्य शर्तें लगाई जाती हैं।

(1) सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसरण में भारतीय कम्पनियों की इक्यूटि पूंजी में अनिवासीय धारण का अवमिश्रण।

(2) शेयर पूंजी में अधिक जनता का भाग लेना और लोक वित्तीय संस्थानों और साधारण जनता को इक्यूटी पूंजी के आवंटन में अधिमान्य व्यवहार देना जिससे बड़े प्राइवेट उद्यमों के नियंत्रण के अवमिश्रण को सुनिश्चित किया जा सके।

(3) संयंत्र की प्रकृति सरकार को नीति के अनुसार उचित ऋण इक्यूटि और कुल काला ऋण के अनुपात का रखरखाव ।

(4) लोक वित्तीय संस्थानों और बैंकों का कम्पनी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व।

(5) उद्योगों की देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करना ताकि संतुलित क्षेत्री विकास का प्रवर्तन हो ।

(6) परिवर्त्यता खंड जोड़कर सरकारी वित्तीय संस्थानों को यह अधिकार उपलब्ध कराना, जिससे वे संस्थापित ऋणों को साम्य में परिवर्तित कर सकें।

(7) वर्तमान प्राइवेट कम्पनियों को पब्लिक कम्पनियों में परिवर्तित करने के लिए अभिसंविदा व उनके हिस्सों को मान्यता प्राप्त हिस्सा बाजार में सूचीबद्ध करना तथा मान्यता प्राप्त हिस्सा बाजार में उनके हिस्सों को सूचीबद्ध करने की शर्त सहित, एक नवीन निगम निकाय की रचना ।

(8) प्रबन्ध की व्यवसायिकता की बाबत एक प्रतिबन्ध की अभिसंविदा।

(9) लघु मापक क्षेत्र से सहायक वस्तुओं तथा पुर्जों की आवश्यकताओं की खरीद की बात अभिसंविदा ।

(10) गैर-संबंध सूत्रकों के लिये कच्चे माल तथा मूल संयंत्रों की कुछ प्रतिशत का आरक्षण ।

(11) जितना संभव व वांछनीय पाया जाय, उतने निर्यात बन्धन को अभिसंविदित करना ।

एकाधिकार एंव निबंधनकारी व्यापार प्रथा उपक्रमों की जहाजों की अवाप्ति के प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय साधारणतः निम्नांकित प्रतिबन्धों में से एक या अधिक लगाया जाता है:—

(i) कम्पनी को वाणिज्य जलयान अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सभी अपेक्षायें पूरी करनी होंगी ।

(ii) विदेशी पार्टी को जलयान का भाटन महानिदेशक जहाजरानी की पूर्व अनुमति से किया जाएगा । महानिदेशक का अनुमोदन उपभाटन के अधिकार सहित भारतीय पार्टी को जलयान के भाटन के लिए अग्रिम अनुमोदन समानरूप से प्राप्त करना चाहिए।

(iii) जहाज की खरीद अनुमोदित मार्ग संदर्शिका (देशी जहाज निर्माण उद्योग की पूर्ति के लिए) के अनुसरण में जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय द्वारा लगाए गए समरूप बाध्यकर की शर्तों पर होगा।

(iv) कम्पनी अपने स्वयं के आन्तरिक श्रोतों से जहाज के अधिग्रहण की लागत का कम से कम 10 प्रतिशत देगी।

(v) एस० डी० एफ० सी० से ऋण जब भी स्वीकृत किया जाएगा सामान्य परिवर्तनीय खण्ड के आधार पर होगा।

(vi) कम्पनी समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले अनुपात में इक्यूटी-ऋण को रखेगी।

(ख) दिनांक 7 फरवरी, 1978 के "फाइनैंशियल एक्सप्रेस" में संदर्भित 21 एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा उपक्रमों के प्रस्तावों और 1977 की पहली छमाही की अवधि में अनुमोन के व्यौरे देता हुआ विवरण-पत्र संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया /देखिये संख्या एल० टी० 1648/78]

वेडरन्याम, तमिलनाडु में नमक की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की कमी

1020. श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र के गैर-लाइसेंसशुदा नमक उत्पादकों जैसे कि वेडरन्याम, तमिलनाडु के ऐसे नमक उत्पादकों को नमक की ढुलाई के लिए रेल माल डिब्बों की कमी के कारण भारी कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर लघु क्षेत्र के उत्पादकों के प्रति सरकार की सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए उनकी सहायता के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं।

(ख) लाइसेंसप्राप्त क्षेत्र के नमक की ढुलाई का कार्यक्रम नमक आयुक्त द्वारा बनाया जाता है जिसे रेलों को तरजीही आधार पर ढोना होता है। तरजीही यातायात की ढुलाई के लिए रेलों की बचनबद्धता का ध्यानरखते हुए गैर लाइसेंसशुदा क्षेत्र के नमक को तमिलनाडु स्थित स्टेशनों में जिनमें बेदारण्यम स्टेशन भी शामिल है, अनिर्धारित कार्यक्रम के आधार पर यथासम्भव शीघ्र ढोने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है। पहली जनवरी, 1977 से 15 फरवरी, 1978 तक की अवधि में बड़ी लाइन के 786 और मीटर लाइन के 11589 माल डिब्बों में अबिर्धारित कार्यक्रम वाले नमक का लदान किया गया जिनमें वेदारण्यम से लादे गये मीटर लाइन के 219 माललिब्बे भी शामिलहैं।

कल्याण के 60 व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन

1021. श्री आर० के० महालगी : : क्या रेल मंत्री कल्याण के 60 व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन के बारे में 6 दिसम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में उपरि पुल तथा अन्य स्थानीय कठिनाइयों के बारे में दिनांक 25 सितम्बर, 1977 के लिखित अभ्यावेदन में कल्याण (जिला थाना महाराष्ट्र) के इन 60 व्यक्तियों द्वारा की गई मांगों के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी हां।

(ख) (i) प्लेटफार्म 1 और 2 को स्टेशन के बम्बई सिरे की ओर के प्लेटफार्म 3.4.5 और 6 के साथ जोड़ने के लिए ऊपरी पैदल पुल का विस्तार, स्टेशन यार्ड के ढांचे म परिवर्तन के काम के साथ शुरू किया जायेगा जिसे अनुमोदित कर दिया गया है।

(ii) जहां तक इस स्टेशन के प्लेटफार्मों और ऊपरी पैदल पुल पर बिजली संकेतकों की व्यवस्था प्रश्न है, संसाधनों की कठिनाई के कारण यह व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो पाया है । फिर भी, यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए लकड़ी के संकेतकों की व्यवस्था की जा रही है और अन्ततः इनके बदले बिजली के संकेतक लगा दिये जायेंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, मध्य रेलवे द्वारा ज्ञापन दिया जाना

1022. श्री आर० के० महालगीः क्या **रेल** मंत्री सेन्ट्रल रेलवे, बम्बई बी० टी० के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट को अभ्यावेदन के बारे में दिनांक 6 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (थाना शाखा) द्वारा मध्य रेलवे, बम्बई बी० टी० के डिवीजनल सुपररिन्टेंडेंट को प्रस्तुत दिनांक 20 अगस्त, 1977 के ज्ञापन में उल्लिखित वाणिज्यिक स्टाफ की शिकायतों पर सरकार ने विचार किया है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि ज्ञापन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) रेल प्रशासन ने मांगों पर विचार किया है ।

(ख) और (ग) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर भली प्रकार विचार किया जाता है और उन पर आवश्यक कार्यवाई की जाती है । स्थायी वार्ता-तन्त्र और संयुक्त परामर्श तन्त्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से सभी वर्गों के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाता है । तदनुसार विचाराधीन अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और रेल प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णयों से संघ को अवगत करा दिया गया है ।

मैसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद को डी० एम० टी० और ग्लाइकांल की सप्लाई

1023. श्री शारद यादव : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पोलिस्टर रेशे के निर्माण के लिए स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को बड़ी माला में डी० एम० टी० और ग्लाइकांल की सप्लाई की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सवम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कम्पनी उक्त नियंत्रित सामग्री का पोलिस्टर के निर्माण प्रयोग न कर उक्त सामग्री की बिक्री अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से खुले बाजार में प्रकट करती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन तथ्यों के बारे में कोई जांच की गई है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कदाचार में लगे कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्रीहेमवती नन्दन बहुगुणा) (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ): मैसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।इनकी जांच की जा रही है ।इस सम्बन्ध में इस समय और व्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं है ।

गुजरात में समुद्र तट के निकट गैस का पता लगाना ।

1024. श्री शरद यादव : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में समुद्र तट के निकट पर्याप्त माला में गैस तथा तेल का पता लगाया है, यदि हां, तोतत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप सरकार गुजरात में एक उर्वरक संयंत्रस्थापित कर सकेगी

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परियोजना सम्न्धी व्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत आयेगी ;

(घ) क्या गैस का पता सोवियत वैज्ञानिकों की सलाह पर प्राप्त होने के बाद लगा है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पूर्वी क्षेत्र में तेल तथ गैस हेतु भूकम्पीय-सर्वेक्षण के लिये सोवियत वैज्ञानिकों की इसी तरह की सलाह की उपेक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) गुजरात समुद्रतट से दूर दक्षिण ताप्ती सेरचान पर खोदे गये कुएं में 1750 से 2070 मीटर की गहराई के बीच गैस पाये जाने के संकेत मिले हैं। इस समय कुएं का परिक्षण किया जा रहा है। कुछ मूल्यांकन कुओं को खोदे जाने के पश्चात् ही इस का पता तभी लगेगा कि क्या इस संरचना का कोई वाणिज्यिक महत्व है या नहीं।

(ख) और (ग) :—उक्त भाग (क) में उल्लिखित स्थित को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभी पटल पर रख दी जायेगी

कलकत्ता की महानगर परिवहन परियोजना को पूरा किया जाना

1025. श्री शरद यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) के अधिकारियों ने इस परियोजना के वर्ष 1988 से पहले पूरा होने के बारे में अपने सन्देह व्यक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या महाप्रबन्धक ने चितरंजन एवेन्यू के बीच इस परियोजना की क्रियाविन्ति के बारे में भी सन्देह व्यक्त किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के कतिपय जटिल सेकानों के लिये संम्भवतः पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जाएंगी और क्या ऐसी सेवाओं का अन्य सेवायें में भी उपयोग किया गया जहां काम चल रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नगर के लोगों के व्यापक हित में इस परियोजना को शीघ्र ही क्रियन्वित करने के लिये क्या कद उठाने का विचार है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) औरा (ङ) पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करनेका कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही अब तक ये प्राप्त की गयी हैं।

परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अनेक खंडों में निर्माण कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं। चित्तरंजन एवेन्यू में निर्माण-कार्य पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी प्राप्त होने और इस चरण के लिए धन उपलब्ध होने के बाद ही आरम्भ किया जायेगा।

रेल उपकरणों का आयात

1026. श्री शरद यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी भी रेल-उपकरणों का अधिकांश भाग विदेशों से आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि के ऐसे आयात किये गये तथा किन-किन देशों से किये गये ;

(ग) उक्त आयातित उपकरणों के स्थान परदेश में बने उपकरणों का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या बहुत से देशीय लघु उद्योग एककों ने ऐसे आयातित उपकरणोंके स्थान पर देशीय उपकरणों का निर्माण करने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं ।

(ख) 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान रेलवे के जो पुर्जे आयात किय गये उनका कुल मूल्य क्रमशः 70.70 करोड़ रुपये 64.37 करोड़ रुपये और 50 97 करोड़ था । उक्त वर्षों में कुल क्रमशः 590.91 करोड़ रुपये 777.18 करोड़ रुपये और 764.06 करोड़ रुपये की खरीद की गयी थी । इन वर्षों की खरीद कुल मूल्य से आयात के कुल मूल्य का प्रतिशत क्रमशः 11.97, 8.28 और 6.67 बैठता है । जिन देशों से आयात किया गया था वे हैं सं० रा० अमरिका, जापान, इटली, पश्चिम जर्मनी' फ्रांस, इंगलैंड, स्विटजरलैंड, फिनलैंड, आस्ट्रिया, कनाडा, मलेशिया, स्वीडन, बेलजियम और पूर्वी यूरोपीय देश ।

(ग) आयातित पुर्जों का देश में विकास तीव्र करने के लिए सभी उत्पादन यूनिटों, क्षेत्रीय रेलों और रेल मंत्रालय में विकास स्कन्ध स्थापित किऐ गये हैं जो सभी स्वदेशी निर्माताओं से निकट सम्पर्क बनाये रखते हैं । इसके अतिरिक्त, समय-समय पर बैठकें करके रेलवे बोर्ड के स्तर पर स्वदेशीकरण की प्रगति की समीक्षा की जाती है । देशी निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, समय-समय पर आयातित मदों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है । देशी पुर्जों के विकास में तेजी लाने के लिए तकनीकी तथा विकास महानिदेशालय लघ उद्योगों जैसी अन्य एजेसियों के साथ सतद् सम्पर्क बनाए रखा जाता है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) इन यूनिटों को तकनीकी मार्ग-दर्शन तथा अन्य छूट के रूप में सभी सम्भव सहायता दी जाती है ।

गत पांच वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनायें

1027. श्री पद्मचरण सामान्तसिंहेर: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सकार को मालूम है कि हाल ही के वर्षों में अनेक रेल दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार, कितनी रेल दुर्घटनायें हुई ;

(ग) प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई ;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं में किन्हीं रेल कर्मचारियों का हाथ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालयमें राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ग):1973-74 से भारत की सरकारी रेलों पर टक्करों, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपारों पर घटित दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनाओं की कोटियों में गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या और उनसे रेल सम्पत्ति को हुई हानि की लागत इस प्रकार है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	रेल सम्पत्ति को हुई हानि की लागत (रुपयों में)
1973-74	782	2,49,40,866
1974-75	925	2,50,46,671
1975-76	964	2,98,74,675
1976-77	780	2,74,73,862
1977-78 (जनवरी तक)	743	3,30,17,240

(घ) और (ङ) 1-4-1973 से 31-1-78 तक हुई 4194 गाड़ी दुर्घटनाओं में से 2343 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की चूक के कारण हुई । अब तक 3152 कर्मचारियों के नीचें लिखें अनुसार दण्डित किया गया है :—

दिये गये दण्ड का विवरण	दण्डित कर्मचारियों की संख्या
(i) सेवा से बर्खास्तगी/निष्कासन	166
(ii) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति	25
(iii) उपदान का रोका जाना	9
(iv) पदोन्नति रोकना	7
(v) उसी ग्रेड अथवा निम्न ग्रेड में अवनति	546
(vi) विभिन्न अवधियों के लिए वेतन वृद्धियों को रोकना	1,918
(vii) पास/पी० टी० ओ० का बंद करना	188
(viii) निंदित किया जाना/चेतावनी दिया जाना	293

उड़ीसा के लोगों की ओर से रेल सुविधाओं के लिये अभ्यावेदन

1028. श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा: क्या **रेल** मंत्री उड़ीसा के लोगों के अभ्यावेदन के बारे में 29 नवम्बर, 1977 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 1817 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 मांगों के बारे में अभ्यावेदनों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है; और

(ख) इन में से किन-किन मांगों पर कार्यवाही शुरू हो गई है और अन्य मांगों पर कार्यवाही कब शुरू होगी तथा इसके लिये कितनी राशि दी गई/दी जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अभ्यावेदनों में की गयी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे बतायी गयी है:—

1. जखपुरा-बासंपानी रेल सम्पर्क

यह परियोजना स्वीकार कर ली गयी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके लिए 1978-79 के बजट में 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

2. रुपसा-बांगरापोसी छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव और उसका विस्तार

इस योजना की जांच करने के लिए राज्य सरकार के साथ बातचीत की जा रही है।

3. भुवनेश्वर के निकट मंचेश्वर में एक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने की स्थापना

यह काम सम्भवतः 1978-79 के दौरान शुरू किया जायेगा। बजट में 43 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

4. हावड़ा-मद्रास मुख्य लाईन के निरगुण्डि और बांरग खण्ड के बीच केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण की व्यवस्था

जब यातायात का स्तर काफी बढ़ जायेगा, तब इस बारे में विचार किया जायेगा।

5. नयी रेल लाइनों का सर्वेक्षण

तालचर-सम्बलपुर रेल लाइन परियोजना के सर्वेक्षण का काम वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में शामिल किया गया है। 1978-79 में इसके लिए 6 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

कोरापुट से सालूर/पार्वतीपुरम रेल लाइन परियोजना की जांच इस प्रयोजन के लिए पहले से ही गठित एक सर्वेक्षण दल द्वारा की जायगी और 1978-79 में इसके लिए 7 लाख रुपये

की व्यवस्था की गयी है । राय गडा—गुनुपुर ब्रहमपुर सम्पर्क के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

6. नौपाड़ा-पारलाकिमिड़ी-गुनुपुर छोटी लाइन में सुधार-उसका बड़ी लाइन में बदलाव तथा विस्तम कटक/रायगड़ा तक विस्तार ।

धन की कमी के कारण इस योजना को हाथ में लेने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

7. खड़गपुर/आद्रा/आसनसोल/वाराणसी/मुगलसराय के रास्ते पुरी/भुवनेश्वर से नयी दिल्ली तक एक नयी एक्सप्रेस गाड़ी चलाना ।

विभिन्न परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

8. पुरी /भुवनेश्वर और बम्बई के बीच एक तेज एक्प्रेस गाड़ी/सीधी सवारी डिब्बा सेवा प्रारम्भ करना ।

भुवनेश्वर—खुर्दारोड और सिकन्दराबाद के बीच एक ही रात में पहुंचने वाली एक तेज गाड़ी चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे बम्बई की ओर जाने वाली गाड़ी से आगे मेल उपलब्ध हो सके।

9. **कटक**—परादीप लाइन पर अतिरिक्त यात्री हाल्ट यदि राज्य सरकार श्रमदान के आधार पर मिट्टी का काम करा देती है तो रेल प्रशासन इस खंड पर 4 अतिरिक्त यात्री हाल्ड खोलने के प्रश्न पर विचार कर सकता है।

10. कटक स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन

आश्रय स्थलों तथा ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने के लिए सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। इसके अलावा, 1978-79 के निर्माण-कार्यक्रम में शयनशाला किस्म के विश्राम कक्ष, जल शीतक तथा फ्रूट स्टाल की व्यवस्था करने के काम शामिल किये गये हैं।

11. अन्य स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

अपेक्षित सुविधाओं, जैसे यात्री हाल्ट खोलना, फ्लैग स्टेशनों में बदलाव, प्रतीक्षालय, जल सप्लाई आदि की यथासम्भव व्यवस्था की जा रही है।

12. भुवनेश्वर में पर्यन्त सुविधाओं की व्यवस्था ।

यातायात की जरूरतों के अनुरूप अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में बराबर समीक्षा की जा रही है तथा हाल में ही स्टेशन की नयी इमारत जैसी कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था भुवनेश्वर में की गयी है।

13. उड़ीसा में एक नये रेलवे मण्डल का गठन ।

उड़ीसा में एक नये रेलवे मण्डल का गठन आवश्यक नहीं समझा जाता है।

14. दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए एक रेल सेवा आयोग की स्थापना ।

उड़ीसा में एक नये कमीशन की स्थापना का औचित्य नहीं है क्योंकि पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे की जरूरतें रेल सेवा आयोग, कलकत्ता से पूरी हो जाती है।

15. भुवनेश्वर में एक रेलवे समन्वय निदेशालय की स्थापना ।

इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है बशर्ते इस सम्बन्ध में राज्य सरकार अनुरोध करे।

16. टाटानगर–बाड़ाजामदा सवारी गाड़ी सेवा का उड़ीसा के क्योनझार जिले में बारबिल तक विस्तार ।

परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं है ।

17. डी० बी० के० रेलवे पर यात्री और वाणिज्यिक माल यातायात की ढुलाई ।

इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

18. टिटलागढ़–सम्बलपुर खंड में बोलनगीर–सोनपुर रोड परबोलनगीर समपारपर तथा चेरुपा में हाल्ट स्टेशन खोलना ।

इसकी जांच की जा रही है।

19. उड़ीसा में भुवनेश्वर और बोलनगीर के बीच एक रेल सम्पर्क की व्यवस्था ।

सम्बलपुर से तालचेर तक एक नयी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य चालू वित्त वर्ष के बजट में शामिल कर दिया गया है । इस परियोजना से उड़ीसा के पश्चिमी जिलों का सम्पर्क तटीय क्षेत्र से हो जायेगा।

20. टिटलागढ़ व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति में नामित करना ।

टिटलागढ़ व्यापारी एसोसिएशन को मण्डल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति/वालटेयर, दक्षिण पूर्व रेलवे में प्रतिनिधित्व दिया गया है । उन्हें क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति में इस अवधि में प्रतिनिधित्व देना सम्भव नहीं है।

21. उड़ीसा में सम्बलपुर और सम्बलपुर रोड स्टेशन के बीच गोपालमल पर ऊपरी पुल का निर्माण

इस प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब वर्तमान नियमों के अनुसार यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा इस वचन के साथ प्रायोजित किया जाय कि वह इसकी लागत वहन करेगी।

केरल में रेल-मार्गों का विद्युतीकरण

1029. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में रेल-मार्गों के विद्युतीकरण की सम्भावना के बारे में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेल-विभाग ने बिजली की उपलब्धता की समस्या के समाधान और केरल सरकार के साथ उसकी दर के बारे में समझौता कर लिया है ; और

(घ) केरल में रेल-लाइनों के विद्युतीकरण के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) यह योजना केरल सरकार द्वारा अब दी गयी बिजली की सप्लाई और इस खंड के प्रति प्रक्षिप्त यातायात के लिए सामान्य वाणिज्य दर-सूची पर आर्थिक दृष्टि पैसे औचित्यपूर्ण नहीं है।

(ग) मार्ग के साथ-साथ सभी अपेक्षित स्थलों पर बिजली सुलभ रहेगी लेकिन जिस दर पर पर इसे सुलभ किया जायेगा उसकी सूचना अभी तक नही मिली है।

(घ) इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

CONVERSION OF MORADABAD–RAMNAGAR METRE GAUGE LINE INTO BROAD GAUGE LINE

†1030. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state; the progress made so far in the execution of the scheme of conversion of Moradabad–Ramnagar metre gauge line into broad gauge line and when this work is ikely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : The project for providing broad gauge links to Ramnagar and Kathgodam from Moradabad and Rampur with the object of providing direct link to the hilly areas of Uttar Pradesh was included in the Budget for 1974-75 at a cost of Rs. 15 crores. A sum of Rs. 11.90 lakhs has been spent on the project upto the end of March 1977. According to the latest estimate the gauge conversion of Moradabad–Ramnagar line which forms one phase of the scheme is estimated to cost Rs. 7.34 crores. The Government of Uttar Pradesh has been requested to indicate the priority for taking up the different phases of the project.

No date of completion can be indicated as that would depend upon the priority to be accorded to the project and availablity of funds from year to year.

दिल्ली शटल रेलगाड़ियों के लिए दुमंजिले डिब्बे

1031. **श्री माधवराव सिन्धिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें कम दूरी को रेलगाड़ियां में भारी यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली शटल रेलगाड़ियों के लिए दुमंजिले डिब्बों की व्यवस्था करने के बारे में उत्तर रेलवे से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुरोध पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जीहां ।

(ख) जीहां।

(ग) दुमंजिले सवारी डिब्बे कम दूरी की गाड़ियों मेंउपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं। ऐसे डिब्बों के प्रथम समूह को बम्बई-पुणे खंडपर इस्तेमाल करनेका प्रस्तावहै और उसके बाद उनका उपयोग दिल्ली-आगरा तथा अन्य खंडों पर किया जायेगा।

SHORTAGE OF KEROSENE OIL IN RURAL AREAS

1032. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether there has been acute shortage of Kerosene oil in various parts of the country especially in rural areas; and

(b) if so, the reasons thereof and the steps Government have taken to meet the shortage?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b) There has been no acute shortage of kerosene in the country. However, there have been a few cases of localised temporary shortages at some places due to inadequate availability of product or tankwagons. To overcome the shortages of product, additional imports of kerosene have been arranged. Steps have also been taken to improve the turn-around of tankwagons. State level coordinators from the oil companies have been appointed to keep in touch with the civil supplies authorities of the States/Union Territories so that no shortages develop in respect of kerosene. The State Governments have been advised to bring to the notice of the State Coordinators, as also the Government of India, cases where corrective action is to be taken by the oil companies in order to ensure that kerosene is available in all parts of the State and that no increases in prices take place as a result of any temporary shortages which may develop.

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

1033. **श्री डी० डी० देसाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई निर्णय किया गया है कि पैट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हो जाने पर भी देश में उनके मूल्य नहीं बढ़ाए जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाने की स्थिति में ऐसा करने से राष्ट्रीय राजकोष को कितना घाटा होगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय मूल्य वृद्धि के कोई संकेत नहीं हैं । इस का प्रभाव यदि कोई पड़ेगा वह अनेक तथ्यों जैसे वृद्धि की मात्रा, सप्लाई का स्त्रोत और उसकी मात्रा, देशीय उत्पादन के स्तर पर निर्भर करेगा ।

दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये बिस्तर देने की सुविधा

1034. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में लम्बी दूरी की यात्रा के लिए दो अथवा तीन टायर स्लीपर के आरक्षण वाले यात्रियों को किराए पर बिस्तर उपलब्ध करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और कब से ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(घ) क्या इस प्रकार की सुविधाभारतीय रेलवे की किसी जोन में पहले से उपलब्ध है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारामण) (क), (ख), (ग), **और** (घ) बिस्तर देने की सुविधा फिलहाल दूसरे दर्जे के शयनयानों में यात्रा करने वाले दूसरे दर्जे के यात्रियों को लम्बी दूरी की निम्नलिखित गाड़ियों में उपलब्ध है :

1. हजरतनिजामुद्दीन और मंगलूरू/कोच्चिन के बीच 131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस ।
2. मद्रास एषम्बूर और तूतीकोरिन के बीच 103/104 जनता एक्सप्रेस ।
3. मद्रास और नयी दिल्ली के बीच 121/122 तमिलनाडु एक्सप्रेस ।
4. नयी निल्ली और सिकन्दराबाद के बीच 123/124 आंध्र एक्सप्रेस ।
5. नई दिल्ली और बेंगलूर/तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल के बीच 126/125 केरल-कर्नाटक एक्सप्रेस ।
6. मद्रास और हवड़ा के बीच 141/142 कोरोमंडल एक्सप्रेस ।
7. मद्रास और वाराणसी के बीच 139/140 गंगा कावेरी एक्सप्रेस ।
8. अहमदाबाद और दिल्ली के बीच 31/32 जयन्ती जनता एक्सप्रेस ।
9. बम्बई और दिल्ली के बीच 23/24 जनता एक्सप्रेस ।
10. बम्बई और अहमदाबाद के बीच 7/8 जनता एक्सप्रेस ।
11. बम्बई और गांधीधाम के बीच 17/18 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस ।
12. 171/172 बम्बई-जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ।
13. नयी दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच 153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रेस ।
14. बम्बई वी० टी० और हवड़ा के बीच 59/60 गीतांजलि एक्सप्रेस ।

दूसरे दर्जे में बिस्तरों के उपयोग से प्राप्त अनुभव के आधार पर यह सुविधा उत्तरोत्तर लम्बी दूरी की अन्य गाड़ियों में भी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

बम्बई हाई में तेल का उत्पादन

1035. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से तेल के उत्पादन में हाल ही में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्पर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस उत्पादन से शुद्ध रूप से कितनी बचत हुई है ; और

(घ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लाभार्थ बम्बई हाई के और आगे चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार की योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) और (ख) बम्बई हाई से अशोधित तेल उत्पादन की वर्तमान दर लगभग 80,000 बेरल प्रति दिन है।

(ग) बम्बई हाई की वर्तमान उत्पादन दर से, अशोधित तेल के आयात में कमी होने के परिणामस्वरूप, अशोधित तेल के अन्तर राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर एक करोड़ रुपए प्रति दिन की दर से विदेशी मुद्रा में वर्तमान बचत होगी ।

(घ) बम्बई हाई का पांच चरणों में विकास करने की परिकल्पना की गई है । बम्बई हाईके चरण —I तथा II के निर्धारित लक्ष्य (अर्थात 80,000 बैरल प्रति दिन की दैनिक उत्पादन दर) पहले से ही प्राप्त किए जा चुके हैं। चरण–II-क जिसमें तेल और गैस का बम्बई हाई तथा उत्तरी बसीन क्षेत्र से अरान तक परिवहन के लिए समुद्र के भीतर पाइप लाइन बिछाना तथा ईरान से बम्बई तक स्थानांतरण लाइनों का बिछाना शामिल है और इसकी मई, 1978 तक पूरा करने की संभावना है । चरण III ख में अतिरिक्त कुआं प्लेटफार्मों, एक प्रक्रिया प्लेट फार्म, अशोधित तेल के स्थिरीकरण टैंक, गैस विखंडन संयंत्र, आदि शामिल हैं और इसकी मार्च, 1980 तक पूरा किये जाने की संभावना है । चरण III के पूरा होने पर उत्तरी व यन क्षेत्र की एक मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की दर से होने वाले उत्पादन के अतिरिक्त बम्बई हाई से 6 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की दर से सम्भावी उत्पादन होने की आशा की जा सकती है । चरण-4 और 5 के निवेश के सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

गीतांजली एक्सप्रेस में चोरी की घटनाएं

1036. श्री पी० जी० मावलंकर: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और कलकत्ता के बीच चलने वाली गीतांजली एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले कुछ महोनों में छोटी तथा बड़ी चोरियों की अने घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे यात्री न केवल तेजी और आराम के साथ अपितु सुरक्षा के साथ भी यात्रा कर सकें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान, दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्र में यात्रियों के सामान की चोरी की 13 घटनाएं हुईं । सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किये गये मामलों का विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं है।

(ग) 9-2-1978 से, राउरकेला और नागपुर के बीज मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था कर दी गयी है । गाड़ी रुकने के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, डिब्बों में दाखिल होने का प्रयत्न करने वाले अवांछनीय तत्वों पर कड़ी निगाह रखी जाती है । 9-2-1978 को रायगढ़ में दो अपराधी पकड़े गये । वे गीताजलि एक्सप्रेस के डिब्बों की छत पर और बैटरी बाक्स पर यात्रा करते हुए पाये गये थे।

अहमदाबाद और अमृतसर के बीच सीधी गाड़ी

1037. श्री पी० जी० मावलंकर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद और अमृतसर के बीच एक नई सीधी और तेल अथवा यात्री गाड़ी चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात सम्बन्धी औचित्य के अलावा मार्ग में संतृप्त खंडों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता को कमी और अहमदाबाद तथा अमृतसर में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण अमृतसर और अहमदाबाद के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

तेल का आयात

1048. श्री रागावलू मोहनरंगम : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितनी मात्रा में अशोधित तेल का आयात किया गया है तथा किन किन देशों से किया गया है ; और

(ख) ईरान से तेल के आयात में किस प्रकार की रियायतें मिली हैं अथवा मिलने की आशा है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) वर्ष 1977 के लिये अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

देश का नाम	आयातित की गई मात्रा मिलियन मी० टनों में
ईरान	6.7
ईराक .	2.9
संयुक्त अरब गणराज्य .	0.9
सोवियत रूस	1.0
सउदी अरब . .	2.9
मिश्र	0.3
योग	14.7

(ख) पूर्वी समुद्रतट के बाक्ससाइट भंडारों के लिये एल्यूमीनियम परियोजना त्रिपुरा की कागज तथा लुगदी फैक्ट्री और राजस्थान नहर के दूसरी चरण जैसी परियोजनाओं में भाग लेने अथवा उसके लिए धन की व्यवस्था करने हेतु क्रेडिट अथवा एक मुख्य की अदायगी पर, जैसा उपयुक्त हो, ओपेक के मूल्य पर अतिरिक्त कच्चा तेल की वार्षिक सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए एक पेशकश की गई थी। इन किस्तों का रुपया सम मूल्य अथवा एक मुश्त के लिए, जैसा भी मामला हो यथा अपेक्षित, भारत में ही धन की व्यवस्था की जायेगी चाहे उसे पूंजी निवेश अथवा खर्च अथवा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

UTILISATION OF HINDI TYPISTS AND STENOGRAPHERS

†1039. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of typists trained in Hindi typing and the number of stenographers trained in Hindi stenography in the Ministry/Department at present;

(b) the number of typists and stenographers out of such typists and stenographers whose services are utilised fully for Hindi work;

(c) the reasons for not utilising the services of such Hindi typists and stenographers; and

(d) whether any scheme has been formulated for utilisation of their services and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NAR SINGH) : (a) Eightythree typists and 64 stenographers have been trained in Hindi typing and Hindi stenography respectively.

(b) Fiftyone typists and 28 stenographers are being utilised for Hindi typing and Hindi stenography work.

(c) The nature of work in the Ministry is such that there is not sufficient scope for utilising the services of all the typists and stenographers who have been trained in Hindi typing and stenography.

(d) No scheme as such has been formulated. Efforts are being made for the increased use of Hindi by the officers and staff so that more typists and stenographers are engaged on Hindi work.

FORMATION OF OFFICIAL LANGUAGES IMPLEMENTATION COMMITTEE

†1040. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether an Official Languages Implementation Committee has been formed in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which its meetings were held during 1977 and the details of decisions taken thereat;

(c) the number of decisions among them implemented fully; and

(d) the reasons for delay in implementing the remaining decisions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NAR SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The meetings were held on 26-2-77, 4-7-77 and 25-10-77. The details of the decisions are as under :

26-2-77: To enable the stenographers trained in Hindi stenography in the Ministry to maintain their proficiency in Hindi stenography, it was decided that one stenographer should be deputed to Vidhi Sahitya Prakashan for a month in exchange of a Hindi stenographer from the Prakashan.

4-7-77: It was decided that routine cases, where notes like 'seen, thanks', 'the draft is in order' etc. should be submitted in Hindi.

It was also decided that instead of sending stenographers to Vidhi Sahitya Prakashan, they should be deputed for refresher courses in Hindi stenography and typing.

25-10-77: It was decided that more and more persons should be sent for training in Hindi typewriting/Hindi stenography in a phased programme.

When the 'refresher course' in Hindi stenography is started, the Ministry should take advantage of it.

It was also decided that sufficient number of copies of the monthly Hindi Law Journals, namely, the Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika and the Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika, should be supplied to the Benches of the Income-tax Appellate Tribunal (a subordinate office of this Ministry) located in Hindi-speaking areas, so as to encourage the use of Hindi by the members of the Tribunal and the staff, in their day-to-day work.

(c) All the decisions taken in the aforesaid meetings have been implemented, as far as possible.

(d) Does not arise.

समस्तीपुर डिवीजन में खलासियों की पदोन्नति

1041. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर डिवीजन के पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा बेसिक फिटर के पद समाप्त कर दिये गये थे और रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार ट्रेन लाइटिंग में खलासियों की कुशल फिटरों के रूप में पदोन्नति करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या बेसिक (बी० टी० एम०) बैटरी मैन ट्रेन का पद अब दोबारा बनाया गया है और खलासियों के बेसिक फिटर के "ट्रेड टैस्ट" में शामिल किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पांचवीं योजना के अधीन प्रस्तावित उर्वरक परियोजनाएं

1042. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना तथा उर्वरक के आयात में कमी करने के बारे में 21 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1221 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के अधीन प्रस्तावित चार नई उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार उनके तथा आगामी परियोजनाओं के फीड़ स्टाक, डिजाइन आदि के बारे में अन्तिम निर्णय कर चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में बम्बई हाई संरचना से प्राप्त सम्बद्ध गैस पर आधारित दो बड़े आकार के उर्वरक संयंत्रों और असम में ओ० एन० जी० सी० और ओ० आई० एल० के तेल क्षेत्रों से प्राप्त सम्बद्ध गैस के प्रयोग से असम में एक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। गुजरात में भी गैस पर आधारित बड़े आकार के उर्वरक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र में दो संयंत्रों और गुजरात में एक संयंत्र में से, प्रत्येक की प्रतिदिन 1350 मी० टन अमोनिया और 1800 मी० टन यूरिया की क्षमता होगी। असम में संयंत्र की प्रतिदिन 600 मी० टन अमोनिया और 1000 मी० टन० यूरिया की क्षमता होगी। दो महाराष्ट्र संयंत्रों और असम संयंत्र के लिय तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। गुजरात प्लांट के लिये संभाव्यता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई है इन परियोजनाओं की अंतिम लागत पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है।

वर्ष 1978-79 के दौरान अशोधित तेल की आवश्यकता

1043. श्री एस० आर० दामाणी : पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978–79 में अशोधित तेल की अनुमानित आवश्यकताएं क्या हैं और इन्हें किन-किन स्रोतों से पूरा किया जाएगा;

(ख) आयात संबंधी वर्तमान प्रबन्धों का मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) देशीय तेल के एक टन के उत्पादन की लागत आयातित तेल के औसत लागत की तुलना में कितनी है?

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) देश में वर्ष 1978–79 के लिये लगभग 27.00 मिलियन मी० टन कच्चे तेल की आवश्यकता का अनुमान है। इस आवश्यकता को लगभग 15.00 मिलियन मि० टन अशोधित तेल आयात करके और लगभग 12 मिलियन मी० टन की सीमा एक देशीय उत्पादन से पूरा किये जाने की संभावना है। कच्चे तेल के आयात की व्यवस्था आमतौर पर कलैण्डर वर्ष के आधार पर की जाती है। वर्ष 1978 के दौरान कच्चे तेल के आयात संबंधी जितनी आवश्यकताओं को सम्मिलित किये जाने की संभावना है, वह निम्नलिखित है:—

संसधान	मात्रा मिलियन मी० टनों में
ईराक	3.00
ईरान	2.00
सऊदी अरब	1.1
संयुक्त अरब अमीरात	1.0
सोवियत रूस	1.5
ईरान (सस्तम कच्चा तेल)	0.5
मद्रास शोधनशाला लिमि० के लिये ईरान से डरियस कच्चा तेल	2.8
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम शोधनशाला के लिये एक्सोन के माध्यम से अरबी कच्चा तेल	1.4
	13.3

इस मद्द की बकाया आवश्यकताओं को वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) आयातित कच्चे तेल की सी० आई० एफ० पर आधारित वर्तमान औसत लागत लगभग 900 रुपये प्रति मी० टन बैठती है। देशीय कच्चे तेल के उत्पादन की लागत निकाली जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम तथा उद्योगों का विकास

1044. **श्री एम० आर० दामाणी :** विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम उद्योगों के विकास में रुकावट हैं;

(ख) क्या शासित लेखापालों (चार्टर्ड एकाउन्टेंटों), कम्पनी सचिवों, वकीलों आदि के संगठनों ने सरकार को अधिनियम में संशोधन करने के लिये अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी जांच कर ली गई है और आवश्यक रुकावटों को हटाकर अधिनियम को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शाँति भूषण): (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) विशेषज्ञ समिति, जो वर्तमान में कंपनी अधिनियम तथा एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के कार्य का पुनर्विलोकन कर रही है, को भारत के शासप्राप्त लेखापाल, भारत के लागत एवं कर्मान्त लेखा पाल तथा भारत के कम्पनी सचिव, संस्थानों सहित अनेक निकायों और व्यक्तियों से, इसके द्वारा सितम्बर 1977 में प्रेषित सामान्य नोटिस तथा प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर में सुझाव/ज्ञापन प्राप्त हुये हैं।

(ग) ये सुझाव/अभ्यावेदन वर्तमान में विशेषज्ञ समिति द्वारा परीक्षान्तर्गत है, एवं आगे की कार्यवाही पर, इस समिति के 30 जून, 1978 को सरकार को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के पश्चात्, विचार किया जाएगा।

रेल दुर्घटनाएं

1045. श्री प्रद्युम्न बल
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
श्री हरगोविन्द वर्मा
श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी
श्री डी० जी० गबई
श्री सुखेन्द्र सिंह
श्री वीरेन्द्र प्रसाद
श्री अधन सिंह ठाकुर
श्री बी० पी० मंडल
श्री मही लाल

: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1975–76, 1976–77 और वर्ष 1978 में अब तक, अलग-अलग कुल कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई तथा रेलगाडियों के पटरी से उतरने के कुल कितने मामले हुए तथा इसमें कौन-कौन सी रेलगाडियां अन्तग्रस्त थीं तथा इसके लिये कौन से मुख्य कारण जिम्मेदार ह;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मारे गए तथा घायल हुए तथा सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को कितना नुकसान हुआ है;

(ग) इन दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों को कुल कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई;

(घ) कितने मामलों में मुआवजा दे दिया गया है तथा कितने मामलों में नहीं दिया गया है तथा इनका निपटान कब तक कर दिया जायेगा; और

(ङ) सरकार ने बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या सुरक्षात्मक कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1975–76 और 1976-77 और 1977–78 (जनवरी, 1978 तक) के दौरान भारत की सरकारी रेलों पर गाड़ियों के पटरी से उतर जाने की घटनाओं की संख्या तथा गाड़ी दुर्घटनाओं की कुल संख्या और इन दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त गाड़ियों की किस्म नीचे बताई गई है :–

वर्ष	गाड़ियों के पटरी से उतर जाने की घटनाओं की संख्या			गाड़ी दुर्घटनाओं की कुल संख्या		
	सवारी गाड़ियां	माल गाड़ियां	जोड़	सवारी गाड़ियां	माल गाड़ियां	जोड़
1975–76	202	566	768	321	643	964
1976–77 .	166	467	633	264	516	780
1977–78 (जनवरी 1978 तक)	191	418	609	281	462	743

चूंकि दुर्घटनाओं की एक बड़ी संख्या मालगाड़ियों की है, जिनके नम्बर होते हैं नाम नहीं होते, अतः गाड़ी दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त गाड़ियों की किस्म के संबंध में सूचना दी गई है।

इन दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार हैं:—

	1975–76	1976–77	1977–78 (जनवरी 78 तक)
1. रेल कर्मचारियों की गलती .	588	447	394
2. रेलकर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती	119	100	80
3. उपस्कर की खराबी .	144	136	115
4. तोड़-फोड़ .	3	2	8
5. अकस्मात् .	86	64	77
6. दैवी प्रकोप .	–	–	1
7. कारणों का पता न लग सका	24	31	14
8. कारणों का निर्णय नहीं हुआ	–	–	54
जोड़ . . .	964	780	743

(ख) इन दुर्घटनाओं में मृत और घायल व्यक्तियों की संख्या तथा रेल संपत्ति को हुई क्षति का मूल्य नीचे बताया गया है:--

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या		रेल सपत्ति को हुई क्षति का मूल्य
	मृत	घायल	(रुपयों में)
1975–76	213	846	2,98,74,675
1976–77 . .	167	664	2,74,73,862
1977–78 (जनवरी, 1978 तक)	251	653	3,30,17,240

व्यक्तिगत सम्पत्ति को हुई क्षति के मूल्य से सम्बन्धित सूचना रेलों द्वारा नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) 1975–76, 1976–77 और 1977–78 (दिसम्बर, 1977 तक) के दौरान रेल दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन दिय गये मुआवजे का ब्योरा नीचे दिया गया है:—

	राशि (रुपयों में)
1975–76 .	49.51 लाख
1976–77 .	30.56 लाख
1977–78 . . . . (दिसम्बर, 1977 तक)	11.83 लाख

1975–76, 1976–77 और 1977–78 (31 जनवरी, 1978 तक) के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में मृत तथा घायल व्यक्तियों को भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन मुआवजा देने से संबन्धित कुल मिलाकर 437 दावे तदर्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों की अदालतों में निर्णय के लिए बकाया है।

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अंतर्गत सामान्यतया दुर्घटना होने के तीन महीने की अवधि के भीतर दावेदारों की ओर से क्षतिपूर्ति के दावे तदर्थ दावा आयुक्त/पदेन दावा आयुक्त के यहां दायर किये जा सकते हैं। पर्याप्त कारण दिये जाने पर दावा आयुक्त दुर्घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर भी दावेदार को दावा दायर करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिये जाने से पूर्व संपूर्ण न्यायालयीय कार्यवाहियां की जाती हैं और दोनों पक्षों अर्थात् दावेदार और रेल प्रशासन को दावा सिद्ध करने के लिये अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि किसी गलत पक्ष को क्षतिपूर्ति का अनियमित रूप से भुगतान करने से बचाया जा सके। न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर रेल प्रशासन की ओर से अविलम्ब इन दावों का भुगतान कर दिया जाता है।

ड्यूटी पर मृत अथवा घायल रेल कर्मचारियों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से संबंधित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल कर्मचारियों की गलती गाड़ी दुर्घटनाओं का अकेला सबसे बड़ा कारण रहा है। अतः रेलों के संरक्षा संगठन गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों में अपेक्षाकृत अधिक संरक्षा की भावना जागृत करने तथा यह सुनिश्चित करने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारी अपने काम में नियमों का उल्लंघन न करें अथवा लघु तरीके न अपनाएं। मियाभाय अधिकरण के पंचाट तथा रनिंग कर्मचारियों के लिये 10 घंटा ड्यूटी नियम लागू करने के लिये गाड़ियों के चालन से संबंधित परिचालन कोटियों में 10,000 अतिरिक्त पद तथा रनिंग कर्मचारियों के 27,000 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं।

मानवीय तत्वपर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उत्तरोत्तर विभिन्न परिष्कृत उपस्कर जैसे पहिया, धुरा और रेल पटरी के लिये अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टर, रेलपथ परिपथन, स्वचल चेतावनी प्रणाली आदि का उपयोग किया जा रहा है।

हाल में, यह निर्णय किया गया है कि 31-3-78 तक मुख्य मार्गों के 50 स्टेशनों तथा 1981 तक शेष 430 स्टेशनों को रन-थ्रू लाइनों के रेलपथ-परिपथन का काम पूरा कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त 25 दोषपूर्ण स्टेशनों के फाऊलिंग स्थल से अग्रिम स्टार्टर तक के रेलपथ का 31-3-78 तक तथा अन्य ऐसे 75 स्टेशनों का अगले डेढ़ वर्ष तक परिपथन कर दिया जाएगा।

अपराधियों का पता लगाने, उन्हें पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने के काम में सहायता देने और समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित करके राज्यों की पुलिस के साथ निकट सहयोग और समन्वय बनाए रखने के अलावा, रेलों ने रेलपथ पर गश्त लगाने के लिये, विशेषकर भेद्य क्षेत्रों में, इजीनियरी विभाग के 14,000 गैंगमैन और रेलवे सुरक्षा दल के 11,000 कर्मचारी भी तैनात किये हैं ताकि तोड़फोड़ की कार्यवाही की रोकथाम की जा सके।

रेलवे लाइनें बिछाने संबंधी नीति में पविवर्तन

1046. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 30 जनवरी, 1978 को होशियारपुर में संवाददाताओं से कहा था कि जिन क्षेत्रों में रेलवे लाइनें नहीं हैं वहां रेलवे लाईनें बिछाने सबंधी नीति में परिवर्तन किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए एक नयी नीति सरकार के विचाराधीन है। ज्योंही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा इस नीति की घोषणा संसद् में कर दी जाएगी।

ELECTRIFICATION OF NIWARI STATION

†1047. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Niwari Station on Jhansi–Manikpur line has not been electrified so far even after the approval given in this regard, on the pretext that electricity connection has to be taken from a distant place when the connection can be taken from a distance of about 50 years only and the time by which this station is likely to be electrified;

(b) whether the level of platform of Niwari Station is very low as a result of which passengers face difficulty in boarding and getting down from trains and whether stones and other materials received for the purpose have been sent elsewhere and whether its level will be raised soon; and

(c) whether sheds will be provided at Niwari and Barwasagar stations on Jhansi–Manikpur line as sheds have not been provided only at these two big stations on this line ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAY (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Niwari station has not been electrified. The Electricity connection has to be taken from a distance of 50 years. The electrification work of this station will be undertaken as soon as the work is approved by Railways Users Amenities Committee and the work sanctioned and necessary funds made available.

(b) Niwari Station is provided with medium level of platform which is considered adequate. The building materials referred to were received for the extension of the platform and not for raising the same and have been used for the extension of platform.

(c) There is no proposal to provide shelters at Niwari and Barwasagar Stations as adequate waiting space for passengers is at present available at these two stations.

निर्वाचन संबंधी सुधार

1048. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री चित्त बसु :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :
: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में निर्वाचन विधि में किये गये कुछ संशोधनों के निरसन करने के प्रश्न पर सरककार ने विचार किया है; और यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये जाने की सभावना है;

(ख) इस बारे में कब तक अंतिम विनिश्चय किये जानें की सभावना है;

(ग) क्या कुछ सशोधनों के इस सत्र में पुरः स्थापित किये जाने की सभावना है;

(घ) क्या मार्च में हुए निर्वाचन के दौरान सरकारी तन्त्र के दुरुपयोग के बारे में जो जानकारी इकट्ठी की जा रही है थी वह इकट्ठी कर ली गई है; यदि हां, तो तत्सबधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क), (ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिये एक विधेयक निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 के नाम से लोक सभा में 22 दिसम्बर, 1977 को पुरःस्थापित किया गया था।

(घ) और (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अशोधित तेल की सप्लाई के लिये सोवियत संघ के साथ करार

1049. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री एस० एस० सोमानी :
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा;
: क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और सोवियत संघ ने चालू वर्ष के दौरान सोवियत संघ से 15 लाख टन अशोधित तेल की सप्लाई के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह तेल कब तक आयात किया जाएगा तथा किन शर्तों पर?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : मार्च, -दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान 1.5 मिलियन टन अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए 3 फरवरी, 1978 को इंडियन आयल कारपोरेशन और सोवियत संघ की "सोजूजनेफटी एक्सपोर्ट" के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस संबंध में और ब्योरों को प्रकट करना इंडियन आयल कारपोरेशन के वाणिज्यिक हितों में नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय रीति रिवाजों के विरुद्ध है।

कम्पनियों के भुगतान न किये गये लाभांश के सामान्य राजस्व को अन्तरण संबंधी नियम

1050. श्री प्रसन्नभाई मेहता : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अंशधारियों के हितों की रक्षा की दृष्टि से भुगतान न किये गये लाभांश के सामान्य राजस्व को अन्तरण करने सबंधी नियम बनाये हैं;

(ख) नये नियमों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इन नियमों में परिवर्तन करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इससे सरकार को कहां तक सहायता मिली है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) कम्पनियों के असंदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व लेखे में अन्तरण) नियम, 1978 की प्रति तथा दिनांक 21 जनवरी, 1978 के प्रेस नोट, जो इन

नियमों की मुख्य विशेषताओं को मुखरित करता है, की प्रति संलग्न है। (मंत्रालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1649/78)

(ग) तथा (घ) ऐसा अवलोकन किया गया है कि कम्पनियों द्वारा हिस्सेदारियों को लाभांश के रुप में घोषित वृहद् राशियां, अनेक वर्षों तक दावों रहित तथा अवितरित पड़ी रहती हैं। इन धन के कम्पनियों के प्रबन्धकों द्वारा दुरुपयोग करने की संभावनाओं से बचने के लिये, संसद ने 1974 में कम्पनी अधिनियम, 1956 में जोड़ी गई धारा 205क की उप-धारा (5) के माध्यम से यह प्रावधान किया कि यदि इस प्रकार की राशियां तीन वर्षों तक असंदत्त पड़ी रहीं, तो, इन्हें कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व लेखे में अन्तरित कर देना चाहिए इस धारा की उप-धारा (6) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के लिये इस प्रकार के अन्तरणों तथा हिस्सेदारियों द्वारा दावों की अदायगी के लिये प्रक्रिया विहित करना अपेक्षित है। कम्पनियों के असंदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व लेखे में अन्तरण) नियम, 1978 इस सांविधिक बंधन के पालनार्थ विहित किये गये हैं।

SCHEME FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN DRUG INDUSTRY

1052. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to encourage research in and development of drug industry with a view to eliminate completely the need of importing drugs in the country; and

(b) the restrictions imposed on the expansion of multi-national companies with a view to develop Indian drug industry ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The following steps have been taken to promote and intensify research in the drug industry :

(i) Industrial undertakings, other than those falling within the purview of the MRTP ACT and FERA, which take up the manufacture of any item based on the technology developed by any of the laboratories established by the Council of Scientific and Industrial Research and laboratories approved by the Department of Science and Technology will be exempted from the Licensing provisions of the IDR Act. This facility will also be available in respect of sponsored research undertaken by National Laboratories on behalf of industrial undertakings, in respect of projects approved by the Deptt. of Science and Technology, having due regard to their priority and relevance to economy.

(ii) As per Import Trade Control Policy for 1977-78 all recognised research and development units will be eligible to import their requirements of raw materials, components, instruments, equipment and canalised items etc., for research and development purposes without a licence upto Rs. 5 lakhs per annum.

In the Drug Industry, a number of Drug manufacturing units have registered their R & D units.

(b) A selective Policy in regard to licensing for the manufacture of drugs is being followed in respect of foreign drug firms operating in the country, by identifying a list of drugs which alone will be open to licensing for the foreign sector, (along, of course with the Indian and Public Sectors) based on high technology.Apart from this, the foreign companies are also governed by the regulatory provisions contained in various enactments like the Foreign Exchange Regulation Act. 1973, the Capital Issues (Control) Act, 1949, the Industries (D&R) Act, 1951, the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, the Companies Act 1956 and the other applicable legislations, with a view to ensure that they operate within the framework of national priorities.

PRODUCTION OF CHEMICAL FERTILIZERS

1053. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the quantity of chemical fertilizers produced in the country;

(b) whether it is a fact that chemical fertilizers are imported from foreign countries to meet the shortage thereof;

(c) if so, the quantity of chemical fertilizers imported during the last three years and the annual amount of foreign exchange which had to be paid therefor;

(d) the steps being taken to ensure adequate production of chemical fertilizers in the country; and

(e) the time by which the country will be self-sufficient in it ?

THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) The quantity of chemical fertilizers produced in the country during the last three years is given below :

Year	*Product ('000 tonnes)*	
	Nitrogenous	Phosphatic
1974-75	1185	327
1975-76	1535	320
1976-77	1900	480

(b) & (c) Yes, Sir. The quantities of various types of fertilizers imported during the last three years in terms of nutrients and the value in terms of foreign exchange thereof are as under :

Year	Total quantity imported (In metric tonnes)	In terms of Nutrients			Value (Rs. in crores)
		Nitrogen	P2O5	K2O	
1974-75	34,50,563	8,83,773	2,80,997	4,37,218	599. 14
1975-76	32,52,199	9,50,394	3,36,805	2,67,143	699.45
1976-77	21,40,662	7,49,983	22,769	2,77,803	220. 37

(d) & (e) A large scale programme for setting up additional capacity for the manufacture of fertilizers is under implementation. Even with the completion of this programme the gap between consumption and production is expected to be about 12 lakh tonnes of Nitrogen and 6 lakh tonnes of P_2O_5 in 1983-84. Action is on hand to set up additional fertilizer capacity to reduce this gap and move towards self-sufficiency.

दिल्ली उच्च न्यायालय में भूमि अर्जन संबंधी लम्बित मामले

1054. चौधरी ब्रह्म प्रकाश
श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित भूमियों की बाबत भूमि अर्जन के मामलों से उत्पन्न कितनी नियमित प्रथम अपीलें 31 दिसम्बर, 1977 को दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित थीं;

(ख) उनमें से कितनी अपीलें अलग अलग एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह एवं बारह वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है कि नियमित प्रथम अपीलों का निपटान शीघ्रतापूर्वक और एक निश्चित अवधि के भीतर हो?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क), (ख) और (ग): इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई जानकारी उपाबद्ध विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) 4057

(ख) वर्ष-वार लंबित मामले इस प्रकार हैं:--

एक वर्ष और दो वर्ष के बीच	355
दो वर्ष और तीन वर्ष के बीच	267
तीन वर्ष और चार वर्ष के बीच	334
चार वर्ष और पांच वर्ष के बीच	254
पांच वर्ष और छः वर्ष के बीच	395
छह वर्ष और सात वर्ष के बीच	426
सात वर्ष और आठ वर्ष के बीच	607
आठ वर्ष और नौ वर्ष के बीच	380
नौ वर्ष और दस वर्ष के बीच	350
दस वर्ष और ग्यारह वर्ष के बीच	150
ग्यारह वर्ष और बारह वर्ष के बीच	106
बारह वर्ष से ऊपर	27

(ग) उच्च न्यायालय लंबित मामलों, विशेषकर पुराने लंबित मामलों को कम करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयास कर रहा है। न्यायालय के विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, मामलों की कालक्रमानुसार सूची तैयार की जा रही है।

DEMAND FOR EXTENSION OF MORADABAD EXPRESS TO BAREILLY

†1055. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Members of Parliament from Moradabad Division have submitted several memoranda to the Department for extending 147 UP/148 DN Moradabad Express upto Bareilly; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) Extension of 147/148 Delhi–Moradabad Express to and from Bareilly is operationally not feasible for want of spare line capacity enroute, terminal facilities at Bareilly and inconvenient timings at Bareilly.

MEMORANDUM SUBMITTED BY A DELEGATION FROM SIKKIM

†1056. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a delegation from Sikkim approached the Government of India and submitted a memorandum and if so, the demands contained in the memorandum and the action taken by the Central Government thereon; and

(b) wheher people of Sikkim origin have no right to contest the election though they have right to vote and whether Government propose to give them soon the right to contest the election to Legislative Assembly and Lok Sabha, and if so, by what time ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) & (b) A memorandum dated 2-12-77, was received from the Nagrik Sangharsh Samiti, Gangtok (Sikkim) requesting that all the people of Sikkim, irrespective of their ethnic origin, should be made eligible to contest elections to the State Legislative Assembly.

According to present position, out of the 32 seats in the State Legislative Assembly, 16 seats are reserved for the Sikkimese of Nepali origin (including Tsong and Scheduled Caste) and the remaining 16 seats are reserved for the Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin. Persons not belonging to any of the above ethnic groups are ineligible for contesting the elections to the State Legislative Assembly. The demands made in the memorandum mentioned herein are under consideration.

मध्य प्रदेश की अलाभप्रद रेलवे लाइन

1057. **श्री हुकम चन्द कछवाय:** क्या रेल मंत्री मध्य प्रदेश में रेल लाइन के सुधार के बारे में 15 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 300 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में अलाभप्रदलाइन कोइसबीच बन्द करकेउखाड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या प्रदेश में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो आगामी योजना में सरकार का कितने वर्तमान मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) ग्वालियर–शिवपुरी छोटी लाइन (120 कि० मी०) को बन्द करना और उखाड़ना पड़ा क्योंकि यह लाइन लगातार घाटे में चल रही थी।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित छोटी लाइनों के संबंध में सर्वेक्षण किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं:—

1. रायपुर–धमतरी छोटी लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव	सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

2. जबलपुर–गोंदिया छोटी लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव सर्वेक्षण चल रहा है।

इन लाइनों के आमान परिवर्तन के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ALLOTMENT OF CATERING STALLS ON WESTERN RAILWAY

1058. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of catering and other stalls on the platforms of the Western Railway which are in the names of harijans and adivasi at present and the number of those in the names of non-harijans and non-adivasis;

(b) whether Government have formulated any policy to ensure the allotment of catering and other stalls to the harijans and adivasis, if so, the details of this policy and whether it is being followed; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Out of a total of 1582 catering/vending contracts on Western Railway, 56 contracts have been allotted to Scheduled Caste and 12 contracts to Scheduled Tribe persons.

(b) & (c) For the allotment of small catering/vending contracts upto 1/2 a unit, Scheduled Caste/Tribe persons are given preference and the contract is allotted to them straightaway if they are found capable of doing the work satisfactorily. In the case of catering /vending contracts bigger than half a unit, the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates get preference for award of such contracts other things being equal. This policy is being followed by all the Railways.

ENFORCEMENT OF LABOUR WELFARE LAWS

†1059. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various contractors are not complying with the provisions of Labour Welfare Laws in respect of the workers working in catering and other stalls at all the railway stations and if so, the reasons therefor; and

(b) whether it is also a fact that many contractors having more than 10 workers are denying the benefits admissible under labour welfare laws to them and if so, whether Government will make arrangements to ensure that they are given benefit of provident fund and E.S.I. Scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b) The contractors engaged by the Railways are required to comply with provisions of the various labour Laws applicable to their establishments. No report about non-compliance of the law has so far been received in this Ministry.

दिल्ली में मिट्टी के तेल की कमी

1060. **श्री रामानन्द तिवारी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मिट्टी का तेल पिछले कुछ समय से बाजार में उपलब्ध नहीं था और फेरीवालों द्वारा 1.50 रुपये प्रति लीटर की दर पर काला बाजार में बेचा जा रहा था;

(ख) कमी के तथा मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने और वर्तमान मूल्य स्तर बनाये रखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणी) । (क), (ख) और (ग) : दिल्ली में मिट्टी के तेल की कमी अथवा इस उत्पाद के लिये अधिक कीमत वसूल करने से संबंधित कोई रिपोर्ट तेल कंपनियों अथवा पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। दिल्ली संघ शासित प्रदेश के सिविल सप्लाई प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिये तेल उद्योग के एक राज्य संयोजक को नियक्त किया गया है । दिल्ली प्रशासन को सलाह दी गई है कि वह संयोजक और भारत सरकार के नोटिस में ऐसे मामले लाये, जिनमें तेल कंपनियों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि संघ शासित प्रदेश के सभी भागों में मिट्टी का तेल उपलब्ध हो और किसी प्रकार की अस्थाई कमी के परिणामस्वरूप, जो हो सकती है, इस मद्द के मूल्यों में वृद्धि न हो।

देश में निर्वाचकों की कुल संख्या

1061. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में निर्वाचकों की कुल संख्या के नवीनतम राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या मतदान की वर्तमान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग पर कोई अंतिम विनिश्चय किया गया है, और यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है तो कुछ निर्वाचकों के राज्यवार आंकड़े अनुमानतः क्या होंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) इस समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली के अनुसार राज्य-वार निर्वाचकों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने के प्रश्न पर निर्वाचन संबंधी सुधारों के अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है । इस मामले की सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है, अतः यह बताना संभव नहीं है कि इस मामले में विनिश्चय कब तक किया जाएगा।

(ग) सुसंगत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और यह इकट्ठी करके सदन के पटल पर रखी जाएगी।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्वाचिकों की संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	28,356,992
2. आसाम	7,962,645
3. बिहार	34,991,933
4. गुजरात	14,109,708
5. हरियाणा	5,938,821
6. हिमाचल प्रदेश	1,997,405
7. जम्मू-कश्मीर	2,661,057
8. कर्नाटक	17,896,138
9. केरल	11,460,901
10. मध्य प्रदेश	22,963,448
11. महाराष्ट्र	31,581,901
12 मणिपुर	788,223
13 मेघालय	585,081
14. नागालैण्ड	473,257
15. उड़ीसा	12,665,482
16. पंजाब	8,686,788
17. राजस्थान	15,443,137
18. सिक्किम	130,227
19. तमिलनाडु	28,173,342
20. त्रिपुरा	866,056
21. उत्तर प्रदेश	52,076,328
22. पश्चिमी बंगाल	26,030,704
23. अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	85,308
24. अरुणाचल प्रदेश	239,945
25. चंडीगढ़	160,963
26. दादरा और नागर हवेली	37,532
27. दिल्ली	2,740,377
28. गोवा, दमन और दीव	485,811
29. लक्षद्वीप	19,471
30. मिजोरम	204,480
31. पांडिचेरी	307,208
कुल	330,120,669

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात तट से दूर क्षेत्र का पता लगाना

1062. **श्री पी० के० कोडियन**
श्री बसन्त साठे : } : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने दक्षिण (साउथ) ताप्ती सरंचना, जो गुजरात तट से दूर स्थित है, में गैस क्षेत्र का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) गुजरात तट के समुद्री क्षेत्र में दक्षिण ताप्ती संरचना में खोदे गये कुएं में 1750 से 2070 मीटर की गहराई में गैस होने के संकेत मिले हैं। इस कुएं में अभी परीक्षण किया जा रहा है। कुछ मूल्यांकन कुओं को खोदने के पश्चात ही यह पता लगेगा कि इस संरचना का कोई वाणिज्यिक महत्व है अथवा नहीं।

औषधियों के मूल्य में वृद्धि

1063. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 के दौरान कुछ औषधियों के मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां तो किन किन औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है और उसके क्या कारण हैं ; और

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में कुछ बीमारियों के पुनः प्रकट होने से इस निर्णय से गरीब व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) औषधों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अंतर्गत नियंत्रित किये जाते हैं जिससे मूल्यों में संशोधन के लिये एक प्रणाली की यह व्यवस्था की गई है। अप्रैल 1977 के दिसम्बर 1977 के दौरान केवल निम्नलिखित दो प्रपुंज औषधों के मूल्यों में 100% अथवा उससे अधिक वृधि की अनुमति दी गई है :—

क्र० सं०	औषध का नाम	पहले के मूल्य रु०/कि०ग्रा०	संशोधन के बाद मूल्य	संशोधन की तिथि	प्रतिशत वृद्धि
1.	क्विनाइन आइड्रोक्लोराइड	479.00	1088.00	28-9-77	127
2.	नारकोटीन	244.02	509.00	29-12-77	109

2. क्विनाइन का उत्पादन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकारों के विभागीय कारखानों द्वारा किया जाता है। देश में बिक्री के लिये मई, 1975 में निर्धारित 478 रुपये प्रति किलो ग्राम के मूल्य के खिलाफ दोनों राज्य सरकारें इस आधार पर अभ्यावेदन दे रही हैं कि इन मूल्यों से, विशेषकर सिकोना छाल की लागत में वृद्धि और मजदूरी में वृद्धि के कारण 30—40% तक मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केवल उत्पादन लागत ही मुश्किल से पूरी हो पाती है। दूसरी ओर, क्विनाइन के निर्यात पर बहुत अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अपने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये पर्याप्त मात्रा में क्विनाइन उपलब्ध करने में कठिनाई हो रही थी। अतः बी० आई० सी० पी० के साथ परामर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया था कि गत 3 वर्षों के दौरान सबसे कम निर्माण मूल्य के 75% के आधार पर देश में बिक्री के लिये क्विनाइन लवण का मूल्य निर्धारित किया जाये। 29 सितम्बर, 1977 को जो 1088.00 रुपये प्रति किलो ग्राम का मूल्य निर्धारित किया गया था वह उपरोक्त आधार पर ही किया गया था।

3. जहां तक नारकोटीन एक ओपियम आस्केलाइड, का संबंध है, वित्त मंत्रालय ने अभ्यावेदन दिया है कि लागत-व-तकनीकी जांच के आधार पर गवर्नमेंट ओपियम एंड अल्केलाइड वर्क्स, गाजीपुर और नीमच की उत्पादन लागत को पहले से ही स्वीकृत 244.02 रुपये प्रति किलो ग्राम के मूल्य की तुलना में अधिक मात्रा में पाया गया था। इसलिये मूल्य वृद्धि की अनुमति दी गई थी।

4. ऐसा कोई औषध फारमूला नहीं है जिसके मूल्यों में अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 के दौरान 100% अथवा उससे अधिक वृद्धि की गई हो।

(ग) क्विनाइन का प्रयोग मलेरिया विरोधी मामलों और मुख्य रूप से सरकार के राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में किया जाता है दूसरी ओर क्लोरोक्विन एक ऐसी औषध है जिसका प्रयोग मलेरिया की संभावना होने पर उसके उपचार के लिये किया जाता है। क्लोरोक्विन को कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने 1-8-1977 से इस औषध का मूल्य 428.00 रुपये प्रतिकिलो ग्राम निर्धारित कर दिया था, यद्यपि सी० सी० आई० एफ० ई० के फार्मूला के अनुसार स्टेट केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा आयातित क्लोरोक्विन का मूल्य 475.00 रुपये प्रति किलो ग्राम होता था।

2. नार्कोटीन का प्रयोग खांसी-मिश्रण जैसे एन्टीस्ट्सिव दवाइयों में किया जाता है औषध नारकोटीन के मूल्यों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सूप्रयोगों के मूल्यों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।

यात्री तथा माल यातायात से रेलवे की आय में वृद्धि

1064. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक प्रत्येक माह क्रमशः यात्री तथा माल यातायात से रेलवे की आय में वृद्धि हुई है और वर्ष 1975 और 1976 के उसी अवधि के आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) मितव्ययिता बरतने और अपव्यय तथा चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

(ख) अनुबन्ध 'क' और 'ख' (अंग्रेज़ी में) संलग्न हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी०1650/78]

गैस पर आधारित अमोनिया संयत्र

1065. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बसई तेल क्षेत्र तथा बाम्बे हाई परियोजना से उपलब्ध होने वाली गैस पर आधारित दो बड़े अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव तथा भारतीय उर्वरक निगम द्वारा इन परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन संयंत्रों के स्थापना स्थल का निर्णय कर लिया है ; और

(घ) इन परियोजनाओं की कुल लागत क्या होगी और इन्हें कब तक पूरा किया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र):(क), (ख) और (ग) जी, हां । बम्बे हाई से प्राप्त सम्बद्ध गैस पर आधारित दो बड़े आकार के अमोनिया-यूरिया संयंत्रों को बम्बई के दक्षिण में तथा दक्षिणी बसीन संरचना से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित एक परियोजना, गुजरात में स्थापित करने का एक प्रस्ताव है । जबकि बम्बई के दक्षिण में स्थापित किये जाने वाली परियोजनाएं फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित की जायेगी, गुजरात में परियोजना की स्थापना इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोआपरेटिव द्वारा की जायेगी । इन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थल अभी निश्चित किया जाना है ।

(घ) बम्बई के दक्षिण में स्थापित की जाने वाली दो परियोजनाओं की 1978-79 में कार्यान्वयन किये जाने की आशा है तथा 1981–82 में 491 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरी की जायेगी। गुजरात में स्थापित की जाने वाली परियोजना के लागत अनुमान तथा पूरे होने का निर्धारित समय का अभी मूल्यांकन किया जाना है ।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उच्च न्ययायालयों में रिक्त पद

1066. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने रिक्त पद भरे नहीं गए हैं ; और

(ख) इन उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाई करने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) इस समय निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों की संख्या उनके सामने दिखाई गई है —

	स्थायी	अपर	कुल
मध्य प्रदेश .	1	1	2
मुम्बई . . .	3	1	4
मद्रास	—	3	3

(ख) (i) हाल ही के महीनों में इन न्यायालयों में चौदह नई नियुक्तियां की गई हैं। विद्यमान रिक्त स्थानों में से केवल दो रिक्त स्थान, अर्थात्, एक मध्य प्रदेश में और एक मद्रास में, पुराने रिक्त स्थान हैं। इन दो रिक्त स्थानों में से एक पर नियुक्ति का हाल ही में अनुमोदन कर दिया गया है। अन्य सभी रिक्त स्थान हाल ही में रिक्त हुए हैं। उन्हें शीघ्र ही भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें छह अपर न्यायाधीशों के अतिरिक्त पद उस तारीख से बढ़ा दिए गए हैं जिस तारीख को वे भरे जाएंगे। ये पद उपर (क) में दर्शाए गए रिक्त स्थानों के अतिरिक्त हैं।

(iii) उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों से संबंधित आम प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधिपति को निर्देशित कर दिया गया हैं। वह उच्च न्यायालयों से परामर्श करके कुछ उपाय/प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं।

(iv) विधि आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दे।

सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों द्वारा तेल की खोज और छिद्रण

1067. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम:** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज और छिद्रण के बारे में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों पर परस्पर दायित्व क्या है और प्रत्येक के लिए कौन से निर्धारित क्षेत्र हैं ;

(ख) तमिलनाडु में तेल की खोज और छिद्रण की भावी योजना क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में सर्वेक्षणों, खोज और छिद्रण पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और आगामी दो वर्षों में कितना परिव्यय रखा गया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नामक सार्वजनिक क्षेत्र की केवल एक संस्था तेल और गैस के अन्वेषण कार्य में लगी हुई है।

कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो विशेष रूप से अन्य तेल कम्पनियों को सौंपे गये हैं, इसके कार्य संचालन क्षेत्र समस्त देश में फैले हुए हैं।

(ख) अपतटीय क्षेत्र में खोदे गये कुएं/कुओं के अतिरिक्त कुछ चुने हुए क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक और भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों को जारी रखने की आशा की जाती है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1976-77 के अंत तक तमिलनाडु में व्यधन कार्य पर 8.82 करोड़ रुपये की धन राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 1976-77 के अंत तक मद्रास मुख्यालय सहित भूवैज्ञानिकों तथा भू-भौतिकीय क्षेत्र पार्टियों द्वारा सर्वेक्षण कार्य पर 5.75 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्र में व्यधन कार्य से सम्बन्धित सहयोगी करार पर 3.20 करोड़ रुपये की धनराशि जनवरी, 1978 तक खर्च की गई। तमिलनाडु के अपतटीय व्यधन कार्य, केनाडा की असमेरा नामक कंपनी द्वारा ठेके के आधार पर किया जा रहा है जिसमें आयोग के 35% शेयर हैं। तमिलनाडु में वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान व्यधन कार्य करने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

दिल्ली में रेलगाड़ियों का विलम्ब से पहुंचना

1068. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कुल कितनी रेलगाड़ियां दिल्ली में विलम्ब से पहुंचीं; और

(ख) उनके विलम्ब से पहुंचने के क्या कारण हैं तथा सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं कि रेलगाड़ियां समय पर पहुंचें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जनवरी, 1978 में समाप्त पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर सम्हाली गयी कुल 26,313 गाड़ियों में से 6402 (अर्थात् 24.3 प्रतिशत) गाड़ियां देर से पहुंचीं या वहां से देर से गुजरीं।

(ख) गाड़ियों के समय पालन पर सामान्यतः खतरे की जंजीर खींचने, बदमाशों द्वारा होज पाइपों का कनैक्शन काट देने, भारी तूफान, वर्षा, कुहरा, जन आन्दोलन, दुर्घटनाएं तथा रेल इंजनों और सिगनलों में त्रुटियों के कारण हुई देर आदि कारकों का दुष्प्रभाव पड़ा।

क्षेत्रीय रेलें सवारियां ले जाने वाली गाड़ियों के समय पालन पर प्रतिदिन सभी स्तरों पर दृष्टि रखती हैं और उसकी संवीक्षा करती है। लम्बी दूरी की अनेक गाड़ियों पर रेलवे बोर्ड स्तर पर भी प्रतिदिन निगाह रखी जाती है। जिन मामलों में गाड़ियों का रुका रहना परिहार्य हो, उनमें शीघ्र कार्रवाई की जाती है और उपचारात्मक/दण्डात्मक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं तथा अन्य असामाजिक और शरारतपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ उचित स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है। गाड़ियों का समय पालन सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव उपाय किया जा रहा है।

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में अधिकतम वेतन पा रहे अधिकारी

1069. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे पहले दस अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके वेतन तथा अन्य परिलब्धियां अधिकतम हैं ;

(ख) सरकारी क्षेत्र में ऐसे पहले दस अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके वेतन तथा अन्य परिलब्धियां अधिकतम हैं; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में वेतन संबंधी असमानताओं को कम करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जब कि इस विभाग के पास उन कार्यकारी अधिकारियों के बारे में, जिनका वेतन निजी क्षेत्र में सर्वाधिक है, तत्काल निश्चित सूचना नहीं है 10 कार्यकारी अधिकारियों की जो 7500 रुपये प्रतिमाह से अधिक पारिश्रमिक ले रहे हैं, एक उदाहरण विवरण (एक) के रूप में संलग्न है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 15 कार्यकारी अधिकारियों के नाम जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्वीकृत उच्चतम ग्रेड, अर्थात् 3500–125–4000 रुपये, में वेतन ले रहे हैं विवरण (दो) के रूप में संलग्न है।

(ग) असमानताओं को घटाने की दृष्टि से कम्पनी अधिनियम, 1956 के नियामक प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक नियत करने के जो निर्देशक सिद्धान्त बनाए गए हैं उनके संशोधन का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

विवरण (एक)

कम्पनी का नाम	प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशक का नाम
1. मै० हायचस्ट फार्मास्यूटीकल्स लि०	श्री आर० विंक
2. मै० हायचस्ट फर्मास्यूटीकल्स लि०	श्री ई० वलिटन
3. मै० डनलप इण्डिया लि०	श्री ए० डब्ल्यू० जी० मैकइन्टाय
4. मै० इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी (इन्डिया) लि०	श्री जी० ई० लिटचर्ट
5. मै० कैन्थल इन्डिया लि०	श्री जे० आत्सन
6. मै० केरल कैमिकल्स एण्ड प्रोटीन्स लि०	श्री एम० इजूमी
7. मै० बिटानिया बिस्कुट कम्पनी लि०	श्री के० जूलियन स्काट
8. मै० सेन्डविक एशियन लि०	श्री ब्रियान एस० वोनेहम
9. मै० कालगेट पामोलिव (इन्डिया) प्रा० लि०	श्री एच० राय
10. मै० इन्डिया डुप्लीकेटर कम्पनी लि०	श्री डी० एन० सरकार

8—29 LSS/78

विवरण (दो)

उन कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सूची जो सूची 'क' के वेतन क्रम में थी (3500–4000 रुपये)

1. एयरचीफ मार्शल पी० सी० लाल
   अध्यक्ष,
   इंडियन एयर लाइन्स और एयरइंडिया ।

2. श्री एस० वी० एस० राघवन
   अध्यक्ष,
   भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ।

3. लेफ्टिनेन्ट जनरल, के० एस० ग्रेवाल
   अध्यक्ष
   कोल इंडिया लिमिटेड ।

4. एयर मार्शल, एस० जे० दस्तूर,
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
   हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०

5. श्री ए० सी० चटर्जी
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
   हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०

6. डा० एस० एम० पाटिल
   अध्यक्ष
   हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०

7. डा० एस० वर्दाराजन
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
   इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०

8. श्री आई० के० गुप्ता
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
   इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०

9. श्री के० सी० खन्ना
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
   कुदरेमुख आइरन ओर कम्पनी लि०

10. श्री एन० वी० प्रसाद

अध्यक्ष
आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन

11. रियर एडमिरल कृष्ण देव

उपाध्यक्ष
शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

12. डा० एस० सी० भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

13. श्री आर० वी० बिल्लीमोरिया

अध्यक्ष
स्टील अथारिटी आफ इंडिया

14. श्री के० वी० राघवन
अध्यक्ष
इंजीनियर्स इंडिया लि० (व्यक्तिगत वेतनमान)

15. श्री सी० आर० दास गुप्त

अध्यक्ष
इंडियन आयल कारपोरेशन

रेल लाइनों की सुरक्षा के लिए उपाय

1070. श्री शंकर सिंहजी वाघेला : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि हरचंद कोशिश के बावजूद रेलवे देश में रेल लाइन की पूरी लम्बाई की सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तोड़-फोड़ की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सम्पूर्ण रेल लाइन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) भारतीय रेलों का जाल 61,000 मार्ग किलोमीटर म फैला हुआ है। यद्यपि रेलपथ के प्रत्येक इंच की रक्षा करना रेलों के लिए कठिन है, तथापि रेलपथ की रक्षा करने वाले सिविल/पुलिस प्राधिकारियों की सहायता के लिए स्थानीय प्रशासनों के समन्वय से भेद्य क्षेत्रों में रेलपथ पर गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के लगभग 11,000 जवान और 14,000 गगमैनों को तैनात किया गया है। नियमित गश्त के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों की रक्षा अचानक जांच सुनिश्चत करने के लिए अनियमित अंतरालों पर गश्त द्वारा की जाती है। रेलवे

सुरक्षा दल और गैंगमैनों द्वारा भेद्य खंडों के रेलपथ की गश्त के अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने सुग्राही क्षेत्रों में राजकीय पुलिस कर्मियों/होम गार्डों/गांव के चौकीदारों द्वारा रेलपथ पर गश्त लगाने का काम आरम्भ कर दिया है। पंजाब और हरियाणा सरकारों ने ग्राम एवं छोटा कस्बा गश्त अधिनियम 1918 की धाराओं को लागू कर के ग्रामवासियों को रेल पथ पर निगरानी रखने के लिए आग्रह किया है। राज्य सरकारों ने आसूचना तन्त्र को भी तेज कर दिया है। जांच और आसूचना की सभी एजेंसियों के साथ-साथ आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय) के विशेष कक्ष से निकट सम्पर्क स्थापित किया जाता है। सभी स्तरों पर निरंतर उपलब्ध सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है, ताकि समन्वित प्रयासों में तोड़-फोड़ को रोका जा सके और ऐसे मामलों का पता लगाया जा सके। नवम्बर, 1977 से रेल पथ की गश्त लगाने वाले रेलवे सुरक्षा दल और गैंगमैनों द्वारा सही समय पर कार्रवाई करने से रेलपथ के साथ छेड़ छाड़ करने के 17 मामलों का शीघ्र ही पता लगा लिया गया, जिससे गम्भीर दुर्घटनाएं होने से बच गयीं।

न्यायाधीशों द्वारा मद्यपान न करने की शपथ

1071. **श्री शंकर सिंहजी वाघेला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के लिए भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों से कहा जाए कि उनकी नियुक्ति के लिए पूर्व शर्त यह होगी कि वे मद्यपान न करने की शपथ लें ;

(ख) क्या अब इस मामले में कोई अन्तिम विनिश्चय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अन्तिम विनिश्चय कब तक किया जाएगा और क्या इस नियम को नयी नियुक्तियों के अतिरिक्त भावी प्रोन्नतियों पर भी लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि उच्चतर न्यायापालिका में नई नियुक्तियों के मामले में उन व्यक्तियों से जिनको नियुक्त करने का प्रस्ताव है, यह घोषणा या वचनबन्ध करा लिया जाए कि वह (यथास्थिति) मादक पेय नहीं लेता है या न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मादक पेय नहीं लेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस प्रस्ताव पर अभी भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया जा रहा है। उनके उनके विचार जानने के पश्चात् अन्तिम विनिश्चय किया जाएगा। यह प्रस्ताव (स्थायी न्यायाधीश के रूप में) पुष्टि के या प्रोन्नति के मामलों को लागू नहीं है।

OVER AND UNDER BRIDGES NEAR PORBANDER AND OTHER STATIONS IN GUJARAT

†1072. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are still no over or under bridges at railway crossings near Porbander, Jamjodhapur, Dhoraji, Ranavav, Junagadh, Shapur-Koyali,

Vanthali, Bantwa and other cities in Saurashtra in Gujarat as a result of which many difficulties are being experienced in traffic passing through these crossings;

(b) when over under bridges would be constructed for the facility of the people of the aforesaid cities; and

(c) whether any programme has been chalked out therefor and if not, the reasons therefor and when a programme would be chalked out?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No road over or under-bridges have so far been constructed in replacement of level crossings in these cities. However, a road over-bridge near Rajkot is under construction and another at Junagadh is expected to be taken up in 1978-79.

(b) & (c) The question of construction of over or under-bridges in lieu of existing level crossings at all the cities referred to in (a) will be considered by the Railways after the State Govt./Local authority sponsors the proposals together with an undertaking to bear a portion of their initial and maintenance costs as per extant rules.

MEMORANDUM FROM WORKERS' UNION, O.N.G.C., BARODA

1073. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether a memorandum demanding bonus etc. has been submitted to Government on bhalf of Oil and Natural Gas Commission Workers' Union, Baroda and if so, when and the demands contained therein:

(b) the action taken or proposed to be taken by Government thereon; and

(c) the number of workers and employees on ONGC in the country according to this Mazdoor Sabha, Baroda?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) There is no union of the name of Oil and Natural Gas Commission Workers' Union, Baroda. It is presumed that the reference is to the O.N.G.C. Employees Mazdoor Sabha, Baroda. This Mazdoor Sabha submitted a Memorandum on 13-9-1977 regarding payment of additional bonus for 1975-76, proper promotion policy and recognition of unions only on regional basis.

(b) A settlement has since been reached between the Unions and the Oil and Natural Gas Commission in regard to the payment of additional bonus for 1975-76.

The ONGC has since set up a promotion policy Review Committee on which representatives of recognised unions are also represented.

Recognition of unions at regional level is permissible under the criteria for recognition of unions as laid down in the Code of Discipline. However, in view of the multiplicity of unions and the projects of ONGC being scattered all over India, it is difficult for ONGC to uniformly enforce this principle.

(c) As per the above mentioned memorandum of ONGC Employees Mazdoor Sabha there are about 24,000 employees working in the ONGC.

DEMAND FOR RUNNING A DIRECT TRAIN BETWEEN OKHA–JAMNAGAR AND DELHI

†1074. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) Whether the Muzaffarnagar Gujarati Samaj, Muzaffarnagar (U.P.) has submitted a demand for running a direct train between Okha-Jamnagar and Delhi and for extending the Okha-Mehsana train to Delhi and if so, the nature of the demand and when this demand was made;

(b) the action taken by Government thereon or whether action is proposed to be taken and if so, when; and

(c) whether one crore people of Saurashtra have been demanding this facility for the last twenty years and if so, action proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The Secretary, Muzaffarnagar Gujarati Samaj (U.P.) in his letter on 4-6-75 had requested for introduction of a direct train between Delhi and Jamnagar.

(b) & (c) Introduction of Delhi-Jamnagar/Okha train is at present not feasible for want of spare line capacity on various sections en route and of terminal facilities at Delhi Main. However, for the convenience of through passengers, one first class throngh service coach between Jamnagar and Delhi and one second Class 2-tier sleeper between Okha and Delhi are running at present by 1 Up/2 Dn Delhi-Ahmedabad Mails and connected trains.

REPRESENTATION BY GHEE FEDERATION OF GUJARAT STATE CHEMICALS AND DRUGGISTS ASSOCIATION, RAJKOT

1075. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether in September, 1977 Ghee Federation of Gujarat State Chemicals and Druggists Association, Rajkot (Gujarat) had submitted a representation to Government and if so, the nature of the demands made in the representation; and

(b) the nature of the demands, out them, the number acceded to and the number of demands remaining to be acceded to and the action proposed to be taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b) : The Federation of Gujarat State Chemists and Druggists Association, Rajkot in their representation submitted in July 1977 requested the Government to increase the margin of profit to the retailers and wholesalers in respect of drugs and pharmaceuticals and also urged individual pharmaceutical manufacturers and their Associations and the Government to chalk out a universal policy in respect of issuance of credit notes to the retail chemists.

While the question of the revision of margin of profit is linked with pricing of drugs pursuant to consideration of the recommendations of the Hathi Committee, the issuance of credit notes has to be considered by the pharmaceutical manufacturers/trade.

INDORE-BETUL RAILWAY LINE

†1076. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a survey of the Indore-Betul Railway line has been conducted by Government; and

(b) if so, further action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No survey has been carried out for a railway line between Indore and Betul.

(b) Does not arise.

STOPPAGE OF GANGA—CAUVERY EXPRESS AT BETUL

†1077. SHRI SUBHASH AHUJA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to provide for a stop of the Ganga-Cauvery Express train at Betul Railway Station in Madhya Pradesh; and

(b) if so, by what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Does not arise.

विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

1078. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विदेशी कम्पनियों का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उनके राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) असम आयल कम्पनी ।

(ख) असम आयल कम्पनी के अधिग्रहण सम्बन्धी बातचीत चल रही है ।

खड़गपुर और दीघा के बीच रेल लाइन

1079. श्री समर गुह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर के सागर तटीय पर्यटन केन्द्र दीघा से जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय से कई वर्षों से अनुरोध किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या दीघा के लिए पर्यटकों को संख्या में वृद्धि के अलावा मछली, नारियल, काजू, पान, चटाइयां और अन्य स्थानीय उत्पादों के निर्यात की संभावना खड़गपुर से दीघा तक रेल लाइन का विस्तार आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा ;

(ग) क्या सरकार दीघा के साथ रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण और उसकी आर्थिक क्षमता की जांच करने का कार्य करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दीघा और खड़गपुर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है ।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

1080. श्री समर गुह : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के कार्य में अपेक्षित प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना की क्रियान्विति में आने वाली बाधाओं सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(घ) हल्दिया में ऐसी पैट्रो-रसायन परियोजना के विकास के लिये केन्द्रीय अंशदान का स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने नेफथा क्रेकर और डाउनस्ट्रीम इकाईयों की स्थापना करके विभिन्न पेट्रो-रसायनों के उत्पादन हेतु एक आशय पत्र दिया था। उन्होंने अपने आवेदन पत्र में इस बात का प्रस्ताव किया था कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अंशदान, तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण लेकर और जनता से पैसा जुटा कर धन की व्यवस्था की जायेगी, और उन्होंने भारत सरकार से किसी प्रकार के अंशदान का प्रस्ताव नहीं किया था। इस आशय पत्र को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को भेज दिया गया है तथा उन्होंने इस आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने को सूकर बनाने के लिए अभी तक सम्भाव्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की बाधा की ओर सरकार का ध्यान नहीं किया गया है।

NEW EXPRESS TRAIN BETWEEN AGRA AND BOMBAY

†1081. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Central Railway propose to introduce any new express train between Agra and Bombay;

(b) whether a direct passenger train has not been introduced on this route for a number of years; and

(c) the time by which a new passenger train would be introduced on this route ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) Yes.

(c) Introduction of an additional train between Agra and Bombay V. T. is not at present operationally feasible for want of spare line capacity in some sections enroute and terminal facilities at Agra and Bombay V.T.

आई० डी० पी० एल०, शल्य उपकरण संयंत्र मद्रास के बारे में इन्डियन मैडिकल एसोसियेशन का प्रतिवेदन

1082. **श्री जी० एम० बनातवाला**
श्री मुख्तियारसिंह मलिक : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन मैडिकल एसोसिएशन ने मद्रास में आई० डी० पी० एल० के शल्य उपकरण संयंत्र के दौरे के पश्चात् अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या इस संयंत्र में बनाये जाने वाले उपकरण गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने वाले उपकरणों की तुलना में अधिक मूल्य के हैं ;

(ग) क्या संयंत्र ने प्रतिवर्ष वित्तीय घाटा दिखाया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) इन्डियन मैडिकल एसोसिएशन दल ने सूचित किया है कि शल्य चिकित्सा उपकरण संयंत्र द्वारा तैयार किए गए उपकरणों की किस्म संतोषजनक है, तथा उनके मूल्य मार्केट में गैर-सरकारी क्षेत्रीय संयंत्रों द्वारा निर्मित किए गए उपकरणों से बहुत अधिक हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने एक विशेष समिति गठित की है। इस समिति में आई० डी० पी० एल० के शल्य चिकित्सा और अन्य व्यक्ति शामिल हैं। यह समिति एस० आई० पी० में शल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए एक योजना तैयार करेगी और विपणन सहित सभी संबन्धित मामलों पर सुझाव देगी। समिति की रिपोर्ट अभी अभी प्राप्त हुई है।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा बनाई जाने वाली औषधियों की चिकित्सीय कुशलता

1083. श्री जी० एम० बनतवाला
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश के चिकित्सा व्यवसाय का एक वर्ग सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा बनाई जाने वाली औषधियों की चिकित्सीय कुशलता के बारे में संदेह प्रकट करता है तथा विदेशी कम्पनियों के उत्पादों को प्राथमिकता देता है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० की औषधियों का परीक्षण और प्रमाणन करने की स्वतंत्र व्यवस्था की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) हाल ही में आई० एम० ए० के कुछ दलों ने आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० के संयंत्रों का दौरा किया था और उन्होंने बताया है कि औषधों की गुणवता और आई० डी० पी० एल० के उत्पादों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों के मूल्यों में बहुत अन्तर होने के बावजूद आई० डी० पी० एल० के औषधों को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है क्योंकि अन्य कारणों के साथ-साथ चिकित्सा व्यवसाय के एक समुदाय में विदेशी औषधों की क्षमता के बारे में गहरी आस्था है।

(ख) और (ग) जी नहीं। आई० डी० पी० एल० के अपने गुण नियंत्रण उपाय पर्याप्त हैं। आई० एम० ए० के दलों ने स्वयं बताया है कि यह देखा गया है कि आई० डी० पी० एल० के संयंत्र औषध की प्रत्येक मद को न केवल भारतीय भेषज शास्त्र के स्तर पर बनाये रखते हैं अपितु वे ब्रिटिश, यू० एस० और यू० एस० एस० आर० के स्तरों के अनुरूप भी औषधों का स्तर बनाये रखते हैं। इस समय प्रत्येक मद और उत्पादन के प्रत्येक बैच के लिए दोहरी जाँच की प्रणाली विद्यमान

है। औषधों के स्तरों और उनकी जैव-उपलब्धता को हाफकिन संस्थान, बम्बई द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है। कुछ मदों के मामलों में आई० एम० ए० के दलों को आई० डी० पी० एल० का स्तर यू० एस० और यू० एस० एस० आर० के स्तरों से ऊंचा प्रतीत हुआ है।

बम्बई हाई में दैनिक उत्पादन

1084. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में इस समय दैनिक उत्पादन कितना है और कितने प्लेटफार्मों पर काम चल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि अशोधित तेल के बैरलों की दैनिक वसूली में कुछ वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) बढ़े हुए उत्पादन को तट तक लाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है तथा इसकी पाइप लाइन कब बिछाई जायेंगी ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क), (ख) और (ग) बम्बई हाई से कच्चे तेल का उत्पादन अब चार प्लेटफार्मों पर खोदे गये 16 कुओं से किया जा रहा है और प्रतिदिन 80,000 बैरल की उत्पादन दर प्राप्त कर ली गई है। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर उत्पादन की दर भिन्न-भिन्न होती है। फिर भी, प्रत्येक प्लेटफार्म से प्रतिदिन 16,000 बैरल की पूर्वानुमानित औसतन उत्पादन की अपेक्षा प्रत्येक प्लेटफार्म से प्रतिदिन 20,000 बैरल का औसतन उत्पादन हो रहा है।

(घ) कच्चे तेल को इस समय टैंकों द्वारा तट पर लाया जा रहा है। इस अशोधित तेल को लाने ले जाने के लिए अपेक्षित पाइप लाइन बिछाई जा रही है और उनके मई, 1978 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

महानगरीय परिवहन परियोजना कलकत्ता की प्रगति

1085. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता के कार्य निष्पादन कार्यक्रम की गति गत 3 महीनों में बहुत धीमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) महानगरीय परिवहन योजना (रेलवे) इस समय कितने सैक्शनों में कार्य कर रही है तथा प्रत्येक सैक्शन में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(घ) चालू वर्ष के दौरान और कितने सेक्शनों में कार्य आरम्भ किया जायेगा ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि कार्यकरण की गति धीमी होने का कारण धन धनराशि की कमी तथा कलकत्ता में महानगरीय परिवहन योजना (रेलवे) अधिकारियों के सहयोग तथा पर्यवेक्षण की कमी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सिविल इंजीनियरी के ठेके तैरह खंडों में दिये गये हैं और प्रत्येक खंड की प्रगति इस प्रकार है :—

खंड 1 (दमदम के निकट 0.93 कि० मी०) : यह एक उत्थापित खंड है और इस पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ।

खंड 2 (दमदम और बेलगछिया के बीच 0.922 कि० मी०): 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है ।

खंड 3-क (0.360 कि० मी० बेलगछिया स्टेशन) : 390 मीटर लम्बी मध्यपट दीवाल पूरी हो चुकी है ।

खंड 4 (सुरंग के लिए शाफ्ट नं० 1 का निर्माण): शाफ्ट का शोधन कार्य पूरा हो चुका है ।

खंड 4-क (चितुर यार्ड म 0.200 कि० मी०): यार्ड में मध्य पट दीवाल का निर्माण और रेल पथ को सहारा देने के लिए गर्डरों का निर्माण किया जा रहा है ।

खंड 10 (पार्क स्ट्रीट और एस्पलेनेड स्टेशन) : 674 मीटर लम्बी मध्यपट दीवाल पूरी हो चुकी है ।

खंड 11 (मैदान में 0.83): 441.30 मीटर मध्यपट दीवाल और 6 बाक्स पूरे हो चुके हैं ।

खंड 12 (मैदान स्टेशन और पहुंच मार्गों के लिए 0.85 कि० मी०): 35 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है ।

खंड 15 ख (श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड के साथ-साथ 0. 307 कि० मी०) : व्यवहार्यता मार्ग परिवर्तन के कार्यों की योजना बनायी जा रही है । इसके पूरा हो जाने पर वास्तविक काम शुरू किया जायेगा ।

खंड 16क (श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड के साथ साथ 0.215 कि० मी०) : मध्यपट दीवाल का निर्माणकार्य प्रगति पर है ।

खंड 16ख (बजबज शाखा रोड के अंतर्गत नीचे का पुल 0. 06 कि० मी०): पुल के दो स्पैनों में से एक स्पैन में 64. 20 मीटर मध्यपट दीवाल का काम पूरा हो चुका है ।

खंड 17 क (देशप्राण सासमल रोड के साथ साथ 0.84 कि० मी०) : दीवाल का निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका है ।

खंड 17 ख (टालीगंज क्लब के निकट 0.425 कि० मी०): प्रगति 60 प्रतिशत है।

(घ) चालू कैलेंडर वर्ष में 10 अन्य खंडों पर काम शुरू किया जायेगा ।

(ङ) और (च) : निधि की समग्र सुलभता से सामंजस्य बनाकर महानगर परिवहन परियोजना के प्राधिकारियों के सहयोग और पर्यवेक्षण में यह काम जारी है।

अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक निधि प्राप्त के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

TRAIN SERVICES BETWEEN RANCHI AND PATNA

†1086. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that existing train services between Ranchi and Patna are inadequate in view of increasing traffic between these stations at present; and

(b) if so, whether Government propose to introduce one more train between Ranchi and Patna ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) & (b) While there is a traffic demand, the proposal has been examined but not found operationally feasible due to strained line capacity on the Gomoh-Gaya and Bokaro Muri sections.

LATE RUNNING OF TRAINS

†1087. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of late running trains for the period March, 1977 to December, 1977 and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Total number of trains run and ran late on different zonal railways during the period March to December, 1977, are as under :—

Railway	Total number of trains run	Total number of trains ran late	Percentage of trains ran late
Central	3,39,392	32,413	9.5
Eastern	2,93,718	22,398	7.6
Northern	2,40,073	23,651	9.8
North Eastern	1,25,100	6,394	5.1
Northeast Frontier	45,104	2,113	4.7
Southern	2,48,991	14,772	5.9
South Central	76,811	11,672	15.1
South Eastern	74,923	2,368	3.1
Western	3,30,501	17,610	5.3

Punctual running of trains has been affected generally on account of factors, such as, alarm chainpulling, disconnection of hose-pipes by miscreants, heavy storm, rains, foggy weather, public agitations, accident/derailments and time loss due to loco and signal defects etc.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ढांचे तथा कार्यकरण का अध्ययन

1088. श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ढाचे तथा कार्यकरण का गहन अध्ययन करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में, उस संगठन में क्या कमियां हैं जिन्हें इस गहन अध्ययन द्वारा दूर किया जाना है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में लोक सभा में दिनांक 6-12-1977 के दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

रेलवे कार्य संचालन कुशलता तथा आर्थिक लाभप्रदता के बारें में अध्ययन

1089. श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की कार्य संचालन कुशलता तथा आर्थिक लाभप्रदता का कोई ज़ोनवार अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन ज़ोनों ने प्राय: अधिकतम कार्यकुशलता प्रदर्शित की है; और

(ग) इसमें पीछे रह जाने वाले ज़ोनों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे की परिचालन कुशलता और वित्तीय (आर्थिक) अर्थ सक्षमता की सम्बन्धित रेलवे के मुख्यालय तथा केन्द्रीय रूप से रेल मंत्रालय में भी बराबर समीक्षा की जाती है ।

2. रेल परिचालन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित कोई ऐसा एक सूचकांक या सूचकांकों समूह नहीं है जिससे रेल संचालन की समग्र कुशलता का अन्दाज़ा लग सके । रेल संचालन के विभिन्न पहलुओं जैसे चलस्टाक का अनुरक्षण तथा उपयोग, परिवहन की रफ्तार, सवारी गाड़ियों का समय-पालन ईंधन की खपत की दर तथा शंटिंग आदि जैसी आनुषंगिक सेवाओं, के लिए विभिन्न सूचकांकों को अपनाना आवश्यक है । रेल संचालन की कुशलता के सूचकांकों को रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य सोलह चुनिन्दा मदें नीचे दी गयी हैं :—

1. सेवा योग्य रेल इंजनों का प्रतिशत
2. सेवा योग्य सवारी वाहनों का प्रतिशत
3. सेवा योग्य माल डिब्बों का प्रतिशत

4. प्रतिइंजन दिन इंजन कि० मी० (सवारी) (उपयोग में)

5. प्रतिइंजन दिन इंजन कि० मी० (माल) (उपयोग में)

6. प्रति माल गाड़ी सकल टनभार (मीटरिक टन)

7. प्रति माल गाड़ी शुद्धमीटरिक टन (मी० टन)

8. प्रति माल डिब्बा दिन माल डिब्बा (कि० मी०)

9. प्रति माल डिब्बा दिन शुद्ध मी० टन कि० मी०

10. प्रति माल गाड़ी घंटासकलमी० टन कि० मी०

11. प्रति माल गाड़ी घंटा शुद्ध मी० टन कि० मी०

12. सवारी गाड़ियों द्वारा समय पालन (प्रतिशत)

13. प्रति 1000 सकल मी० टन कि० मी० (माल) (कोयले की) ईंधन की खपत के कि० गा०

14. प्रति 1000 सकल मि० टन कि० मी० (यात्री) (कोयले के) ईंधन खपत के कि० ग्रा०

15. प्रति 100 गाड़ी कि० मी० (सवारी और मिली जुली या समानुपात) शंटिंग कि० मी०

16. प्रति 100 गाड़ी कि० मी० (माल और मिली जुली का समानुपात) शंटिंग कि० मी०

प्रत्येक कार्य-सम्पादन का इन सूचकांकों के संदर्भ में अलग-अलग मूल्यांकन करने के अलावा 1952-53 के कार्य सम्पादन स्तरों को आधार मानकर 16 मदों में से प्रत्येक के सूचकांकों के औसतों के आधार पर एक समग्र परिचालन एवं कुशलता सूचकांक भी बनाया जाता है। 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के तीन वर्षों के लिए इस प्रकार बनाया गया परिचालन एवं कुशलता सूचकांक अनुबन्ध-1 में दिये गये हैं।

3. दिन प्रतिदिन के अनुश्रवण के अलावा, परिचालन कार्य तथा कुशलता की आवधिक परिचालन बैठकों, बोर्ड के सदस्यों की रेलों के मुख्य परिचालन अधीक्षकों, मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों तथा मुख्य बिजली इंजीनियरों के साथ होने वाली बैठकों तथा महाप्रबन्धकों को रेलवे बोर्ड के साथ होने वाले अर्धवार्षिक सम्मेलनों में आलोचनात्मक दृष्टि समीक्षा की जाती है।

4. वित्तीय अर्थसक्षमता पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रस्तुत मासिक / वार्षिक लेखा के आधार पर की जाने वाली मासिक वित्तीय समीक्षाओं और वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं की प्रणाणी के माध्यम से नजर रखी जाती है। इसके अलावा प्रत्येक रेलवे के कार्य संचालन का प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेखा बन्द किये जाने के बाद रेल मंत्रालय की कुशलता ब्यूरों द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में एक और विस्तृत वित्तीय समीक्षा की जाती है।

5. रेलों के वित्तीय कार्यसम्पादन की महाप्रबन्धकों के अर्धवार्षिक सम्मेलनों तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारियों के आवश्यक सम्मेलनों में उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के आधार पर विस्तार से समीक्षा की जाती है प्रत्येक रेलवे के साथ वार्षिक निर्माण कार्यक्रम

की बैठकों में वित्तीय कार्य-सम्पादन की प्रत्येक रेलवे द्वारा प्रस्तुत एकीकृत बजटों के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। निर्माण कार्यक्रम बैठकों में प्रत्येक रेलवे द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वित्तीय लक्ष्य रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ।

महाप्रबन्धकों द्वारा अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किये जाने वाले 10-दिन के आवधिक अर्ध-सरकारी रिपोर्ट के चुनिन्दा सूचकांकों के अन्तर्गत परिचालन तथा वित्तीय कार्य-स्पद न की समीक्षा के अन्य साधन हैं।

7. परिचालन कुशलता और वित्तीय कार्य-सम्पादन दोनों के सम्बन्ध में भी आवश्यक हो उपर्युक्त स्तरों से अनुदेश मार्ग निर्देशक सिद्धान्त जारी किये जाते हैं।

8. सभी क्षेत्रीय रेलों की परिचालन तथा वित्तीय कार्यसम्पादन की कुशलता समान नहीं हो सकती। अलग-अलग रेलों पर यह अलग-अलग होती है जो आमान भिन्नता, यात्री-माल भिन्नता, यातायात के स्वरूप (प्रारम्भिक, पर्यन्त, क्रास यातायात), यातायात की रचना यातायात के घनत्व, कर्षण के साधन, रेलवे की स्थूल विशेषताओं आदि पर निर्भर करती है । ऐसी परिस्थितियों में एक रेलवे के कार्य-सम्पादन की तुलना दूसरी रेलवे के कार्य-सम्पादन के साथ करना ठीक नहीं होगा । प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के लिए इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और ऐसे लक्ष्यों को सामने रख कर कार्यसम्पादन पर नजर रखी जाती है । न केवल स्थूल कार्यसम्पादन बल्कि वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा की जाती है।

अनुबन्ध-1

क्षेत्रीय परिचालन एंव कुशलता सूचकांक

वर्ष	मध्य	पूर्व	दक्षिण-पूर्व	उत्तर	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर सीमा	दक्षिण	दक्षिण मध्य	पश्चिम
1952-53	100	100	100	100	100	100	100	100	100
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*		*			*		*		*
1974-75	119	102	127	113	125	126	120	113	128
1975-76	122	109	135	119	124	134	123	115	127
1976-77	132	112	145	126	137	141	124	114	132

बज-बज-नायखाना रेल लाइन

1090. श्री चित्त बसु : क्या रेल मंत्रीय ह बताने की कृपा करेंगे कि बज-बज नायखाना रेल-लाइन का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : संरेखण को अन्तिम रूप देने और परियोजना की नवीनतम लागत निर्धारित करने के लिए इस लाइन के अन्तिम स्थान सर्वेक्षण को 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

PROPOSAL TO AMEND THE REPRESENTATION OF PEOPLES ACT

†1091. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring amendments in the existing Representation of People's Act; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NAR SINGH) : (a) and (b) Various proposals for amendments in the Representation of the People Acts 1950 and 1951 are under examination. As the proposals require deep study and careful consideration, some more time will be taken by the Government to arrive at decisions on the proposals. The proposals relate to subjects like maintenance of up-to-date electoral rolls, avoidance of misuse of official authority and machinery at elections, removal of corrupt practices and money power at elections, reduction of election expenses, quick disposal of election petitions, etc.

बरेली शाहजहाँपुर सैक्शन पर तोड़फोड़ मामले का पता लगना

1092. श्री आर० वी० स्वामी नाथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरेली-शाहजहांपुर सैक्शन पर छनेती और रसूया के बीच उत्तर रेलवे के स्थायी मार्ग निरीक्षण ने तोड़फोड़ के एक सम्भावित मामले का 23 दिसम्बर 1977 को पता लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल कर्मचारी ने यह देखा था कि रेल लाइन की पश्चिमी पटरी 4 मि० मी० और से काटी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या पुलिस ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) क्या 23 दिसम्बर, 1977 को इस रेल लाइन पर तोड़फोड़ की यह बारहवीं घटना थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) 22-12-1977 को कीमैन को उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के शाहजहांपुर बरेली खंड के चनेहटी और रसुइया के बीच कि० मी० 1299 16-1300 पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेलपथ के साथ छेड़छाड़ किये जाने के एक मामले का पता चला।

(ख) रेलपथ का डाउन पश्चिमी किनारा 4 मि० मी० गहरा कटा पाया गया जो सम्भवतः हैकशा ब्लैड से काटा गया था।

(ग) पुलिस स्टेशन बिठुरी चैनपुर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में 23-12-1977 को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 के अधीन अपराध सं० 178 का एक मामला दर्ज किया गया है।

(घ) मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) 1977 के दौरान तेइस दिसम्बर तक उत्तर रेलवे पर भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 के अधीन पुलिस द्वारा दर्ज यह तोड़फोड़ का 14वां मामला है।

ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्रों द्वारा उत्पादन

1093. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्रों ने उत्पादन शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें उत्पादन कब शुरू हुआ है ;

(ग) इन संयंत्रों का वार्षिक उत्पादन कितना होगा; और

(घ) इन संयंत्रों में विदेशी वचनबद्धतायें कहां तक है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्रों में से मेंगल विस्तार ने जिसकी 1.52 मि० टन नाइट्रोजन की उत्पादन क्षमता है, जनवरी, 1978 से परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है। साधारण सामग्री के रूप में ईंधन तेल पर आधारित पांच अन्य उर्वरक संयंत्र, जो नीचे दिखाये गये हैं, कार्य वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इन संयंत्रों में विदेशी वित्तीय सहयोग कोई नहीं हैं। प्रत्येक मामले में परियोजना लागत का विदेशी मुद्रा अंश नीचे कालम 4 में दिखाया गया है।

क्रम० सं०	स्थान को शामिल करते हुए परियोजना का नाम	पौस्टिक नाइट्रोजन के रूप में वार्षिक क्षमता (1000 मि० टन में)	अनुमानित विदेशी मुद्रा अंश (करोड़ रुपयों में)
सरकारी क्षेत्र			
1.	विस्तार परियोजना . .	152	51.00
2.	सिन्दरी (आधुनिकीकरण योजना) .	129	53.71
3.	हल्दिया	152	42.96
4.	भटिंडा	235	56.50
5.	पानीपत	235	48.21
गैर सरकारी क्षेत्र			
1.	भड़ोच (मैसर्स गजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी लि०) . . .	273	80.00

GENERAL MANAGER, N.E. RAILWAY

1094. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the file of the General Manager, North Eastern Railways, was examined before his promotion;

(b) whether it is a fact that there were adverse comments in his confidential report to the effect that he should not be given any promotion in future;

(c) if so, the reasons for giving him promotion despite those comments; and

(d) whether it is also a fact that Central Bureau of Investigation had conducted an enquiry against the above officer in 1969 and he was transferred to another Railway on being found guilty; and if so, the reasons for promoting him as General Manager of North Eastern Railway ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes. The service record of the officer was examined before his promotion was approved by the Appointments Committee of the Cabinet.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Two cases—one in 1961 and the other in 1969—were investigated against this officer by the Central Bureau of Investigation. In one case, he was administered an oral warning due to his failure to exercise proper vigilance in the matter of award of contract to a contractor and in the other certain procedural irregularities found on investigation were brought to his notice. No *mala fide* was established in either of the cases.

Facts of the case: On 18th January, 1978, 8 slabs of white metal scrap weighing 194.5 Kgs. were received in Stores Depot, Samastipur from Mechanical Workshop there. As the slabs were found to contain admixtures, a critical examination was conducted and it was found that 180.0 Kgs. was correct material and the remaining 14.5 Kgs. was sand dross iron dust. As a result, all scrap white metal received from the Mechanical Workshop, Samastipur from March, 1977 onwards weighing 1253.5 Kgs. was checked and found to contain 65.43 Kg. dust/dross. The Book average rate being rupee one per Kg., total loss involved is Rs. 65.43 only. Appropriate action in the matter is already being taken by the Railway Administration.

उत्तर-पूर्व रेलवे के इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में चयन नियमों का कथित पालन न किया जाना

1095. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे में इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में से द्वितीय श्रेणी के लिए चयन करने में नियमों का पालन न करने का क्या कारण है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व रेलवे में वर्ष 1973—75 और 1976 में सहायक इंजीनियर द्वितीय श्रेणी के चयन के मामले में नियमों तथा प्रक्रियाओं को नजरअन्दाज किया गया और सम्बन्धित चयन बोर्ड के अधिकारियों ने प्रश्नपत्रों को उचित रूप से नहीं देखा जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों द्वारा अनियमितता की शिकायतें और व्याप्त करने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हस्तक्षेप करना पड़ा; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर हां में हैं तो उनका विचार इस तरीके में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है और ऐसे चयन संघ लोक सेवा आयोग अथवा रेलवे बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष क्यों नहीं कराये जा सकते ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1973—75 और 1976 में श्रेणी II में पदोन्नति के लिए चयन वर्तमान नियमों के अनुसार किया गया था और इस बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

EMPLOYEES OF COMMERCIAL DEPARTMENT, IZZATNAGAR DIVISION, N. E. RAILWAY

†1096. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the pay of some "Parichayakon" and class III employees of commercial Department in Izzatnagar division of North East Railway has been withheld on the plea of forced leave whereas these employees had not applied for any leave;

(b) whether it is a fact that he gave orders to the concerned officers not to get the quarters vacated due to studies of the children of some employees; and

(c) if so, the action being taken by Government against officers for not obeying his orders and for violating rules ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a), (b) and (c). There is one employee working at Kasganj who made a request to the Minister of State for Railways through the Hon'ble Member in Nov. 1977 for special permission to retain the railway quarter at Farukhabad due to schooling of his children. Orders were communicated to the Railway to accede to this request till the end of the present scholastic session. Subsequently it came to light that based on his earlier request for a quarter at Kasganj, he was allotted a quarter at Kasganj, the place of his duty, in Aug. '77. Since the possession of a railway quarter both at his place of duty and at another place is not regular, he was called upon to vacate the quarter at Farukhabad. The employee instead of complying with the directive, vacated the quarter allotted to him *at Kasganj on* 14-2-78. As the quarter at Farukhabad had been unauthorisedly occupied by him, the matter regarding his further continuance of the quarter is under consideration of the Government.

As regards the forced leave, it is mentioned that the employee's attendance is not shown in the records for the period from 6-12-77 to 13-2-78 and as such no pay could be drawn for this period.

पूर्व रेलवे में नैमित्तिक कमर्शियल क्लर्कस

1097. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आल इण्डिया रेलवे कमर्शियल क्लर्कस एसोसियेशन की हावड़ा डिवीजन की 18-12-77 को हुई वार्षिक बैठक में पारित संकल्प की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पूर्व रेलवे में स्वैच्छिक आधार पर नैमित्तिक कमर्शियल क्लर्कस प्रणाली आरम्भ की गई है जो बहुत ही अनुचित श्रम संबंधी प्रथा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) व्यस्त स्टेशनों पर भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान, प्रति घंटा पारिश्रमिक पर, 5 रुपये तक के मूल्य की टिकटों की बिक्री के लिए विद्यार्थी स्वयंसेवकों का उपयोग किया जाता है । ऐसे स्टेशनों पर केवल व्यस्ततम अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूर्णकालिक बुकिंग क्लर्कों को लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अंशकालिक सहायता के रूप में विद्यार्थी स्वयंसेवकों का उपयोग अपर्याप्त नहीं समझा जाता ।

पूर्व रेलवे में अप्रशिक्षित स्वयंसेवकों का उपयोग

1098. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पूर्व रेलवे में अप्रशिक्षित स्वयंसेवकों (कमर्शियल क्लर्कों) के उपयोग का अर्थ है मजूरी को कम करना तथा सामान्यतया कर्मचारियों को प्रतिशत के आधार पर पदोन्नति से वंचित करना; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) व्यस्त स्टेशनों पर भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान प्रति घंटा पारिश्रमिक पर, 5 रुपये तक के मूल्य की टिकटों की बिक्री के लिए विद्यार्थी स्वयंसेवकों का उपयोग किया जाता है । ऐसे स्टेशनों पर केवल व्यस्ततम अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूर्णकालिक बुकिंग क्लर्कों को लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अंशकालिक सहायता के रूप में विद्यार्थी स्वयंसेवकों का उपयोग अपर्याप्त नहीं समझा जाता ।

CHECKING OF RAILWAY ACCIDENTS BY RAILWAY PROTECTION FORCE

†1099. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there have been serious train accidents despite the existence of Railway Protection Force;

(b) whether it is also a fact that Railway Protection Force neither suggested the safety measures nor acted efficiently to avert/control these accidents; and

(c) the annual expenditure incurred on this organisation and whether Government propose to disband the organisation, which is of no utility ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b). Acts of Sabotage are law and order problems within the purview of the law enforcement agencies of the State Governments. Railway Protection Forceis not required to suggest safety measures. The Force is meant for the protection of railway property and investigation of offences relating to Railway Property (Unlawful Possession) Act. As many as 11000 personnel of this Force have been deployed on track patrolling duties beyond their normal schedule of duties.

(c) The annual expenditure on this organisation is Rs. 27,83,25,831/-. There is no proposal to disband this organisation.

APPOINTMENT IN RAILWAYS IN SPORTS QUOTA

†1100. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of ad hoc appointments made in Sports quota during the emergency period;

(b) whether it is also a fact that most of the appointed persons have almost no knowledge of sports; and

(c) whether the selection of these persons was made through any sports organisation, the number thereof and the amount paid to them as salary ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) About 200.

(b) Most of them did not fulfil the standards of proficiency in sports laid down.

(c) Only a preliminary test was held in some cases by the Railway Sports Associations. They were paid the full salary and allowances of the posts in which they were appointed.

Government have referred all such cases to Railway Service Commissions for determining their suitability for the appointments.

PROVISION OF BUNGALOW AND A PEON FOR DY. HEAD

†1101. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the procedure already in practice there is a provision to provide a bungalow and a peon to a Dy. Head or a person of equivalent rank;

(b) the basis on which the provision for providing a bungalow and a peon has been made and whether it is a fact that these peons work like domestic servants;

(c) whether it is also a fact that there is no such provision in any Ministry even for a Dy. Secretary; and

(d) if so, whether Government propose to do away with this provision and absorb such persons in other works in Railways ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Residential accommodation, on payment of rent, or house rent allowance in lieu, is provided to officers ond staff on the Railways as for other Central Government personnel. On the Zonal Railways a few officers who have to be on call for 24 hours a day and have to attend to accidents or other emergencies, are allowed the assistance of a bungalow peon. The number of officers provided such assistance is about a thousand out of a total of 9,000 officers. The entitlement is not dependent entirely on the rank of the officer but by his duties.

(b) These peons are not expected to work like domestic servants but only to attend to Railway work.

(c) Officers such as Deputy Secretaries in Ministries are not likely to be called upon to attend to accidents and emergencies. Hence they are not provided with such assistance. In the Railway Ministry also no officer is provided with a bungalow peon.

(d) The Third Pay Commission had recommended abolition of the system of providing bungalow peons to individual officers on the Railways. Government have had this matter examined by a committee of senior officers. The findings of this committee are being processed and a decision in the matter will be taken soon.

VARIATION IN PAY SCALES OF UDCs HEAD CLERKS AND CHIEF CLERKS

†1102. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will he Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees working as U.D.C., Head Clerk. Chief Clerk in various Departments of Railways are getting different pay scales *viz.* UDC 260–400, 330–560. H.C. 425–700 and Chief Clerk 550–750; and

(b) the reasons of variation in these scales and discrimination in salaries for the same work and the same posts and the steps taken to bring uniformity in such cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The scales of pay allotted as per recommendations of Third Pay Commission are as under :

Lower Division Clerk	Rs. 260–400
Upper Division Clerks	Rs. 330–560
Head Clerks	Rs. 425–700
Chief Clerks (1/3rd)	Rs. 425–700
Chief Clerks (2/3rd)	Rs. 550–750

(b) Different scales of pay have been recommended by the Pay Commission at different levels on the basis of duties and responsibilities. As for Chief Clerks, 1/3rd of the posts have been allotted the scale of Rs. 425–700 and the balance 2/3rd the scale of Rs. 550–750 as a measure of rationalisation of the scales of pay in various Central Government Departments in the clerical cadres as a whole.

रेलवे में हड़ताल

1103. **श्री के० मायातेवर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में श्रमिकों में फिर से असन्तोष पैदा हो रहा है और गरीब कमजोर और पिछड़े हुए लोगों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार सत्ता में होने के बावजूद फिर से बड़े पैमाने पर हड़तालें होने की सम्भावनाएं हैं ;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति के अधिक बिगड़ जाने से पहले ही मामलों को स्पष्ट मूल्यांकन किया है और कार्यवाही करने के लिये एक सुदृढ़ नीति बना ली है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) एक संघ कार्यकारिणी समिति ने, जिससे रेल कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों का एक दल सम्बद्ध है, अपने से सम्बद्ध यूनियनों से कहा है कि हड़ताल की पर्ची डालने का निर्णय का समर्थन करने के लिए वे अपने-अपने संविधान के अनुसार उपयुक्त समितियों की बैठकें बुलायें और इस काम को अप्रैल, 1978 के अन्त तक पूरा कर दें।

एक अन्य संघ की आम परिषद् ने जिससे मान्यता प्राप्त संघों का एक अन्य दल सम्बद्ध है, अपने से सम्बद्ध संघों से कहा है कि आम हड़ताल से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए मार्च, 1978 के अन्त तक बैठकें करें और किये जाने वाले संघर्ष के स्वरूप पर विशेष सिफारिशें संघ की आम परिषद्/कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ भेजें ताकि हड़ताल की तारीख निर्धारित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह देखने में आया है कि दूसरी यूनियनें भी सीधी कारवाई आदि के लिए प्रस्ताव पारित कर रही हैं।

दोनों मान्यता प्राप्त संघों से विचार विमर्श किया गया है और उठाये गये विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में सरकारी दृष्टिकोण विस्तृत रूप से स्पष्ट किर दिया गया है। अनेक मामलों में पहले ही विचार-विमर्श हो चुका है और उन्हें सूचित किया जा चुका है।

रेल मंत्री जी ने भी कुछ संसद सदस्यों और कर्मचारियों के कुछ अन्य प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया है।

सरकार इस पर निगरानी रख रही है और यह आश्वासन देना चाहती है कि वार्तालाप और समझौते का द्वार सदैव खुला है।

'नवभारत' द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन

1104. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि रायपुर, नागपुर, जबलपुर, भोपाल और इन्दौर से एक साथ प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्र 'नवभारत' के मालिक एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं का केन्द्र बन गए हैं;

(ख) क्या कम्पनी अधिनियम, एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम और समाचार-पत्र अर्थव्यवस्था संबंधी भामातोष दत्त समिति के प्रतिवेदन का उल्लघंन करके इस प्रतिष्ठान की अतिरिक्त आय अन्य उद्योगों में लगायी जा रही है तथा उसका अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या विशिष्ट आरोप लगाये गए हैं; और

(घ) उन आरोपों पर यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ) एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने 'नवभारत' के स्वामी मैसर्स रामगोपाल महेश्वरी एण्ड संस के विरुद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 37 के साथ पठित धारा 10 (क) (4) के अन्तर्गत 29-9-75 को नवभारत के नागपुर, जबलपुर, भोपाल, रायपुर और इन्दौर के संस्करणों में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए संयुक्त/मिश्रित विज्ञापन दरों के निर्धारण करने और लेने के जबकि विज्ञापनदाता कथित समाचार-पत्र के संस्करण की केवल एक या अधिक में, जैसा भी मामला हो, विज्ञापन को प्रकाशित कराना चाहता हो तथा अन्य संस्करण में नहीं, द्वारा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा में ग्रस्त होने के आरोप के लिए जांच गठित की थी। इसके साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि इस व्यापार प्रथा से उपभोक्ताओं (विज्ञापनदाताओं) पर अनुचित लागत या प्रतिबन्ध थोपे गये थे।

आयोग ने 12 अप्रैल, 1977 को आदेश दिया और मैसर्स रामगोपाल महेश्वरी एण्ड संस ने आयोग के आदेशों का अनुपालन करते हुए अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये जो ठीक पाये गये। मैसर्स रामगोपाल एण्ड संस कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी किन्तु स्वामित्व फर्म है। इसलिये कम्पनी कार्य विभाग के पास फर्म के अधिशेष राजस्व अधिकांश के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि उनके पास इस मामले में कोई सूचना नहीं है और समाचार-पत्र पर तथ्य निष्कर्ष समिति (भवीतोष दत्त समिति) की रिपोर्ट अभी भी परीक्षाधीन है।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

1105. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, श्री ज्योतिर्मय बसु ने पश्चिम बंगाल की दो महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं यथा, कल्याण रेलवे स्टेशन से कल्याणी टाउनशिप तक रेल लाइन बढ़ाने और डम-डम बोनगांव रेल लाइन को दोहरा करने पर योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन के अनुमोदन हेतु उन्हें 21 नवम्बर, 1977 को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखा था,;

(ख) क्या उक्त पत्र की एक प्रति उन्हें भी भेजी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के पत्र पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) कल्याणी स्टेशन से कल्याणी टाउनशिप तक रेलवे लाइन के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना 1978-79 के बजट में शामिल कर ली गयी है। जहां तक दम-दम-बोगांव लाइन को दोहरी करने का सम्बन्ध है, मुख्यमंत्री को 10-1-1978 को उत्तर दे दिया गया था कि इस मामले पर कारवाई की जा रही है और योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय परामर्श से विनिश्चय किया जायगा ।

स्वदेशी काटन मिल्स के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम

1106. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के वर्तमान निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इसके मूल शेयरधारियों का पूरा ब्यौरा क्या है और प्रत्यक के पास कितने कितने प्रतिशत तथा कितने मूल्य के शेयर हैं ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कम्पनी के प्रबन्धकों ने कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके अनेक गम्भीर अनियमितताएं की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1651/78)

BROAD GAUGE LINE FROM BARAUNI TO KATIHAR

†1107. **SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV** : Will the Minister of **RAILWAYS** be pleased to state :

(a) whether the construction of a broad gauge line from Barauni Junction to Katihar is proposed to be undertaken; and

(b) if so, whether any time schedule has been laid down therefor and the total amount earmarked for his scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) Conversion from metre gauge to broad gauge of Barauni-Katihar section at an estimated cost of Rs. 20 crores with an initial outlay of Rs. 100 lakhs has been included in the Railway Budget for 1978-79. Completion of this conversion project would depend upon the availability of funds from year to year.

FISHING RIGHTS BETWEEN PASRAHA AND NARAYANPUR STATION

1108. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV :Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether fishing rights in the waters between Pasraha and Narayanpur Railway stations on Mansi-Katihar section of North Eastern Railway are granted by the Railway Authorities by inviting tenders every year;

(b) if so, whether Government propose to grant any rebate to the Matsyapalan Sahyog Samiti (Fisheries Cooperative Society) on the highest bid; and

(c) whether it is a fact that the big enterpreneurs in collusion with Railway Authorities do not allow the Matsyapalan Sahyog Samiti to procure these rights. If so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Fishing rights in waters between Pasraha and Narayanpur Railway stations are granted once in 3 years by inviting public tenders.

(b) Does not arise as the Matsyapalan Sahyog Samiti (Fisheries Cooperative Society) did not participate in the tender.

(c) No.

काटपाड़ी-तिरुपति मोटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना ।

1109. **श्री पी० राजगोपाल नायड्ः** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काटपाड़ी-निरूपति मोटर गज लाइन को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए सरकार के पास कोई अभ्यावेदन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभ्यावेदन पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) संसाधनों की कमी तथा पर्याप्त यातायात औचित्य न होने के कारण इस परियोजना को फिलहाल हाथ में लेना कठिन होगा ।

विजयवाड़ा-मद्रास रेल लाइन का विद्युतीकरण

1110. **श्री पी० राजगोपाल नायड्ः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा से मद्रास, तक रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नाराय): (क) जी हां ।

(ख) 31-12-1977 को इस परियोजना पर प्रगति की जैसी स्थिति थी, वह नीचे दी गयी है :--

खंड	प्रगति का प्रतिशत
1. विजयवाड़ा-गुडूर	58%
2. गुडूर-मद्रास	51%

आशा है, यह परियोजना 1979-80 तक पूरी हो जायगी।

न्यायाधीशों का उनके मूल राज्यों में स्थानान्तरण

1111. **श्री पी० राजगोपाल नायडू:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सभी उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का, जो अन्य राज्यों के हैं, उनके मूल राज्यों में स्थानातरण कर दिया गया था ; और

(ख) क्या सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि अब से उच्च न्यायलय के न्यायधीशों का अन्य राज्यों में स्थानातरण नहीं किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) आपातकाल के दौरान सतह न्यायाधीशों को (जिनमें दो मुख्य न्यायाधिपति भी हैं) उनकी सहमति के बिना स्थानातरित किया गया था। इनमें से एक न्यायाधीश सेवा निवृत्त हो गए थे और दो अन्य न्यायधीशों ने उन्हीं उच्च न्यायालय में बने रहने का अपना अधिमान दर्शित किया था जिनमें उन्हें स्थानान्तरित किया गया था। दस न्यायाधीशों को (जिनमें दो मुख्य न्यायाधिपति भी हैं) पुनः उनके मूल उच्च न्यायालयोंमें स्थानान्तरित कर दिया गया है, जब कि एक न्यायाधीश को उनकी इच्छानुसार एक पड़ोसी उच्च न्यायलय में स्थानातरित कर दिया गया है। शेष तीन न्यायधीशों के मामलों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

बम्बई में यूनियन कार्बाइड के एकक की स्थापना करना

1112. **श्री पी० के कोडियन:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बइड का बाम्बे हाई तथा बसंई तट-दूर तेल क्षेत्रों से मिलने वाली विपुल गैस का उपयोग करके वम्बई में अपने वर्तमान पेट्रोरसायन उद्योग समूह में उच्च तथा निम्न घनत्व के पेलिथीलीन बनाने के लिये एक एकक की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां।

(ख) बम्बई हाई में सम्बद्ध गैस की मात्रा का अध्ययन करने और पेट्रोरसायन के उत्पादन में इस बहुमूल्य प्राकृतिक साधन के अनुकूलतम प्रयोग के सम्बन्ध में सिफारिशें देने के लिए, सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना है। मैसर्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के आवेदन पत्र पर इस समय कार्यवाही बन्द कर दी गई है, और इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के अनुसार, इस मामले पर पुनः विचार किया जायगा।

सदन की बैठक के लिए प्रश्न

भारतीय उर्वरक निगम के हिसाब में गड़बड़ी

1113. **डा० बापू कालदाते:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक संघ निगम के हिसाब में कुछ गड़बड़ी पाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का व्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों में 1000 रुपये और इससे अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति

1114. **श्री आर० के० महालगी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कम्पनियों की संख्या और नाम एकत्रित किये हैं जिनकी सेवा में 1000 रुपये तथा इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इस सूचना में उन कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले अन्य भत्तों का भी उल्लेख है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग): इस देश में 8000 सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां और 38000 निजी क्षेत्र की कम्पनियां हैं। इन कम्पनियों में से बृहत् बहुमत में कम्पनियां अपनी सेवा में 1000 रू० और अधिक तथा साथ में भत्तों पर व्यक्ति रखेंगी। परिमाण के अनुसार सूचना एकत्र करना व्यवहार्य नहीं है।

रेल निर्माण कार्यक्रम

1115. **श्री आर० के० महालगी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में रेल निर्माण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है :

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में कौन-कौन सी रेल लाइन पूरी की गई ;

(ग) किन-किन रेल स्टशनों को नया रूप दिया गया अथवा कौन-कौन से नये स्टेशन बनाये गये ; और

(घ) कहां-कहां प्लेटफार्म बनाये गये तथा पुरानों का विस्तार किया गया तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) एक विवरण सलंग्न है ।

(ग) 18 स्टेशनों के ढांचों में परिवर्तन किया गया अथवा उनका नयें सिरे से निर्माण किया गया ।

(घ) 22 नये प्लेटफार्म बनाये गये और 17 प्लेटफामों का विस्तार किया गया ।

विवरण

1977—78 के दौरान, दिसम्बर, 1977 तक तक 270 किलोमीटर लम्बी निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों को पूरा किया गया और उन्हें यातायात के लिए खोला गया :—

1. गोहाना-पानीपत बड़ी लाइन
2. शहदरा-बागपत रोड़ लाइन
   (शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन का भाग)
3. गुना-मक्सी बड़ी लाइन
   (यात्री यातायात के लिए)

निम्नलिखित 3 नयी रेलवे लाइनों सहित जो 1977—78 के बजट में शामिल की जा चुकी थी, कुल 200 किलोमीटर लम्बी 28 नयी रेलवे लाइनों का निर्माण इस समय प्रगति पर है:—

1. मिरचाधुरी से जयंत
2. भद्राचलम से मनुगुरू
3. उखाड़ी गयी पाम्बन-धनुषकोडि रेल लाइन का पुनः स्थापन ।

गुजरात समुद्र तट पर गैस पाया जाना

1116. **श्री लखन लाल कपूर : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के समुद्र तट पर पट्रोलियम गैस पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) तथा (ग) गुजरात तट के समुद्री क्षेत्र में दक्षिण ताप्ती संरचना में खोदे गये कुएं में 1750 से 2070 मीटर की गहराई में गैस के संकेत मिले ह। इस कुंए में अभी परीक्षण किये जा रहे हैं। कुछ मूल्यांकन कुंओं को खोदने के पश्चात ही यह पता लगेगा कि इस संरचना का कोई वाणिज्यिक महत्व है अथवा नहीं है।

रेलों का विद्युतीकरण

1117. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली से अन्य स्टेशन तक रेल का विद्युतीकरण करने का क्या कार्यक्रम है;

(ख) वर्ष 1978–79 के दौरान दिल्ली में और अधिक हाल्टिग स्टेशनों की व्यवस्था करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है;

(ग) दिल्ली में स्टेशनों की दशा को सुधारने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या यह सच है कि स्टेशनों पर बहुत अधिक भीड़-भाड़ रहती है और वहां गन्दगी फैली रहती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसको हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नाराय) : (क) कोई नहीं।

(ख) स्टेशनों की व्यवस्था परिचालनिक आवश्यकताओं, यात्रियों की मांगों, यातायात की जरूरतों, आदि को ध्यान में रखकर की जाती हैं, बशर्ते कि ऐसा करना वाणिज्यिक दृष्टि से उचित और परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया जायें। वर्ष 1978–79 के लिए ऐसा कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है।

(ग) दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न स्टेशनों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य किये जा रहे हैं :

(i) फल, सीमेंट और साफ्ट कोक के यातायात को नयी दिल्ली से हटाकर क्रमशः आजादपुर, शकूरबस्ती और तुगलकाबाद ले जाना।

(ii) दिल्ली परिहार लाइन की लाइन क्षमता सुधारने के उद्देश्य से लाजपत नगर स्टेशन को पार-स्टेशन बना दिया गया है।

(iii) नयी दिल्ली स्टेशन पर अतिरिक्त द्वीप प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने और समतुल्य टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था करने का काम शुरू कर दिया गया है।

(iv) फ्लोरोसेंट ट्यूब लेम्पों की व्यवस्था करके रोशनी की बेहतर और परिष्कृत व्यवस्था ।

(v) शीतल जल की सुविधा के लिए दिल्ली, नयी दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशनों पर बड़े-बड़े जल शीतलों की व्यवस्था करना ।

(घ) और (ङ) दिल्ली महानगर होने के कारण दिल्ली में आने वाले यहां से जाने वाले दैनिक यात्रियों के भारी यातायात के अलावा, अत्यधिक भीड़-भाड़ के समय दिल्ली में सुबह-शाम गाड़ियों का जमघट हो जाता है। स्टेशनों की सफाई के लिए स्टेशनों पर धुलाई और झाड़ू लगाने की पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है।

DELETION OF RIGHT TO PROPERTY FROM FUNDAMENTAL RIGHTS

†1118. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision to make amendment in the Constitution to take away the rights to property from the Fundamentl Rights and to provide for the right to work, if not, the reasons therefor and if so, by what time; and

(b) whether Government propose to fulfil this promise made by Janata Party in the Lok Sabha Elections Manifesto and if not, the reasons therefor and if so, by what time ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) and (b) The implications of the proposal to delete the right to property from the Fundamental Rights, are under examination and Government will take a decision after this examination is over.

Government will fulfil the assurance given in the Janata Party's Manifesto 'to affirm the right to work and a full employment strategy' by adopting an employment oriented strategy through appropriate economic policies which will promote self-employment and provide employment.

न्यायाधीशों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

1119. श्री बी० सी० काम्बले: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, (ii) सभी राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, (iii) सभी राज्यों में जिला न्यायाधीशों, (iv) रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, (v) जिला स्तर और उच्च न्यायालय स्तर पर सरकारी वकीलों के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कितने प्रतिशत पदों को आज तक वस्तुतः भरा गया है ; और

(ख) जो कमी रह गई है उसे सरकार किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के उपबंधों के अनुसार

की जाती हैं और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण अधिकथित नहीं किया गया है।

जिला न्यायाधीशों, रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों और सरकारी वकीलों की बाबत जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से इस बात का अनुरोध किया जा चुका है कि वे न्यायिक और अपने अधीन अन्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के लिए उपबंध करने के कारगर उपाय करने के प्रश्न पर विचार करें।

महानदी डेल्टा से दूर बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज की परियोजना

1120. **श्री के० रामर्मूति** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी डेल्टा से दूर बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट से दूर तेल की खोज संबंधी परियोजना को प्रारंभ किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) इस क्षेत्र में किये गये विमान चुम्बकीय सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) आयल इण्डिया लिमिटेड ने महानदी डेल्टा में 12000 वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र में अन्वेषण की एक योजना तैयार की है। पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के प्रदान किये जाने के पश्चात् अन्वेषण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

SUPPLY OF GAS BY ONGC TO GUJARAT INDUSTRIES

1121. SHRI AMERSINH V. RATAWA : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether a scheme is being considered by Government for the supply of gas by the ONGC to industries in Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether Government's attention has been invited to the demand being made in Gujarat for the supply of gas for the development of industries there and if so, the details thereof and Government's reaction theerto ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (d) ONGC is already supplying nearly 1.8 million cubic metres of gas per day from Gujarat gas/oil fields to various industries in Gujarat.

A project study has also been undertaken for the laying of a sub-marine gas pipeline from South Bassein to Gujarat, which on its way, will be inter-connected with the gas pipeline from Bombay High so that the flow of off shore gas to Maharashtra and Gujarat can be regulated according to the requirements of the two States. This would help to meet the future needs of gas of Gujarat, the present areas being met from the existing on shore fields in Gujarat.

ARRANGEMENT FOR STAY OF DRIVERS AT GANGAPUR CITY

†1122. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the arrangements for the stay of the driver employees of the Jammu-Tawi trains are made specially at Kotah where as such arrangements already exist at Gangapur city;

(b) whether the speed of Jammu-Tawi Express train is reduced to only 15 Km. per hour at Gangapur city and if so, the reasons for which the train is not provided a 5 minute stop at Gangapur city like other passenger trains in order to solve all the problems of passengers; and

(c) whether a stop is proposed to be provided for the train at the Gangapur city; if so, by what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Two sets of crews required to operate Jammu-Tawi Express between Ratlam and New Delhi have been based at Kota and no special arrangements have been made at Kota for their stay.

(b) There is a speed restriction of 85/100 Km. per hour in Gangapur city Yard due to curves etc. Jammu-Tawi Express in a fast inter city Express train with limited stoppages. If this train is stopped at Gangapur city, there will be similar demands for stoppage at other places which will decelerate this train.

(c) No.

OFFICERS ON DEPUTATION IN RAILWAY BOARD

†1123. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the time by which the officers on deputation in the Railway Board will be reverted to their parent departments;

(b) whether these officers are to be absorved permanently in the Railway Department or the posts on which they are working are to be filled up by fresh appointments; and

(c) whether the present Government are following the same policy of the previous Government in respect of appointments and promotions or whether some changes have been made in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) There are a few posts in the Ministry of Railways which are filled on deputation basis by appointing officers belonging to Services other than Railways on a tenure basis which generally is between 3 to 5 years. On the expiry of their tenure, the services of all officers on deputation are placed at the disposal of their present departments.

(b) The question of absorption of officers on deputation in the Railway department should not normally arise, as the recruitment rules do not provide for such absorption.

(c) The appointments and promotions are made in accordance with the rules framed, from time to time, in consultation with the Department of Personnel & Administrative Reforms and Union Public Service Commission, wherever necessary.

मसूरी एक्सप्रेस में स्थान कम होना

1124. श्री जगन्नाथ शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूरी एक्सप्रेस में स्थान की कमी के कारण दिल्ली से कोटद्वार आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस संबंध में कई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो कोटद्वार आने-जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यातायात के विश्लेषण से यह पता चला है कि दिल्ली और कोटद्वार के बीच प्रतिदिन लगभग 246 व्यक्ति यात्रा करते हैं। इन यात्रियों के लिये दिल्लीं और कोटद्वार के बीच 3 सीधे जाने वाले डिब्बे चलते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली और कोटद्वार के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि मार्ग में अतिरिक्त लाइन क्षमता का आभाव है और दिल्ली तथा कोटद्वार में टर्मिनल सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। दिल्ली और कोटद्वार के बीच सीधे जाने वाले डिब्बों की संख्या वढ़ाने के लिये 41/42 मसूरी एक्सप्रेस को डीजल रेल से चलाने के प्रश्न पर प्रयाप्त संख्या में डीजल रेल इंजन उपलब्ध होने पर ऐसी ही अन्य मांगों के साथ विचार किया जाएगा।

दिल्ली से कोटद्वार तक एक रेलगाड़ी चलाने की मांग

1125. **श्री जगन्नाथ शर्मा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि पौड़ी और चमोली जिले (गढ़वाल) के लोग दिल्ली और कोटद्वार के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने के बारे में बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां:

(ख) दिल्ली और कोटद्वार के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से फिलहाल व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि मार्ग में अतिरिक्त लाइन क्षमता का अभाव है और दिल्ली तथा कोटद्वार में टर्मिनल सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

कुमाऊं एक्सप्रेस की बोगियों को आग लगाना

1126. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा में एक पुष्प प्रदर्शनी के दौरान एक विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण 12-13 फरवरी, 1978 की रात को बिचपुरी रेलवे स्टेशन पर कुमाऊं एक्सप्रेस को रोक कर उसकी दो बोगियों को आग लगा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा इस कांड में कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या इस रेलगाड़ी में कोई पुलिस दल भी यात्रा कर रहा था; और

(घ) क्या शरारती तत्वों का पता लगाया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) 12-2-1978 को 21-55 बजे जब कुमायूं एक्सप्रेस बिचपुरी स्टेशन से अपने निर्धारित ठहराव के बाद चल रही थी तो खतरे की जंजीर खींच दी गई और गाड़ी रेल पथ के समीप पूर्व की ओर स्थित बी० एस० राजपूत कृषि कालेज के सामने खड़ी कर ली गयी। लगभग 100/125 व्यक्ति, जो कि इस कालेज के विद्यार्थी बताए गए, गाड़ी से उतर गये और उनमें से कुछ गार्ड और इंजन कर्मी दल के पास गये और गाड़ी को चलने नहीं दिया। उन्होंने उन यात्रियों के अन्दर भय उत्पन्न कर दिया जो कि डिब्बों से उतर गये थे। विद्यार्थियों ने दो सवारी डिब्बों अर्थात् एफ० सी० 3746 और एफ० सी० एस० 3705, में पेट्रोल/मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी और भाग गये। आगरा फोर्ट से अग्नि शमन दल मौके पर पहुंच गया और उसने आग पर काबू पा लिया। कोई जन-हानि नहीं हुई और न ही कोई यात्री घायल हुआ। केवल दो सवारी डिब्बे जल गये। 80,000 रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है। गाड़ी 5 घंटे 45 मिनट रुकी रही। आगरा फोर्ट की सरकारी रेलवे पुलिस ने 13-2-1978 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 तथा 436 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत अपराध सं० 25/78 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है।

(ग) इस गाड़ी पर सरकारी रेलवे पुलिस के दो कांस्टेबल को मार्ग रक्षा के लिये तैनात किया गया था।

(घ) जी नहीं।

फेरो एलांयस कारपोरेशन द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

1127. श्री लखन लाल कपूर: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेरो एलायंस कारपोरेशन कम्पनी अधिनियम के आदेशात्मक उपबन्धों का उल्लंघन की हुए पाई गई है तथा ऐसाकरने पर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है;

(ख) क्या उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है, और

(ग) क्या उक्त फेरो एलांयस कारपोरेशन ने कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करके अथवा केन्द्र में भूतपूर्व सरकार द्वारा अधिनियम की गलत भ्रामक व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों के कोष में अंशदान दिया था यदि हां, तो अंशदान की कितनी राशि दी गई तथा किस तिथि को दी गई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) तथा (ख) पिछले पांच वर्षों की अवधि में जो उतर के भाग (ग) में उल्लिखित किया गया है को छोड़कर, कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम का कोई मुख्य उलंघन, जिसमें अभियोग का वारंट जारी हो, विभाक की सूचना में नहीं आया है तथा इसलिए कम्पनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया गया।

(ग) मैसर्स फेरो एलायज कारपोरेशन लिमिटिड ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को उस पार्टी द्वारा जारी की गई या की जाने वाली स्मारिकाओं में विज्ञापनों के लिए अदायगी की और उपलब्ध ब्यौरे निम्न प्रकार है:--

31-12-75 को समाप्त होने वाले कम्पनी के वित्तीय वर्ष की अवधि में दी गई राशि . .	50,000 रु०
1-1-77 से 31-3-1977 की अवधि में दी गई राशि .	7,00,000 रु०

इस सम्बन्ध में कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293 क के उलंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कम्पनी का उत्तर विचाराधीन है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की कार्यवाही और टायरों के मल्य निर्धारित करना

1128. डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में आटोमाबाईल उद्योग के सदस्यों के लिए सामान्य आभार संहिता में टायरों की मूल शुद्ध कीमत निर्धारित करने के बारे में उल्लेख नहीं है;

(ख) क्या विभिन्न टायर कम्पनियों को ऐसे टायरों के मूल्य, जो समान किस्म के नहीं है बढाने में सहमत होने में कोई आपत्ति नहीं ; और

(ग) क्या इन्हीं त्रुटियों के कारण एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को निर्माताओं द्वारा आपसी सहमति से बढाये गये टायर मूल्यों के विरुद्ध कार्यवाही को छोड़ना पड़ा जैसा कि 7 फरवरी, 1978 के फाइनेंशिअल एक्सप्रैस में समाचार प्रकाशित हुआ है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) यह प्रश्न, रजिस्ट्रार, निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा द्वारा आठ उपक्रमों को प्रेषित नोटिस में, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष उठाया गया था। आयोग ने अपने आदेश में इस प्रश्न की समीक्षा नहीं की क्योंकि मुख्य निर्गम के निर्णय में यह आवश्यक नहीं था।

(ख) यदि कम्पनियां सामूहिक रूप से उन टायरों के मूल्य बढ़ाने पर सहमत हो जाती है जो समान किस्म के नही है, तथा इसके मूल्यों में छल साधन के साथ-साथ किसी भी प्रकार से प्रतियोगिता पर रोक, व्याकर्षण अथवा बंधन प्रभावी होगा, तो इस प्रकार की कार्यवाही आपत्ति जनक होगी।

(ग) नही, श्रीमन् जी।

रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन

1129. श्री मोहम्मद हयात अली: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की एसोसियेशन ने रेल मंत्रालय से अनुरोध किय है कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों और उनके समकक्षी पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य रेल कर्मचारियों के बीच वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय की विषमता को दूर किया जाये: और

(ख) यदि हां, तो रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उनके समकक्षी पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य रेल कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की जा रही सभी सुविधायें दिलाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बजट प्रस्तुत किये जाने के बारे में सभा की बैठक के बारे में अध्यक्ष की घोषणा

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER *RE* SITTING OF THE HOUSE FOR PRESENTING OF THE BUDGET

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने मिजोरम में भयंकर सूखे के बारे में एक प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कल के लिए इस बारे में ध्यान आकर्षण की अनुमति दी है। मुझे सभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। जैसी कि प्रथा है सभा आज शाम 4.30 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित होकर शाम 5 बजे पुनः समवेत होगी। उस समय सामान्य बजट पेश किया जायेगा। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रख गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई मैसर्स रैलीस इण्डिया लि० बम्बई आदि के प्रतिवेदन और कम्पनियों कर अप्रदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अन्तरण) नियम, 1978

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) एकाधिार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापरिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

*(एक) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 6 मार्च, 1974 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

**(दो) मैसर्स रैलीस इंडिया लिमिटेड, बम्बई के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 9 फरवरी, 1976 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

***(तीन) मैसर्स त्रिमको लिमिटेड, बम्बई द्वारा औद्योगिक विस्फोटकों के निर्माण के लिये एक नया उपक्रम स्थापित करने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 28 फरवरी, 1977 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

***(चार) मैसर्स महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड, पाली मारवाड़ (राजस्थान) द्वारा औद्योगिक विस्फोटकों तथा सहायक सामग्री के निर्माण के लिये एक नया उपक्रम स्थापित करने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 28 फरवरी, 1977 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

@(पांच) मैसर्स चौगुले एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक विस्फोटकों के निर्माण के लिये एक नया उपक्रम स्थापित करने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 27 मई, 1977 का आदेश।

@(छः) श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा ग्लाईकोल ईथर के-निर्माण के लिय एक नया उपक्रम स्थापित करने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 का आदेश।

†(सात) मैसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, गोवा द्वारा गुजरात राज्य में जोडिया में सोलर साल्ट वर्क्स की स्थापना के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 19 नवम्बर, 1976 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी०-1611/78]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनियों का अप्रदत्त लाभाश (केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में आन्तरण) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 140 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1612/78]

---

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 26 मार्च, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था।

**प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण—4 मई, 1976 को सभा पटल पर रखा गया।

***प्रतिवेदन का अंग्रेजी सस्करण—2 अगस्त 1977।

@प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण—6 दिसम्बर 1977।

†प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण 6 दिसम्बर 1977 सधा पटल पर रखे गये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन यह स्पष्ट उल्लेख है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन और समय-समय पर प्रस्तुत रिपोर्ट को संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जायेगा । मंत्री जी स्पष्टीकरण दें कि ऐसे पहले प्रस्तुत प्रतिवेदनों को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया । दूसरे अंग्रेजी संस्करण तो 26 मार्च, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था लेकिन हिन्दी संस्करण 1978 में रखा जा रहा है । इतना अधिक विलम्ब कैसे हुआ ? यह पिछली सरकार का कार्य है लेकिन सभा को इसके कारणों के बारे में बताया जाये । रिपोर्ट पेश करने में देर जान-बूझ कर की गई है ताकि ये बहुराष्ट्रीय निगम देश को लूट सकें ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी आपत्ति पर हम इसे समिति को भेज देंगे ।

प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण 6 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर रखे गये थे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समिति तो × ×

श्रीमती पार्वती कृष्णन: उन्होंने समिति के लिए × ×

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जायेगा ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Our committee had written to every Ministry that information may be supplied regarding the reports which should be laid on the Table of the House in accordance with provisions of the Constitution or the rules but I am sorry to say that we have not received full report. All Ministries should lay their reports before the House.

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : You should instruct the Government to lay reports on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सांविधिक प्रतिवेदनों का प्रश्न है मैंने देखा है कि रिपोर्ट सभा पटल पर रखने में बहुत विलम्ब होता है जो उचित नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार चलना चाहिये। सरकार अवश्य इस बात पर विचार करेगी और रिपोर्ट यथा सम्भव शीघ्र सभा के समक्ष पेश की जायेगी ।

कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

PAPERS UNDER COMPANIES ACT

राष्ट्रीय उर्वरक लि० नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा और 1976-77 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : Sir, I beg to lay on the Table :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

× ×अध्ययन पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

(2) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल०टी०-1613/78]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और अनुसूचितजातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सां० आ० 836 (ड़) जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधानसभायी निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश 1976 की अनुसूची 10 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(दो) सां० आ० 27 (ड़) जो दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 10 के भाग (ख) में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(तीन) सां० आ० 28 (ड़) दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 15 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०-1614/78]

(2) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 35 (ड़) की एक प्रति, जो दिनांक 25 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बारे में संसदीय तथा विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० 1615/78]

अविलम्बनीय लौक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

शान्ति वन झील में आठ लड़कों के डूबने का समाचार

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich): Sir, I call attention of the Matter of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

'Reported drowning of eight boys in the artificial lake at Shanti Vana, New Delhi on 26th February, 1978 and steps taken by Government of obviate such incidents future.'

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): It is a matter of deep regret that eight young boys belonging to an orphanage of Delhi got drowned in the late in Shanti Vana on the 26th February, 1978. According to available information, twelve boys of Arya Bal Grih Orphanage had gone to play in the grounds adjacent to the Shanti Vana on Sunday afternoon. While they were playing "Gulli-Danda', their "Gulli" fell into the lake. The boys formed a row by holding one another's hands and got into the water to retrieve the "Gulli". The lake in Shanti Vana has been created by taking advantage of the natural depression in the terrain. The depth of the lake varies between 1½ ft. to 2½ ft. but at certain points there are lilly pools with depth varying from 4 ft. to 6 ft. Though the boys were holding hands they got into the deeper part of the lake and were drowned.

2. The four children who remained outside the lake cried for help. The C.P.W.D. employees working a little away from the scene of the accident rushed to the spot and took out 3 children from the water. The information of the tragedy was received by the Central Police Control Room and the Fire Brigade at about 6 P.M. and both reached the spot in about ten minutes. The remaining children were taken out of the late by police and the Fire Brigade and all of them were rushed to the Hospital where they were declared dead.

3. A magisterial inquiry into the incident has been ordered by the Delhi Administration and the same is being conducted by a Sub Division Magistrate. The Central Public Works Department, who are responsible for the maintenance of the Shanti Vana, propose to fill up the lilly pool and bring tt to the same level as the bed of the lake to prevent recurrence of such incidents.

SHRI O. P. TYAGI : Sir, you revise your ruling and allow the Ministers to speak in English or in Hindi.

Secondly, Sir, this incident has not happened for the first time. There are many dangerous points on the bank of this lake where the water is 6 feet deep and there is no arrangement for fencing etc. There is no sign board warning the people of this danger. This lake is under the control of C.P.W.D. which has arranged for one watchman only and he was not present at that time.

Do you consider these arrangements adequate ? More watchmen should be appointed and let me know what action do you propose to take against the negligent officers of C.P.W.D ?

श्री एस० डी० पाटिल : यह ठीक है कि पहले भी दो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं । 21 अप्रैल, 1974 को 12 से 15 वर्ष आयु का एक लड़का डूब कर मर गया था । दूसरी बार मुस्तफा और नागी जो वहां फुटबाल खेल रहे थे, डूब गये थे । अब यह 26 फरवरी 1978 को तीसरी घटना हुई है ।

यह ठीक नहीं है कि वहां चेतावनी की सूचना के बोर्ड नहीं हैं । यह तो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं । झील में घुसना वर्जित है । लेकिन झील के इतने बड़े क्षेत्र में कांटेदार तार लगाना सभव नहीं उस पर अत्यन्त आधिक खर्च होगा । जहां पर गड्ढे हैं वहां पानी 6 फुट गहरा है । वैसे झील की गहराई 1 या 1 1/2 फुट है । केन्द्रीय सार्वजनकि निर्माण विभाग वहां कार्यरत है । दो चौकीदार हैं । एक रात के लिए और एक दिन के लिए। वहां बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता लेकिन कभी-कभी बच्चे कानून का उल्लंघन कर बैठते हैं । जहां तक प्रतिपूर्ति का सम्बन्ध है मैं ने दिल्ली प्रशासन को उसके लिए लिखा है । उन्हें निधि के लिए व्यवस्था करना है । मैं सम्बन्धित अधिकारियों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रतिपूर्ति के अधिकारियों से कहूंगा कि वे जरूर पैसा दें।

SHRI O. P. TYAGI : What action will be taken against the negligent persons ?

श्री एस० डी० पाटिल: वहां चौकीदार तैनात होते हैं लेकिन संयोगवश उस समय वह वहां नही था।

अध्यक्ष महोदय : चौकीदारों का लाभ क्या यदि वे वहां उपस्थित न हों।

श्री एस० डी० पाटिल: वहां दो चौकीदार हैं, भविष्य में, आवश्यक हो तो हम कहेंगे कि और चौकीदारों की नियुक्ति करें।

SHRI Y. P. SHASTRI : This is a most tragic accident and I am pained to hear the reply of the Hon. Minister which indicates that they do not treat this accident as a ragic one. The death of 12 or 13 year old children was untimely one.

I want an assurance from the Hon. Minister that pension will be given to the parents of these children because their death is a loss of nation also. These children should not have been allowed to there without any officer or monitory. The orphanage authorities are responsible for their death.

SHRI S. D. PATIL : I cannot commit that life pension will be given to the parents children. We are also shocked over this incident. We will try our utmost to help them.

I have asked the concerned authorities to give reasonable compensation.

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य (उलबेरिया) : जब छोटे-छोटे बच्चे शांतिबन में खेल रहे थे तो चौकीदार को सावधान रहना चाहिये था। अनाथालय के अधिकारी को भी वहां होना चाहिये था। भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में उथोचित आदेश दिये जायें तथा नियम बनाये जायें कि छोटे बच्चे बिना अधिकारी के वहां न खेलें।

श्री एस० डी० पाटिल : शांतिवन के लिये चार चौकीदार हैं झील पर निगरानी रखने के लिये कोई चौकीदार नही है। उस दिन एक चौकीदार छुट्टी पर था और एक डियूटी पर। कुछ माली अपने काम पर थे जो दुर्घटना के बाद तत्काल वहां गये और उनकी लाशों को वाहर निकाला।

अध्यक्ष महोदय : मान्नीय सदस्य जानना चाहते हैं कि बच्चों को वहां क्यों खेलने दिया गया और क्या भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में कोई नियम बनायें जायेंगे ?

श्री एस० डी० पाटिल: जी हां अनाथालय मात वर्ष तक के बच्चों की निगरानी रखता है।

अध्यक्ष महोदय: सात वर्ष तो बहुत कम है।

श्री एस० डी० पाटिल: इस अनाथालय में 304 वच्चे हैं। अनाथालय के अधिकारी उस दिन किसी बैठक में व्यस्त थे।

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य : इसके वाद आपको सावधानी से काम लेना चाहिये।

श्री एस० डी० पाटिल : दिल्ली प्रशासन ने मेजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट आने पर हम उचित कार्यवाही करेंगे।

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK (Sonepat) : This is really a tragic incident. It is also sad that the Hon. Minister took this incident lightly. This is not a new

incident of drowning in that lake. The pits in that lake were dug for plantation but they claimed the lives of innocent children. This incident is a result of criminal negligence. It is not known as to why these pits and ditches were not filled. I want to know whether the Government is prepared to modify the architecure of the lake with a view to avoid reoccurrence of such incidents in future.

The C.P.W.D. failed to fill in the ditches. You should make an enquiry and punish the guilty.

SHRI S. D. PATIL : This is not correct that I took this incident lightly. This is a not like a swimming p o o l........ (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में मेजिस्ट्रेट द्वारा इन्क्वायरी हो रही है ।

अब हम प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन को लेते हैं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
दसवाँ प्रतिवेदन

श्री सत्येन्द्रनारायण सिह्ना (औरंगाबाद) : मैं प्रक्कालन समति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) रेल मंत्रालय यात्री सुविधाओं पर 10वां प्रतिवेदन

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन बनाने की मांग को लेकर त्रिपुरावन् का मामला:

श्री ज्योतिर्मय बसु : 25 फरवरी 1978 को त्रिपुरा के लोगों ने धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन बढ़ाने के लिये एक शांतिपूर्ण बंध का आयोजन किया।

त्रिपुरा बंगलादेश की सीमाओं से घिरा है । इस राज्य के अदंर नगण्य संचार व्यवस्था है। रेलवे सुविधा के बिना वहां का विकास सम्भव नही । अग्रतला होकर सबरूम तक रेलवे लाइन बढ़ाने की मांग यहां के लोग पहले से करते आ रहे हैं। किन इस ओर अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है।

(दो) विमान दुर्घटना जांच आयोग की नियुक्ति का मामला।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई): (उत्तरपश्चिम): हवाई दुर्घटनायें काफी वर्षों से होती आ रही हैं । इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण कनिष्ट चालकों के वीच व्याप्त असंतोष है । इंडियन एयर लाईन्ज़ में अर्न्तराष्ट्रीय नागर विमान विनियमनों का उल्लंघन होता है । मेरे विचार में इस सम्बन्ध में पूरी जांच की जानी चाहिये ताकि दुर्घटनाओं के मुख्य-मुख्य कारणों का पता लग सके और भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों।

(तीन) वस्त्र निगम, मध्य प्रदेश के कार्यकरण का मामला

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Ujjain) : The matter I am raising under Rule 377 is an important one and it would have been better if the Minister concerned was present in the House.

Seven textile mills of Madhya Pradesh are incurring losses due to the policies of Textile corporation, Madhya Pradesh. The Chairman of the corporation is responsible for pursuing wrong policies. All the authority of ordering sales is in the hands of the Chairman. Sales managers can proceed with sales only after obtaining his orders. This policy should be put to an end and Managers of mills should be given powers to negotiate sales. Special attention has to be paid to ensure that these mills do not suffer losses.

There are labour troubles in the mills because of he policies of the Chairman. He is not able to tackle this problem. Workers do not get their pay in time. There are gheraos and man-handling of officers. I submit that the whole matter should be inquired into.

(चार) केरल के लिये तथा रेलवे डिवीजन बनाने का मामला

श्री ए० सुभा साहिब (पालघाट) : रेल मंत्री ने रेल बजट में घोषणा की थी कि दक्षिण रेलवे में एक नया डिवीजन बनाया जायेगा जिसका मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में होगा । इससे ओलावक्कोट डिवीजन के सभी रेल कर्मचारियों में असन्तोष फैल गया है क्योंकि गत 21 वर्षों से केरल में यही एक मात्र डिवीजन है । जो बहुत सक्षमतापूर्वक तथा मितव्ययता से कार्य कर रहा है । इसने केरल राज्य में एकता स्थापित की है।

त्रिवेन्द्रम डिवीजन के बनाने में केरल के लोगों की एकता भंग होगी । दूसरे, इस नये डिवीजन के बनाने में वर्तमान आलावक्कोट डिवीजन का एक बड़ा भाग लेना होगा और इससे ओलावक्कोट और त्रिवेन्द्रम दोनों डिवीजनों के मितव्ययिक कार्यकरण पर प्रभाव पड़ेगा । तीसरे, इससे ओलावक्कोट डिवीजन के कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ेगा । चौथे, इससे उत्तरी केरल के उद्योगों पर प्रतकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्हें बहुधा त्रिवेन्द्रम भागना होगा ।पांचवें, इससे पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में गणमान्य व्यक्तियों और कार्मिक संघ नेताओं ने रेल मंत्री को पहले ही बता दिया है । अतः रेल मंत्री इस नये डिवीजन की बात छोड़ दें और यदि यह सम्भव न हो तो ओलावक्कोट डिवीजन के अधिकतर भाग को बनाये रखा जाये क्योंकि इसके अभाव में यह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद एकक नहीं रह जायेगा।

संसदीय पत्र हिन्दी में सप्लाई करने के बारे में

RE : SUPPLY OF PARLIAMENTARY PAPERS IN HINDI

SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV (Madhubani) : I rise on a point of order. I have written to your Secretariat several times that parliamentary papers should be sent to me in Hindi. But the written answers given by Ministers and the letter from your Sectt. are sent to us in English. So, please arrange to send us papers in Hindi or provide an interpreter at my residence.

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूगां कि आपको पत्र हिन्दी में भेजे जायें । जो सदस्य हिन्दी में पत्र चाहते हैं उन्हें केवल हिन्दी में ही भेजे जायेंगे । मैं इस सम्बन्ध में कार्यालय को निदेश दे रहा हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव---जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री गौरी शंकर राय द्वारा 24 फरवरी, 1978 को पेश किये गये तथा डा० सुशीला नायर द्वारा अनुमोदित निम्न प्रस्ताव तथा 27 फरवरी, 1978

को पेश किये गये तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे चर्चा आरम्भ करेगी :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1978 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं'।"

श्री सोमनाथ चटर्जी आपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): कल मैं इस सरकार की आर्थिक नीति का उल्लेख कर रहा था। देश के अधिकतर लोगों का जीवन दयनीय है यह जरूरी है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण सरकारी वितरण व्यवस्था के जरिए किया जाये और यदि आवश्यक हो तो उन्हें कुछ कम दामों पर भी बेचा जाये।

बेरोजगारी की समस्या के बारे में अभिभाषण में थोड़ा सा उल्लेख है । इसके हल का कोई सुझाव नहीं दिया गया है । बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर कोई विचार नहीं किया गया है । पश्चिम बंगाल में वित्तीय कठिनाई होते हुए भी हमने उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय सिद्धान्त में कर लिया है। जिनके नाम रोजगार दफ्तर में 5 साल से दर्ज हैं । उन्हें यह भत्ता 3 वर्ष के लिये मिलेगा । इसके बदले में उन्हें सप्ताह में दो दिन कुछ सामाजिक सेवा करनी होगी । आशा है कि केन्द्रीय सरकार भी बेरोजगार लोगों को तुरन्त बेरोजगारी भत्ता देने के लिये कुछ कार्यवाही करेगी और उन राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देगी जो ऐसी कार्यवाही करने के इच्छुक हैं।

लगता है कि अनवरत योजना का सिद्धान्त योजना के समूचे ढांचे को बदलना है । इससे लोगों के मन में बड़ा सन्देह पैदा होने लगा है । यह ी देखने में आ रहा है कि सरकार सरकारी क्षेत्र को पीछे डाल कर लघु उद्योगों और कृषि पर जोर देने की आड़ में गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है । अभिभाषण में कहा गया है कि अब तेल, कोयला, धातु, उर्वरक और सीमेंट जैसी आधार भूत आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा । सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत माल उद्योग पर जोर नहीं दिया जायेगा । हम महसूस करते हैं कि वर्तमान सरकार भी वही नीति अपना रही है जो पिछली सरकार अपना रही थी।

पूरे अभिभाषण में भूमि सुधारों के बारे में कहीं भी उल्लेख नही किया गया है जो आज बहुत आवश्यक हैं, यद्यपि जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में इस बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। उन्हें यह महसुस करना चाहिये कि इस देश के गरीव लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है।

अध्यक्ष महोदय: सभा मध्याह्न पश्चात 2 बचे तक के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 14 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 14.07 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at seven minutes past fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठा सीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अभी इस देश में भूमि सुधार लाने की आवश्यकता का उल्लेख कर रहा था। चुनाव से पहले जो कुछ इस बारे में कहा गया था वह सब भुला दिया गया है। यदि बिना भूमि सुधार किये कृषि पर और जोर दिया गया तथा अधिक धन व्यय किया गया तो इसका अर्थ यह होगा कि वास्तविक लाभ निहित स्वार्थों को मिलेगा।

बहुत से उद्योग रुग्ण हैं। एकाधिकार गृहों और बड़े उद्योगों को वर्षों तक खुली छूट दी जाती रही है। उन्होंने कम्पनी के पैसे को किसी अन्य उद्योग में लगा दिया है और कर्मचारियों को उनके उचित वेतन से वंचित रखा है। इन उद्योगपतियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब उद्योग रुग्ण हो गये और कर्मचारी बेरोजगार हो गये तो उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई। उद्योगों के रुग्ण होने में कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। दुर्भाग्यवश सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार से चले आ रहे रवैये को बदला जाना चाहिये।

चुनाव सुधारों का जिक्र किया गया है परन्तु यह नहीं बताया गया कि वे कब तक लागू किए जाएंगे। वोट देने की आयु कम करने का क्या हुआ? बहुत बड़ी संख्या में देश के युवकों को मतदान के उनके वैध अधिकार से वंचित रखा गया है, परन्तु इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

देश में नशाबन्दी लागू करने की बात भी कही गई है। इसके परिणाम क्या होंगे? सरकार को इससे 2000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी और इसे लागू करने पर 12000 करोड़ रुपये और खर्च करने पड़ेंगे। इस से अवैध शराब बनाने के धंधे को बढ़ावा मिलेगा और अपराधियों की संख्या में वृद्धि होगी। देश में अन्य कई समस्याएं हैं, उनका समाधान होना बाकी है। अपनी जिद को पूरा करने में सरकार और समस्याएं पैदा कर रही है। सरकार को व्यावहारिक नीति अपनानी चाहिए।

जहां तक विदेश नीति का सम्बन्ध है, हम पड़ौसी देशों से सम्बन्धों को सामान्य बनाने के प्रयत्नों का स्वागत करते हैं। वियतनाम समाजवादी गणतंत्र के साथ भी सम्बन्ध सामान्य बनाने का हम स्वागत करते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि ईरान और जापान से विशेष सम्बन्ध बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इससे तीसरी दुनिया के देशों में सन्देह पैदा हो सकता है।

सरकार को बड़ उद्योगपतियों और जमींदारों के शिकंजे से छुटकारा पाना चाहिए। आपको श्रमजीवी वर्ग का साथ देना होगा । आप इनका विश्वास प्राप्त किए बिना शासन नहीं कर पाएंगे । देश में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिएं । इस तरह की नीति का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

SHRI GIRJANANDAN SINGH (SHEOHAR) : I support this motion of thanks on President's Address. A point is raised in the House that production in the year 1976-77 has declined as compared to that in 1975-76. In this connection I would like to say that the year 1977 was a very important year for the country. It is a year of resurrection an year of revival and an year of uprising. Such a widespread struggle for restoration of democracy is not an ordinary thing in the history of the country. It was the real fight for the humanity and restoring human rights.

In every country whenever there has been war, the production has increased, new inventions have been made and it has been a boom period for the industry, but after the war is over a period of slump has been noticed there. Thus loss of production in 1977 in India was not a new thing in the history of the world. During the regime of the previous Government our country's good will was lost, the lending countries were refusing to give loans saying that democracy is no more in existence in India and we were coming back our empty begging bowl and the country had been made in debted to such an extent that probably it will not be easy for us to pay the entire interest thereon. But after Janata Party came ino power our lost goodwill has been restored in the world market.

It is true that industrial unrest, labour unrest strikes etc. have been noticed during this period, but it is natural for people to express their feelings in this manner after fears of M.I.S.A. and D.I.R. etc. The state of suppression has been removed by Janata Government's coming into power.

It is too early to judge the performance of Janata Government at this stage. Only after the expiry of its term it can be properly evaluated as to what changes have been brought and what progress has been made as compared to that made during the last 30 years.

Setting up of Inquiry Commissions has been criticized. But if you look at the past you will find that a large number of Commissions were set up during the last 30 years and huge expenditure was incurred on them. No action was taken on their reports, which were not made public and it led to strengthening of the roots of corruption in the country. The corruption in India came from higher level and not from lower level. But in the case of present Inquiry Commissions we will ensure that the Janata Government take appropriate acton on their reports.

As regards election reforms I would like to say that Government officials played a very important role in the elections and, therefore, unless a feeling of nationalism and impartiality and love for the protection of democracy is inculcated in them, no real reforms in elections can take place.

As regards irrigation I would like to draw the attention of Government to the fact that major river valley schemes in Bihar have not proved successful to the required extent. such river valley scheme should be taken over by the Government of India for completion.

Feelings of casteism are deep rooted in Bihar and are proving a great obstacle in the way of progress of the state and therefore, appropriate steps should be taken for their eradication.

Means of communication are not adequate in the border areas of Bihar adjoining Nepal. Roads should be constructed there, keeping in view then strategic position also. Agricultural areas of Bihar should be linked by railway lines.

For successful completion and functioning of the river valley schemes of Bihar it is necessary that agreements over rivers water are concluded with Nepal Government, as many of our rivers pass through their territory also.

It is understood that attempts are being made in Nepal to oust the Indian settlers from that country. The Minister of External Affairs should look into this matter.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : : राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के केन्द्रीय कक्ष में दिया गया सबसे नीरस वक्तव्य है । यह नीरस ही नहीं वरन् एक ऐसा अभिभाषण है जिसमें देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है ।

कहा गया है कि संवैधानिक संशोधन मूलभूत अधिकार फिर से देने, न्यायपालिका के उसकी शक्तियां देने, कार्य पालिका को उसका उचित स्थान दिलाने और देश से तानाशाही समाप्त करने के लिए किये गए हैं । परन्तु सरकार किस कारण 'आंसुका' को समाप्त नहीं कर रही है । सत्ता में आने पर क्या वे छोटे रूप में 'आंसुका' को रखना चाहते हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर रह हैं। जिससे लोगों को बिना कोई कारण बताए नजरबन्द किया जाए ।

छठी लोक सभा के गठन के बाद सरकार ने संविधानमें कुछ संशोधन किए हैं । परन्तु वे मात्र कागजी कार्यवाही है । न्यायाधीशों को उनकी शक्तियां फिर से देने के लिए अनुच्छेद 226 को उसका मूल रूप नहीं दिया गया है । समूची जनता ने जनता पार्टी को इस आशा में सत्ता में बिठाया है कि उन्हें अदालतों में जाने और अपनी शिकायतें हल करवाने का अधिकार मिलेगा । परन्तु केवल न्यायाधीशों को अपना अधिकार दिया गया है लोगों को नहीं ।

संविधान में केन्द्र-राज्य के सम्बन्धों की क्या स्थिति है । इस पर विशेषज्ञों ने ही नहीं वरन् राज्य अथवा केन्द्र में शासन करनेवालों ने भी चर्चा की है ।यह राज्य और केन्द्र के बीच का प्रश्न है । मुझे प्रधान मंत्री के इस कथन का समाचार पत्रों में पढ़कर धक्का लगा। मैं बात नहीं करूंगा । जनता के शासन के प्रारम्भ में ऐसी बात हमने कभी नहीं सुनी थी । तब बात बड़े नम्र और भद्र रूप में कही जाती थी। परन्तु स्थिति अब दूसरी है ।" राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा है "लोकतांत्रिक मूल्यों को नया जीवन दिया गया है ।' यह नया जीवन किस रूप में दियागया है ? लगता है कि यह नई बोतल में पुरानी शराब जैसा ही है । यह कहना भ्रामक है कि वे लोकतंत्र को नई मान्यताएं दे रहे हैं ।

तमिलनाडु में तूफान आने पर कितने केन्द्रीय मंत्री वहां गए ? 12 दिन तक मैं वहां पहुंच नहीं सका । परन्तु वे लोग इसका राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। केन्द्र ने मानवीय सहानुभूति और समझ का परिचय नहीं दिया । प्रधान मंत्री को वहां जाने में 15 दिनलगे तथा गृह मंत्री को अभी वहां जाने का समय निकालना है ।

आज कहा जा रहा है कि यह राष्ट्रीय संकट था । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसे किस रूप में लिया है । तमिलनाडु सरकार ने 200 करोड़ रुपये की मांग की, और बाद में उसे घटाकर 130 करोड़ रुपये कर दिया। परन्तु सरकार ने 33 करोड़ रुपये ही दिए हैं। और वह भी अग्रिम योजना सहायता के रूप में। यह अनुदान नहीं था। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 340 करोड़ रुपए की मांग की थी । किन्तु उन्हें मात्र 64 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह कैसे कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय आपदा थी ।

भाषा एक भावनात्मक विषय है । हम एक भाषा को लाद कर देश में एकता नहीं ला सकते । इस बात को माना जाना चाहिए कि अंग्रेजी एंग्लोइंडियन समुदाय की मातृभाषा है ।

क्या अंग्रेजी को समाप्त किया जा सकता है ? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर विचार किया जाना चाहिए । हमें इस समस्या पर राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार करना चाहिए। ।

मैं कई भाषाएं बोल सकता हूं और कई समझ सकता हूं। लेकिन कितने लोगों ने इस धारणा के समर्थन में कि "भारत एक है"। एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखने का प्रयास किया है । यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए और हम लोगों को सदा धोखा नहीं दे सकते। ......(व्यवधान) हमें इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिएं । हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिए । केवल हिन्दी जानने वाला व्यक्ति इस देश का मंत्री बन सकता है, उसे किसी स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, जबकि तमिलनाडु या तेलुगु अथवा मलयालम भाषी क्षेत्रों के व्यक्ति उस समय तक मंत्री नहीं बन सकते जब तक कि उन्हें हिन्दी या इंगलिश का विस्तृत ज्ञान न हो । ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई अर्थ नहीं हैं । इस अनुच्छेद को समाप्त करना और यह उद्घोषणा करना बेहतर होगा कि देश में कोई समानता नहीं है । इस सभा को दक्षिण के लोगों की समस्याओं को समझने की आवश्यकता है ।

दक्षिण भारत के राज्यों की सहायतानुदान और योजना अनुदान देने में भी बहुत राजनीति बरती जाती है । यह तो केवल दिखावा मात्र है ।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बारे में सदन में एक नीति वक्तव्य दिया गया है कि इनके लिए एक आयोग गठित किया गया है । लेकिन देखना यह है कि नियुक्त आयोग अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने में कहां तक कारगर सिद्ध होगा ।

जहां तक औद्योगिक सिद्धान्तों और नीतियों का सम्बन्ध है यह जानकर बड़ा खेद हुआ है कि उद्योग मंत्री एक बात कहते हैं जबकि वाणिज्य मंत्री कुछ और ही कहते हैं और प्रधान मंत्री कोई दूसरी बात कहते हैं ऐसे। परस्पर विरोधी वक्तव्य देने का कोई औचित्य नहीं है । कहा गया है कि विदेश व्यापार बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में भी अनेक त्रुटियां हैं। कोई भी यह जानना चाहेगा कि विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई है । यह नई सरकार 9 महीनों में कुछ भी प्रगति नहीं कर पाई है । यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कांग्रेस सरकार के गत 30 वर्षों के कुशासन का परिणाम है ।

वर्ष 1977-78 का आर्थिक सर्वेक्षण एक बहुत बड़ा प्रतिवेदन है । मेरे जैसे अनेक व्यक्ति इसमें से कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। दूसरी और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि वह बहुत प्रसन्न हैं कि सही दिशा में बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक ठीक है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । राष्ट्रपति ने "परिवार नियोजन" शब्दों का उल्लेख किया है जब कि मंत्रालय ने इन शब्दों के स्थान पर "परिवार कल्याण" शब्द रख दिए हैं। जन संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि समुचित आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी है । दूसरी ओर राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में उदासीनता दिखाई है ।

कहा गया है कि सरकार दल-बदल निवारक विधेयक लाने जा रही है । लेकिन जनता के सामने यह घोषणा की जानी चाहिए कि उनकी वास्तविक नीतियां क्या हैं?

लोक अब यह सोचने लगे हैं कि जनता सरकार भी पिछली सरकार के हथकन्डे अपनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे संशोधन लाने के लिए कदम उठाने चाहिएं जिससे राज्यों को और अधिक शक्तियां मिल सकें। हम इस मामले पर सरकार के साथ बातचीत करना चाहते थे लेकिन सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई।

जहां तक विदेश नीति का सम्बन्ध है, हमें प्रसन्नता है कि हमारी सरकार पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयास कर रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि श्रीलंका में तमिलवासियों और अन्य लोगों पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। आपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विकास करने के लिए हम अपना उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने नागरिकों की रक्षा करने का समय आ गया है। हमें परिस्थिति को सही ढ़ंग से समझना चाहिए।

बहुत से आयोग गठित किए गए हैं और उन्होंने अपने प्रतिवेदन भी पेश कर दिए हैं लेकिन उन पर क्या कार्यवाही की गई है? इससे लोगों को कितना लाभ पहुंचा है? शाह आयोग बहुत समय ले रहा है। आयोग को कहा जाए कि वहां जांच कार्य आदि शीघ्रातिशीघ्र पूरी करे।

आर्थिक समस्या हमारी प्रधान समस्या है, । हमारा ध्यान इस ओर से हटाने के लिए ही सरकार मामूली सी बातों की जांच करने के लिए जांच आयोगों की नियुक्ति कर रही है। हम ठोस बातें चाहते हैं। लेकिन सरकार केवल आयोगों की ही नियुक्ति कर रही है। जब हम गंगा को कावेरी से मिलाने जैसे आर्थिक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो सरकार इस ओर उतनी तत्परता नहीं दिखा रही है। बल्कि इसकी उपेक्षा कर रही है। दूसरी ओर मद्यनिषेध जैसे दार्शनिक सिद्धान्त बना रही है। लेकिन यह देशवासियों को नैतिक बातें सिखाने का समय नहीं है, जबकि लोग रोटी, कपड़ा और मकान की मांग कर रहे हैं।

डॉ० हनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : सामान्यतः राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की जनता को नया मार्ग दर्शन, नई दिशाएं दिखाई जाती हैं। नई-नई नीतियों से अवगत किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को इस अभिभाषण में कोई ऐसी स्पष्ट दिशा का दर्शन नहीं कराया गया है। इस अभिभाषण में इन सब बातों का अभाव है। यह पता लगाना कठिन है कि आगामी वर्षों में सरकार कौन-कौन सी नीतियां अपनाएगी। यह अभिभाषण उस समुद्री जहाज के समान है जिसमें पतवार नहीं है और जिसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है।

दक्षिणी राज्यों में भीषण तूफान आया है, जिसके परिणामस्वरूप वहां भारी मात्रा में जन धन की हानि हुई है। इसका उल्लेख तो होना ही चाहिए था बल्कि देश में हो रही दुर्घटनाओं या तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों का भी उल्लेख होना चाहिए था। इस वर्ष के प्रथम दिन ही बोइंग विमान दुर्घटना जिसमें 230 व्यक्तियों की मृत्यु हुई को सुनकर समस्त विश्व को गहरा आघात पहुंचा। राष्ट्रपति को इतनी भयंकर दुर्घटना का उल्लेख करना चाहिए था।

हाल ही में अनेक भीषण रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। यह सर्वविदित है। राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में कम से कम उस रेल दुर्घटना का तो उल्लेख करना चाहिए था जिस रेल दुर्घटना में हमारे प्रिय साथी श्री प्रकाशवीर शास्त्री मारे गए। हाल ही में हुई अनेक दुर्घटनाओं से लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि वे अब रेलों या विमानों से यात्रा करने से घबराने लगे हैं। ऐसी गंभीर समस्या का अभिभाषण में कुछ न कुछ तो उल्लेख किया जाना चाहिए था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि समुद्री तूफान से ग्रस्त राज्यों को हर संभव सहायता दी गई है और केन्द्र की ओर से उन राज्य सरकारों को पूरा सहयोग दिया गया है । किन्तु ये केवल मगरमच्छ के आंसू के समान हैं। केन्द्र द्वारा उन राज्यों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता अथवा सहयोग देने में सौतेला व्यवहार किया गया है । जो कुछ सहायता दी गई है वह योजना नियतनों में से अग्रिम भुगतान ही था । यदि सहायतानुदान के रूप में समुचित और पर्याप्त धन राशि नहीं दी गई तो फिर मौखिक सहानुभूति दिखाने का कोई लाभ नहीं है ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में गर्व के साथ कहा कि सरकार ने फिर से लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करने में बहुत तेजी से कार्य किया है । लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 'आंसुका' के स्थान पर वह 'मिनी आंसुका' या निवारक नजरबन्दी अधिनियम को लागू कर रही है । जिससे इस नई जनता सरकार की भावना के प्रतिकूल वातावरण पैदा हो जाएगा । दूसरी ओर बिना किसी ठोस कारणों के अनेक सरकारें गिरा दी गई हैं। कर्नाटक की सरकार गिरा दी गई है, जहां उस सरकार का राज्य विधान सभा में पूर्ण बहुमत था ।

देश की भीतरी तथा बाहरी परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो 'आंसुका' या निवारक नजरबन्दी अधिनियम को समाप्त करने के बारे में भी कोई सोच भी नहीं सकता । पिछले 30 वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित आदर्श और भावनाओं अथवा धारणाओं को इस देश में से समाप्त किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में समूचे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है । देश की एकता के इस पहलू की अवहेलना की जा रही है और विघटन वादी तत्व पैदा हो रहे हैं । अतः क्षेत्रीयता और भाषाई अन्य देश भक्ति अखंड भारत के निर्माण की भावना को समाप्त कर रही है । मैं इन सब बातों के लिए जनता सरकार या जनता पार्टी को दोषी ठहराता हूं जो कि स्वयं ही क्षेत्रीयता पर आधारित है ।

साम्प्रदायिकता का उभरना भी एक बड़ी समस्या बन गई है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कुछ न कुछ उल्लेख किया जाना चाहिए था । यह कांग्रेस सरकार की नीति थी कि देश भक्ति के स्थान पर हमें मानवता के आधार पर भ्रातृभाव का विकास करना चाहिए जिससे हम सब एक हो जाएं और हमारी एकता मजबूत हो जाए ।

साम्प्रदायिकता से दंगे फ़िसाद बढ़ रहे हैं और इससे समाजवाद का मार्ग अवरुद्ध सा हो गया है । इस बुराई के लिए जनता पार्टी ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है । जनता शासन में "समाजवाद" शब्द पूर्णतया भुला दिया गया है : शर्म की बात तो यह है कि हम पिछले 30 वर्षों में स्थापित परम्पराओं तथा नैतिक मूल्यों को समाप्त कर रहे हैं।

जहां तक औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है यह कहना कि हम कुटीर और लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान देंगे । सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति में असल रहेगी । जब तक कुटीर और लघु पैमाने के उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार नहीं किया जाता तब तक इस क्षेत्र में विकास करना संभव नहीं होगा । और वास्तविक बात तो यह है कि जब तक आधारभूत ढांचा तैयार होगा तब तक तो जनता पार्टी का समय ही समाप्त हो जाएगा । और बेरोजगारी की समस्या और निर्धनता की समस्या इतनी भयंकर हो जाएगी कि इन पर नियंत्रण पाना असंभव हो जाएगा ।

जहां तक कृषि विकास का सम्बन्ध है, जब कृषि के विकास के बारे में कहा गया तो लोगों ने उसे यह समझा कि सरकार केवल सामन्तवादी तत्वों के हितों की ही रक्षा कर रही है और इससे केवल उनके ही आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा होगी ।

देश की भीतरी तथा बाहरी परिस्थितियां इस तरह से बदल रही हैं कि लोकतन्त्र को कायम रखना सम्भव नहीं हो सकेगा । राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया जाना चाहिए था कि हमारे पड़ौसी देशों में क्या हो रहा है । बड़ी-बड़ी शक्तियां हमारे पड़ौस में शक्ति सकेन्द्रण कर रही हैं और इसके फलस्वरूप कभी भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पश्चिमी एशिया के देशों में हथियारों का भंडार बनाने की होड़ सी लगी हुई है । लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । ऐसी धारणा बनाने की चेष्टा की गई है कि सब कुछ ठीक है और भारत की विदेश नीति सर्वश्रेष्ठ है ।

आन्तरिक और बाह्य दोनों स्थितियों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम बड़ी तेजी से संकट की ओर अग्रसर हो रहे हैं । किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण का वास्तविक चित्रण नहीं किया गया है ।

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA (Salempur) : I support the motion of thanks on President's Address. The President deserves compliments for his Address for it highlights the achievements of Janata Government within the short span of their rule. Our friends on the other side have said that the Presidents' Address is not worthwhile and it lacks giving new guide lines, new directions and new policies. But it is not the fault of the President, it is the fault of their wrong thinking and approach to this Address.

We have enormous problems and only limited achievements can be made within the limited time.

It is said that the Janata Government is a multi-voiced one. But the fact is that the Janata Government allowed full freedom of expression and it is after mature deliberations and discussions that we arrived at some definite conclusions. It is a living progressive party and there will certainly be full freedom of expression to every one. The Janata Government works on the basis of Consensus.

The question of language has been raised by some members. I have no objection if anyone speaks in his regional language but one fails to understand how the English language can be given the status of national language. I will agree with the suggestion that arrangements may be made to teach South Indian languages to Members of Parliament.

Reference has been made to price rise. But the fact can not be ignored that dearness is being assessed on the basis of price level at which salaried persons purchase their goods. It is not assessed on the basis of cost of production a farmer has to bear or on the basis of his profit. Each demand of Government employees or salaried class of people is being granted, but when it comes to the question of raising the prices of agricultural goods, it is said that it will adversely affect our economy. Therefore, agriculturists should be given remunerative price for their produce. I will suggest that instead of raising the salaries, subsidy should be given to farmers.

So far as atrocities on weaker sections of society are concerned, the record of the Congress Government is unparalleled and the harijans and backward classes have risen up today in revolt against the excesses committed on them. It is heartening to note that President is good enough to constitute commissions for scheduled castes, scheduled tribes and minorities.

As regard removal of unemployment, it is very necessary to adopt the policy of one man one occupation. So long as this is not done unemployment could not be romoved. It is regrettable that there is no reference in the President's Address about this matter.

So far as question of foreign trade is concerned, it is high time the Government arranges the export of onions, potatoes and wheat. If the matter is delayed these commodities would rot and the farmers would suffer a lot. Therefore, Government must act before it is too late.

There is great need for having a national wage policy. Let the minimum and maximum wages be fixed. The policy should be qualification oriented and not job-oriented. At present there is no need for a passport for going to Nepal. Similar arrangements should made in case of Bangla Desh and Pakistan. This is very necessary because a number of families are divided between these countries. If there is free flow of traffic between these counries it would lead to better understanding and improvement of relations among them and pave the way for the formation of a Confederation of those countries as visualised by Dr. Lohia.

As regards election system, Government should make arrangement for distribution of votor cards and a common platform in different areas for the use of candidates. This would eliminate corruption to a great extent.

SHRI CHHABIRAM ARGAL (MORENA) : I oppose the amendments moved by the opposition members. Those people have no right to criticise the Janata Government. Let them first have a look at what their Government had done during the last 30 years. I am sure that the Janata Government will not repeat the mistake which those people committed.

The President has stated that in the eleven months that had elapsed since the General election, Parliament and Government have gone ahead with speed in restoring to the people the freedoms and protections guaranteed by the Constitution in their original plentitude. Today the courts have regained their powers and the press is free. Step by step the promise of re-establishing a just balance between and among the legislature, the executive, the judiciary and the citizen is being fulfilled. This is what what the Janata Government has been doing. During the last 19 months of emergency, the Congress has badly mauled the Constitution by the 42nd Amendment. That amendment should have been undone by this time. But it has not been done so far. Let Government do it in this session itself.

So far as education is concerned, the dual system should end under which there are two types of educational institutions, one for the high born and the other for the low born. There should be uniform system of education for all classes of people. The MISA which was enacted not for the maintenance of internal security but for Shrimati Indira Gandhi's security should be withdrawn.

Madhya Pradesh is a very backward State. The Centre should give more assistance for its development. The State Chief Minister has written to the Central Government in this regard. The matter should be expedited. There is great need for laying new railway lines in Madhya Pradesh so that the mineral resources of the State could be exploited. There is also need for giving financial assistance to improve the working of municipalities in the State.

The facilities provided to the Adivasi people should be extended to the harijans. Also, the wages of agricultural workers should be increased. The policy in regard to big industries should be clarified. Government should see that wherever big industries are set up they do not adversely effect the small industries there. The work of reclamation of land in the Chambal command area should be undertaken on war footing. The question of constructing a bridge on Chambal river in Madhya Pradesh is pending for a long time. It should be expedited.

Madhya Pradesh is a backward State, much troubled by decoit menace. Schemes should be formulated for its proper development. There is no provision for outlet of water in the Chambal canal system. Government should pay attention to it and see that this draw-back is removed.

इसके बाद लोक सभा 5 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen Hours of the Clock.

लोक सभा 5 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सामान्य बजट---1978-79

GENERAL BUDGET—1978-79

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं 1978–79 का बजट पेश करने के लिये उपस्थित हुआ हूं ।

2. चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था (इकानामी) की जो प्रवृत्तियां रही हैं उनकी विस्तृत जानकारी "आर्थिक समीक्षा" (इकानामिक सर्वे) में प्रस्तुत की जा चुकी है । अतः मैं उनका उल्लेख संक्षेप में ही करूंगा।

3. कार्यभार संभालते समय हमें मुद्रास्फीति (इन्फलेशन) की अत्यंत विस्फोटक स्थिति विरासत में मिली थी। 1976–77 के दौरान कीमतों में 12 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। वह एक ऐसा वर्ष था जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद (ग्रास नेशनल प्राडक्ट) में 2 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई थी और मुद्रा उपलब्धि में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इस प्रकार 1977–78 का प्रारम्भ उस समय हुआ था जबकि अर्थव्यवस्था में नकदी अत्यधिक मात्रा में मौजूद थी जिसमें फिर एक बार मुद्रास्फीति का नया दौर शुरू होने का डर था। वर्ष के पहले भाग में, हमारी सरकार ने जनता को दिये गये अपने वचनों को पूरा करने के लिये अनिवार्य जमा योजना (कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम) को वापस ले लिया और 8.33 प्रतिशत के सांविधिक (स्टैट्यूटरी) बोनस को भी बहाल कर दिया। इन कारणों से निस्संदेह मांग का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इस पृष्ठभूमि में, बड़ी खुशी की यह बात है कि चालू वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था का संचालन इस ढंग से किया गया कि जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कीमतें न बढ़ें। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज थोक कीमतों का सूचक अंक (इन्डैक्स) उस स्तर से नीचा है जो हमें पिछली सरकार से विरासत में मिला था।

4. कीमतों में इस प्रकार सापेक्षिक स्थिरता (रिलेटिव स्टेबिलिटी) बनाए रखने में जो सफलता मिली है उसका कारण यह था कि पूर्ति प्रबंध और सार्वजनिक वितरण की सक्रिय नीति तथा मुद्रा और ऋण के संबंध में प्रतिबंधात्मक नीति का तत्परता के साथ पालन किया गया। सरकारी भंडारों से अनाज और चीनी का वितरण उदारतापूर्वक किया गया। देश में खाद्य, तेल, कपास और कृत्रिम रेशों की कमी को पूरा करने के लिये बड़ी मात्रा में इनका आयात किया गया। अनेक आवश्यक वस्तुओं का निर्यात विनियमित किया गया और उनके शुल्कों (एक्सपोर्ट ड्यूटी) में समुचित परिवर्तन किये गये ताकि देश में उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके। प्रशासनिक और मौद्रिक दोनों प्रकार के कदम उठाए गए ताकि

सट्टेबाजी के लिये जमाखोरी न की जा सके और दबा हुआ भंडार बाजार में आ जाए। इसके साथ ही पर्याप्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनाज-भिन्न कई वस्तुओं के संबंध में एक सक्रिय समर्थन कार्यक्रम (एक्सपोर्ट कार्यक्रम) अपनाया गया। हम औचित्य-पूर्वक यह दावा कर सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के संबंध में एकीकृत मूल्य और वितरण नीति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

5. मुझे इस बात से और भी संतोष मिलता है कि कीमतों में सापेक्षिक स्थिरता उस स्थिति में रखी जा सकी जबकि अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार किया जा रहा था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में चालू वर्ष में 5 प्रतिशत की संतोषजनक वृद्धि होगी जबकि इसकी तुलना में 1976–77 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कृषि उत्पादन में पिछले साल बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी लेकिन आशा है कि इस साल वह उस सारी कमी को पूरा ही नहीं कर देगा बल्कि उससे ऊपर भी निकल जाएगा। दक्षिण में दैवी विपत्तियां आ जाने के बावजूद भी, खाद्यान्न का उत्पादन पिछले साल के स्तर से 100 लाख मैट्रिक टन ज्यादा हो जाने की आशा है। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी पर्याप्त रूप से सुधार होने की आशा है।

6. यह सुपरिणाम कुछ तो अच्छे मौसम के कारण और बहुत कुछ सिंचाई की क्षमता में वृद्धि किये जाने और उर्वरकों (फर्टिलाइजर्स), कीटनाशक दवाओं तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के इस्तेमाल को बढ़ाए जाने की वजह से प्राप्त हुआ है। वर्ष के दौरान सिंचाई की क्षमता में 22.3 लाख हैक्टेयर की वृद्धि हो जाएगी—अब तक किसी भी एक वर्ष में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। आशा है कि उर्वरकों का इस्तेमाल 23 प्रतिशत बढ़ेगा और वह 42 लाख मैट्रिक टन के स्तर तक पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि 1977–78 में अधिक फसल देने वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ जाएगा और लगभग 350 लाख हैक्टेयर जमीन में इनका प्रयोग होने लगेगा; इस प्रकार पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा 20 लाख हैक्टेयर से भी अधिक वृद्धि होगी। इस तरह आने वाले वर्षों में कृषि की और अधिक गतिशील वृद्धि के लिये अब एक स्पष्ट आधार विद्यमान है।

7. भुगतान शेष (बैलेंस आफ पेमेंट) की स्थिति बराबर मजबूत बनी हुई है। लेकिन निर्यात में वृद्धि की दर कम हो गई है। इसका कारण यह है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रगति की दर धीमी रही है, संरक्षण देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, कुछ वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आई है और कुछ अन्य वस्तुओं की मांग ही नहीं रही है। इसलिये यह जरूरी है कि हम अपने निर्यात प्रयत्नों में ढिलाई न बरतें। हमें अपने निर्यात संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाते रहना चाहिए और विदेशों में भारतीय निर्यात की जो साख बनी है उसे और बढ़ाते रहना चाहिए। और उसके साथ ही हमारे निर्यात की प्रतियोगितात्मकता में सुधार करते रहना चाहिए।

8. आयात में वृद्धि होने के बावजूद, देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (फारेन एक्सचेंज रिजर्वस) में आगे और वृद्धि हुई है, क्योंकि विदेशों से बराबर रकमें प्राप्त होती रही हैं और व्यापार खाते में भी कुछ अधिशेष (सरप्लस) रहा है। चूंकि प्रारक्षित निधि

में संचित राशियों का मतलब है विदेशों में उधार देना, इसलिये प्रारक्षित निधि में से धन-राशियां निकाल कर भारत जैसे निर्धन देश द्वारा आंतरिक विकास के लिये उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

9. प्रारक्षित निधि में संचित राशियों का उपयोग करने के लिये अनेक कदम उठाये गए हैं लेकिन उनमें बराबर वृद्धि होती रही है; इससे यही पता चलता है कि ये कदम पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये मैं एक नई सुविधा बनाने का प्रस्ताव करता हूं जिसके अन्तर्गत सांविधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाएं (टर्म लैण्डिग फाइनैन्शल इन्स्टीट्यूशन्स) और सर-कारी क्षेत्र के बैंक अनुमोदित परियोजनाओं की आयात लागत को पूरा करने के लिए उचित शर्तों पर रुपयों में वित्त-व्यवस्था करेंगे। यह वित्त-व्यवस्था रुपयों में की जाने वाली उस व्यवस्था के अलावा होगी जो कि घरेलू लागत को पूरा करने के लिये पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही है। बैंकों का एक संघ बनाया जाएगा जो सांविधिक ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दिए गए वित्त की अनुपूर्ति करने के लिये ऋण दिया करेगा।

10. साथ ही मैं इस धारणा का भी निराकरण कर देना चाहता हूं कि हमारी विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे बिना किसी वास्तविक औचित्य के खर्च किया जा सकता है। कृषि उत्पादन में घट-बढ़ होते रहने से और हमारे आयात की कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव आने से हमारे भुगतान शेष में भी भारी घट-बढ़ होती रहती है। और विकसित देशों के समान हमारे पास प्रारक्षित निधि का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। इसलिये हमारी विकास नीति में फेर-बदल करने की क्षमता और लचीलापन रखने के लिये, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रारक्षित निधि रहना आवश्यक है। अतः हमें अपनी विकास क्षमता को बढ़ाने के लिये समझदारी के साथ उसका उपयोग करना चाहिए और उसे व्यर्थ में नहीं उड़ा देना चाहिए।

11. चालू वित्तीय वर्ष में, औद्योगिक उत्पादन में 5–6 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। यह निस्संदेह 1976–77 में औद्यागिक उत्पादन में हुई वृद्धि के मुकाबले कम है। किन्तु इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वर्ष वृद्धि की दर नीची रहने के कारण, काफी हद तक यह था कि बिजली की कमी रही, और बिजली की कमी होने का कारण यह था कि पिछले सालों में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी। इसके अलावा, 1976–77 में लोहा और इस्पात तथा कोयला जैसे बड़े उद्योगों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसका बहुत-सा भाग अतिम मांग को पूरा करने की बजाए उनके अपने भडार में रख लिया गया। इसके विपरीत चालू वर्ष में, इन उद्योगों के भंडार में कमी हुई जो कि एक अच्छा लक्षण है।

12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की वर्तमान दर से संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिये कोशिश करनी होगी क्योंकि इससे रोजगार के नये अवसर पैदा करने, कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और भावी विकास के लिये बचतें जुटाने के काम में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। सरकारी निवेश में, खास तौर से बिजली, कोयला, परिवहन और सिंचाई जैसी आधारभूत सुविधाओं में अधिक पूंजी लगाने से आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके

अतिरिक्त यह भी बहुत जरूरी है कि परियोजनाओं के कार्यान्यिवन में सुधार किया जाए और साधनों का कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए।

13. उपभोक्ता वस्तु उद्योगों (कन्ज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज) की दशा में सुधार तब हो सकता है जब कि अधिक कुशल कार्य-चालन और आधुनिकीकरण के द्वारा लागत को घटाया जाए और पहले से अधिक व्यापक आधार पर मांग पैदा की जाए। कृषि क्षेत्र में पूंजी के निवेश (इन्वेस्टमेंट) और ग्रामीण विकास पर अधिक बल दिये जाने के फलस्वरूप ग्रामीण आय में वृद्धि हो जाने से बहुत से उद्योगों को लाभ पहुंचना चाहिए। इससे हमारी उस दृढ़ धारणा की पुष्टि ही होती है कि ग्रामीण विकास ही भावी विकास-नीति का मूलाधार होना चाहिए।

14. इस संबंध में निर्यात की भूमिका को भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। निर्यात संबंधी मांग ने ही इंजीनियरी, चमड़ा, लोहा और इस्पात, वस्त्र और चीनी जैसे उद्योगों को काफी हद तक सहारा दिया है। यद्यपि भारत जैसी महाद्वीपीय अर्थ-व्यवस्था में, केवल निर्यात के आधार पर विकास करने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता फिर भी इस बात पर बल देने की जरूरत है कि उत्पादन और निवेश को सहारा देने के लिये निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। निर्यात की आमदनी में वृद्धि होते रहने से नीति निर्धारण के मामले में जो सापेक्षिक स्वतंत्रता और फेरबदल करने की क्षमता मिली है उससे निर्यात संवर्द्धन (एक्सपोर्ट प्रमोशन) के सतत अभियान का महत्व उजागर होता है।

15. चालू वर्ष के दौरान आर्थिक क्षेत्र में काफी अच्छी प्रगति होने के बावजूद भी, बेरोजगारी और गरीबी की बुनियादी समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इन दैत्याकार समस्याओं पर कोई गंभीर प्रहार करने के लिये एक वर्ष का समय बहुत थोड़ा होता है। पिछले साल हमने कृषि और सहायक सेवाओं, सिंचाई और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के लिये अधिक साधनों की व्यवस्था करके एक शुरुआत कर दी थी। हमें उसी मार्ग पर बढ़ते रहना होगा क्योंकि उत्पादन और रोजगार में आवश्यक वृद्धि होने में समय तो लगेगा ही। आयोजना तैयार करने, कार्यान्वयन संगठन बनाने, उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था करने और बिक्री का प्रबंध करने का काम लगातार जारी रखना होगा। विकास की इस सामान्य नीति का ब्योरा हमें उस समय मिलेगा जबकि अगले महीने नई 'योजना' राष्ट्र को समर्पित की जाएगी।

16. कुछ मोटे निर्णय जो इस नीति के अंग होंगे, पहले ही लिये जा चुके हैं। सरकार ने अगले पांच वर्षों में 170 लाख हैक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 90 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई बड़ी परियोजनाओं से और 80 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई छोटी परियोजनाओं से की जाएगी जिससे पानी के सतही और भूमिगत दोनों प्रकार के साधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही, ऐसे प्रयत्न भी किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस भावी क्षमता का और विद्यमान सुविधाओं का भी कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए। बिजली और उर्वरक जैसे उद्योगों में और पूंजी लगाकर उपयोगी वस्तुएं अधिक मात्रा में

उपलब्ध की जाएंगी। सरकार रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ कार्बनिक खादों के प्रयोग को भी बढ़ावा देगी जिससे कि लम्बे अर्से तक इस्तेमाल में आने के बाद भी जमीन की गुणवत्ता सुरक्षित रहे। सिंचाई क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को जोरदार ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।

17. देश के कई भागों में, खेती का बहुत-सा रकबा ऐसा है जहां इस समय सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और भविष्य में भी वह सतही या भूमिगत पानी के पर्याप्त साधनों के अभाव में, सिंचाई की सुविधा से वंचित ही रहेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की विषमताओं को और अधिक नहीं बढ़ने देना है तो इन इलाकों को भी समृद्ध बनाना होगा। इसलिए बारानी खेती के तरीकों की ओर पहले से बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सभी मोटे अनाज (ज्वार-बाजरा आदि) और बहुत सी दालें, तेलहन और कपास ऐसी परिस्थितियों में ही उगाई जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उपज में वृद्धि कम होती है और पैदावार तथा कीमतों में भयंकर उतार-चढ़ाव आते हैं।

18. गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने में, कृषि के साथ-साथ लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। नई औद्योगिक नीति के विवरण में सरकारी नीति के इस उद्देश्य का समावेश किया गया है। उत्पादन के बड़े इलाके कुटीर और लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और एक ऐसे उन्नत संगठन की रूपरेखा बनाई गई है जो उन्हें तेजी से प्रगति करने में सहायता देगा। इसी के साथ-साथ, हो सकता है कि इनमें से बहुत से उद्योग उनमें व्यापक तकनीकी सुधार किए बिना सक्षम न हों, इसलिए उनके लिए अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ करने और उन्हें तकनीकी सहायता देने की तत्काल आवश्यकता है। मैं सच्चे दिल से यह आशा करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम और संगठित क्षेत्र के अन्य उपक्रम इस दिशा में प्रयत्नशील होंगे।

19. इस वर्ष औद्योगिक अशांति काफी चिन्ता का विषय बनी रही है। आपातकालीन घिनौने शासन में पहले जो मजबूरी रही उसकी कुछ प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक था। किन्तु यदि इस अशान्ति को कम किए बिना ज्यों का त्यों रहने दिया गया तो उससे उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि अतिरिक्त उपलब्धियों की उचित मांगों को पूरा किया जाना चाहिए फिर भी इनका निर्धारण, देश की सामाजिक––आर्थिक वास्तविकताओं के सन्दर्भ में ही करना होगा। अतः यह आवश्यक है कि वेतन, आय और मूल्य नीति निर्धारित करने के लिए मार्ग निर्देश प्राप्त किए जाएं। इस नीति के बारे में मार्ग निर्देशों का सुझाव देने के लिए हमने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाने वाली है। उत्पादन की हानि देश के हित में नहीं है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि श्रम, प्रबन्ध और सरकार सब मिलाकर सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने में सहयोग दें।

20. ऐसा प्रतीत होता है कि विकास के साधनों की उपलब्धता में पूंजी निवेश की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि विकास-भिन्न व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है और साधनों का आधार कटता गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यय में एकदम किफायत बरती जाए और समाज के विभिन्न वर्गों को, पर्याप्त आर्थिक औचित्य के बिना जो तरह-तरह की रियायत और सहायता दी जाती है उसे कम कर

दिया जाय। हमें परियोजनाओं के बेहतर आयोजन और कार्यान्वयन के जारिये लागत सम्बन्धी अधिक प्रभावोत्पादकता का लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्य चालन में और भी सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि उनके अधिशेष की राशियों से राजकोष में अधिक योगदान मिले।

21. कीमतों पर प्रतिकूल दबाव डाले बिना यदि निवेश-व्यय में वृद्धि करना है तो व्यक्तियों और निगमों की बचत में भी वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए उन लोगों की जीवन-शैली में अधिक सादगी लाने की आवश्यकता होगी जो बचत कर सकते हैं। और निगमों के मामले में कार्य-कुशलता बढ़ाने और अनावश्यक व्यय में कमी करने की जरूरत होगी।

1977-78 के संशोधित अनुमान

22. 1977–78 के संशोधित अनुमानों में, आय और निगम करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में बजट अनुमानों की अपेक्षा 36 करोड़ रुपए की कमी दिखाई गई है और संघ उत्पाद शुल्कों में बजट अनुमानों की अपेक्षा 140 करोड़ रुपए कम प्राप्त होने की संभावना है; इन दोनों शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमानों में क्रमशः 2336 करोड़ रुपए और 4593 करोड़ रुपए की राशि दिखाई गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि धीमी गति से हुई। दूसरी ओर, सीमा-शुल्क और ब्याज-कर से बजट अनुमानों की अपेक्षा क्रमशः 52 करोड़ रुपए और 16 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने की आशा है; बजट अनुमानों में इन शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः 1728 करोड़ रुपए और 99 करोड़ रुपए की राशि दिखाई गई थी। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा निकाल देने के बाद, जो मूल बजट में अनुमानित रकम, यानी 1799 करोड़ रुपए का है, केन्द्र का कर राजस्व का हिस्सा बजट अनुमान से 100 करोड़ रुपए कम रहेगा।

23. बाजार ऋणों की राशि 1000 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 183 करोड़ रुपए ज्यादा होगी क्योंकि बैंकों के पास अधिक राशियां जमा हुई हैं। लेकिन विदेशी सहायता के रूप में जो निवल राशि प्राप्त हुई है वह 1052 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 275 करोड़ रुपए कम है। इसका कारण यह है कि अब जो सहायता मिल रही है उसमें से अधिकांश राशि परियोजना सहायता के रूप में होती है जिसका संवितरण स्वभावतः धीरे-धीरे होता है। कार्यक्रम सहायता, जो जल्दी से उपयोग में लाई जा सकती थी, हमारे भुगतान शेष की स्थिति में सुधार हो जाने से कम कर दी गई है।

24. वर्ष के दौरान सरकार ने जनता के अधिकांश वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक निर्णय लिए जिनके कारण बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। किसानों की भलाई के लिए, वर्ष के दौरान धान और गेहूं की वसूली कीमत (प्राक्योरमेंट प्राइस) में वृद्धि की गई किन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये मुहैया करने के लिए उनकी निर्गम कीमत (इशू प्राइस) नहीं बढ़ाई गई। इसके अलावा, पिछले साल अक्टूबर में यूरिया की कीमतों में 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन की और कमी कर दी गई हालांकि आयातित उर्वरकों की लागत में वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई और उर्वरकों के स्वदेशी निर्माताओं की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य

से उनके लिए प्रतिधारण कीमतें (रिटेंशन प्राइसेज) काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। उर्वरकों की कीमतें निर्धारित करने की इस नीति के कारण केन्द्रीय बजट सेसहायता देनी पड़ती है जो कि उर्वरकों पर लगने वाले आयात और उत्पाद शुल्कों (एक्साइज ड्यूटीज) से प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं ज्यादा होती है।

25. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कई सुविधाएं दी गई। वर्ष के दौरान उनको महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई। सरकारी भविष्य निधियों पर ब्याज की दर बढ़ा दी गई और जो अभिदाता (सबस्क्राइबर) रकम नहीं निकालते उनके लिए प्रोत्साहन बोनस योजना को और ज्यादा उदार बना दिया गया। पेंशनभोगियों को भी सितम्बर, 1977 से राहतराशि की एक और किस्त मंजूर की गई। इनसुविधाओं और अन्य रियायतों के कारण कुल मिलाकर काफी व्यय हुआ।

26. आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय, जिसमें रक्षा व्यय शामिल नहीं है, 5436 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से संभवतः 118 करोड़ रुपए ज्यादा हो जाएगा। इस वृद्धि में से 84 करोड़ रुपए की वृद्धि निर्यात-संवर्द्धन के अन्तर्गत हुई है, जो खासतौर से 1976-77 की बची हुई अदायगियों के कारण और चालू वर्ष में निर्यातकर्ताओं को जल्दी से सहायता का भुगतान करने की पद्धति अपनाए जाने के कारण हुई। इस वृद्धि का छोड़कर, आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय को, पहले बताए गए अतिरिक्त बोझ के होते हुए भी, वस्तुतः मूल बजट की सीमाओं में ही रखा गया है। इस प्रकार आयोजना-भिन्न व्यय में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देने की जो प्रवृत्ति पिछले वर्ष कई सालों से चली आ रही थी उसमें एक स्वागतयोग्य परिवर्तन हुआ है। हम खर्च में ज्यादा से ज्यादा किफायत करके और अधिकतम संभव सीमा तक अनावश्यक व्ययों की काट-छांट कर ऐसा कर सके हैं।

27. आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय में कुछ अधिक परिवर्तन हुआ है। द्विपक्षीय रुपया व्यापार करारों के अन्तर्गत, विदेशों को दिए जाने वाले तकनीकी ऋणों में 100 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि हुई है। ये ऋण उस समय वापस अदा किए जायेंगे जबकि बाद में व्यापारिक असन्तुलन ठीक हो जाएगा। उर्वरकों के आयात पर 190 करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे। इसका एक कारण तो यह था कि वर्ष के अन्तिम दिनों में आयात इकट्ठे हो गए थे और दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो गई थी।

28. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, हमने वर्ष 1976 के लिए कामगारों को 8.33 प्रतिशत का न्यूनतम बोनस बहाल कर दिया है। पत्तन और गोदी कामगारों के साथ भी एक वेतन सम्बन्धी समझौता हुआ था जिसके अनुसार जनवरी 1974 से बकाया की अदायगियां करनी पड़ीं। इनके कारण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ा है। इस कारण और कुछ अन्य प्रतिकूल बातों की वजह से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बजट के माध्यम से दी जाने वाली सहायता में 113 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

29. रक्षा व्यय उतना ही, यानी 2752 करोड़ रुपए का रहा है जितना कि मूल बजट में रखा गया था।

30. संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि पैट्रोलियम, उर्वरक, इस्पात और दूर संचार पर आयोजना-व्यय, बजट में निर्धारित राशि से काफी कम होगा। यह मुख्य रूप से मशीनरी और उपस्कर की सुपुर्दगी के कार्यक्रम में और सिविल निर्माण कार्यक्रमों में गड़बड़ी हो जाने के कारण हुआ। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम पूर्वानुमानों से अधिक मात्रा में आंतरिक साधन पैदा कर सके और इसलिए उन्हें अपने आयोजना परिव्यय (प्लान आउटले) की वित्त व्यवस्था करने के लिए बजट के माध्यम से पहले से कम सहायता की जरूरत पड़ी।

31. दूसरी ओर, ग्रामीण विकास सहित कृषि के कुल परिव्यय में 12 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। स्वास्थ्य के आयोजना व्यय में भी 13 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी; इसका मुख्य कारण यह है कि मलेरिया उन्मूलन के कार्यक्रम को और तेज कर दिया गया है। नई योजनायें, चालू, करने से और पहले से चली आ रही योजनाओं, खासतौर से इस्पात और विद्युत संयन्त्रों से जुड़ी हुई योजनाओं के कार्य मेंतेजी लाने से कोयला क्षेत्र के परिव्यय में 13 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

32. कुल मिलाकर, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं का बजट सम्बन्धी परिव्यय 3978 करोड़ रुपए की मूल बजट व्यवस्था से सम्भवतः 230 करोड़ रुपए कम होगा। जिस गति से आयोजनागत परियोजनाओं पर व्यय हो रहा है उससे मुझे बिलकुल संतोष नहीं है। जरूरत इस बात की है कि संगठन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। आने वाल महीनों में इस प्रश्न पर और अधिक ध्यान देने का विचार है।

33. राज्यों की आयोजनाओं को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि 2031 करोड़ रुपए होगी जब कि बजट में इसके लिए 1617 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। राज्यों को उनकी आयोजनाओं की वित्त व्यवस्था की कमी को पूरा करने के लिए और हाल में अभूतपूर्व दैवी विपत्तियों से प्रभावित राज्यों को अग्रिम आयोजना सहायता देने के लिए 414 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च की गई।

34. पिछले साल जब मैंने बजट पेश किया था तब मैंने बजट में 84 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया था। यह अनुमान मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले 800 करोड़ रुपए के उधार को हिसाब में शामिल करते हुए यह मानकर लगाया था कि वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में से धनराशियाँ निकाली जायेंगी। लेकिन प्रारक्षित निधि में से धनराशि निकाल लेने की देश की क्षमता के बारे में मेरा अनुमान सच नहीं निकला। चूंकि मैंने स्पष्ट रूप से यह वायदा किया था कि मैं भारतीय रिजर्व बैंक से उसी हालत में इस ऋण का इस्तेमाल करूंगा जब कि प्रारक्षित निधि से धनराशियां निकाल ली जायेंगी; इसलिए अब मैं वह उधार नहीं लेना चाहता। अनुमान है कि अब कुल मिलाकर बजट का घाटा 975 करोड़ रुपए का होगा। यह एक बड़ी रकम दिखाई पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि इस राशि में से 414 करोड़ रुपए की रकम प्रत्यक्ष रूप से उस अतिरिक्त सहायता की द्योतक है जो कि मुझे विवश होकर राज्यों को उनका घाटा पूरा करने के लिए देनी पड़ी थी। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि मैंने उनका ध्यान राज्यों की पदमुक्त सरकारों की

अदूरदर्शितापूर्ण वित्तीय नीतियों की ओर भी दिलाया था। इसके अतिरिक्त उन बहुत से राज्यों को मदद भी दी जानी थी जिनके यहां तूफानों और बाढ़ों से अत्याधिक क्षति पहुंची थी। इसके परिणामस्वरूप साधनों में काफी कमी हो गई। राज्यों की नई सरकारों को सहायता देना मेरा कर्त्तव्य था जिससे कि वे समुचित रूप से नए सिरे से काम शुरू कर सकें। ऐसा करने के बाद मैं उनसे उचित रूप से यह आशा कर सकता हूं कि वे इसके बाद अपने कार्यों की व्यवस्था इस प्रकार से करेंगे कि उन्हें अनधिकृत रूप से ओवरड्राफ्ट लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं यह साफ-साफ बतला देना चाहूंगा कि मैं इस अस्वस्थ प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

35. दूसरी 190 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम उर्वरकों का आयात करने के लिए खर्च की गई है। इस प्रक्रिया से हमने वास्तव में, विदेशी मुद्रा को उर्वरकों के मूल्यवान भंडार में रूपांतरित कर दिया है और इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हमने मुद्रा उपलब्धि में कोई वृद्धि नहीं की है। सम्मानित सदस्य यह देखेंगे कि हालांकि यह घाटा देखने में बड़ा मालूम होता है परन्तु सरकार की पूर्ति-व्यवस्था तथा ऋण नियंत्रण की दूरदर्शितापूर्ण नीतिय के कारण इसके सभी प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों को काबू में रखा जा सका है और हमने इस वर्ष को बिना किसी मुद्रास्फीती के पूरा कर दिया है।

1978-79 के लिए बजट अनुमान

36. वर्ष 1978-79 की वार्षिक आयोजना उस समय तैयार की गई जब कि नई 'राष्ट्रीय योजना' को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ पांचवीं आयोजना समाप्त हो रही है और पहली अप्रैल 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू हो जाएगी। योजना आयोग इस समय, परिवर्तित प्राथमिकताओं के अनुसार विकास की नई नीति तैयार कर रहा है। अगले महीने जब राष्ट्रीय विकास परिषद् इस पर विचार-विमर्श कर चुकेगी तब इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

37. सम्मानित सदस्य यह महसूस करेंगे कि आयोजन एक सतत प्रक्रिया है और किसी भी समय अनेकों ऐसी योजनायें और कार्यक्रम चालू रहते हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा इनमें बहुत सी परियोजनायें समाप्ति की ओर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं और इसलिए अगर उनसे समय पर फल प्राप्त करने हैं तो उनके लिए समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इन्हीं बातों ने 1978-79 की आयोजनागत प्राथमिकताओं का फिर से क्रम निर्धारण करने की हमारी स्वतन्त्रता को सीमित कर दिया है। फिर भी मैं यह कहने क साहस कर सकता हूं कि 1978-79 की वार्षिक आयोजना, जिस रूप में यह तैयार हुई है, विकास की कृषि-प्रधान और रोजगार-बहुल नई नीति को अपनाने के वर्तमान सरकार के वायदे को प्रतिबिम्बित करती है।

38. वर्ष 1978-79 के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक आयोजनाओं का कुल परिव्यय, 1977-78 के 9960 करोड़ रुपए के मुकाबले, 11649 करोड़ रुपए का होगा। यह 17 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। इस परिव्यय में से कोई 10465 करोड़ रुपए पहले से चली आ रही योजनाओं पर खर्च होंगे। शेष में से 150 करोड़ रुपए नई विद्युत

परियोजनाओं का श्रीगणेश करने के लिए रखे गए हैं और 1034 करोड़ रुपए अन्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। उत्तरोक्त राशि का 80 प्रतिशत भाग, यानी 828 करोड़ रुपए कृषि सम्बन्धी और ऐसी अन्य योजनाओं के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक होंगी।

39. वर्ष 1978-69 के केन्द्रीय बजट में 7281 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय आयोजना के लिए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में सहायता देने के लिए रखी गई है। वर्ष 1977-78 के लिए यह राशि 5790 करोड़ रुपए की थी।

40. राज्यों की आयोजनाओं में और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में, पहाड़ियों और आदिम जातीय क्षेत्रों की उप-आयोजनाओं में केन्द्रीय सहायता देने के लिए तथा उत्तर पूर्व परिषद् को और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सहायता देने के लिए 2761 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए 4520 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक और अन्य साधनों को मिलाकर, 1978-79 की केन्द्रीय आयोजना, 1977-78 की 4939 करोड़ रुपए की आयोजना के मुकाबले 5664 करोड़ रुपएकी होगी। कुल मिलाकर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं उनके अपने साधनों सहित, 5985 करोड़ रुपए की होंगी जबकि 1977-78 में ये आयोजनायें 5021 करोड़ रुपए की थीं।

41. बहुत-से वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं कुल मिलाकर केन्द्रीय आयोजना से बड़ी होंगी। कुल मिला कर राज्यों की आयोजनाओं के परिव्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरी ओर, केन्द्रीय आयोजना में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे कृषि, सिंचाई, बिजली और ग्रामीण विकास के पक्ष में हमने अयोजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं का जो नया क्रम-निर्धारण किया है उसका पता चलता है क्योंकि ये सभी योजनायें राज्यों की आयोजनाओं का प्रमुख अंग है; और इससे कुछ अंश तक इस परिवर्तन का भी पता चलता है कि आयोजन के मामले में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा है। प्रत्येक राज्य की आयोजना में कृषि, पहले से चल रही बड़ी और दरमियानी सिंचाई की परियोजनाओं तथा बिजली परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इन दो क्षेत्रों की अत्यावश्यक नई योजनाओं के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

42. कृषि और ग्रामीण विकास पर बल देने की हमारी नीति के अनुसार, 1978-79 में कृषि के लिए 1754 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय रखा गया है; इस प्रकार इसमें 490 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। खासतौर से सिंचाई क्षेत्र विकास के परिव्यय को, जो 1977-78 में 49 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 के लिए 82 करोड़ रुपए कर दिया गया है और केन्द्रीय आयोजना में छोटे किसानों के विकास अभिकरण (एजेंसी) के परिव्यय को 45 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1978-79 के लिए 115 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले इलाकों के कार्यक्रम के परिव्यय की, जो 1977-78 में 51

करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 के लिए 76 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए 1978-79 में 20 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं जबकि 1977-78 में उसके लिए केवल 6 करोड़ रुपए रखे गए थे।

43. नई आयोजन-नीति के अनुसार, खण्ड विकास आयोजनायें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे रोजगार की व्यवस्था करने के लिए एक बड़ा साधन होंगी। इस कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस बीच, मैंने इस कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपए की सांकेतिक व्यवस्था कर दी है। जब इस कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा मालूम हो जाएगा तब इस राशि को और बढ़ा दिया जाएगा।

44. ग्रामीण विकास की नई नीति के एक अंग के रूप में डेरी विकास के एक विशाल कार्यक्रम--आपरेशन फ्लड II--को चालू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम से लोगों का पोषण-स्तर ऊंचा होगा। पहले दौर में इससे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके सक्षम सहायक धन्धों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ेगी। इस परियोजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके कार्यान्वयन के लिए अभी तैयारी की जा रही है लेकिन इस बीच कार्यक्रम-पूर्व के कुछ आवश्यक तत्वों पर कार्रवाई करने की स्वीकृति दे दी गई है ताकि कार्यक्रम का मुख्य काम समय पर शुरू किया जा सके।

45. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश का समुद्रतट बहुत विस्तृत है और मछियारी का काम करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है, केन्द्रीय आयोजना में मीन-क्षेत्रों के परिव्यय को, जो 1977-78 में 33 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 में 61 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार परिव्यय बढ़ा दिए जाने से बुनियादी आधारभूत सुविधायें तो मजबूत होंगी ही, साथ ही रोजगार में भी वृद्धि होगी और मछुओं की आय भी बढ़ेगी।

46. अपने पिछले बजट भाषण में मैंने बताया था कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, सब तरह के मौसम में काम देने वाली पहुंच सड़कें बनाने और समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के काम को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। वर्ष 1978-79 में राज्यों की आयोजनाओं में ग्रामीण सड़कों के परिव्यय को, जो चालू वर्ष में 85 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 115 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गांवों में पानी की व्यवस्था करने के लिए 1978-79 में राज्यों की परियोजनाओं में 105 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी जबकि चालू वर्ष में इसके लिए 70 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसकी अनुपूर्ति के लिए केन्द्रीय आयोजना में भी 60 करोड़ रुपए की एक विशेष व्यवस्था की गई है। इस प्रकार पिछले साल जो यह वचन दिया गया था कि गांवों में पानी की व्यवस्था और सड़कों के निर्माण के लिए अधिक धनराशि निर्धारित की जाएगी, वह पूरा कर दिया गया है। मैं तो और आगे बढ़कर राज्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि इन कार्यक्रमों को कारगर तरीके से कार्यान्वित किया गया तो मैं इन धनराशियों को और बढ़ाने के लिए भी तैयार रहूंगा।

47. मैंने पहले भी इस बात पर बल दिया था कि ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। इनके लिए

1978-79 में कुल 219 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है जबकि 1977-78 में इनके लिए 145 करोड़ रुपए रखे गए थे।

48. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों को अब विशेष प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इनके परिव्यय को, जो 1977-78 में 86 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 में 125 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राज्यों की आयोजनाओं में आदिम जातियों के विकास के लिए परिव्यय को, जो 1977-78 में 258 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 में 343 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, आदिम जातियों से सम्बन्धित उप-आयोजनाओं के लिए केन्द्र की ओर से जो विशेष, सहायता दी जाती है वह भी बढ़ाकर 1978-79 में 70 करोड़ रुपए की जा रही है जबकि 1977-78 में इसके लिए 55 करोड़ रुपए रखे गए थे।

49. अगले पांच वर्षों में 170 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता बनाने का जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके लिए पूंजी निवेश में भारी वृद्धि करनी होगी और आयोजन, निष्पादन तथा पर्यवेक्षण के लिए संगठनात्मक व्यवस्था को नया रूप देने, सुदृढ़ करने और सुचारु बनाने की आवश्यकता होगी। बड़ी और दरमियानी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1978-79 में 1166 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा जबकि 1977-78 में इसके लिए 1032 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1978-79 में, 1977-78 के 206 करोड़ रुपए के मुकाबले, 235 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय होगा। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से ऋण लेकर इस परिव्यय की काफी हद तक अनुपूर्ति की जाएगी। आशा की जाती है कि 1978-79 में, 1977-78 के 22.3 लाख हैक्टेयर के मुकाबले, 30 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का निर्माण किया जाएगा।

50. पिछले वर्षों में, बिजली के लिए अपर्याप्त धन-राशि नियत किए जाने और बिजली परियोजनाओं को धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने की वजह से इस बुनियादी आधार-भूत सुविधा में बराबर कमी महसूस की जाती रही है। यदि हम चाहते हैं कि बिजली की बार-बार होने वाली कमी की वजह से हमारी विकास की गति अवरुद्ध न हो तो इन दोनों बातों में सुधार करना होगा। इसलिए 1978-79 की आयोजना में बिजली पैदा करने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करने और पारेषण तथा वितरण व्यवस्था का विकास करने की परिकल्पना की गई है। आगामी वर्ष में कुल मिला कर लगभग 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता का निर्माण करने की योजनाओं को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें से लगभग 3,500 मेगावाट बिजली 1978-79 में पैदा की जाने लगेगी जबकि चालू वर्ष में लगभग 2,000 मेगावाट बिजली पैदा किए जाने का अनुमान था और इस तरह देश में बिजली पैदा करने की कुल क्षमता बढ़ कर 29,000 मेगावाट हो जाएगी।

51. केन्द्रीय क्षेत्र में कई परियोजनाओं, जैसे कोरबा उच्च तापीय परियोजना, रामगुंडम उच्च तापीय परियोजना, नेवेली स्थित द्वितीय खान कटाव समेत बिजली-घर, बदरपुर तापीय

बिजली घर-तीसरा चरण, दामोदर घाटी निगम के बोकारो तापीय बिजली घर और पंचेत पहाड़ी के उद्वाहित संग्रहण संयंत्र (पम्प्ड स्टोरेज प्लांट) में नया काम शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उच्च तापीय बिजली-घरों से सम्बद्ध केन्द्रीय क्षेत्र में तथा राज्यों में 400 के०वी० की नई पारेषण लाइनों का काम हाथ में लेने के लिए भी व्यवस्था की गई है। भार प्रेषण केन्द्रों के काम की रफ्तार भी तेज की जा रही है। इससे सदन को बिजली पैदा करने के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल जानी चाहिए जिसे हम हाथ में लेने जा रहे हैं।

52. बिजली के विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना में 244 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बिजली के लिए अधिकांश व्यवस्था राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में की गई है जहां इसके परिव्यय के लिए कुल 1953 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। बिजली के क्षेत्र के लिए 1978-79 में 2217 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष में इसके लिए 1925 करोड़ रुपए की रकम रखी गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण के महत्व को देखते हुए इसके लिए व्यवस्था को बढ़ा कर 297 करोड़ रुपए कर दिया गया है जबकि चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए 195 करोड़ रुपए रखे गए थे। हम इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि इन परियोजनाओं को शीघ्रता तथा कुशलता से कार्यान्वित किया जाए ताकि इतनी भारी मात्रा में लगाई गई पूंजी से अर्थव्यवस्था को पूरा पूरा लाभ पहुंचे।

53. तेल के क्षेत्र के लिए 1978-79 में 630 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के हमारे प्रयासों में कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। यह दूसरा कदम है जो राष्ट्र ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाया है।

54. इस्पात के लिए 1978-79 के बजट में 563 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जबकि 1977-78 में 511 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। भिलाई और बोकारो के विस्तार कार्यक्रमों, राउरकेला के कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड प्लांट और सेलम इस्पात संयंत्र की आवश्यकतायें पूरी कर दी गई हैं। कुद्रेमुख परियोजना के परिव्यय को, 1977-78 के 142 करोड़ रुपए से बढ़ा कर, अगले वर्ष में 213 करोड़ रुपए किया जा रहा है ताकि परियोजना को सुनिश्चित समय पर पूरा किया जा सके।

55. इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह सरकार परिवार नियोजन के कार्य को कम महत्व दे रही है। इस प्रकार की धारणा बिल्कुल गलत है। परिवार नियोजन के जोरदार तथा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का हमारा वायदा पक्का और साफ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 1978-79 में 393 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है जबकि 1977-78 में इस प्रयोजन के लिए केवल 284 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। अब इस बात को महसूस किया जा रहा है कि परिवार नियोजन के संकुचित पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय, परिवार कल्याण की व्यापक संकल्पना को अपनाने से परिवार नियोजन की पद्धतियों को ज्यादा अच्छी तरह से स्वीकार किया

जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए भी, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की योजना भी शामिल है, केन्द्रीय आयोजना तथा राज्यों की आयोजना में पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है।

56. यह सरकार इस तथ्य को पूर्ण रूप से मान्यता देती है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के आधुनिकीकरण में और कृषि तथा उद्योग के विकास में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मूल्यवान योगदान देना है। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिव्यय को, जो 1977-78 में 179 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 में 220 करोड़ रुपए कर दिया गया है, अर्थात उसमें 23प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के लिए व्यवस्था को, 1977-78 के 37 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1978-79 में 51 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारतीय उपग्रह परियोजना (इन्सेट-I), जिसके सम्बन्ध में 1978-79 में 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह परियोजना इस अर्थ में अद्वितीय है कि इसमें दूरसंचार, ऋतु विज्ञान तथा दूरदर्शन की अनेक सुविधाएं एक साथ रखी गई हैं।

57. अनुमान है कि रक्षा-सम्बन्धी व्यय को छोड़कर आयोजना--भिन्न राजस्व व्यय 5908 करोड़ रुपए का होगा, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 354 करोड़ रुपए ज्यादा है। ब्याज की अदायगियों तथा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की वजह से कुल मिलाकर 384 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। यदि हम इन दोनों मदों को शामिल न करें, तो अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से कम बैठेगा। आयोजना-भिन्न व्यय पर कड़ी निगरानी रखने से और अधिक से अधिक किफायत करने के उद्देश्य से उसमें काट-छांट करने के कारण यह सम्भव हुआ है। सहायता के रूप में जो विभिन्न प्रकार की अदायगियां की जाती हैं, वे वर्तमान आर्थिक स्थिति में कितनी प्रसंगानुकूल रहेंगी इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी समीक्षा की गई है और तत्सम्बन्धी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से कम कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, बजट के जरिये जो आयोजना-भिन्न सहायता दी जाती है उसमें भी चालू वर्ष की अपेक्षा 127 करोड़ रुपए की कमी की जा रही है।

58. अगले वर्ष में रक्षा व्यय, चालू वर्ष के 2752 करोड़ रुपए के मुकाबले 2945 करोड़ रुपए होगा।

59. अनुमान है कि कराधान की वर्तमान दरों पर 1978-79 में, 9636 करोड़ रुपए का सकल कर-राजस्व प्राप्त होगा जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 730 करोड़ रुपए अधिक है। आशा है कि आय-कर तथा निगम-कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में क्रमशः 115 करोड़ पए तथा 145 करोड़ की वृद्धि होगी। अनुमान है कि संघ उत्पाद-शुल्कों से 374 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे। सीमा-शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी 70 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो 1929 करोड़ रुपए का है, पहले से 130 करोड़ रुपए ज्यादा होगा।

60. बाजार ऋणों से 1650 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी जबकि चालू वर्ष में 1183 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। मूल रकम की वापसी और ब्याज की अदायगी की व्यवस्था करने के बाद, 1138 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। इस राशि में नए ऋणों के आधार पर प्राप्त भुगतान भी शामिल हैं।

61. अन्य प्राप्तियोंको हिसाब में लेने के बाद, 1978-79 में कुल मिलाकर 17021 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है। अगले वर्ष में कुल व्यय 18417 करोड़ रुपए का होगा। इस तरह से कराधान की वर्तमान दरों पर बजट में कुल घाटा 1396 करोड़ रुपए का रहेगा। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने कल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियोंको पहली जनवरी 1978 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त देने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। चीनी उद्योग के सम्बन्ध में सरकार की नई नीति भी कल घोषित की गई थी। इन दोनों निर्णयों के कारण अगले साल केन्द्रीय राजकोष पर 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जाहिर है कि मैं इस व्यय को अपने बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं कर सका हूं। तथापि मुझे आशा है कि यह अतिरिक्त व्यय किफायत के उन उपायोंसे, जिनके कार्यन्वियन मेंउत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, काफी हद तक बजट अनुमानों के भीतर ही पूरा किया जा सकेगा।

62. जाहिर है कि यह 1396 करोड़ रुपए का घाटा बहुतअधिक है और इसे पूरा करने के लिए अर्थोपाय ढूंढने का कठिन और चुनौतीपूर्ण भार मेरे कन्धों पर है। मैं देश की अर्थ-व्यवस्था की बहुत-सी अनुकूल बातों का उल्लेख कर चुका हूं जो हमें इतने बड़े किन्तु औचित्यपूर्ण घाटे के होते हुए भी, मुद्रास्फीति की स्थिति को पैदा किए बिना, अपनी अर्थ-व्यवस्था को ठीक तरह से संचालित करने के लिए आवश्यक शक्ति और अवसर प्रदान करती हैं। किन्तु समझदारी का तकाजा है कि घाटे को, चाहे वह कितना ही औचित्यपूर्ण क्यों न हो, यथासंभव कम से कम स्तर पर रखा जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त साधन जुटाए जाएं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र इतने बड़े आकार की राष्ट्रीय आयोजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सहर्ष योगदान देगा जिसके सहारे हम अपने गंतव्य पर तीव्रतर गति से पहुंच सकेंगे।

63. साधन जुटाने के अपने प्रस्तावों को तैयार करते समय, मैंने कराधान (टैक्सेशन) नीति के उन हितकारी सिद्धांतों को ध्यान में रखा है, जो कि जनता पार्टी के, नवम्बर, 1977 में जारी किए गए आर्थिक नीति संकल्प में निर्धारित किए गए हैं। इन सिद्धांतों को यहां दोहरा देना उचित होगा।

"हमारी मान्यता है कि सरकार को अपनी कराधान नीति निर्धारित करते समय पांच बातें ध्यान में रखनी चाहिएं, अर्थात्:—

(1) सरकारी निवेश (इन्वेस्टमेंट) व्यय को बढ़ाने के लिए सरकारी आय बढ़ना बहुत जरूरी है इसलिए भविष्य में किए जाने वाले निवेश के लिए आवश्यक ऊंचे करों का बोझ देश की जनता को उठाना ही पड़ेगा।

(2) साथ हीकराधान नीति का उद्देश्य समन्यायपूर्ण व्यापक वितरण की व्यवस्था होना चाहिए और इसमें अदायगी कर सकने की क्षमता को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

(3) कर ऐसे होने चाहिएं जिनको वसूल करना आसान हो और करदाता आसानी से यह जान सके कि उसे कितनी रकम अदाकरनी है। करप्रशासनको सरल तथा युक्तिसंगत बनाने की अविलम्ब आवश्यकता है।

(4) करों में अन्तर्निहित वृद्धिशीलता और कमी को पूरा करने की सहज क्षमता होनी चहिए ।

(5) कराधान नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना होना चाहिए और उससे उत्पादन और बचतों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ।"

64. मुझे इस सम्बन्ध में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी भागों से परामर्श प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिला है। इसके अतिरिक्त इससम्बन्ध में मुझे दो महत्वपूर्ण रिपोर्टें अर्थात् प्रत्यक्ष करों (डाइरेक्ट टैक्सेज) के सम्बन्ध में चौक्शी समिति की अंतरिम रिपोर्ट और अप्रत्यक्ष करों केवारे में झा समिति की अंतिम रिपोर्ट मिली है। इन रिपोर्टों में बहुत से उपयोगी सुझाव दिए गए हैं और मैंने उन पर सम्मानपूर्वक विचार किया है।

65. अपने कराधान (टैक्सेशन) प्रस्तावों का निरूपण करने से पहले में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी घोषणाएं करना चाहता हूं, जो इस बजट से सम्बन्ध रखती हैं।

66. ऊंचे मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेशन) किए जाने का उद्देश्य मुख्य रूप से अवैध लेन-देनों पर अकुंश लगाना था। सरकार द्वारा किया गया यह उपाय उन उपायों की शृखला में से एक है जिन्हें सरकार समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध उपयोग में लाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। सीमा-शुल्क अधिकारियों की कड़ी निगरानी और तस्करी से आए सोने की बरामदगी और जब्ती के बावजूद भी, दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि सोने का तस्कर व्यापार किसी हद तक होता ही रहा है। भारत में सोने की कीमतों और अन्तर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों के बीच जो भारी अन्तर है वही तस्करों के लिए एक बड़ा प्रलोधन है। सोने का तस्कर व्यापार (स्मगलिंग) न केवल गैर-कानूनी है बल्कि इसकी वजह से काले धन का कारबार कायम रहा है और विदेशी मुद्रा का अवैध धन्धा (रैकेटियरिंग) पनपा र। इसलिए सोने के तस्कर व्यापार की इस बुराई को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि हम इस व्यापार की रोकथाम के उपायों के अलावा कुछ आर्थिक उपायों को अपनाने पर भी विचार करें। हमने इस प्रश्न पर बड़े ध्यान से विचार किया है और सरकारी भण्डारों से सोने की बिक्री शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी।

67. विदेशों में भारतीय सोने के आभूषणों की बहुत ज्यादा मांग है। इससे न केवल हम बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे, बल्कि भारतीय जौहरियों की अद्वितीय कारीगरी को भी लाभोपार्जक (गेनफुल) उपयोग में ला सकेंगे। अब तक सोने की ऊंची स्थानीय कीमतों, सोने के आभूषणों के निर्यात पर लगी पाबंदियों और बंधपत्र देने (बौंडिंग) की पेचीदा और बाधक

प्रक्रियाओं के कारण सोने के आभूषणों के निर्यात में भारी रुकावटें आती रही हैं। इसलिए सरकार ने सोने के आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक सरल योजना लागू करने का फैसला किया है। इस तरह के स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए या तो सोने का आयात करने की अनुमति अथवा सरकारी सोने के भण्डार से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर सोने को बेचकर सुविधा दी जाएगी। इस योजना के ब्यौरे की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

68. सम्मानित सदस्यों को स्मरण होगा कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र (मैनिफेस्टो) में कहा गया था कि सरकार बिक्री-कर और चुंगी (आक्ट्रांय) हटाने के प्रश्न पर भलीभांति विचार करेगी। वांछनीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा वित्त मंत्रियों से कई बार बात-चीत की है। बिक्री-कर से कुल मिलाकर 2,500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है और इस में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। बिक्री कर ही राज्यों के राजस्व का मुख्य साधन है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने आमतौर पर बिक्री कर को हटा देने के मामले में कोई उत्साह नहीं दिखाया है। राज्यों के इस रवैये को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए हुए कि बिक्रीकर हटा देने के मामले में राजी करने के लिए लगातार आग्रह करते रहने और धैर्य से काम लेने की जरूरत है, निश्चय ही इसे कोई ऐसा काम नहीं समझ लिया जाना चाहिये कि जिसे निकट भविष्य में सम्पन्न किया जा सकता है।

69. किन्तु चुंगी की स्थिति दूसरी तरह की है। चुंगी से 250 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इस अनचाहे महसूल को हटाने के लिए जिससे व्यापारियों को तथा परिवहन उद्योग को भारी असुविधा होती है बड़े लम्बे अर्से से मांग की जा रही है। जिन सभी समितियों ने इस विषय का अध्ययन किया है एकमत से इसे हटा देने की सिफारिश की है। अध्ययनों से यह भी जाहिर हुआ है कि चुंगी वसूली के काम पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इस बात पर दो मत नहीं हो सकते कि चुंगी को हटा दिए जाने की कार्रवाई का व्यापक रूप से स्वागत होगा क्योंकि इसको समाप्त कर देने से देश की परिवहन (ट्रांसपोर्ट) व्यवस्था के सुव्यवस्थित और स्वस्थ विकास म सहायता मिलेगी और मालभाड़े की लागत भी काफी कम हो जाएगी। इसलिए मैं राज्य सरकारों से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव करना चाहता हूं कि वे चुंगी को समाप्त करने के लिए मुनासिब कानून लागू करें। इस समय चुंगी की आमदनी स्थानीय प्राधिकरणों (लोकल ऑथॉरिटीज) को प्राप्त होती है। इसलिए स्वाभाविक है कि स्थानीय प्राधिकरण चुंगी के राजस्व की हानि के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) की मांग करेंगे और राज्य सरकारें निःसंदेह केन्द्र से तत्सम्बन्धी मुआवजा देने की मांग करेंगी। इसका संतोषजनक समाधान ढूंढने के लिए हम राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे।

70. अब मैं कुछ शब्द अपने साथी संचार मंत्री की ओर से कहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि में की गई वृद्धि के कारण डाक-तार विभाग की डाक शाखा के व्यय में जो कि बहुत अधिक श्रम-प्रधान (लेबर इंटेंसिव) है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। किन्तु व्यय के बढ़ने के साथ-साथ राजस्व में उतनी वृद्धि नहीं हुई है और विभिन्न डाक सेवाओं का खर्चा अर्जित राजस्व के मुकाबले कहीं ज्यादा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप डाक-शाखा घाटा उठाती चली आ रही है और अनुमान है कि चालू वर्ष में यह घाटा लगभग 23 करोड़ रुपए का है। इसलिए यद्यपि अधिकतर डाक सेवाओं की शुल्क दरों में वृद्धि करने का औचित्य है तथापि केवल

उन्हीं डाक सेवाओं के शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिनसे जनसाधारण पर खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कोई असर नहीं पड़ेगा। बजट-पत्रों के साथ एक ज्ञापन भी दिया जा रहा है जिसमें डाक शुल्क दरों (पी० एण्ड टी० टैरिफ) में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा दिया गया है।

71. अनुमान है कि शुल्क दरों के इन परिवर्तनों से जिन्हें वित्त विधेयक अधिनियमित हो जाने के बाद सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू किया जाएगा, प्रतिवर्ष 13.73 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अनुमान है कि 1978-79 में 11.44 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। शुल्क दरों के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होने वाली आमदनी को डाक-तार के आन्तरिक साधनों का अनुमान लगाते समय हिसाब में शामिल कर लिया गया है।

72. अब मैं प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों के बारे में कहूंगा।

73. मैंने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि निवेश में की जाने वाली सारवान (सबस्टैंशियल) वृद्धि को सहारा देने के लिए यह जरूरी है कि बचतें जुटाने के लिए और ज्यादा कोशिश की जाए। इसलिए प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्तावों का उद्देश्य यह है कि बचतें और ज्यादा बढ़ें, कारबार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में बेशुमार फ़िजूलखर्ची बंद हो और विकास तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए धनराशियों का उपयोग हो। वांछित दिशाओं में और ज्यादा पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कर सम्बन्धी राहत देने की व्यवस्था भी मैंने की है।

74. बचत के रूप में अतिरिक्त साधन जुटाने के उद्देश्य से मैं आयकर-दाताओं के मामले में अनिवार्य जमा (कम्पल्सरी डिपाज़िट) की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसे करदाताओं को जिनकी वर्तमान आय 15000 रुपए तक है, आगे भी अनिवार्य रूप से रकम जमा नहीं करानी होगी परन्तु 15000 रुपए से ऊपर और 25000 रुपए तक की आय के मामले में इस दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाएगा। 25001 रुपए से 70000 रुपए के आय-खण्ड में इस समय 10 प्रतिशत की दर से अनिवार्य रकम (कम्पल्सरी डिपाजिट) जमा करानी पड़ती है। मैं इस आय-खण्ड को दो भागों में विभक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अनुसार 25001 रुपए से 35000 रुपए के आय-खण्ड के लिए अनिवार्य जमा की दर 11 प्रतिशत होगी और 35001 रुपए से 70000 रुपए तक के आय-खण्ड के लिए यह दर 12 प्रतिशत होगी। 70000 रुपए से ऊपर के आय-खण्ड के लिए इस दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस उपाय से 1978-79 में लगभग 25 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

75. मैं जीवनबीमा भविष्यनिधि अंशदानों और बचत के अन्य अनुमोदित रूपों के माध्यम से की जाने वाली दीर्घावधिक बचत से सम्बन्धित रियायत को भी उदार बनाना चाहता हूं। इस समय कराधान-योग्य आय (टैक्सेबल इन्कम) का निर्धारण करने के लिए रियायत की पात्रता वाले बचतों के पहले 4000 रुपए के 100 प्रतिशत अंश की, अगले 6000 रुपए के 50 प्रतिशत अंश की तथा शेष राशि के 40 प्रतिशत अंश की कटौती की जाती है। किन्तु मैं रियायत की पात्रता वाली बचतों के पहले 5000 रुपए के 100 प्रतिशत के बराबर की कटौती किये जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे अगले 5000 रुपए के सम्बन्ध में 50

प्रतिशत की वर्तमान दर पर और इसी प्रकार शेष राशि के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत की वर्तमान दर पर कटौती की जाती रहेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती की पात्रता प्राप्त करने वाली बचतों की मौद्रिक सीमा को भी 20000 रुपए से बढ़ाकर 30000 रुपए किया जा रहा है। एक पूरे वर्ष में इन उपायों से 10 करोड़ रुपए और 1978-79 में 7.5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

76. पूंजी लगाने वाले लोग स्वभावतः ऐसे निवेश को पसंद करते हैं जिससे उन्हें जोखिम के बिना आमदनी हो और इस तरह की आमदनी उन्हें या तो बैंकों में मीयादी जमा से या ऐसी सुप्रतिष्ठित कम्पनियों के शेयरों में रकम लगाने से हासिल होती है जो आज तक अच्छा लाभांश अदा करती रही हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नई कम्पनियों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। अतः इस प्रकार की नई कंपनियों में पूंजी-निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं कराधान योग्य आय का हिसाब लगाने के मामले में नई औद्योगिक कम्पनियों की सामान्य शेयर पूंजी में लगाई गई रकम के 50 प्रतिशत तक कटौती की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। एक वर्ष में इस प्रकार की कटौती की पात्रता प्राप्त करने वाले निवेश की अधिकतम सीमा 10000 रुपए होगी। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपए की और 1978-79 में 3.5 करोड़ रुपए की हानि होगी। मैं तो खुशी से, इससे भी ज्यादा हानि बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि इससे पूंजी निवेश को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलता हो।

77. पिछले वर्ष मैंने पूंजी अभिलाभों (कैपिटल गेन) को उन मामलों में छूट देने की व्यवस्था की थी, जिनमें किसी परिसम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाली बिक्री की रकम को छः महीने के अन्दर अन्दर भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, भारतीय कम्पनियों के शेयरों, बैंकों की जमा राशियों या अन्य विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों (स्पेसिफाइड एसेट्स) में फिर से लगा दिया गया हो। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए कि इस रियायत से निवेश योग्य धनराशियां नए उपक्रमों में लगाई जाएं, मैं तात्कालिक प्रभाव से, यह व्यवस्था करता हूं कि भारतीय कम्पनियों के शेयरों में किये गए निवेश को, पूंजी अभिलाभ कर से छूट दिये जाने के प्रयोजन से केवल उसी स्थिति में हिसाब में लिया जाएगा जबकि ऐसा निवेश नई औद्योगिक कम्पनियों के सामान्य शेयरों में किया गया होगा।

78. बैंक अपने यहां जमा की गई मियादी रकमों (फिक्सड डिपाजिट) की जमानत पर, काफी ऋण दे देते हैं। इस तरह से वे करदाता, जो इस तरह की रकमें जमा कराकर पूंजी अभिलाभ कर से छूट प्राप्त कर लेते हैं, तदनुकूल त्याग किए बिना ही, अनुचित रूप से कर सम्बन्धी भारी फायदा उठा जाते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद से बैंकों के पास जमा मीयादी रकमों को इस छूट के प्रयोजनों के लिए निवेश का पात्रता प्राप्त तरीका नहीं माना जाएगा।

79. नए बनाए गए मकान के वार्षिक किराया मूल्य में से, प्रत्येक रिहायशी इकाई के सम्बन्ध में, पांच वर्ष की अवधि तक, कर के प्रयोजनों के लिए 1200 रुपए तक की रकम घटा दी जाती है। मकान के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खास तौर पर कम आमदनी और दरमियानी आमदनी वाले वर्गों के लोगों को मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन

देने के उद्देश्य से, मैं इस रकम की सीमा को 1200 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूं।

80. नियोजकों (एम्प्लायर्स) के द्वारा उनके कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई नई इमारतों की लागत पर इस समय 20 प्रतिशत की दर से प्रारंभिक मूल्यह्रास छूट दी जाती है। कर्मचारियों के लिए इमारतों के निर्माण को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रारंभिक मूल्यह्रास छूट (डेप्रिशियेशन एलाउंस) की दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाए।

81. भारत से बाहर नियोजित भारतीय नागरिकों के विदेशी पारिश्रमिक पर भारतीय आयकर उस दशा में लगता है जबकि ऐसे व्यक्ति भारत में एक विनिर्दिष्ट अवधि से ज्यादा अर्से तक ठहरें। चुंकि इससे उन लोगों को परिहार्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से वे अपने ही देश में अवकाश की उचित अवधि बिताने की लिये निरुत्साहित होते हैं, इसलिये मैं इस बात की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि भारत से बाहर नियोजित भारतीय नागरिक देश में एक वर्ष में 89 दिन तक का अवकाश इस तरह की कर सम्बन्धी देनदारी से मुक्त रहकर बिता सकेंगे।

82. इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये कि घुड़दौड़ में जीती हुई रकमों (हार्स रेस विनिंग्स) पर भी प्रभावपूर्ण ढंग से कर लगाया जाये, मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि 2500 रुपये से अधिक रकम की जीत होने पर 34.5 प्रतिशत की दर से, स्रोत पर ही कर की कटौती कर ली जाये। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 4 करोड़ रुपये और 1978-79 में 3.5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

83. विज्ञापन, प्रचार और बिक्री संवर्द्धन के कार्यों पर प्रायः बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है जो सामाजिक दृष्टिकोण से फिजूल होता है। इस प्रकार के खर्चे पर पाबन्दी लगाने के लिये, ताकि राजस्व की हानि न हो, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कराधान योग्य लाभ का हिसाब लगाने में इस प्रकार के खर्च के अंश के लिये कोई छूट न दी जाये। जिस मामले में, विज्ञापन प्रचार तथा बिक्री संवर्द्धन के कार्यों पर भारत में किया गया कुल व्यय, कारबार या व्यवसाय की कुल टर्न ओवर या उसकी सकल प्राप्तियों के $\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अधिक न हो, उस मामले में, कराधान योग्य लाभ का हिसाब लगाने के लिये इस प्रकार के व्यय का 10 प्रतिशत भाग छूट के प्रयोजन के लिये हिसाब में शामिल नहीं किया जायेगा। जिस मामले में इस प्रकार का व्यय कुल कारबारी रकम या सकल प्राप्तियों के $\frac{1}{4}$ प्रतिशत से ज्यादा हो किन्तु $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से ज्यादा न हो, उनमें इस प्रकार के व्यय का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग छूट के प्रयोजन के लिये हिसाब में शामिल नहीं किया जायेगा और जिस मामले में, इस प्रकार का व्यय टर्न ओवर या सकल प्राप्तियों के $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से ज्यादा हो उसमें इस प्रकार के व्यय का 15 प्रतिशत भाग को हिसाब में शामिल नहीं किया जायेगा। यह व्यवस्था उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिनमें विज्ञापन, प्रचार तथा बिक्री संवर्द्धन कार्यों पर किया गया कुल व्यय, एक वर्ष में 20000 रुपये से अधिक न हो। इस व्यवस्था से, नये स्थापित प्रतिष्ठानों को तीन वर्ष तक की प्रारम्भिक अवधि के लिये छूट दी जायेगी। एक पूरे वर्ष में इस उपाय से 31 करोड़ रुपये की और 1978-79 में 25 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

84. कराधान योग्य लाभों का हिसाब लगाने के लिये भारतीय कम्पनियों तथा कम्पनियों से भिन्न निवासी करदाताओं के द्वारा निर्यात बाजार का विकास करने के लिये किये गये खर्च के सम्बन्ध में इस समय भारित कटौती की जा सकती है। बहु-जन धारित कम्पनियों (वाइडली-हैल्ड कम्पनीज) के मामले में यह भारित कटौती वास्तविक व्यय के 150 प्रतिशत की दर से और अन्य करदाताओं के मामले में यह कटौती 133.3 प्रतिशत की दर से की जा सकती है। यद्यपि निर्यात बाजार का विकास करने के लिये किये गये व्यय की पूरी कटौती पूर्णरूप से औचित्यपूर्ण है, और विज्ञापन, प्रचार तथा बिक्री संवर्द्धन पर किये जाने वाले व्यय अस्वीकृत किये जाने की प्रस्तावित व्यवस्था के अन्तर्गत इस प्रकार के व्यय के किसी भी भाग को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा, तथापि अब मुझे भारित कटौती की स्वीकृति के जरिये इस प्रकार के व्यय के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई पर्याप्त औचित्य नजर नहीं आता। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 1978 के बाद किये गये इस प्रकार के व्यय के सम्बन्ध में भारित कटौती जारी न रखी जाये। इस उपाय से, एक पूरे वर्ष में, 10 करोड़ रुपये और 1978-79 में 8 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

85. ऐसे करदाता के मामले में, जिस पर पहले आयकर लगाया गया है, अग्रिम कर तभी देय होता है जब आयकर अधिकारी इस सम्बन्ध में नोटिस जारी कर देता है। इसलिये, इस तरह के करदाता के मामले में यदि अग्रिम कर के लिये नोटिस जारी नहीं किया जाता तो वह कोई अग्रिम कर देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरी ओर, जिन करदाताओं के मामले में आयकर का निर्धारण नहीं किया गया है, उन्हें अपनी वर्तमान अनुमानित आय के आधार पर अपने आप अग्रिम कर देना होता है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में वर्तमान कानूनी स्थिति स्पष्टतः असन्तोषजनक है। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से अग्रिम कर देना होगा जिसकी वर्तमान आय विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक होगी।

86. श्री सी० सी० चौकशी की अध्यक्षता में जो प्रत्यक्ष कर विधि समिति बनाई गई थी, उसने पिछले दिसम्बर महीने में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट में, कर सम्बन्धी कानूनों को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने, कर निर्धारण करने की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाने, मुकदमेबाजी का क्षेत्र कम करने और अपीलों तथा निर्देशों (रेफरेंस) को निपटाने की गति तेज करने के लिये कई मूल्यवान सुझाव दिये गये हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन विषयक अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि कर सम्बन्धी कानूनों में वार्षिक वित्त विधेयक के जरिये संशोधन करने की जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिये क्योंकि इस विधेयक को एक निश्चित तारीख से पहले पास करना पड़ता है, परन्तु उक्त संशोधन अलग से विधेयक लाकर किये जाने चाहिये जिन पर व्यापक रूप से विचार किया जा सकता है। इस सिफारिश के अनुसरण में, मैं चौकशी समिति की उन मुख्य सिफारिशों को लागू करने के लिये, जो सरकार को मान्य हैं, यथाशीघ्र अलग से एक कानून बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इस बीच, समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर कुछ संशोधनों, जैसे घुड़-दौड़ में जीती गई रकमों के सम्बन्ध में स्रोत पर कर की कटौती तथा स्वेच्छा से अग्रिम कर की अदायगी से संबंधित संशोधनों को, वित्त विधेयक के जरिये पेश किया जा रहा है, जिन्हें आसानी से कर सम्बन्धी कानून में शामिल किया जा सकता है।

87. सम्पदा शुल्क (एस्टेट ड्यूटी) से छूट देने की सीमा आज से कई साल पहले 1958 में 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी। चूंकि छूट की यह सीमा काफी कम है इसलिये मैं, इसे बढ़ा कर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। चूंकि, इस मामले में हम राज्यों के विधान मण्डलों की सहमति से ही आवश्यक विधेयक ला सकते हैं इसलिये इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिये एक विधेयक तथा सम्पदा-शुल्क से संबंधित कुछ अन्य प्रस्ताव इस वर्ष बाद में पेश किये जायेंगे।

88. मैंने जिन विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है उनसे पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपये और 1978-79 के दौरान 25.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 1978-79 में अनिवार्य जमा की रकमों के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन प्राप्त होंगे।

89. अब मैं अपने अप्रत्यक्ष कर (इन्डायरेक्ट टैक्स) प्रस्तावों की ओर आता हूं। हमारी राष्ट्रीय बुनियादी समस्या, जो वास्तव में सभी विकासशील देशों के सामने है, यह है कि प्रत्यक्ष करों का आधार बिल्कुल संकुचित है और इसलिये हमारे राष्ट्रीय विकास के लिये जितनी भारी मात्रा में धनराशि की जरूरत है उतनी धनराशि हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में प्रत्यक्ष करों से नहीं जुटाई जा सकती। प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्ताव तैयार करते समय मैंने यह बात ध्यान में रखी है कि लघु उद्योग को संरक्षण देना तथा गरीब और मध्य आय वर्ग के लोगों की कठिनाई को संभव सीमा तक कम करना जरूरी है।

90. सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि सरकार ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के वर्तमान ढांचे की समीक्षा करने के लिये श्री लक्ष्मीकान्त झा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अब अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है। समिति ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये वे ये हैं:— —केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्कों की प्रणाली का ढांचा फिर से तैयार करना, लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता देने के लिये कदम उठाना, शुल्क दरों में सामान्य रूप से ऐसा परिवर्तन करना कि जैसे जैसे आय बढ़े वैसे वैसे दर में भी वृद्धि होती जाये और संयोजित मल्य कर (वैल्यू ऐडेड टैक्स) लागू करने की वांछनीयता पर विचार करना ताकि कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के संघटकों की करों के बहुस्तरीय प्रभाव से अलग रखा जा सके। समिति ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाये जाने वाले अप्रत्यक्ष करों के बारे में भी सुझाव दिये हैं। सरकार इन सभी सुझावों पर यथोचित सावधानी के साथ विचार करती रही है। वास्तव में, मैंने पिछले बजट में, समिति के कुछ सुझावों को जो हमें उसकी अन्तरिम रिपोर्ट में उपलब्ध थे, स्वीकार कर लिया था और उन्हें क्रियान्वित भी कर दिया था। आज, मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूं उनमें वे कुछ सुझाव शामिल किये गये हैं जो उक्त समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में दिये थे। समिति के अन्य सुझावों के सम्बन्ध में, जो कर प्रणाली के ढांचे में भारी परिवर्तन किये जाने के बारे में हैं, आगे और अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।

91. आयोजना परिव्यय में सर्वोच्च प्राथमिकता बिजली को दी गई है। बिजली पैदा करने तथा वितरण करने के लिये 1978-79 में 2200 करोड़ रुपये की आयोजना व्यवस्था

की गई है। मैं महसूस करता हूं कि बिजली के लिये इतनी भारी मात्रा में लगाई जाने वाली पूंजी के सन्दर्भ में यह न्यायोचित होगा कि जिन लोगों को इस निवेशित पूंजी से लाभ पहुंचता है उनसे कुछ अंशदान प्राप्त किया जाये। इसलिये मैं उत्पादित बिजली पर 2 पैसे प्रति किलो वाट घंटे की दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव कर रहा हूं। आबद्ध खपत (कैप्टिव कंजंप्शन) तथा बिजली पैदा करने के लिये बिजली घरों में सहायक संयंत्रों में इस्तेमाल के लिये पैदा की जाने वाली बिजली को इस शुल्क से मुक्त किया जा रहा है। मैं कृषि के प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर उत्पादक को शुल्क में छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि किसानों पर इस शुल्क का कोई बुरा असर न पड़े। इस कर प्रस्ताव से 145 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की आशा है।

92. कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद कोयले का उत्पादन, जो 1971-72 में 720 लाख मैट्रिक टन हुआ था, 1976-77 में बढ़कर 1000 लाख मैट्रिक टन हो गया है। यह राष्ट्रीयकरण के बाद राज्य द्वारा भारी मात्रा में लगाई गई पूंजी का सुपरिणाम है--हम आगे और भी पूंजी लगाते रहेंगे। यहां फिर मैं समझता हूं कि यह युक्ति संगत होगा कि जो लोग इस निवेशित पूंजी से लाभ उठाते हैं उनसे कहा जाय कि वे कोयले पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का थोड़ा भार वहन करें। मैं इस सम्बन्ध में 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से उत्पाद शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। पांच रुपये की न्यूनतम दर, देश में उत्पादित कुल कोयले के तीन चौथाई भाग पर लागू होगी। इस प्रस्ताव से 58 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की आशा है।

93. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत, "उन सभी वस्तुओं पर जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं किया गया हो," इस समय मूल्यानुसार 2 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाता है। मैं इस दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसा करते समय मैं कुछ संवेदनशील श्रेणियों की वस्तुओं अर्थात हानिकर जीवों को मारने वाली दवाओं, खरपतवार नष्ट करने वाली दवाओं, कीट नाशक दवाओं तथा फफूंद-नाशक दवाओं और साम्पत्तिक तथा पेटेन्ट औषधियों और दवाओं को छोड़कर अन्य औषधियों और दवाओं, भेषजों तथा औषधियों की मध्यवर्ती वस्तुओं को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। समाचारपत्रों तथा आवधिक पत्रिकाओं को भी पूरी तरह से इस शुल्क से मुक्त किया जा रहा है। जिन छोटे निर्माताओं के यहां से पूर्ववर्ती वर्ष में निकासी किये गये उत्पाद शुल्क लगने योग्य माल की कीमत 30 लाख रुपयें से अधिक न हो उनके मामले में मौजूदा छूट मिलती रहेगी। इन प्रस्तावों से 100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

94. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि करों के ढांचे में नए सिरे से तोड़-मरोड़ किए बिना विकास के लिए साधन जुटाना निहायत जरूरी है, म यह प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत इस समय प्रत्येक मद पर जितना बुनियादी उत्पाद-शुल्क लिया जाता है उसके 1/20 भाग की दर से एक विशेष शुल्क लगाया जाए। ऐसा करते समय, मैं कोयला; बिजली तथा उन वस्तुओं को इस विशेष शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता हूं जिन पर उक्त टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत शुल्क लगाया जाता रहा है। इस उपाय से देसी उत्पादन पर

214 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा तथा आयात की गई वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों (काउन्टरवेलिंग ड्यूटीज) में वृद्धि हो जाने से 15 करोड़ रुपए की और रकम प्राप्त होगी ।

95. अब मैं उन प्रस्तावों की ओर आता हूं जिनके द्वारा कुछ राहतें देना चाहता हूं। सबसे पहले, छोटे निर्माताओं को प्रोत्साहन देने तथा देश में उद्यमों के आधार का विस्तार करने की सरकारी नीति के अनुरूप में छोटे निर्माताओं को काफी राहत देना चाहता हूं ताकि वे बड़े एककों के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकें। इस समय छोटे निर्माताओं को दी जाने वाली तरह तरह की शुल्क संबंधी छूट किसी एक पद्धति पर आधारित नहीं है। पिछले वर्षों में कई तदर्थ राहतें दी गई हैं और राहत के सिद्धांतों में काफी हद तक भिन्नता रही है। छोटे एककों की परिभाषा करने में कई तरह के मानदण्ड अपनाए गए हैं, जैसे प्रति वर्ष की जाने वाली माल की निकासी का मूल्य, प्रति वर्ष की जाने वाली माल की निकासी की मात्रा, संयंत्र और मशीनों में लगाई गई पूंजी का मूल्य, कार्मिकों की संख्या, बिजली का उपयोग और इनमें से एक साथ दो अथवा अधिक मानदण्ड। लघु उद्योगों को दी जाने वाली राहत की पद्धति को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता को तथा झा समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विनिर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण करने वाले उन सभी लघु एककों को, जिनके यहां से पूर्ववर्ती वर्ष में निकासी किए गए माल की कीमत 15 लाख रुपए से अधिक न हो, प्रथम 5 लाख रुपए की माल की निकासी पर देय शुल्क से मुक्त किया जाए। यह छूट 69 मदों पर लागू होगी जिनमें अन्य वस्तुओं के अलावा दवाएं, साबुन और अपमार्जक (डिटर्जेंट), पेंट और वार्निश, बिजली का घरेलू सामान, इस्पात का फर्नीचर, धातु के पात्र, वातित जल, असारीय बनास्पती तेल, मृत्तिका-शिल्प (सिरेमिक्स) और अन्य अधिसूचित वस्तुएं भी शामिल हैं। इस प्रस्ताव से लगभग 24000 ऐसे एककों को लाभ पहुंचेगा जिन पर इस समय उत्पाद-शुल्क संबंधी नियंत्रण लागू होता है। इससे इन एककों का प्रक्रियात्मक काम काफी कम हो जाएगा जो उन्हें करना पड़ता है। छूट के मामले में ऐसी असंगति भी दूर हो जाएगी जिसकी वजह से इस समय कई मामलों में छूट की सीमारेखा पार करते ही राहत बिल्कुल खत्म हो जाती है। यह राहत अगले वित्तीय वर्ष से शुरु से लागू होगी और इसकी वजह से 28 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा।

96. मैं शक्ति चालित पम्पों (पावर ड्रिवन पम्प) को, जिनका मुख्य रूप से कृषि में उपयोग किया जाता है, उन पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से हर साल 1.5 करोड़ रुपए की हानि होगी।

97. टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहनों पर इस समय जो रियायत दी जाती है उसे मैं तीन पहियों वाले आटोरिक्शाओं पर भी देना चाहता हूं और उन पर लगने वाल शुल्क की दर को $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत मूल्यानुसार घटा देने का प्रस्ताव करता हूं। पूर्ण दूधपाउडर को उस पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क से मुक्त किया जा रहा है ताकि वह सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। मैं 100 लिटर और उससे कम की क्षमता वाले छोटे रेफ्रिजरेटरों पर लगने वाले शुल्क की दर को 40 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटा कर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इस समय, विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों में लगाने के लिए आवश्यक प्रशीतन तथा

वातानुकूलन मशीनों (रेफ्रिजरेटिंग एण्ड एयरकंडीशनिंग मशीनरी) के पुर्जों पर 20 प्रतिशत की रियायती दर पर शुल्क लगाया जाता है। यह रियायत खिड़की तथा पैकेज टाइप के तैयार समवेत वातानुकूलन एककों (रेडी असेम्बल्ड एयरकंडीशनिंग यूनिट) के मामले में भी दी जा रही है, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर छोटे औद्योगिक संस्थानों द्वारा किया जाता है। पिछले साल, मैंने फिल्मों पर उत्पाद-शुल्क काफी बढा दिया था। इस वृद्धि के संबंध में, तथा जिस रूप में फिल्म उद्योग पर उसका असर पड़ता है उसके संबंध में अनेकों अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। मैं ने इस मामले पर सावधानी से विचार किया है और मैं 4000 मीटर अथवा इससे कम लम्बी रंगीन फिल्मों पर तीसरे दर्जन के खण्ड पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 7,500 रुपए से घटा कर 5,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। काली और सफेद फिल्मों तथा लंबी फिल्मों के मामले में यथोचित फेर-बदल किया जा रहा है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म की पहली रिलीज की तारीख से 12 महीने के बाद घरेलू उपभोग के लिए अनुमत प्रतियों (प्रिंट) पर लगने वाले शुल्क को भी समुचित रूप से घटाया जा रहा है। कुल मिलाकर इन प्रस्तावों के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए की राहत दी जा रही है।

98. तेल मूल्य विषयक समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार चिकनाने के काम आने वाले तेलों और ग्रीसों पर लगने वाले शुल्कों की दरों के ढांचे को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। युक्तिसंगत बनाने के इस उपाय से हर साल 63 लाख रुपए की निवल राशि प्राप्त होगी।

99. मैंने लेपित वस्त्रों, सिगारों और चुरुटों, चाय अपशिष्ट (टी वेस्ट), औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वनास्पती उत्पादों, सैलूलोसी अपशिष्ट के मामलों में भी कुछ परिवर्तन किये हैं जिनका ब्यौरा बजट पत्रों में दिया गया है। इन प्रस्तावों से 6 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

100. सीमा-शुल्कों के संबंध में झा समिति ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनको मैंने ध्यान में रखा है। राहत देने के एक उपाय के तौर पर, और खासकर पूंजीगत लागत को कम करने के उद्देश्य से, मैं पूंजीगत उपस्कर की विनिर्दिष्ट मदों पर जिनका उत्पादन देश में नहीं होता, लगने वाले सीमा-शुल्कों की 40 प्रतिशत की दर को घटा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 9 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

101. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कैपेसिटर बनाने के काम आनें वाली पोलीप्रोपिलीन फिल्म और कंडेन्सर टिशू पेपर पर लगने वाले शुल्क में क्रमशः 155 प्रतिशत और 111 प्रतिशत की कमी कर दी जाए। कैपेसिटरों का इस्तमाल करने से पारेषण में बिजली की हानि कम हो जाएगी और इस प्रकार पारेषण में होने वाली हानि को कम किए जाने से बिजली का पारेषण अधिक कुशलतापूर्वक हो सकेगा। इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन पेपर पर भी शुल्क कम किया जा रहा है। इन प्रस्तावों से राजस्व में लगभग 4 करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी।

102. सिनेमेटोग्राफ मशीनरी, इलेक्ट्रोनिक संघटकों और आयातित फीचर फिल्मों की कुछ विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में भी कुछ राहतें दी जा रही हैं। कुल मिलाकर इनसे राजस्व में 58 लाख रुपए की कमी होगी।

103. सीमा शुल्क की दरों को बढ़ाने के बारे में मेरे पास एक ही प्रस्ताव है। मैं यह प्रस्ताव राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए कर रहा हूं। मैं पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर लगने वाले आयात शुल्क को 120 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे एक साल में लगभग 6.4 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

104. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों से, कुल मिलाकर, 1978-79 में 499 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

105. अपने प्रस्तावों के पीछे मैंने जो राजकोषीय नीति अपनाई है उसका उद्देश्य हमारी अर्थव्यवस्था में नई विस्तारकारी प्रेरक शक्तियों को पैदा करने के लिए खाद्य और विदेशी मुद्रा की अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाना है। सरकारी पूंजी-निवेश में भारी वृद्धि करना इस नीति का एक तत्व है। राजकोषीय नीति को पुष्ट करने के लिए मौद्रिक नीति का भी सहारा लिया जाना चाहिए।

106. सदन को याद होगा कि सरकार ने 1974 में बैंकों की ब्याज संबंधी आय पर कर लगाया था। सम्मानित सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि अब कीमतें काफी स्थिर हो गई हैं और उत्पादक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है इसलिए अब इस कर के लिए कोई आर्थिक औचित्य नहीं रहा है। इसलिए मैं ब्याज-कर को तत्काल वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। मौद्रिक अभिप्राय से इस राजकोषीय रियायत के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक आज के दिन बाद में ब्याज दर के ढांचे में आवश्यक समायोजन की घोषणा करेगा।

107. वर्ष 1978-79 के बजट अनुमानों में ब्याज-कर के रूप में 130 करोड़ रुपए की राशि को जमा खाते रखा गया है। चूंकि जनवरी और फरवरी 1978 के महीनों का ब्याज-कर आगामी वर्ष में देय होगा इसलिए राजस्व में वास्तविक हानि 108 करोड़ रुपए की होगी।

108. संक्षेप में अतिरिक्त साधन जुटाने के मेरे प्रयत्नों के फलस्वरूप 1978-79 में 549.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, जिसमें से 499 करोड़ रुपए संघ उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से, 25.5 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों से और 25 करोड़ रुपए अनिवार्य जमा के रूप में प्राप्त होंगे। इसमें से राज्यों का हिस्सा 95.5 करोड़ रुपए और केन्द्र का हिस्सा 454 करोड़ रुपए का होगा। ब्याज-कर की समाप्ति के साथ, केन्द्र को प्राप्त होने वाले निवल अतिरिक्त साधन 346 करोड़ रुपए के होंगे।

109. अतिरिक्त साधन जुटाने के मेरे इन प्रयत्नों के बावजूद भी मैं बजट में 1050 करोड़ रुपए का घाटा, उसके लिए कोई व्यवस्था किए बिना, छोड़ रहा हूं। यह राशि सरकारी सोने की

बिक्री से प्राप्त होने वाली रकमों के कारण कम हो जाएगी। सम्मानित सदस्य स्वयं समझ लेंगे कि मैंने किस वजह से इस राशि का अनुमान लगाने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन सम्मानित सदस्यों की तरह मेरा भी यही मत है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों में हमारे संचित सोने के कुछ भाग को सोने की तस्करी की पुनरावृत्ति को रोकने के अलावा, बजट संबंधी लेनदेन के विस्तारकारी प्रभाव को कम करने के लिए भी उपयोग में लाना उचित है। इसी तर्क के आधार पर हम आयोजना और निवेश पर किए जाने वाले अधिक परिव्ययों के विस्तारकारी प्रभाव को निष्फल करने के उद्देश्य से अपनी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के कुछ भाग का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि आगामी वर्ष में, आयात को उदार बनाने के लिए प्रारंभ किए गए उपायों से और पूंजी-निवेश के बड़े कार्यक्रम से, जो हम अब शुरु करने का प्रस्ताव करते हैं, हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में से काफी बड़ी रकम उपयोग में लाई जा सकेगी। इन दोनों बातों के साथ-साथ ऋण के संबंध में बराबर सतर्कता बरतने से मुद्रा उपलब्धि की निवल वृद्धि को निरापद स्तर तक सीमित रखा जा सकेगा।

110. मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि परिणामी मुद्रा-विस्तार से कोई मुद्रास्फीतिकारी दबाव खासतौर से इसलिए पैदा नहीं होंगे क्योंकि इस समय हमारे पास खाद्यान्न का भारी भंडार है और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने की हमारे में काफी ज्यादा क्षमता है। सरकारी खरीद और वितरण की प्रणाली के जरिये पूर्ति प्रबंध में और ऋण तथा मुद्रा नीति के जरिये मांग-प्रबंध में हमने जो अनुभव प्राप्त किया है और जो तरीके ईजाद किए हैं उनकी सहायता से भी हम इन दबावों पर काबू पा सकते हैं।

111. अंत में, मैं आपको संक्षेप में यह बतलाना चाहूंगा कि मैं इस बजट के जरिये क्या प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य, एक ऐसी प्रक्रिया को चालू कर देना है जिससे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार में बराबर वृद्धि होती चली जाए। पूंजी निवेश में सरकारी व्यय का कार्यक्रम वह प्रमुख साधन है जिसके द्वारा मैं यह उद्देश्य पूरा करना चाहता हूं। आधारभूत सुविधाओं के निवेश व्यय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है ताकि आगे विकास के मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएं और सामान्य आर्थिक वातावरण में सुधार हो। इसी कारण मेरे लिए यह आवश्यक हो गया है कि मैं पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त साधन जुटाने का जिम्मा लूं। इसके साथ ही मैंने कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार प्रोत्साहन और कर संबंधी रियायतें देने में भी कोई कसर नहीं रखी है।

112. देश की आर्थिक स्थिति इस समय एक साहसपूर्ण कदम आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत अनकूल है। यह बजट एक ऐसा ही कदम है।

वित्त विधेयक, 1978

FINANCE BILL, 1978

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त विधेयक 1978 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : : प्रश्न यह है :--

"कि वित्त विधयक 1978 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 1 मार्च, 1978/10 फाल्गुन 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 1st March, 1978/Phalguna 10, 1899 (Saka).

291.SS/78—GIPF.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English /Hindi.]